खण्ड-405, अंक-7
मंगलवार, 1 वैशाख, शक संवत् 1914
(21 अप्रैल, 1992 ई0)

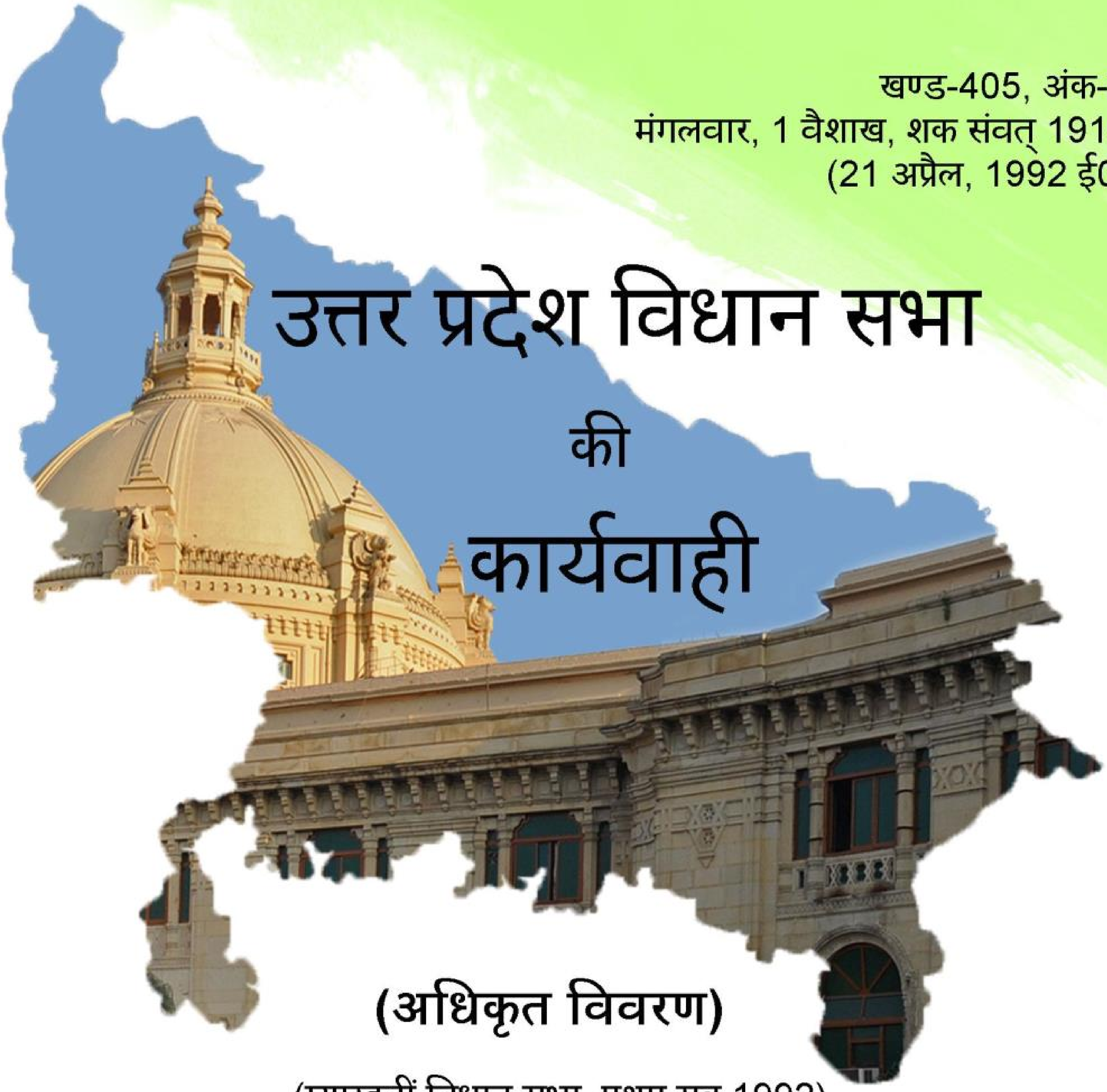

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(ग्यारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1992)

खण्ड 405 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1992

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ख
विधायक के भाई की हत्या सम्बन्धी मामला उठाने की मांग	1
समाचार पत्रों में छपे विधायकों के अपराधिक जीवन सम्बन्धी मामले उठाने की मांग	1-2
प्रश्नोत्तर	2-95
आज की कार्यसूची में जनपद महाराजगंज में डोंडा एवं वयास नदियों का जल प्रदूषित होने के सम्बन्ध में वक्तव्य का उल्लेख न होने पर व्यवस्था का प्रश्न	95
काशीपुर में चल रहे धरने का ज्ञापन एस० डी० एम० द्वारा न लिये जाने के सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकृष्ट किया जाना	95-96
नियम 301 की सूचनायें	97
दुगड्डा-चौकी पीपलीधार डागर (टिहरी गढ़वाल) मोटर मार्ग का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	97
जनपद गढ़वाल के कोटद्वार भावर के नगर तथा ग्रामों में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	97-98
जनपद मुजफ्फरनगर के बंधरा क्षेत्र में विद्युत उप संस्थान निर्मित कराने के सम्बन्ध में, नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	98
जनपद मथुरा के गोकुल क्षेत्र में राज्य सेक्टर योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन कतिपय मार्गों को पूरा कराने के सम्बन्ध में, नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	98
जनपद मैनपुरी के ग्राम भैंसरौली में पुलिस द्वारा निर्दोष लोगों का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में, नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	98-99
जनपद आगरा के ग्राम धर्मशाला का नगला में विद्युतीकरण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	99
जनपद बांदा के ग्राम खप्टिहाखुर्द में विद्युतीकरण न किये जाने के सम्बन्ध में, नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	99
औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें	100
दिनांक 7 अप्रैल, 1992 के नियम 300 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सुरक्षित रखे गये निर्णय के सम्बन्ध में, औचित्य का प्रश्न ..	100-101
प्रथम सत्र 1992 के पांचवें सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 202 एवं 209 के सम्बन्ध में, औचित्य का प्रश्न	101-103
प्रथम सत्र 1992 के चौथे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 110 का गलत उत्तर दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	104
प्रथम सत्र 1992 के पांचवें सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 151 के सम्बन्ध में, औचित्य का प्रश्न	104-105

विषय	पृष्ठ-संख्या

प्रथम सत्र 1992 के चौथे बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 132, 143, 144, 160, 161, 162 तथा 164 के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न .. 105-106

व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से नियम 300 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बोलने का प्रयास 106-107

विशेषाधिकार की लिखित सूचना निरस्त करते हुए व्यक्ति विशेष के नाम से दूसरी सूचना देने के सम्बन्ध में निर्देश 107

समाचार-पत्रों में प्रकाशित अपराधिक जीवन संबंधी सूची में श्री विजय सिंह राणा, सदस्य, विधान सभा का नाम सम्मिलित होने के सम्बन्ध में, व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने का प्रयास 107-110

दण्ड-प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1992 ..... (पुरःस्थापित) 110

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं 110-144

वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या 47–प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 710–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, अनुदान संख्या 72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा), अनुदान संख्या 75–शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) ..... (स्वीकृत) 144-197

वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या 73–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) ..... (स्वीकृत) 197-216

वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या 71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) तथा अनुदान संख्या 74–शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) ..... (स्वीकृत) . 216-226

जनपद मऊ में जिला प्रशासन द्वारा किये जा रहे उत्पीड़न के विरुद्ध आयोजित सभा पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा का स्थगन 226

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं 226

गढ़वाल मण्डल के विद्युत अप्रेन्टिस बेरोजगारों को राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत रिक्त पदों पर नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत ऊर्जा राज्य मंत्री का वक्तव्य 226-227

जनपद गाजीपुर के परगनाधिकारी, जमानिया के कार्यालय के टंकक एवं अधिवक्ता के विवाद को लेकर कलेक्ट्रेट में चल रही हड़ताल से उत्पन्न स्थिति पर नियम 51 के अन्तर्गत वित्त मंत्री के वक्तव्य का स्थगन .. 227

यू० पी० स्टेट हार्टिको के छटनीशुदा कर्मचारियों को राज्याधीन सेवाओं में समायोजित न किये जाने विषयक दि० 31 मार्च, 1992 के तारांकित प्रश्न सं० 3, नत्थी (ख) के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा का स्थगन ... 227

नत्थियां 228-231

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 21 अप्रैल, 1992

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	नरेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर	नारायण दत्त तिवारी, श्री	नैनीताल
अरविन्द कुमार, डा०	ललितपुर	पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
अरिदमन सिंह, श्री	आगरा	प्यारे लाल शंखवार, श्री	कानपुर देहात
अवध पाल सिंह, श्री	एटा	फतेह बहादुर सिंह, श्री	महराजगंज
अशोक कुमार, श्री	लखनऊ	बंशीधर राज, श्री	लखीमपुर खीरी
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	बनवारी लाल दोहरे, श्री	फर्रुखाबाद
इस्लाम साबिर, श्री	बरेली	बी० आर० वर्मा, श्री	आजमगढ़
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर	बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
उमानाथ, श्री	जौनपुर	बृजभान यादव, डा०	इलाहाबाद
उम्मेद सिंह, श्री	आगरा	बेनी प्रसाद वर्मा, श्री	बाराबंकी
कंवर पाल मास्टर, श्री	सहारनपुर	भगवन्त प्रसाद, श्री	इलाहाबाद
कमल नयन वर्मा, श्री	रायबरेली	भरत सिंह, श्री	बलिया
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़	भानु प्रताप सिंह वर्मा, श्री	जालौन
कृष्ण कुमार, श्री	इटावा	मदन भईया, श्री	मेरठ
केदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली	मारकण्डेय, श्री	बलिया
गया चरन दिनकर, श्री	बांदा	मारकण्डेय चन्द, श्री	गोरखपुर
चन्द्र भान मौर्य, श्री	आगरा	मुन्ना चौहान, श्री	देहरादून
चन्द्र शेखर सिंह, श्री	बस्ती	मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
जगदम्बा सिंह, श्री	बस्ती	मोहम्मद वसीम हाजी, श्री	रायबरेली
जगराम सिंह यादव, श्री	कानपुर नगर	रघुराज, श्री	जौनपुर
ज्ञान चन्द्र, श्री	उत्तरकाशी	रणजीत सिंह जूदेव, श्री	झांसी
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री	लखीमपुर खीरी	रमाकान्त यादव, श्री	आजमगढ़
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया	राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
धनराज यादव, श्री	सिद्धार्थनगर	राजीव कुमार, श्री	नैनीताल
धर्मपाल यादव, श्री	बुलन्दशहर	राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया

विधान परिषद सचिवालय

रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रसाद, श्री	बुलन्दशहर
लल्लन प्रसाद त्रिपाठी, श्री	गोरखपुर
लाखन सिंह, श्री	नैनीताल
लाल चन्द्र पाण्डेय, श्री	वाराणसी
लाल जी वर्मा, श्री	फैजाबाद
विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर
शिवेन्द्र सिंह, श्री	महराजगंज
श्याम देव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
श्याम नारायण, श्री	महराजगंज
श्याम बिहारी सिंह, श्री	बरेली
समीउल्ला, श्री	गोण्डा
सुखदेव, श्री	आजमगढ़
सुधीर, श्री	बलिया
हनुमन्त सिंह, श्री	गोण्डा
हरद्वार दूबे, श्री	आगरा
हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

मंगलवार, दिनांक 21 अप्रैल, 1992

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

विधायक के भाई की हत्या सम्बन्धी मामला उठाने की मांग

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, हमारे एक साथी के भाई की नृशंस हत्या कर दी गयी है । यह सरकार जब से आयी है, ऐसी हत्याओं का सिलसिला जारी है ।

(विपक्ष के अनेक सदस्यों के एक साथ खड़े होने से घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप सम्भवतः कुशलपाल जी की हत्या के बारे में कह रहे हैं । यह सूचना नियम 56 के अन्तर्गत शलाका में आ गयी है । इस पर सुनूंगा ।

(घोर व्यवधान)

समाचार पत्रों में छपे विधायकों के अपराधिक जीवन सम्बन्धी मामले उठाने की मांग

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं तो अपराधी हूं ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना को पूरा पढ़ा । कक्ष में इस विषय में बात कर लेंगे ।

श्री विजय सिंह राणा–

मैं तो आज अपराधी हूं ।

श्री मोहम्मद आज़म खां–

हिस्ट्रीशीटर कैसे सदन में रहेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

मेरे कक्ष में बात कर लें ।

मैंने सभी नियम 311 की सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित कर दिया है और शलाका के आधार पर लूंगा ।

(श्री विजय सिंह राणा के खड़े रहने से व्यवधान)

आप समाचार पत्र में छपी खबर के आधार पर अपने को अपराधी कह रहे हैं ।

विधान सभा सदस्य

श्री विजय सिंह राणा–

[x x x]

(विपक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयत्न करने से घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मा० सदस्य जो कह रहे हैं, लिखा नहीं जायगा ।

(घोर व्यवधान)

कुछ लिखा नहीं जायगा ।

श्री विजय सिंह राणा–

हम यहां आकर बैठे हैं, अपराधी होते हुए हम एक मिनट यहां बैठना नहीं चाहते हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पहले प्रश्नकाल हो जाने दें यह बात प्रश्नकाल के बाद कह सकते हैं, प्रश्नकाल के बाद आपको सुनूंगा । मैं तो चाह रहा था कि आप कक्ष में आकर बात कर लें तो अच्छा होता, लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं तो प्रश्नकाल के बाद कह लें ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, हम सदन में अपराधी बनकर बैठेंगे या माननीय सदस्य ।

प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष–

आप अपना स्थान ग्रहण करें, प्रश्नकाल में मंत्री जी को उत्तर देने दें ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

पूर्ण कालिक श्रमजीवी पत्रकारों के लिये स्वैच्छिक पेंशन एवं बीमा योजना

**1–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पत्रकारिता के जोखिम भरे काम को देखते हुए पत्रकारों के लिये कोई बीमा योजना प्रारम्भ करने पर सरकार विचार कर रही है ? क्या सरकार ने पत्रकारों के लिये कोई पेंशन योजना भी प्रारम्भ की है ? यदि हां, तो क्या पेंशन योजना का लाभ देने हेतु पत्रकारों का कोई वर्गीकरण किया गया है ? यदि हां, तो वर्गीकरण का आधार क्या है ? क्या वर्गीकरण में स्वतंत्र लेखन (फ्रीलांसिंग) वाले पत्रकार सम्मिलित नहीं हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :—[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

न्याय, विधायी तथा सिंचाई मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

ऐसी योजना विचाराधीन नहीं है अपितु शासनादेश संख्या–414/19-1-92-32/77, दिनांक 16 मार्च, 1992 द्वारा पूर्णकालिक श्रमजीवी पत्रकारों के लिये एक स्वेच्छिक पेंशन एवं बीमा योजना लागू की गयी है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्वतंत्र लेखन वाले पत्रकार सम्मिलित नहीं हैं क्योंकि वे पूर्णकालिक श्रमजीवी पत्रकार की परिभाषा से आच्छादित नहीं हैं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, पत्रकारिता का काम बहुत जोखिम भरा है और मिशनरी है । मेरे प्रश्न के सम्बन्ध में सरकार ने एक शासनादेश का हवाला दिया है अच्छा होता यदि वह शासनादेश इस उत्तर के साथ नत्थी किया गया होता तो बात ज्यादा साफ होती । शासनादेश संख्या 414/19-1-92-32/77, दिनांक 16 मार्च, 1992 का जिक्र है । उस शासनादेश की परिधि क्या है, प्रारूप क्या है । क्या उस बीमा योजना में कोई ऐसी व्यवस्था है कि सरकार की तरफ से बीमे का प्रीमियम जमा किया जाय पत्रकारों का उसमें कोई अंशदान न हो यह मानकर कि पत्रकार समाज की सेवा करते हैं, यह मिशन का काम है, क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी ? मेरे प्रश्न का दूसरा भाग था कि क्या पेंशन योजना का लाभ देने हेतु पत्रकारों का कोई वर्गीकरण किया गया है इसके उत्तर में तो कहा गया, जी नहीं, लेकिन नीचे वर्गीकरण का उल्लेख किया गया है तो क्या स्वतंत्र लेखन के पत्रकारों को भी इस योजना में शामिल किया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, शासनादेश का जो उल्लेख है उसमें ऐसे ही पत्रकार सम्मिलित हैं जिनका कि पूर्ण रूप से किसी समाचार-पत्र के साथ सेवक के रूप में जुड़कर अपना जीवन यापन करने का लक्ष्य है। ऐसे श्रमजीवी पत्रकारों के लिये, जो पेंशन एवं बीमा योजना दोनों सम्मिलित है, वह योजना लागू की गयी है । जिसमें आधा प्रीमियम पत्रकार देंगे और आधा प्रीमियम यू० पी० वर्किंग जर्नलिस्ट वेलफेयर सोसाइटी द्वारा दिया जायेगा .....

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

इसमें सरकार का कितना हिस्सा होगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

इसमें सरकार का हिस्सा नहीं है । यू० पी० वर्किंग जर्नलिस्ट वेलफेयर सोसाइटी वह 50 प्रतिशत हिस्सा देगी और इस वर्किंग सोसाइटी को धन उपलब्ध हो सके, इसे उपलब्ध कराने में सरकार सहयोग कर रही है व्यवस्थापन हेतु लेकिन सरकार ने स्वयं कोई जिम्मेदारी नहीं ली है कि जो आधा प्रीमियम है, वह सरकार दे ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, लोकतंत्र का चौथा खम्भा पत्रकारिता है और माननीय मंत्री जी ने बड़ी सफाई के साथ यह स्वीकार भी कर लिया है कि सरकार का कोई अंशदान इसमें नहीं है जो शासनादेश निर्गत हुआ है उसके

लिये जो धनराशि होगी वह वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसियेशन देगी तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि जिन पत्रकारों को अपनी जान से हाथ धोना पड़े उस समय जब वह पत्रकारिता का कार्य सम्पादित कर रहे हों या समाचार एकत्रित कर रहे हों, तो उनके लिये कोई जोखिम बीमा योजना सरकार लागू करेगी और उसके लिये उसको अंशदान देगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, ऐसे पत्रकार जो श्रमजीवी पत्रकार की परिभाषा में आते हैं और किसी भी प्रकार के कार्य को करते हुए, चाहे वह जोखिम का कार्य हो या न हो, उसको इस बीमा योजना का लाभ मिलेगा । यू० पी० वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसियेशन को धन उपलब्ध हो, इसकी व्यवस्था कराने के लिये सरकार योगदान कर रही है और उसके लिए एक कदम उठाया है कि जो विज्ञापन पत्रों को दिया जाता है उसका पांच प्रतिशत इस सोसाइटी को मिले ऐसी व्यवस्था यह सरकार कर रही है । इसलिये जोखिम भरे कार्य हों या न हों, जो भी श्रमजीवी पत्रकार इस परिभाषा में आते हैं, जो स्वेच्छिक योजना को स्वीकार करेंगे, उनको इसका लाभ होगा ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी शायद मेरे प्रश्न को समझ नहीं पाये हैं । मेरा स्पष्ट प्रश्न यह है कि क्या कोई आगणन आपने कराया है कि पत्रकारों की संख्या कितनी है और जो पत्रकार हैं उन्हें जोखिम बीमा योजना का लाभ देंगे तो वह कितनी धनराशि होगी और कितनी यू० पी० वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसियेशन को उपलब्ध करा रहे हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, यह योजना स्वेच्छिक योजना है । जितने लोग इस योजना को करायेंगे उसके अनुसार ही यह पता चल पायेगा कि सोसाइटी के ऊपर कितना भार पड़ेगा अभी और आवेदन-पत्र आ रहे हैं । सौ के लगभग आवेदन-पत्र आ चुके हैं और आगे भी स्वीकार किये जायेंगे । वह सब इसमें सम्मिलित किये जायेंगे ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह कहा कि इस योजना के तहत केवल वही पत्रकार सम्मिलित होंगे जो अखबार से जुड़े हुए हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसे पत्रकार जो स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य करते हैं और जिनका सारा जीवन इसी में बीत गया क्या उनको सुविधा देने के लिये कोई योजना सरकार ने लागू की है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, श्रमजीवी पत्रकार का इस योजना में उल्लेख किया गया है । इस योजना के अतिरिक्त अन्य कोई योजना नहीं है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, जैसा अभी हमारे सदस्य श्री दिवाकर विक्रम सिंह जी ने कहा वह हमारे मूल प्रश्न का दूसरा हिस्सा था उसमें यह था कि स्वतंत्र लेखन पत्रकारों को इसमें सम्मिलित किया जायेगा तो मेरी भी यही मांग थी कि क्या इनको इसमें शामिल किया जायेगा और दूसरा जिस सोसाइटी का माननीय मंत्री

जी ने जिक्र किया है उनको विज्ञापन के माध्यम से आमदनी उपलब्ध कराती है तो उस सोसाइटी को कितना रुपया देती है ?

श्री अध्यक्ष–

पहले वाले सवाल का उत्तर तो आ गया है । उसमें यह कहा गया है कि स्वतंत्र लेखन वाले पत्रकार सम्मिलित नहीं हैं क्योंकि वे पूर्णकालिक श्रमजीवी पत्रकार की परिभाषा से आच्छादित नहीं हैं । दूसरे प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी दे दें ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

उसका भी उत्तर मैं दे चुका हूं । यह स्वैच्छिक योजना है । इसमें लोग आवेदन दे रहे हैं । आवेदनकर्ताओं की संख्या पूरी हो जाय और यह समझ लिया जाय कि अब और नहीं आने हैं, फिर तब निर्धारित होगा कि सोसाइटी को कितना भाग देना पड़ेगा और जो धनापूर्ति की बात है, उसकी जो समस्या है, तभी उस पर विचार होगा ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, स्वतंत्र लेखनी के कारण आज पत्रकारों पर बराबर हमले हो रहे हैं, उसी के संदर्भ में जानना चाहता हूं कि जो 16 मार्च, 1992 का शासनादेश सरकार द्वारा जारी किया गया है, उसमें जो स्वैच्छिक शब्द लिखा गया है, उसको कम्पलसरी करने की कृपा करेंगे, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, आधा प्रीमियम पत्रकार को ही देना पड़ेगा, तो इसे अनिवार्य कैसे किया जा सकता है, इसलिये यह स्वैच्छिक है ।

आत्म सुरक्षा हेतु आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस देने सम्बन्धी वर्तमान नीति

**2–श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आत्मसुरक्षा हेतु आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस देने सम्बन्धी सरकार की वर्तमान नीति क्या है ? विधायकों को आग्नेयास्त्र के लाइसेन्स देने हेतु किन-किन औपचारिकताओं को पूरा करने की आवश्यकता है ? क्या सरकार अनुसूचित जाति के लोगों को आत्मसुरक्षा हेतु आग्नेयास्त्र के लाइसेन्स देने में प्राथमिकता एवं नियमों में शिथिलता देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

आग्नेयास्त्र के नये लाइसेन्स जारी करने पर दिनांक 16-12-85 से प्रतिबन्ध है किन्तु इस प्रतिबन्ध से 8 श्रेणी के आवेदकों को मुक्त रखा गया है जिन्हें जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा लाइसेन्स स्वीकृत किये जा रहे हैं ?

आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-13 एवं 14 में आग्नेयास्त्र लाइसेन्स स्वीकृत करने की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है जिसके अनुसार मा० विधायकों को भी लाइसेन्स हेतु समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करनी होती हैं ।

शासन द्वारा निर्धारित 8 श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले किसी भी धर्म, सम्प्रदाय अथवा जाति के आवेदकों को आयुध अधिनियम एवं नियमावली के प्राविधानों के अनुसार बिना किसी भेदभाव के

आग्नेयास्त्र लाइसेंस जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा स्वीकृत किये जा रहे हैं अतः किसी भी जाति को लाइसेंस देने में प्राथमिकता दिये जाने आदि का कोई औचित्य नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

मान्यवर, मैंने पूछा था कि लाइसेंस देने सम्बन्धी वर्तमान नीति क्या है, उसके संबंध में मंत्री जी ने जवाब में बताया कि दिनांक 16-12-85 से प्रतिबन्ध है किन्तु इस प्रतिबन्ध से 8 श्रेणी के आवेदकों को मुक्त रखा गया है जिन्हें जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा लाइसेंस स्वीकृत किये जा रहे हैं । इस प्रकार मान्यवर, यह तो लाइसेंस देने की प्रक्रिया बता दी गयी, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की नीति क्या है, इसको स्पष्ट कर दें । दूसरी बात जो 8 श्रेणियों की कही गयी हैं, वह 8 श्रेणियां कौन सी हैं, इसको भी स्पष्ट कर दें ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, लाइसेन्स भारतीय शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत दिये जाते हैं । इस समय उत्तर प्रदेश में जो व्यवस्था है, उसके अन्तर्गत 8 श्रेणियों का नाम आप सबके संज्ञान में लाना चाहूंगा । पहली श्रेणी है बैंक, अर्द्ध शासकीय एवं सार्वजनिक संस्थायें, दूसरा मृतक लाइसेंसियों के उत्तराधिकारियों को और तीसरा है, विधान सभा, विधान परिषद् के सदस्यों एवं संसद सदस्यों, जिनका आपराधिक इतिहास न हो ।

4. कस्टम एवं सेन्ट्रल एक्साइज विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों (इंस्पेक्टर आदि) जो छापे डालने अथवा तस्करों आदि को पकड़ने से सम्बद्ध हों ।

5. जिन व्यक्तियों के यहां डकैती पड़ जाती है या लूट हो जाती है या हत्या हो जाती है या अन्य कोई जघन्य अपराध हो जाता है जिसके कारण संबंधित व्यक्ति अपने को असुरक्षित महसूस करता है ।

6 ऐसे लाइसेंसी जो अपनी वृद्धावस्था के कारण अथवा शारीरिक असमर्थता के कारण शस्त्र रखने अथवा चलाने योग्य नहीं रह जाते हैं उनके वारिसों के मामलों में ।

7. ऐसे शासकीय अधिकारियों जिन्हें अपने कर्तव्यों के फलस्वरूप सुरक्षा हेतु आग्नेयास्त्र रखने की आवश्यकता है ।

श्रीमन्, इस प्रकार जो आखिरी श्रेणी है, जिसे हमारी सरकार ने जोड़ा है, वह इस प्रकार है––

8. जिन आवेदकों के पास पहले से कोई शस्त्र लाइसेंस न हो उन्हें निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन केवल एक शस्त्र का लाइसेंस, मण्डल की सीमा तक जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है––

(क) आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास न हो ।

(ख) इस श्रेणी के आवेदकों को राइफल का लाइसेंस जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा स्वीकृत नहीं किया जायेगा ।

(ग) अपवाद स्वरूप विशेष परिस्थितियों में इस श्रेणी के आवेदकों को आतंकवाद से प्रभावित जनपदों (नैनीताल, पीलीभीत, रामपुर, बिजनौर, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद, देहरादून एवं हरिद्वार) में जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा राइफल का लाइसेंस स्वीकृत किया जा सकेगा ।

(घ) इस श्रेणी के आवेदकों को लाइसेंस केवल जिला मजिस्ट्रेट ही जारी करेंगे व शक्तियों का प्रतिनिधायन नहीं किया जायेगा ।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, जो जिले आतंकवाद से अधिकतर प्रभावित हैं, वहां पर आतंवादी अटोमैटिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं । परन्तु मंत्री जी ने कहा है कि उनमें केवल राइफल दिये जायेंगे । क्या माननीय मंत्री जी उन क्षेत्रों में जहां आतंकवाद ज्यादा है, वहां पर अटोमैटिक व सेमी अटोमैटिक हथियारों का लाइसेंस देने पर विचार करेंगे ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, जहां तक स्वचालित हथियारों के लाइसेंस देने के अधिकार का सवाल है, इसे केन्द्र सरकार ने अपने पास सुरक्षित रखा है । यदि माननीय सदस्य को इसकी आवश्यकता होगी तो उन्हें केन्द्र सरकार तक जाना होगा ।

श्री जागेश्वर प्रसाद–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को लाइसेंस देने में क्या परेशानी है ? शराब का ठेका तो वह बहुत देते हैं । यदि कोई भला मनुष्य अपनी सुरक्षा हेतु राइफल के लाइसेंस की मांग करता है तो उसे देने में मंत्री जी को क्या परेशानी है । लाइसेंस देने से तो सरकार को ही फायदा होगा । बन्दूकें बिकेंगी और उसके कारतूस बिकेंगे, जिससे सरकार को फायदा होगा । दूसरा, यह कि राइफल के लाइसेंस का अधिकार जिलाधिकारी को न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, इसमें शराब का नाम आ जाने के कारण स्थिति स्पष्ट नहीं बन पायी है ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने शर्तें बतायीं । उन शर्तों में उन्होंने यह भी बताया कि जिनका अपराधिक इतिहास नहीं होगा, उनको दिया जायेगा । अब इसमें दो बातें हैं । पहला मुकदमा कायम होना और दूसरा है मुकदमे का फैसला होना । क्या माननीय मंत्री जी इस बात को क्लैरिफाई करेंगे कि उन लोगों का अपराधिक इतिहास माना जायेगा जिनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ है और या फिर उन लोगों का आपराधिक इतिहास माना जायेगा, जिनके खिलाफ मुकदमे का फैसला हो गया है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 12 और 13 में इसकी व्यवस्था है कि लाइसेंसिंग अधिकारी निकटवर्ती पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट मंगायेगा यदि ऐसे लोगों को शस्त्र दिये जाने से कोई शांति सुरक्षा को खतरा नहीं समझते हैं तो स्थानीय पुलिस रिकमेंड करती है और उसमें विवेक का इस्तेमाल जिला प्रशासन करता है ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, आप संरक्षण देंगे मेरे सवाल की मंशा को आप समझ गये होंगे । मैं इसका उत्तर ऐसा ही चाहूंगा जैसा कानूनी सवाल है वैसा ही उत्तर आये । अपराधिक इतिहास या जीवन किसे कहते हैं उसकी परिभाषा क्या है, उस परिभाषा को देने का कार्य जिलाधिकारी का है या न्यायालय का ।

श्री अध्यक्ष–

क्या मानक है, अपराधिक इतिहास खाली मुकदमा चलना है या सजायाफ्ता से है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, आप तो अधिवक्ता रहे हैं और हैं भी आप जानते हैं कि आजकल किसी अपराधी को सजा दिला पाना कितना कठिन है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

यह गृह मंत्री बोल रहे हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी का उत्तर आ जाने दें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

नामजद अभियुक्त होने के बाद घटनास्थल पर पकड़े जाने के बावजूद ऐसे प्रकरणों में साक्ष्य के अभाव में या जैसा साक्षियों पर दबाव है सजा नहीं मिल पाती है और ऐसे लोगों की शोहरत बढ़ जाती है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य की जिज्ञासा यह है कि अभियुक्त और अपराधी इन दोनों शब्दों में अन्तर है तो इसको ध्यान में रखा जायेगा या नहीं रखा जायेगा ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

यह स्पष्ट करते चलें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, अभियुक्त और अपराधी का अंतर यह टैक्निकल विषय है जैसा प्रकरण होता है तद्नुसार कार्यवाही की जाती है ।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मामला गम्भीर है मैं अपनी बात पहले समाप्त कर लूं । जो मैंने कहा था मामला गम्भीर है वह इसलिये कहा कि 4-4-92 को रामपुर की अदालत में सरकार बनाम शिव बहादुर सक्सेना में जमानत हुई है, मुकदमा दर्ज हो जाता है । इस सरकार के मंत्री जी जमानत हुई है उसमें दफात् है, मुकदमा नम्बर है तो इस संदर्भ में सरकार का जवाब आ जाय कि उनके बारे में आपकी क्या राय होगी । उन्हें किस श्रेणी में रखेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

राय मांगने के लिये नियम 28 में ही है । इसमें मैंने कहा कि इस अन्तर को ध्यान में रखा जायेगा या नहीं ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मेरा कहना है कि कैसे सम्मानित लोगों को घटिया मामलों में जमानत करानी पड़ती है ।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, दो तरह के उत्तर इस सदन में सरकार की तरफ से हैं आज के ही एक प्रश्न में जो माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी का है उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है "सभी मुकदमे में श्री शुक्ल को बा-इज्जत बरी किया गया है । अतः ऐसी स्थिति में श्री शुक्ल के विरुद्ध दर्ज हुए मुकदमों को उनका अपराधिक इतिहास कहा जाना न्यायोचित नहीं है ।" यह स्वयं उन्होंने कहा है । यह आज का उत्तर है और उसमें कहा गया है कि केवल मुकदमा दर्ज हो जाने के बाद किसी को अपराधी या अपराधिक इतिहास का व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है । यह हमारे मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार किया है लेकिन अभी जो मंत्री जी ने कहा है.....

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी ने इन्हें आपराधिक इतिहास की परिभाषा नहीं बतायी है ..... (व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि अपराधिक इतिहास दर्ज हो जाने के बाद में भी मुकदमें प्रायः छूट जाते हैं इसलिये ऐसे व्यक्तियों को अपराधी माना जायेगा । प्रकारान्तर में यही कहा है। तो जब लोगों के खिलाफ इस तरह के मुकदमें दर्ज हैं, तो क्या उन सब के लाइसेंस निरस्त किये जायेंगे ? उनके पास लाइसेन्स हो तो क्या उन्हें निरस्त करेंगे ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि अभियुक्त और अपराधी में अन्तर है, यह मैंने पहले ही बताया है। यदि जिलाधिकारी किसी को लाइसेंस नहीं देते हैं तो उसके लिये नियमों में अपील की समुचित व्यवस्था है । यदि वह समझता है कि गलत हुआ है और उसे लाइसेंस मिलना चाहिए तो वह अपील में जा सकता है ।

श्री विजय सिंह राणा–

मैं अपनी बात और स्पष्ट कर दूं, जैसे मेरे खिलाफ समाचार पत्रों में कहा गया है कि मैं अपराधी व्यक्ति हूं, तो क्या मेरे लाइसेन्स निरस्त किये जायेंगे या नहीं, यह आप बता दें ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, इसमें राज्य सरकार का अधिकार सुरक्षित है राज्य सरकार ऐसे मामलों में शिथिलता भी बरत सकती है और उसको इस बात का अधिकार है । ऐसे प्रकरण राज्य सरकार के पास आवेंगे तो वह उन्हें देखेगी ।

श्री विजय सिंह राणा–

मैं किसी की कृपा नहीं चाहता हूं । मुझे सरकार की कृपा में उपचार नहीं चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह समय अल्पसूचित प्रश्नों के लिये 11.20 तक का ही है मैंने समय बढ़ा दिया था । अब आप इसका ध्यान रखें ।

श्री इजहार आलम खां–

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनके यहां अपराधी कौन है और कौन नहीं है । मैं अपने जिले की बात कहना चाहता हूं एक अपराधी जिसको गैर कानूनी रूप से तमंचा बनाते हुए पकड़ा गया था और उसमें बन्द किया गया है, जिनका नाम कटियार है । दूसरे दिन उसकी जमानत हो गई और जिन दरोगाओं ने उसे इस अपराध में बन्द किया था उनको जिले के बाहर भेज दिया गया । साथ ही एक ही सप्ताह में उसको राइफल का लाइसेन्स दे दिया गया । तो क्या लाइसेन्स देने की बात इनके मन की बात होगी या हाउस की और नियमों की बात होगी ?

श्री अध्यक्ष–

(व्यवधान) .... जिलाधिकारी के विवेक पर इस तरह के मामले छोड़ दिये गये हैं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कोई मंत्री जो यहां सदन में आता है तो वह संविधान के अन्तर्गत शपथ लेकर आता है और उसी के अनुसार वह कार्य करता है। उसकी स्पष्ट परिभाषा दी हुई है कि अपराधी का जब तक अपराध सिद्ध न हो जाय तब तक आप उसे अपराधी नहीं कह सकते हैं । और अपराध सिद्ध करने की जिम्मेदारी शासन और सरकार की होती है । जब तक अपराध सिद्ध न हो जाये वह अपराधी नहीं होता है । मान्यवर, मेरा स्पष्ट कहना है कि मंत्री जी ने जो जवाब दिया है कि वह न्याय के नैसर्गिक अधिकार के सर्वथा विपरीत है । जब तक अपराध सिद्ध न हो जाये किसी को अपराधी नहीं कह सकते हैं । जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के पीड़ित व्यक्तियों के लिये थानाध्यक्षों और अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उससे वह लोग नाराज होते हैं और उनका अधिकार है चूंकि मुकदमें में यदि सजा न मिली हो तो उन्हें अपराधी मान लें और जो मंत्री जी ने कहा जो उत्तर दिया है उससे क्षेत्र में संदेश जायेगा कि न्यायालय से सजा हो या न हो अपराध पंजीकरण कर लेने के बाद लाइसेन्स देने का अधिकार छिन जायेगा । इसलिये मेरी आपत्ति है कि मंत्री जी के जवाब पर और इसलिये पुनः प्रश्न दोहरा रहा हूं कि क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जनप्रतिनिधियों के सम्मान की रक्षा के लिये अपनी कही हुई बात वापस लेंगे ? और जब तक जनप्रतिनिधियों के प्रकरण में अदालत द्वारा सजा न हो जाये तब तक उनके लाइसेन्स को संस्तुति करने की आवश्यकता न रहे ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, जनप्रतिनिधियों के अधिकार की सुरक्षा के लिये हम कृत संकल्प हैं, उनका सम्मान बना रहे और कोई कठिनाई आयेगी तो उसका हम समाधान करेंगे ।

श्री ऊदल–

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो लाइसेंस देने के लिये श्रेणियां बनायी हैं प्रदेश के हर जिले में हजारों हजार श्रेणियां गिनाई हैं उनमें 1982 से लेकर आज तक हजारों प्रार्थना-पत्र पड़े हैं डी० एम० के कार्यालय में, क्या ऐसे आदेश देंगे कि सभी डी० एम० श्रेणियों के मुताबिक उनको लाइसेन्स जल्द से जल्द प्रदान कर दें ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, जुलाई, 1989 के परिपत्र द्वारा केन्द्र सरकार ने यह अपेक्षा की थी कि राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय शांति बनाने की दृष्टि से लाइसेन्स जारी करने पर प्रतिबन्ध लगाये थे और आज भी केन्द्र सरकार का परिपत्र मेरे हाथ में है लेकिन मा० सदस्यों द्वारा बार-बार इस सत्र और पहले भी यह आग्रह होता रहा है कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 1985 से बंद लाइसेन्सों के कारण कठिनाई आ गयी है जिससे राज्य सरकार ने इसे सरल किया है और प्रतिबन्ध को शिथिल किया है । इस दिशा में डी० एम० द्वारा शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण हो रहा है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1–श्री लाल जी वर्मा–

[दि० 31-3-92 को ता० प्र० सं० 11 द्वारा उत्तरित]

*2–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[8वें शुक्रवार में ता० प्र० सं० 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद पीलीभीत के थाना पूरनपुर की पुलिस चौकी ''घुघुचिहाई'' के अन्तर्गत वन भूमि से अतिक्रमण का हटाया जाना

*3–श्री नरेश अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के थाना पूरनपुर की पुलिस चौकी ''घुघुचिहाई'' के अन्तर्गत वन विभाग की परती भूमि पर बसे ग्राम ''कामगार नगर'' के भूमिहीनों को सामूहिक खेती हेतु प्राविधान होने के बावजूद पट्टे पर भूमि किन परिस्थितियों में नहीं दी गयी तथा माह नवम्बर, 1991 को ग्रामवासियों में जिसमें अधिकांश अनुसूचित एवं पिछड़ी जाति के हैं, को सामूहिक रूप से बेदखल किये जाने हेतु वन व राजस्व विभाग के अधिकारियों के संयुक्त नेतृत्व में पी० ए० सी० व अर्ध सैनिक बलों के सैकड़ों जवानों द्वारा 556 परिवारों की सभी 530 झोपड़ियों को जलाने, निहत्थे ग्रामवासियों की निर्मम पिटाई करने, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने, सम्पत्ति लूटने तथा बच्चों को आग की लपटों में फेंकने जैसे बर्बर कार्यकलापों के विरुद्ध कोई जांच करायी गयी ? यदि हां, तो दोषी जन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी तथा उत्पीड़ित ग्रामवासियों को क्या राहत प्रदान की गयी ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जिला पीलीभीत में कामगार नगर नाम का कोई राजस्व ग्राम अथवा मजरा नहीं है । थाना पूरनपुर की पुलिस चौकी घुंघुचिहाई के अन्तर्गत वन विभाग की आरक्षित वन भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण किये लोगों ने अपनी आबादी का नाम कामगार नगर होना कहा है । सामूहिक खेती हेतु वन विभाग की भूमि पट्टे पर दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है । दिनांक 2-11-91 को दियूरिया रेंज की आरक्षित वन भूमि कक्ष तेरह में अवैध रूप से काबिज अतिक्रमणकारियों से तहसीलदार मैजिस्ट्रेट तथा वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही पुलिस फोर्स की सहायता से की गयी थी जिसके दौरान अतिक्रमणकारियों को समझा बुझाकर उन्हें झोपड़ियों से सामान सहित दूर हटा कर खाली झोपड़ियों को हटाया गया था । ऐसे 87 अतिक्रमणकारियों को वन अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । इस घटना की निष्पक्ष जांच परगना मजिस्ट्रेट, पूरनपुर द्वारा

कराई गई । निहत्थे ग्रामवासियों की निर्मम पिटाई करने, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने, सम्पत्ति लूटने, झोपड़ियों को जलाये जाने तथा बच्चों को आग की लपटों में फेंकने की पुष्टि नहीं हुई । चूंकि वन भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है एवं किसी का उत्पीड़न नहीं किया गया है, अतः किसी को राहत प्रदान करने अथवा दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन् सामन्तवादी इस सरकार का यह कर्तव्य रहा है कि जब दलितों और हरिजनों की बात आई, श्रीमन् इन्होंने उनके ऊपर अत्याचार किया है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जैसा इन्होंने उत्तर में कहा कि सामूहिक खेती हेतु वन विभाग की भूमि पट्टे पर दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है । मैं यह जानना चाहता हूं कि फारेस्ट एरिया में जो परती जमीन पड़ी है, उसको हरिजनों, दलितों और आदिवासियों के देने का कोई प्राविधान है और दूसरी बात यह कि लोग कितने वर्षों से उस जमीन पर खेती कर रहे थे और इन्होंने जो प्रार्थना-पत्र दिया था उस पर क्या निर्णय लिया गया ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, भारतीय वन अधिनियम के अनुसार बिना भारत सरकार की अनुमति के किसी को भी गैर वानिकी प्रयोग के लिये आरक्षित भूमि नहीं दी जाती है और न ही खेती हेतु पट्टे पर भूमि दिये जाने का कोई प्राविधान है ।

श्री नरेश अग्रवाल––

श्रीमन्, हमने तो यह पूछा है कि कितने वर्षों से वह हरिजन, दलित और भूमिहीन उस जमीन पर खेती कर रहे थे ? परती भूमि के किनारे जो निवासी रह रहे हैं उनको फसली भूमि पट्टे पर देने का विचार कर रहा है ? और एक बात और कि दो तारीख को थाना पूरनपुर के अन्तर्गत इन लोगों को उजाड़ा गया और 4 तारीख को श्री बृज बिहारी नाम के एक व्यक्ति ने पुलिस अधीक्षक को एक रिपोर्ट दी थी, उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी आप उत्तर दे दें कि कितने अरसे से वह लोग खेती कर रहे थे ? भूमि पट्टे पर दिये जाने का प्राविधान है ? रिपोर्ट पर क्या जांच की गई ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

श्रीमन्, समय-समय पर वह कब्जे होते रहे हैं । कोई निश्चित अवधि नहीं थी । 2-3 वर्षों में आस-पास के विभिन्न जिलों से आये हुए लोग हैं । वहां के स्थायी निवासी नहीं हैं । श्री बृज बिहारी, जिनका नाम माननीय सदस्य ने लिया है, वह आई०पी०एफ० के नेता हैं और उनके प्रोत्साहन पर ही वहां पर जमीन पर कब्जा किया गया । किसी भी तरीके से भूमि पर अपना कब्जा बना लो, इस आन्दोलन और नारे के दौरान वहां पर लोग आये और कब्जा कर लिया । 3-4 बार इस बात का भी प्रयास किया गया कि इन लोगों को वहां से हटाया जाय । 23 जून को जब हमारी सरकार नहीं बनी थी उस समय भी यह प्रयास किया गया था कि उनको वहां से हटाया जाय । 26-7-91, 7-10-91 को भी इस बात का प्रयास किया गया कि भूमि को खाली करा लिया जाय । यह अनधिकृत रूप से कब्जा था । समय-समय पर लगभग 400 लोगों ने कब्जा कर रखा था । 200 एकड़ के करीब भूमि जोत रहे थे ।

श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन्, एक तो हमने यह पूछा है कि 2 और 4 नवम्बर को जब इनकी सरकार स्थापित हो चुकी थी। श्री बृज बिहारी ने जो प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक को दिया था, उसमें क्या आरोप लगाया गया था और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

तीन चार साल से जो पट्टे पर कब्जे हुए, तो क्या वन विभाग के कर्मचारियों ने इसकी शिकायत उच्चधिकारियों से की, कि हरिजनों की भूमि पर नाजायज कब्जे हो रहे हैं ? चार साल में जो नाजायज कब्जे किए गए उसके बारे में बता दें ?

श्री अध्यक्ष–

आपका प्रश्न बहुत विस्तृत है।

श्री नरेश अग्रवाल–

वन विभाग के कितने कर्मचारियों ने उच्चाधिकारियों से शिकायत की ?

श्री अध्यक्ष–

यह 556 परिवारों के बारे में बहुत विस्तृत प्रश्न है।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

श्री बृज बिहारी ने कोई एफ० आई० आर० दर्ज कराई यह पत्र से स्पष्ट नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप यह बता दें अगर श्री बृज बिहारी ने रिपोर्ट लिखाई है और उसके बारे में आपको जानकारी हो तो बता दें।

श्री नरेश अग्रवाल–

श्री बृज बिहारी ने जो शिकायत दी वह क्या लिखकर दी ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

एफ० आई० आर० श्री बृज बिहारी ने दर्ज कराई है यह हमने नहीं कहा।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, 2-11-91 को घटना घटी, पूरनपुर कोतवाली में रिपोर्ट लिखाने गए कि रिपोर्ट लिखी जाएगी लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी गई। 4 तारीख को घटना घटी उसके बारे में एस० पी० को दिया।

श्री अध्यक्ष–

आप उत्तर का आखिरी भाग देखें–इस घटना की निष्पक्ष जांच परगना मजिस्ट्रेट, पूरनपुर द्वारा कराई गई। निहत्थे ग्रामवासियों की निर्मम पिटाई करने महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने सम्पत्ति लूटने झोपड़ियों को जलाये जाने तथा बच्चों को आग की लपटों में फेंकने की पुष्टि नहीं हुई। इसका मतलब यह हुआ कि जो आरोप लगाए गए उसकी पुष्टि नहीं हुई।

श्री नरेश अग्रवाल–

एफ० आई० आर० दर्ज क्यों नहीं की गई ? यह हरिजन विरोधी कार्य कर रहे हैं और आप [xxx]

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

मैसर्स अंसल्स हाउसिंग तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण के मध्य अनुबन्ध

*1-श्री सुरेन्द्र नाथ-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रोन्नत एवं अंसल्स आशियाना नामक निजी क्षेत्र की आवासीय भवनों की निर्माता फर्म के मध्य भूमि आवंटन से पूर्व यह अनुबन्ध हुआ था कि प्राधिकरण के निर्देशानुसार दुर्बल वर्ग के आवासीय भवनों को प्राधिकरण के मानकानुसार निर्माण किया जायेगा ? यदि हां, तो उक्त भवनों के निर्माण की प्रगति क्या योजना की प्रगति के अनुरूप है ? यदि नहीं, तो क्या शासन अनुबन्ध तोड़ने वाले इन भवन निर्माताओं के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मैसर्स अंसल्स हाऊसिंग तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण के मध्य हुये अनुबन्ध के अनुसार मै० अंसल्स द्वारा सम्पूर्ण आवंटित भूमि पर विकसित समस्त आवासीय इकाइयों के सापेक्ष 40 प्रतिशत भवन "दुर्बल वर्ग" हेतु निर्मित किये जाने हैं ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण से प्राप्त सूचना के अनुसार हडको से योजना की स्वीकृत प्राप्त न होने के कारण उक्त भवनों के निर्माण की प्रगति वांछित लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है । वर्तमान में 437 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसमें से 300 भवन पूर्ण हो चुके हैं और 137 भवनों का कार्य छत के स्तर पर हो चुका है ।

मै० अंसल्स द्वारा अभी तक कोई अनुबन्ध नहीं तोड़ा गया है, अतएव किसी कार्यवाही का अभी प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सुरेन्द्र नाथ-

मान्यवर, आज यह प्रश्न आपकी महती कृपा से तीन बार निरस्त होने के बाद स्वीकार किया गया है । मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा लखनऊ विकास प्राधिकरण और मैसर्स अंसल्स हाऊसिंग के बीच में अनुबन्ध की शर्तें क्या थीं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा उसमें यह शर्तें थी -उसमें यह प्राविधान था कि आवंटित भूमि के अन्तर्गत विकसित की जाने वाली सम्पूर्ण आवास इकाइयों में से 40 प्रतिशत इकाइयां दुर्बल आय वर्ग भवनों के निर्माण हेतु होंगी ।

श्री सुरेन्द्र नाथ-

मान्यवर, मैंने अनुबन्ध की शर्तें पूछी हैं ? मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि मैसर्स अंसल्स द्वारा 4 सौ करोड़ रुपये की लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रयोजित परियोजना में गंभीर अनियमिततायें बरती जा रही हैं । मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि मेसर्स अंसल हाऊसिंग से आये टेलीफोन पर कहा गया कि यह प्रश्न वापस ले लीजिये । 30 लाख रुपये और एक एच० आई० जी० मकान ले लीजिये । जब मैं हैदराबाद में था मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी को टेलीफोन मिला कि विधायक जी

प्रश्न वापस करा दीजिये वरना आपके बच्चे उठा लिये जायेंगे । लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव ने स्वयं कहा कि आप श्रीमन् सवाल को उठा लीजिये । नगर विकास मंत्री जी बैठी हैं । मैं 30 दिन पूर्व नगर विकास मंत्री जी को सूचना दे चुका हूं ....

श्री अध्यक्ष–

यह सूचना आप मुझे लिखकर दें अगर लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव ने आपसे कहा कि आप सवाल उठा लीजिये, तो यह सदन की अवमानना है ।

श्री सुरेन्द्र नाथ–

मान्यवर, अंसल की ओर से कहा गया है ।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखकर दीजिये, आवश्यकता होगी तो मैं उन्हें तलब करूंगा ।

श्री सुरेन्द्र नाथ–

मान्यवर, आप जांच करा लीजिये । विश्व की किसी परियोजना में ऐसा नहीं हुआ कि किसी ठेकेदार को मूल्य लागत चुकाने के लिये काम को दिया गया है । लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अंसल हाउसिंग को सीवर बनाने के काम के लिये साढ़े 8 करोड़ रुपया दिया गया है । मेरे पास अनुबन्ध की फोटो स्टेट कापी है माननीय मंत्री जी के पास सम्भवतः अनुबन्ध की कापी नहीं है । मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हुडको द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजना को स्वीकृति मिली तो दुर्बल आय वर्ग के भवनों का जितना लक्ष्य था उसकी तुलना में कम भवन बनाये गये । यह परियोजना 86-87 में शुरू हुई और वर्ष 1991-92 में इस परियोजना को पूर्ण हो जाना चाहिये था । 40 प्रतिशत भवन जो निर्बल आय वर्ग के लिये बनने थे उससे कम भवन बनाये गये । निर्बल आय वर्ग के भवनों को बनाये जाने के लिये हुडको की स्वीकृति की आवश्यकता किस स्तर पर पड़ी ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को उनके संसदीय कार्यों के निर्वहन में, जिस साहस का उन्होंने परिचय दिया उसके लिये बधाई देना चाहता हूं । अगर ऐसा उनसे कहा गया है तो यह विशेषाधिकार की अवहेलना है । उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिये । मैं आदरणीय सदन को आश्वासन देना चाहूंगा कि जिन-जिन बिन्दुओं पर माननीय सदस्य आरोपित करेंगे उन पर जिस स्तर से चाहेंगे उस स्तर से इस मामले की पूरी जांच करा दी जायगी । मान्यवर, यह बात सही है कि मेरे पास अनुबन्ध की पूरी कापी नहीं है । लेकिन जो प्रश्न किया गया है उस प्रश्न की पूरी जानकारी है । यह प्रश्न मेरे सामने आया तो मुझे यह बात खटकी । कुल मिलाकर आवास 7085 बनने थे जो 70 प्रतिशत होता है । इसके मुकाबले बने 4960 । इसी तरह से 40 प्रतिशत आवास दुर्बल आय वर्ग के लिये बनने थे जिसमें से बने 437. तो इस बिन्दु पर मैं स्वयं पूरी जांच कर रहा हूं । अगर शर्तों के अनुसार काम को यह आगे नहीं बढ़ाते हैं तो जो बैंक गारंटी हमारे पास 207.60 लाख की है, इसको रोका जा सकता है । मकान जो बनाये जा रहे हैं इनकी रजिस्ट्री करने का अधिकार विकास प्राधिकरण को है, तो जितने दबाव डाले जा सकते हैं वह डाले जायेंगे और यह जो 40 प्रतिशत निर्बल आय वर्ग के आवास हैं इनका कोटा पूरा कराया जायगा ।

श्री सुरेन्द्र नाथ–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो सदाशयता उत्तर देने के सम्बन्ध में बरती, मैं आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जैसा कि उन्होंने उदारता का परिचय दिया है कि इस पर सारी जांच कराएंगे, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मात्र एक आश्वासन चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री जी आज इस सदन में स्पष्ट यह करेंगे कि आज के आधार पर, जो भी स्थिति है, उस आधार पर कार्य रुकवा कर एक निश्चित अवधि में जांच करा देंगे। यह माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे ? यदि ऐसा करेंगे तो मैं सहर्ष स्वागत करूंगा।

श्री अध्यक्ष–

इसमें कार्य रुकवाने की क्या आवश्यकता है। रिपोर्ट मंगवा लें तो मालूम हो जायगा कि आज क्या स्थिति है।

श्री सुरेन्द्र नाथ–

मान्यवर, कार्य रुकवाने की आवश्यकता है। मैंने 14-11-91 को यह प्रश्न उठाया था और उसके बाद दूसरी तिथि 31-3-92 को आया था। इसके पूर्व यह प्रश्न उठाया था आपके नियमों के माध्यम से, लेकिन आपने अनुमति नहीं दी। मैंने 14-11-91 को प्रश्न लगाया था तो पेय जल की और जल निकासी की सुविधा नहीं थी। जिस दिन निलम्बित होने के उपरान्त उत्तर आया तो मैं स्वयं गया था देखने तो उस समय वहां निर्माण कार्य फिर शुरू कराया गया। इसलिये मान्यवर, वास्तविक सत्य का परीक्षण कराया जाना है तो अविलम्ब वहां का सारा कार्य रुकवा दिया जाय और जांच कराई जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप प्रश्न को देखने की कृपा करें। उसमें पूछा गया था कि शर्तें क्या थीं। प्रश्न पढ़ने पर स्वयं मेरे दिमाग में था कि 40 परसेंट निर्बल वर्ग के भवन बने ही नहीं। इसके बारे में, मैंने स्वयं जानकारी प्राप्त की। जो निर्माण कार्य निर्बल वर्ग के लिये हुआ, वह अधोमानक तो नहीं हुआ। वहां के स्थानीय अभियन्ता से जनकारी मिली कि अधोमानक नहीं हुआ। जो प्रश्न पूछा उसकी जांच करा ली। इसके अलावा भी जो जानकारी देंगे, उसकी जांच कराने की बात कही। काम दो कारणों से ही रोका जाता है। एक तो काम अधोमानक हुआ हो दूसरे शर्तों के विपरीत कार्य हो रहा हो। 40 परसेंट निर्बल वर्ग के भवनों के निर्माण के लिये मानचित्र और आकार दिया गया है। तो इसके विपरीत हो रहा होता तो काम रुकवा देते। यह सही है कि 40 परसेंट जो निर्बल वर्ग के बनने थे उसका परसेंट केवल 15.42 है और बाकी का 46.2 और 48 फीसदी है। निर्बल वर्ग के भी मकान बनाए जाने चाहिये थे। वहां पर काम रुकवा देंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। काम सबस्टैंडर्ड नहीं है। यह बनते हुए देख सकते हैं। वैसे तो काम की गति को और तेज करना है। इसलिये अनुबन्ध का वाइलेशन नहीं हुआ है फिर भी माननीय सदस्य जिन बिन्दुओं की जानकारी देंगे, उन पर जांच कराने का आश्वासन दे सकता हूं।

श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन्, जो ऐग्रीमेंट हुआ, उसके पेज 6 में दिया है कि अंसल्स हाउसिंग स्कीम और लखनऊ विकास प्राधिकरण के बीच जो समझौता हुआ उसमें दर का कालम छोड़ दिया गया। मैंने स्वयं देखा है। आप कहेंगे तो 15 मिनट में कापी मंगवा लूंगा। इतना बड़ा घपला लखनऊ विकास प्राधिकरण में और कभी नहीं हुआ। इसमें करोड़ों रुपयों का घपला हुआ होगा। मेरी बात को सत्य मानते हुए कि एग्रीमेंट

की जो शर्तें थीं उसमें कालम खाली छोड़कर साइन कराए गये, क्या माननीय मंत्री जी सारे काम को बन्द कराने का आश्वासन देंगे और मेरे आरोप पर 15 दिन में जांच कराने का आश्वासन देंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जो बातें कही गयीं, मूल्य छोड़ने की बात अभी स्वयं देख लूंगा कि है कि नहीं । दूसरी बात यह है कि हमने यह भी पता लगाने की चेष्टा की कि निर्बल वर्ग के मकान की लागत 30 हजार आती है, लेकिन 15 हजार में ही विकास प्राधिकरण प्राप्त करेगा । यह एक बिन्दु हैं, बाकी मैं देख लूंगा । काम रोकने की कोई बात नहीं है । जो जो बातें लिखकर दी जाएंगी, उनको दिखवा लूंगा ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मेरा बड़ा स्पष्ट माननीय मंत्री जी से प्रश्न है । 40 प्रतिशत इनको बनाना है निर्बल वर्ग के लिए, 60 प्रतिशत ये बनाये हैं, दूसरी शर्तो के अधीन, 40 प्रतिशत इन्होंने नहीं बनाया है, तो मान्यवर, जब तक 40 प्रतिशत कार्य पूरा न हो जाय, तब तक 60 प्रतिशत कार्य रुका रहे, उसमें इनको क्या आपत्ति है । जो आरोप श्री सुरेन्द्र नाथ और श्री नरेश अग्रवाल ने लगाया है, उसमें जो रेट होगा, वह ब्लैक छूटा हुआ है । मान्यवर, 500 करोड़ का घपला है । मान्यवर, या तो इस प्रश्न को स्थगित कर दें या इस प्रश्न को 12. 20 पर ले लें, तब तक माननीय मंत्री जी उस एग्रीमेंट को मंगा लें । मान्यवर, इस समय का यह सबसे बड़ा घपला है । मान्यवर, इसकी गम्भीरता को देखते हुए 12.20 तक वह पत्र आपके सामने उपलब्ध करा दें और इससे पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दिला दें, जब तक 40 प्रतिशत कार्य वायदे के अनुसार पूरा न हो जाय, तब तक 60 प्रतिशत का कार्य रुका रहे ?

श्री अध्यक्ष–

यह सदन हर वर्ग को संरक्षण देता है । यह जो 60 प्रतिशत दूसरे मकान हैं, उसमें व्याज का भी नुकसान हो रहा होगा । वह जो 60 प्रतिशत लोग हैं, उनके लिए जो मकान बन रहे हैं, उसे रोकने का कोई औचित्य मेरी समझ में नहीं आता है । माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वह 15 दिन के अन्दर जांच करा लेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, यह जो अनुबन्ध है, उसकी कापी माननीय नरेश जी के पास होगी । 40 प्रतिशत जो निर्बल वर्ग के लिए मकान बनने थे, इसका ऋण हुडको से उपलब्ध कराया जाता था । मैंने यह बात पहले कही थी कि अनुबन्ध की कापी श्री नरेश जी के पास होगी, वह दिखा देंगें, मैं कार्यालय से मंगा कर देख लूंगा । जिन-जिन बिन्दुओं की जानकारी माननीय सदस्य देंगे, उनको हम दिखवा लेंगे । जैसा कि माननीय प्रमोद तिवारी का कहना है, काम रोक कर जांच कराने की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद महराजगंज के थाना बरगदवा के ग्राम-रामनगर में स्वतंत्रता दिवस एवं राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने की कथित घटना की जानकारी

*2–श्री शिवेन्द्र सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 15 अगस्त, 1991 को ग्राम राम नगर थाना बरगदवा जनपद महराजगंज में स्वतंत्रता दिवस समारोह एवं राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की कोई घटना हुई थी और दो पक्षों में तनाव हुआ था ? यदि हां, तो क्या ध्वज के अपमान का कोई मामला दर्ज हुआ ? यदि ध्वज के मामले में अपराधियों के विरुद्ध मामले दर्ज नहीं हुए, तो क्यों ? क्या सम्बन्धित थाने के

अधिकारियों द्वारा जानकारी के बाद भी लापरवाही किये जाने के मामले में मंत्री जी कोई निश्चित कार्यवाही करेंगे ? इसकी सूचना जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को 16 अगस्त, 1991 को प्रश्नकर्ता द्वारा दिये जाने के बाद क्या भी घटना स्थल का निरीक्षण या अन्य आवश्यक कदम उठाये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

जी नहीं । ग्राम के दो पक्षों के बीच ध्वजा-रोहण को लेकर वाद-विवाद हुआ था और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी ।

राष्ट्रीय ध्वज का कोई अपमान नहीं हुआ । इस कारण किसी के विरुद्ध मामला दर्ज नहीं किया गया । मामले में शान्ति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु दोनों पक्षों के विरुद्ध धारा 107/116 द०प्र०सं० की कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की गयी । अतः किसी पुलिस कर्मी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

मा० विधायक द्वारा घटना की सूचना दिये जाने पर क्षेत्राधिकारी व परगनाधिकारी, निचलौल मौके पर गये थे और उन्होंने जांच से यह पाया कि राष्ट्रीय ध्वज का किसी पक्ष द्वारा अपमान नहीं किया गया ।

मंगलवार दिनांक 21 अप्रैल, 1992 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न

*1–श्री हृदय नारायण दीक्षित, श्री प्रमोद तिवारी तथा श्री नरेश अग्रवाल–

[दिनांक 31-3-92 के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सं०–2 द्वारा उत्तरित]

गाजियाबाद प्राधिकरण द्वारा एक मंजिले भवनों का निर्माण

*2–श्री सुरेश प्रताप गांधी–

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि केन्द्र के अनुरूप प्रदेश के नगर विकास प्राधिकरणों के अधीन आवासीय व व्यवसायिक भवनों के निर्माण के लिए भूमि पट्टा पद्धति (लीज) पर लिये जाने के स्थान पर क्या भूमि का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त कर भवन निर्माण किये जाने की योजना है ? यदि हां, तो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माणधीन व प्रस्तावित योजनाओं में से कितनी योजनाएं भूमि का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त कर भवन निर्माण कराने की है ? गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा इस वर्ष कितने एक मंजिले आवासों का निर्माण कराया जा रहा है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

अभी ऐसी कोई नीति नहीं है ।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा इस वर्ष 1557 एक मंजिले भवनों का निर्माण कराया जा रहा है ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, विभिन्न आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत नगर विकास प्राधिकरणों द्वारा जो जमीन ली जाती है, या अधिग्रहीत की जाती है, उस पर उसे पूरा स्वामित्व मिल जाता है । अधिग्रहण द्वारा लेते हैं या निगोशियेशन द्वारा लेते हैं, तो भी उनको पूरा स्वामित्व मिल जाता है, क्योंकि भूमि को वह बजारू दर पर लेते हैं, कम मूल्य पर या रियायती मूल्य पर लेने का कोई सवाल नहीं है । उस भूमि को विकसित करके प्लाट या भवन बनाकर देते हैं, तो उन्हे लीज पर दिया जाता है । मान्यवर, उनको लीज

पर देने से यह कठिनाई होती है कि जब आवंटी उसको बेचना चाहता है या अपने किसी रिश्तेदार को हस्तान्तरित करना चाहता है, तो बड़ी कठिनाई होती है, जब वह उसे अपनी जरूरत के मुताबिक ट्रान्सफर करना चाहता है, तो नहीं कर पाता है। ट्रान्सफर का अधिकार उसको नहीं है और जब वह ट्रान्सफर करना ही चाहता है तो लीज वापस होती है और उस पर 10 प्रतिशत चार्ज लगाते हैं और फिर लीज की जाती है, मैं समझता हूं कि इस कमी को दूर करने के लिये लीज की पद्धति को समाप्त करेंगे। मान्यवर, केन्द्र में और दिल्ली में बहुत सी योजनायें चल रही हैं, कि वह फ्री होल्ड प्लाट देती हैं और हमारे यहां पर ऐसा नहीं है। हमारे यहां पर भूमि का पूरा मूल्य देकर उसे प्राप्त किया जाता है और जब प्लाट या भवन आवंटी को दिया जाता है, तो उसे लीज पर दिया जाता है, क्या माननीय मंत्री जी हमारे इस प्रस्ताव को यहां पर भी लागू करेंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, गांधी जी के प्रश्न तो थे कम, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिये हैं, वह वरिष्ठ सदस्य हैं, लेकिन शासन की जो नीति है, उसके अनुसार कोई परिवर्तन किया जाना सम्भव नहीं है।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, प्रत्येक व्यक्ति को सम्पत्ति रखने और विक्रय करने का अधिकार है, तो इससे इस अधिकार का हनन हो रहा है। पूरा जितना बजारू रेट पर जमीन ली जाती है और उसी रेट पर विक्रय किया जाता है, तो इसको मानने से कोई वित्तीय भार या किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी, केवल एक आदेश निकाल कर इसको किया जा सकता है, तो क्या कठिनाई है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जैसा मैंने पहले बताया कि शासन की नीति के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

*3–श्री राम आसरे वर्मा–

। मा० उपाध्यक्ष होने के कारण हटाया गया।

प्रदेश के आतंकवाद ग्रस्त क्षेत्रों में पुलिस थानों में संध्या 5 बजे के बाद कार्य बन्द कर देने की शिकायत

*4–श्री सुरेन्द्र नाथ तथा श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

क्या मुख्य मंत्री को यह जानकारी है कि प्रदेश के आतंकवाद ग्रस्त क्षेत्र में पुलिस थानों ने संध्या 5.00 बजे के बाद आम नागरिकों हेतु कार्य करना बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेन्द्र नाथ–

मान्यवर, जनपद शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर, बरेली, नैनीताल और मुरादाबाद जो तराई के जिले हैं, वहां पर सायं 5 बजे के बाद थानों में ताला पड़ जाता है और अगर कोई व्यक्ति अपनी एफ०आई०आर० लिखाना चाहता है, तो वह थाने में घुस भी नहीं सकता है और यदि किसी प्रकार से घुस जाता है तो उसकी एफ० आई आर० नहीं लिखी जाती है। इस लिये माननीय मंत्री जी का कहना

ठीक नहीं है । क्या माननीय गृह मंत्री जी जनवरी, 1992 से 31 मार्च 1992 तक की सूचना देने की कृपा करेंगे कि 6 बजे के बाद कितनी एफ० आई० आर० लिखाई गयीं, इन तराई क्षेत्र के थानों में । इन महीनों का विगत वर्ष के कितना तुलनात्मक अन्तर है क्या इसे बतायेंगे ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, पहले तो मैं यह जानकारी माननीय सदस्य को दे दूं कि इसी सत्र के भीतर एक शाहजहांपुर में घटना घटी थी और उसे सम्भवतः जहां तक मुझे स्मरण है माननीय सदस्य श्री अवस्थी जी ने उठाया था कि शाहजहांपुर में रात में पुलिस गश्त कर रही थी , पिकेट्स लगायी हुई थी उसमें कांग्रेस आई के जिला अध्यक्ष को रोक दिया था जिसके कारण हमें 2 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर और निलम्बित भी करना पड़ा था क्योंकि इसमें इन्होंने अपने को अपमानित अनुभव किया था । तो मान्यवर, इन्हीं के अनुसार यह स्पष्ट है । शाहजहांपुर, रामपुर जैसे स्थानों पर पुलिस थाने खुले हैं, पिकेट्स भी लगती है और कार्यवाहियां भी होती है ।

श्री जाहिद हुसैन–

मान्यवर, मुरादाबाद के बीच शहर में थाने के अन्दर ताले पड़ जाते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

यह माननीय मंत्री जी, आपकी सूचना के लिए है कि बीच शहर में मुरादाबाद में ऐसा होता है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, जैसा माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि पुलिस का मनोबल आतंकवादी क्षेत्रों में बहुत बढ़ा है और रात में थाने खुले रहते हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आतंकवादी क्षेत्र में जहां पुलिस कर्मियों की कमी है, उसको भरने के लिए सिर्फ लखनऊ मण्डल में से कितने एस०आई० विशेष फोर्स के लिए स्थानान्तरित किये गये उनमें से कितनों ने वहां जाकर आमद कर दी और कितने नहीं गये तो क्या कारण बताया ?

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न से अलग है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, यह मूल प्रश्न से जुड़ा है । मेरी बात को सत्य मानकर जिन जिलों से 4-4 एस० आई० का स्थानान्तरण किया गया उनमें से कितने नहीं गये ?

श्री अध्यक्ष–

इसके लिए अलग से प्रश्न करें ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि थानों की जो शिकायतें आई है कि सब थाने बन्द हो जाते हैं तो इस तरह की शिकायत हमारे यहां बिलासपुर और बाजपुर थाने से भी मिली है । मान्यवर, थाने तो बन्द होते ही है इससे भी एक गम्भीर मामला है । सारे थाने पुलिस अधीक्षक के अधीन आते हैं । मान्यवर, पुलिस अधीक्षक जो अपनी जिन्दगी की सुरक्षा के लिए अपनी मोटर से नीली बत्ती हटा दे, वायरलेस सेट हटा दे, पुलिस अधीक्षक की प्लेट हटा दे जिन्हें अपनी जिन्दगी का इतना भय होगा वह आम जनता की

सुरक्षा की कैसे व्यवस्था कर पायेंगे ? मान्यवर, पुलिस थानों की बात और है पुलिस अधीक्षक रामपुर ने अपनी मोटर से नीली बत्ती हटा दी है, अपनी प्लेट हटा दी है और वायरलेस को हटा दिया है।

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न से हटकर है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह मूल प्रश्न से ज्यादा गम्भीर है। थाने बन्द होने की बात तो बहुत छोटी सी है।

श्री अध्यक्ष–

इसके लिए अलग से प्रश्न करें। (व्यवधान)

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आतंकवाद से ग्रस्त जो जनपद हैं वहां पुलिस ने कार्य करना बन्द कर दिया है वहां से मांग आई थी पुलिस कर्मियों की कमी के संदर्भ में और वायरलेस सेटों के संदर्भ में जिप्सी के संदर्भ में तो क्या इन जनपदों में सरकार द्वारा यह सभी व्यवस्थाएं करा दी गयी हैं ? यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

राज्य सरकार उत्तर प्रदेश में आतंकवादी समस्या से निपटने के लिये सतर्क है और सजग है, हम निरन्तर प्रयासरत हैं। इसके फलस्वरूप घटनाओं में कमी आयी है और जनसहयोग भी मिल रहा है, पुलिस का मनोबल भी बढ़ा है। इसके लिये 42 संवेदनशील थानों के सुदृढ़ीकरण की योजना रखी है, 57 नवीन पुलिस चौकियों की स्थापना , 50 नवीन बैरियरों की स्थापना, अभिसूचना विभाग का सुदृढ़ीकरण, 3 निरीक्षक, 253 उप निरीक्षक, 424 हैड कांस्टेबिल 1886 कांस्टेबिल और 109 कांस्टेबिलों के अतिरिक्त पद का सृजन करके अधिकांश को पूरा कर दिया है, 465 वायरलैस सेटों की स्वीकृति प्रदान करके उन्हें उपलब्ध करा दिया है। तेज वाहन, जिसमें मारुति जिप्सी भी है, मोटर भी हैं, 114 वाहन तराई क्षेत्र में उपलब्ध कराये हैं। आप सहमत होंगे कि राज्य सरकार ने अपने सीमित संसाधनों के भीतर तराई क्षेत्र की समस्याओं से निपटने के लिये 11 करोड़ रु० का व्यय करके वहां की जनता में आत्मविश्वास पैदा किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही उनकी रक्षा कर सकती है।

सरकारी रिक्तियों को भरने की योजना एवं सरकारी सेवा में प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा की जानकारी

*5–श्री भागवत पाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नौकरी में लगे प्रतिबन्ध पर शिथिलता के बावजूद अभी तक नियुक्तियां बन्द हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या निकट भविष्य में इन रिक्तियों को भरने की सरकार की कोई विस्तृत योजना हैं ? यदि हां, तो क्या प्रतिबन्ध के कारण अभ्यर्थियों की उम्र अधिक हो जाने से अभ्यर्थियों की निर्धारित उम्र में छूट देने पर भी सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

ऐसा कोई प्रकरण शासन के संज्ञान में नहीं आया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता ।

भर्ती पर प्रतिबन्ध नहीं है इसलिए प्रश्न नहीं उठता है ।

सरकारी सेवा में प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में पूर्व में ही 2 वर्ष की अभिवृद्धि किये जाने के कारण अग्रिम छूट का औचित्य नहीं बनता है ।

श्री भागवत पाल–

मान्यवर, अभी बड़ा विसंगतिपूर्ण उत्तर आया है । आप प्रश्न और उसके उत्तर को देख लें । अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कुछ समय पहले जवाब दिया था कि 31 मार्च तक सारा कोटा पूरा कर लिया जायगा और रिक्तियों को भर दिया जायगा । मैं जानना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और जनजाति की रिक्तियों को भरने के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी के जवाब के बाद कितनी रिक्तियों को भरा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? दूसरी बात, अनुसूचित जनजाति के बारे में कहनी है कि बांदा क्षेत्र, इलाहाबाद क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के कोटे से एक भी आदमी नौकरी में नहीं है, जो जनजातियां लिस्ट में डिफाइण्ड हैं, वे वहां नहीं रहती हैं, तो क्या जो जातियां जनजाति के कोटे में नहीं आती हैं, उनको भी कोटे में लाने के लिये कोई योजना है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, आप लिखित उत्तर देख लें । उत्तर में कहा गया है कि नियुक्तियां बन्द नहीं हैं ।

पूछा गया कि कोई विस्तृत योजना बनी है, जब नियुक्तियों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है तो रिक्तियों को भरने की विस्तृत योजना लागू होने का प्रश्न नहीं उठता । इसी तरह से आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट देकर शिथिलता का उत्तर दिया गया है । जहां तक यह कहा गया कि अनुसूचित जाति/जनजाति का कोटा भरा गया या नहीं भरा गया तो यह सूचना एकत्र की जा रही है क्योंकि इन कोटों को भरने के लिये निर्देश दिये गये थे वह सूचना आ जायेगी तभी कुछ कहा जा सकेगा ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त ।

श्री भागवत पाल–

मान्यवर, एक प्रश्न रह गया है । या आप इसे स्थगित कर दें या इस पर चर्चा करा लें । मान्यवर, यह कहा गया था कि आरक्षित वर्गों का कोटा 31 मार्च, 92 तक पूर्ण कर लिया जायेगा अभी तक कहीं प्रदेश में ऐसा कुछ दिखायी नहीं पड़ता है यह बतायें कि कितनी नियुक्तियां की गयीं इस अवधि में कितना कोटा भरा गया ?

श्री अध्यक्ष–

वह तो उन्होंने कहा कि निर्देश दिये गये हैं सूचना एकत्र करने के लिये ।

उत्तर प्रदेश के खादी ग्रामोद्योग विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने हेतु विचार करने की मांग

*6–श्री ऊदल–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खादी ग्रामोद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश के सभी कर्मचारी व कार्यकर्ता अपनी सेवा शर्तों की नियमावली बनाने तथा पेंशन योजना को लागू करवाने के लिये दिसम्बर, 91 के प्रथम सप्ताह से आन्दोलन कर रहे हैं और कार्य बन्द किये हैं तथा सभी दुकानों व क्षेत्रीय

नोट :–नत्थी 'घ' के तारांकित प्रश्न संख्या 5 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

कार्यालयों (खादी ग्रामोद्योग उत्तर प्रदेश) पर धरना दे रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी कठिनाइयों को दूर करने पर विचार करेगी ?

लघु उद्योग राज्य मंत्री (श्री मयंकर सिंह)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*7–श्री लाल जी वर्मा–

[दि० 31-3-92 को ता० प्र० सं० 11 द्वारा उत्तरित]

जनपद बांदा के कतिपय विकास खण्डों में कांच के उत्पादन हेतु कच्चे माल का उपलब्ध न होना

*8–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार जनपद बांदा में विकास खण्ड–जसपुरा व तिन्दवारी या बड़ोखर खुर्द में, बेरोजगारी दूर करने हेतु कांच की फैक्ट्री लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जसपुरा, तिन्दवारी या बड़ोखर खुर्द विकास खण्डों में तथा आस-पास के क्षेत्रों में कांच के उत्पादन हेतु आवश्यक कच्चा माल तथा सिलका सैण्ड उपलब्ध नहीं है ।

प्रदेश में आतंकवाद के प्रकोप की रोकथाम के लिये उपाय

*9–श्री रामललित चौधरी–

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि प्रदेश के किन-किन जिलों में आतंकवाद का प्रकोप है और उसके रोकथाम के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रदेश के 15 जिले नैनीताल, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बिजनौर, रामपुर, खीरी, देहरादून, हरिद्वार, मुरादाबाद, बरेली, गाजियाबाद, लखनऊ, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर आतंकवाद से प्रभावित हैं ।

आतंकवाद की रोकथाम के लिये सरकार द्वारा अनेक उपाय किये गये हैं जिसके अन्तर्गत पुलिस एवं अभिसूचना विभाग का सुदृढ़ीकरण, संवेदनशील थानों का सुदृढ़ीकरण, नवीन पुलिस चौकियों एवं बैरियरों की स्थापना, अतिरिक्त वाहनों एवं वायरलेस सेटों की आपूर्ति पुलिस बलों को आधुनिक शस्त्रों की आपूर्ति, आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल एवं अन्य केन्द्रीय बलो की तैनाती सम्मिलित है । दीर्घकालीन योजना के अन्तर्गत एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिसे विशेष रूप से प्रशिक्षित एवं आधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित किया जायेगा । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय बलों की और अधिक मात्रा में तैनाती, नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी रखने तथा आतंकवादियों पर संचरण/विचरण संबंधी अभिसूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान हेतु केन्द्र सरकार से सहायता एवं सहयोग हेतु निरन्तर सम्पर्क किया जा रहा है ।

दहेज अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत मुकदमों की संख्या तथा शिकायतों की जांच विषयक कार्यवाही

*10–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1991 में उत्तर प्रदेश में दहेज अधिनियम के अन्तर्गत कितने मुकदमें पंजीकृत किये गये ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि विवाह के समय बड़ी संख्या में धनराशि सामग्री आदि की मांग किया जाना सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा गुप्त रूप से उसकी पूर्ति किया जाना क्या दहेज अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आता है ? यदि आता है, तो उक्त मौके पर उक्त तथ्यों की जांच क्यों नहीं की जाती है ? क्या उक्त तथ्यों की भी गुप्त रूप से जांच कराने तथा दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ?

श्री कल्याण सिंह–

वर्ष 1991 में उत्तर प्रदेश में दहेज अधिनियम के अन्तर्गत कुल 2619 मुकदमें पंजीकृत किये गये ।

विवाह के समय दहेज के रूप में धन एवं सामग्री की मांग किया जाना तथा गुप्त रूप से उसकी पूर्ति किया जाना दहेज अधिनियम, 1961 के प्राविधानों के अन्तर्गत आता है ।

शिकायत प्राप्त होने पर मामले की जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाती है ।

एच० एम० टी० ट्रैक्टर्स कम्पनी द्वारा आटो ट्रैक्टर्स लि० प्रतापगढ़ को कार्यरत कर्मचारियों सहित क्रय किये जाने विषयक प्रस्ताव की जानकारी

*11–श्री श्रीराम (जालौन) तथा श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड, प्रतापगढ़ को पूर्व सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में विक्रय किये जाने से पूर्व केन्द्र सरकार द्वारा संचालित एच० एम० टी० ट्रैक्टर्स कम्पनी ने आटो ट्रैक्टर्स लि०, प्रतापगढ़ को मय कार्यरत कर्मचारियों सहित क्रय करने हेतु प्रस्ताव किया था ? यदि हां, तो पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार ने आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड, प्रतापगढ़ के कर्मचारियों के भविष्य की चिन्ता न करते हुए सिपानी आटो मोबाइल्स लिमिटेड के साथ सौदा क्यों किया ?

श्री कल्याण सिंह–

आटो ट्रैक्टर्स लि०, प्रतापगढ़ को संयुक्त क्षेत्र में मे० सिपानी आटो मोबाइल्स लि०, के साथ चलाये जाने की व्यवस्था किये जाने से पूर्व केन्द्र सरकार द्वारा संचालित एच० एम० टी० ट्रैक्टर्स कम्पनी ने आटो ट्रैक्टर्स लि०, प्रतापगढ़ को मय कार्यरत कर्मचारियों सहित क्रय किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं किया था ।

*12–श्री बलराम यादव–

[7वें मंगलवार के लिये स्थगित]

*13–श्री सुरेन्द्र सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद सोनभद्र में सीमेन्ट निर्माण हेतु लाइम स्टोन के आरक्षित क्षेत्र की जानकारी

*14-श्री तीरथ राज–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सोनभद्र जनपद में सीमेन्ट बनाने हेतु लाइम स्टोन का कितना क्षेत्र आरक्षित है ? क्या उक्त लाइम स्टोन का सुरक्षित क्षेत्र सीमेन्ट फैक्ट्री लगाने हेतु निजी क्षेत्र को दिया जायेगा ? यदि हां, तो कैसे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

कोई क्षेत्र आरक्षित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत पी० पी० एम० सेल में दैनिक भोगी कर्मचारियों को सेवा जारी रखने की मांग

*15-श्री भारत सिंह रावत–

क्या क्षेत्रीय विकास विभाग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत पी० पी० एम० सेल में विगत दो ढाई वर्ष से कार्यरत कतिपय दैनिक वेतन भोगी टंककों की सेवायें बिना किसी नोटिस के माह नवम्बर, 1991 में समाप्त कर दी गयीं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ? क्या यह सही है कि सेवा समाप्ति के सम्बन्ध में सम्बन्धित कर्मचारियों ने सचिव, क्षेत्रीय विकास विभाग को रजिस्टर्ड पत्र संख्या–5312/12450656, दिनांक 23-11-91 द्वारा सूचित भी किया था ? यदि हां, तो सचिव द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी उक्त सेल में कार्यरत अन्य दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की भांति नवम्बर, 91 में सेवाच्युत किये गये कर्मचारियों की सेवा जारी रखे जाने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज राज्य मंत्री (श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य)–

जी हां । कनिष्ठतम दैनिक वेतन भोगी मात्र एक टंकक श्री चन्द्र मोहन गौड़ को 19-11-91 से कार्य से हटाया गया ? दैनिक वेतन पर कर्मी केवल कार्य की मात्रा को देखते हुए आवश्यकतानुसार लगाये अथवा हटाये जाते हैं इन्हें किसी नोटिस की आवश्यकता नहीं होती है । श्री गौड़ 1-9-89 से 30-6-90 तक उप कृषि निदेशक, भूमि संरक्षण, अल्मोड़ा द्वारा 600/- प्रति माह नियत वेतन पर नियुक्त किये गये परन्तु उन्हें कार्य हेतु डी० पी० ए० पी० सेल, लखनऊ से सम्बद्ध किया गया । दिनांक 1-7-90 से 7-9-90 तक इन्हें ग्राम्य विकास अभिकरण, सीतापुर में दैनिक वेतन पर नियुक्त किया गया परन्तु इनसे सेल में ही कार्य लिया गया । पुनः इसी अभिकरण से श्री गौड़ 19-11-90 से 29-12-90, 9-1-91, 11-1-91 एवं अवकाश को छोड़कर 1-4-91 से 19-11-91 तक ग्राम्य विकास अभिकरण, सीतापुर से दैनिक वेतन भोगी के रूप में नियुक्त होकर सेल में कार्य करते रहे ।

जी हां । पत्र पुनः उपस्थित पंजिका पर हस्ताक्षर करने की अनुमति देने के विषय में था, इस पर कोई कार्यवाही सम्भव नहीं थी ।

जी नहीं । दैनिक वेतन पर कर्मी केवल कार्य की मात्रा को देखते हुए आवश्यकतानुसार लगाये अथवा हटाये जाते हैं ।

*16–श्री अंगद सिंह यादव–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद बस्ती की तहसील सोनहा अन्तर्गत कुआनो नदी पर शिवाघाट की आमदनी को ग्राम सभा अमरौही सुमाली से हटाकर जिला परिषद् में किये जाने के मामले पर कार्यवाही

*17–श्री पूरन प्रकाश–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जनपद बस्ती में तहसील सोनहा अन्तर्गत कुआनो नदी पर शिवाघाट की आमदनी की सीमा अधिक होने के कारण इसको ग्राम सभा अमरौली सुमाली से हटाकर जिला परिषद् में किये जाने का मामला शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसका शासनादेश कब तक निर्गत होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी के मदनपुरा क्षेत्र में पुलिस चौकी की स्थापना

*18–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि वाराणसी में अति संवेदनशील मदनपुरा क्षेत्र में बार-बार घटित होने वाली दंगाई गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु एक पुलिस चौकी खोले जाने की नितान्त और अविलम्ब आवश्यकता है ? यदि हां, तो इसके त्वरित क्रियान्वयन हेतु सरकार क्या कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

दिनांक 5 दिसम्बर, 1991 से जिले के नियतन से मदनपुरा क्षेत्र में अस्थायी पुलिस चौकी खोल दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महराजगंज को औद्योगिक रूप से पिछड़ा जनपद घोषित करने की मांग

*19–श्री शिवेन्द्र सिंह–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवसृजित जनपद महराजगंज को जनपद सिद्धार्थनगर एवं मऊ के अनुरूप औद्योगिक पिछड़ा जनपद घोषित करके वहां नये उद्योगों पर शासकीय अनुदान अनुमन्य किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इस विषमता को दूर करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद महराजगंज को पिछड़ा जनपद घोषित नहीं किया गया है क्योंकि वह पूर्व में गैर पिछड़े जनपद गोरखपुर का भाग था ।

जनपद मऊ व सिद्धार्थनगर क्रमशः आजमगढ़ व बलिया तथा बस्ती जनपदों के पूर्व में भाग थे । अतः उन्हें पिछड़ा घोषित किया गया है ।

20–श्री फरीद महफूज किदवई तथा श्री मोहम्मद आजम खां–

[दिनांक 10-3-92 को ता० प्र० सं० 9 द्वारा उत्तरित]

अतारांकित प्रश्न

जनपद उन्नाव के कस्बा पुरवा के निवासी श्री किशन लाल आदि के उत्पीड़न की जांच

1–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के अनुसूचित जाति के लोगों को लगातार 5 दिन तक अवैधानिक रूप से निरुद्ध करके अमानवीय पिटाई करने व जेल भेजे जाने की गहन जांच कराने हेतु पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ जोन से मिलकर दिये गये, श्री किशन लाल आदि निवासी कस्बा पुरवा के प्रार्थना-पत्र व प्रश्नकर्ता के कवरिंग पत्र दिनांक 21-1-92 पत्रांक–58/92 की जांच किसने की ? क्या जांच के दौरान प्रश्नकर्ता से भी जानकारी प्राप्त की गई है ? यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

जांच विशेष जांच प्रकोष्ठ उ० प्र० लखनऊ को सौंपी गयी है । प्राप्त सूचनानुसार जांच अभी प्रचलित है ।

जनपद बांदा के थानाध्यक्ष रैपुरा के खिलाफ आत्महत्या की गलत सूचना अंकित करने के सम्बन्ध में कार्यवाही

2–श्री राम प्रसाद सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के पहले बुधवार के प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या-148 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस प्रकरण में मैजिस्ट्रीरियल जांच जो प्रचलित है क्या उक्त न्यायिक जांच अपर जिला अधिकारी कर्वी द्वारा की जा चुकी है ? यदि हां, तो क्या उन्होंने अपनी जांच में पुलिस कर्मी तथा इंचार्ज को दोषी ठहराया है ? यदि हां, तो उक्त जांच के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्नगत मामले में जांच सी० बी०, सी० आई० डी० को सौंप दी गयी है ।

3–श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

[7वें सोम में अता० प्र० सं० 128 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

4–श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

[7वें सोम में अता० प्र० सं० 129 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखनऊ की अलीगंज कालोनी के सेक्टर आई की लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सफाई व्यवस्था

5–श्री श्याम नारायण–

क्या आवास मंत्री को जानकारी है कि अलीगंज स्थित लखनऊ विकास प्राधिकरण की कालोनी में सेक्टर आई के भवन संख्या–838 से 849 तक भवनों की नींव में सीवर होल बनाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि पानी की निकासी की नाली और सीवर होल की सतह बराबर होने के कारण नाली का पानी सीवर होल में और सीवर होल का पानी नाली में बहता रहता है जिसके कारण भवनों की लैट्रिन एवं नालियां हमेशा भरी रहती हैं और प्रदूषण फैलता रहता है ? यदि हां, तो उक्त कालोनी में सफाई की व्यवस्था क्या की गयी है ? क्या मंत्री जी इसकी जांच कराकर सीवर होल को ऊंचा कराने, सीवर का पानी पम्पिंग सेट से बाहर कराने एवं कालोनी की सफाई की व्यवस्था अविलम्ब सुनिश्चित कराकर कालोनी के निवासियों को संक्रामक रोग से बचायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

लखनऊ विकास प्राधिकरण से प्राप्त सूचना के अनुसार अलीगंज योजना के सेक्टर आई में स्थित भवन संख्या–838 से 849 तक सीवर लाईन के मेनहोल भवनों की नींव में नहीं बनाये गये हैं । पानी की निकासी की नाली और सीवर लाईन के मेनहोल का लेबिल बराबर नहीं है बल्कि मेनहोल का टाप लेबिल नाली से ऊंचा है । नाली का पानी सीवर लाईन में नहीं जाता है । सीवर की सफाई विभागीय स्वीपर गैंग द्वारा पम्पिंग सेट की सहायता से पूर्व से ही आवश्यकतानुसार कराई जाती रहती है ।

जनपद आगरा स्थित क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय हेतु क्रय की गयी भूमि को रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज करने की कार्यवाही

6–श्री विजय सिंह राणा–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा स्थित क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय की भूमि को कब और कितने रुपये में क्रय किया गया था ? क्या यह जमीन रेवेन्यू रिकार्ड में पर्यटन कार्यालय के नाम दर्ज हो गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन, सांस्कृतिक कार्य, युवा कल्याण एवं खेलकूद मंत्री (श्री केदार सिंह फोनिया)–

आगरा में आधुनिक स्वागत केन्द्र के निर्माण हेतु 64 ताज रोड, आगरा में स्थित भूमि अप्रैल, 1990 में रु० 8,80,014.38 में क्रय की गयी थी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यह भूमि छावनी क्षेत्र में आती है । इस भूमि को पर्यटन विभाग के नाम दर्ज कराने हेतु रक्षा सम्पदा अधिकारी, आगरा मण्डल, आगरा से कार्यवाही करायी जा रही है । प्रश्नगत भूमि पर पर्यटन विभाग का कब्जा है ।

7–श्री विजय सिंह राणा–

[7वें बुधवार में अता० प्र० सं० 183 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद आजमगढ़ के ग्राम नैठी के श्री जयसिंह पुत्र श्री साहब सिंह के प्रार्थना-पत्र पर प्राथमिकी दर्ज करने की जानकारी

8–श्री अखिलेश–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ ने श्री जयसिंह पुत्र श्री साहब सिंह ग्राम नैठी, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ के दिनांक 30-12-91 के प्रार्थना-पत्र पर थानाध्यक्ष मुबारकपुर को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो क्या प्राथमिकी दर्ज हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रार्थना-पत्र में अंकित लूट की बात जांच से असत्य पायी गयी । प्रश्नगत प्राइमरी पाठशाला मुबारकपुर के भवन को विवादग्रस्त होने के कारण धारा 145/146द० प्र० सं० के अन्तर्गत कुर्क कर लिया गया और श्री राज कुमार यादव को सुपुर्दगार नियुक्त किया गया । श्री राजकुमार यादव द्वारा दिनांक 14-12-1991 को थाना मुबारकपुर में की गयी लिखित तहरीर के आधार पर एन० सी० आर० 270/91 अन्तर्गत धारा 427 भा० दं० वि० बनाम कुछ व्यक्ति नामपता अज्ञात पंजीकृत किया गया जिस कारण श्री जयसिंह के प्रार्थना-पत्र दिनांक 30-12-91 पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी ।

जनपद फतेहपुर में अजहर हसन एण्ड सन्स के शस्त्र व्यवसायिक लाइसेन्सी प्रपत्र नियमों के विरुद्ध जारी करने के सम्बन्ध में दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

9–श्री अभिमन्यु सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद फतेहपुर में अजहर हसन एण्ड सन्स के शस्त्र व्यवसायिक लाइसेन्सी के प्रपत्र 11 व प्रपत्र 12 की द्वितीय प्रतिलिपि नियमों के विरुद्ध जिला स्तर से जारी की गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

व्यवसायिक लाइसेन्स देने के अधिकार जिला मजिस्ट्रेटों में प्रतिनिहित किया जाना

10–श्री अभिमन्यु सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिडूल सेकेण्ड में परिपत्र-13 में असलहे के व्यवसायिक लाइसेन्स के अधिकार केन्द्र सरकार ने प्रान्तीय सरकार को दिये थे ? यदि हां, तो क्या प्रान्तीय सरकार किसी अधिकारी को यह अधिकार प्रतिनिहित करके दे सकती है ? यदि नहीं, तो क्या प्रान्तीय सरकार ने गजट नं०–6372, आर०बी/8-बी-18-16 दिनांक 1-10-1962 में जिला मजिस्ट्रेट को ये अधिकार दिये हैं ? यदि हां, तो क्या प्रभारी अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट/अति० जिला मजिस्ट्रेट भी परिपत्र-13 के लाइसेन्स अब दे सकते हैं ? यदि हां, तो किस आदेश के अन्तर्गत ? यदि नहीं, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां, प्रपत्र–13 में असलहे के व्यवसायिक लाइसेन्स के अधिकार केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार कों दिये गये थे ।

जी हां, तद्नुसार विज्ञप्ति संख्या–6372-आर (5)/8-ख-18-60, दिनांक 1-10-1962 में यह अधिकार जिला मजिस्ट्रेटों में प्रतिनिहित किये गये थे ।

जी हां, आयुध नियमावली, 1962 के नियम 2 (एफ) (ii) के अन्तर्गत दे सकते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

11–श्री अभिमन्यु सिंह–

[विस्तीर्ण एवं अस्पष्ट होने के कारण निरस्त]

फर्म के नाम व्यवसायिक लाइसेन्स जारी करने के कारण फतेहपुर की कतिपय फर्मों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने की शिकायत

12–श्री अभिमन्यु सिंह–

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि शस्त्र के व्यवसायिक लाइसेन्स फर्म के नाम नहीं जारी हो सकते ? यदि हां, तो उ० प्र० में जो फर्में चल रही हैं, उसके सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है ? क्या यह भी सत्य है कि जनपद फतेहपुर में मे० अजहर हसन एण्ड सन्स शस्त्र विक्रेता के ऊपर यही आरोप लगाकर

उनका लाइसेन्स निरस्त किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि जिला मजिस्ट्रेट को यह ज्ञात था कि फर्म के नाम उक्त लाइसेन्स नहीं हो सकता है तो जनपद फतेहपुर की अन्य फर्मों के विरुद्ध यही कार्यवाही न किये जाने व मे० अजहर हसन एण्ड सन्स के विरुद्ध ही एक पक्षीय कार्यवाही किये जाने का औचित्य क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

फर्म के नाम लाइसेन्स जारी हो सकते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यह अंश न्यायालय के विचाराधीन है अतः इस संबंध में कोई टिप्पणी करना न्यायोचित नहीं होगा ।

जनपद आजमगढ़ में जिला परिषद् के अन्तर्गत सहराजा से निजामपुर तक के अवशेष मार्ग का धनाभाव के कारण मरम्मत न किया जाना

13–श्री अंगद सिंह यादव

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में जिला परिषद् अन्तर्गत सहराजा से निजामपुर मार्ग पर 85-86, 86-87, 87-88, 88-89, 89-90, 90-91 में शासन द्वारा निर्माण तथा मरम्मत हेतु कितना धन दिया गया है ? क्या यह सत्य है कि आज भी मार्ग की स्थिति अतिदयनीय है ? यदि हां तो इसका क्या कारण है ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

जनपद आजमगढ़ में जिला परिषद् अन्तर्गत सहराजा से निजामपुर मार्ग निर्माण हेतु वर्ष 1985-86 से 1990-91 तक शासन द्वारा कोई अनुदान पृथक से स्वीकृत नहीं किया गया था बल्कि जिला परिषद् आजमगढ़ को वर्ष 1985-86 से 1990-91 के मध्य 1,25,60,700 रुपये की धनराशि सड़कों के अनुरक्षण/निर्माण हेतु स्वीकृत की गयी थी । जिला परिषद् आजमगढ़ द्वारा उक्त सड़क पर रुपये 1,87,671.25 से 1.50 किलोमीटर तक पेन्टिंग एवं मरम्मत का कार्य कराया गया है शेष 2.00 किलो मीटर सड़क की स्थिति ठीक नहीं है जिसकी मरम्मत धनाभाव के कारण सम्भव नहीं हो सकी है ।

जनपद बुलन्दशहर में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार कुमारी मायावती व पूर्व सांसद हर भजन लाखा को रिहा किया जाना

14–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 16-11-91 को बुलन्दशहर में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत कुमारी मायावती व पूर्व सांसद श्री हर भजन लाखा को गिरफ्तार किया गया था ? यदि हां, तो इनसे देश को कैसे खतरा था ? क्या अब इन लोगों से देश को खतरा समाप्त हो गया है ? यदि नहीं, तो क्या इन्हें बिना शर्त व बिना जमानत के रिहा कर दिया गया है ? क्या इन दोनों के ऊपर फर्जी व मनगढ़न्त केस बनाकर सरकार ने बंद किया था ?

श्री कल्याण सिंह–

कु० मायावती व श्री हरभजन लाखा को दिनांक 16-11-1991 को गिरफ्तार किया गया था तथा उनको दिनांक 17-11-1991 को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत निरुद्ध किया गया था ।

लोक व्यवस्था के प्रतिकूल कार्यवाही करने से ।

वर्तमान में इन लोगों से इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से कोई खतरा परिलक्षित नहीं होता है ।

उ० प्र० परामर्शदात्री परिषद् (निरुद्धियां) की संस्तुति के आधार पर उक्त अधिनियम की धारा 12(2) के अन्तर्गत उपर्युक्त निरोधात्मक विखण्डित करके उन्हें रिहा कर दिया गया है ।

जी नहीं ।

लाइसेन्स धारियों द्वारा एल० जी० कारतूस रखने पर प्रतिबन्ध

15–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या सरकार को ज्ञात है कि 12 बोर बन्दूक के एल० जी० व गोली इत्यादि के कारतूस लाइसेन्सी बन्दूक धारियों को रखना वर्जित है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है जबकि अन्य बोर के रिवाल्वर, पिस्टल, रायफल आदि के बड़े से बड़े व सभी प्रकार के कारतूसों के रखने में कोई रोक नहीं है ? क्या शीघ्र इस रोक को हटाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1969 में एल० जी० कारतूस रखने और उसके प्रयोग करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है जो कि वर्तमान समय में भी प्रभावी है ।

चूंकि यह विषय भारत सरकार से सम्बन्धित है अतः राज्य सरकार इसमें कोई भी परिवर्तन करने के लिये सक्षम नहीं है ।

जनपद बांदा के लाइसेन्स धारकों द्वारा क्रय की जा सकने वाली कारतूसों की सीमा का निर्धारण

16–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या सरकार को ज्ञात है कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लाइसेन्सी असलहा धारियों को जितने कारतूस रखने व खरीदने का अधिकार है बांदा जिले में उनसे आधे कारतूस रखने व खरीदने के अधिकार दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उ० प्र० के अन्य जिलों के समान बांदा जिले में भी कारतूस खरीदने व रखने के अधिकार निकट भविष्य में दिये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

उत्तर प्रदेश सरकार के नोटीफिकेशन दिनांक 31 अक्टूबर, 1980 द्वारा लाइसेन्सियों द्वारा क्रय की जा सकने वाली कारतूसों की अधिकतम सीमा निर्धारित की गयी है । जिला मजिस्ट्रेट, बांदा ने लाइसेंसिंग अथारिटी की हैसियत से जनपद बांदा के लाइसेंसधारकों को उक्त सीमान्तर्गत क्रय की जा सकने वाली कारतूसों की सीमा का निर्धारण निम्नवत् किया है :—

नाम शस्त्र	तादाद जो एक समय में देना है	तादाद जो वर्ष भर में देना है
1–एक/दो नाली कारतूसी बन्दूक	10	40
2–रायफल	13	25
3–पिस्टल/रिवाल्वर	10	20

जिले की अपराधिक स्थिति के नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में ।

फिलहाल अभी ऐसा कोई विचार नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिले की विशेष अपराधिक स्थिति के कारण कानून व्यवस्था कायम रखने हेतु ।

17–श्री ज्ञानेन्द्र–

[7वें सोम में अता० प्र० सं० 130 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद महराजगंज के विकास खण्ड सिसवां में स्थित मिनी औद्योगिक आस्थान को पूर्ण करने की मांग

18–श्री शिवेन्द्र सिंह–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज के विकास खण्ड सिसवां में स्थापित किये गये मिनी औद्योगिक आस्थान का निर्माण पिछले 3 वर्षों से अभी तक पूर्ण न करने का क्या कारण है ? इसे कब तक पूर्ण करा देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद महराजगंज के विकास खण्ड सिसवां बाजार में स्थापित किये जा रहे मिनी औद्योगिक आस्थान का निर्माण कार्य लगभग 30 प्रतिशत हो चुका है । काश्तकारों द्वारा भूमि का 80 प्रतिशत मुआवजा प्राप्त कर लेने के पश्चात शेष 20 प्रतिशत मुआवजा नहीं लिया जा रहा है, जिसके भुगतान की कार्यवाही की जा रही है । स्थानीय लोगों द्वारा निर्माण कार्य बन्द करा दिया गया है, एकत्रित सामग्री को क्षति पहुंचाई गई है तथा कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है जिसके कारण कार्य अवरुद्ध है ।

उपरोक्तानुसार उत्पन्न हुए अवरोध के दूर होने के पश्चात अवशेष कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करा दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में उपराधों में आंशिक वृद्धि

19–श्री इजहार आलम खां–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सम्पूर्ण उ० प्र० में विगत वर्षों की तुलना में वर्तमान शासनकाल में हत्या, डकैती एवं अपहरण में कमी आयी है ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत ?

श्री कल्याण सिंह–

सभी प्रथम सूचनाओं के अंकित किये जाने के कारण आंकड़ों से आंशिक वृद्धि परिलक्षित होती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

20–श्री इजहार आलम खां–

[7वें शुक्रवार में अता० प्र० सं० 172 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील कुण्डा के थाना मानिकपुर के श्री रामदेव पुत्र जानकी के पत्र में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत का प्रकरण न्यायालय के विचाराधीन

21–श्री राम लखन वर्मा–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें सम्बोधित भागीरथी विधायक द्वारा लिखे गये पत्र दिनांक 25-9-91 जो रामदेव पुत्र जानकी थाना मानिकपुर, तह० कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ के सम्बन्ध में था, जो राज्य मंत्री गृह के पत्र सं०–2310 वी० आई० पी० एस० एम० एच/91, दिनांक 28-9-91 द्वारा पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ को भेजा गया है, पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में उल्लिखित पत्र पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ को प्राप्त होना नहीं पाया गया है । पुलिस अधीक्षक, जौनपुर से श्री रामदेव के नाम से एक पत्र प्राप्त हुआ है । पत्रगत विषय ग्राम समाज की भूमि पर अनधिकृत कब्जा किये जाने से सम्बन्धित है । भूमि का विवाद दीवानी न्यायालय में

विचाराधीन है । दोनों पक्षों में मारपीट भी हुई, जिसके सम्बन्ध में मु० अ० सं० 214/91 धारा 147/323/324/504/506भा० दं० वि० पंजीकृत हुआ विवेचना के पश्चात् आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है ।

जनपद वाराणसी पशुधन प्रसार अधिकारी स्व० श्रीकान्त दुबे की पत्नी द्वारा स्वीकृत धनराशि का ग्रहण किया जाना

22–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि स्व० श्रीकान्त दुबे, पशुधन प्रसार अधिकारी और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद् के कोषाध्यक्ष की हत्या दिनांक 25-10-91 को वाराणसी के कोषागार में तैनात पुलिस के राइफल धारी संतरी द्वारा की गयी थी ? यदि हां, तो क्या स्व० दुबे के परिवार के आश्रितों के भरण-पोषण के लिये दिनांक 28 दिसम्बर, 1991 को मुख्य मंत्री के विवेकाधीन कोष से मात्र 25,000 रुपये दिये गये हैं ? क्या यह सत्य है कि मृतक परिवार आश्रित जनों ने अभी तक उक्त धनराशि को स्वीकार नहीं किया है ? क्या इसके लिये आय का कोई प्राविधान है ? क्या मुख्य मंत्री जी तत्काल मृतक आश्रितों के लिये एक लाख रुपया मुआवजा देने की घोषणा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी नहीं, बल्कि दिनांक 23-11-91 को 25,000 रुपये की स्वीकृति के पश्चात् दिनांक 28-12-91 को पुनः 10,000 रुपये स्वीकृत हुए ।

जी नहीं, स्व० दूबे की पत्नी श्रीमती चिन्ता देवी ने दिनांक 24-2-92 को उक्त कुल धनराशि 35,000 रुपये ग्रहण कर ली है । स्व० दुबे के आश्रितों को नियमानुसार देय पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी एवं सामान्य भविष्य निधि की धनराशि आदि के अतिरिक्त किसी आश्रित को सेवायोजित किये जाने का भी प्राविधान है ।

उपर्युक्त सहायता के पश्चात् पुनः सहायता का सम्प्रति प्रस्ताव नहीं है ।

जनपद इलाहाबाद के थाना–पश्चिम शरीरा के ग्राम कटरी में नवविवाहिता श्रीमती सरोज के हत्यारों को जेल भेजा जाना

23–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या सरकार को जानकारी है कि ग्राम कटरी, थाना पश्चिम शरीरा, जिला–इलाहाबाद में नवविवाहिता श्रीमती सरोज को दहेज के कारण उसके ससुराल वालों ने हत्या करके लाश गायब कर दी थी ? यदि हां, तो क्या अभी तक मुल्जिम पकड़े नहीं गये हैं ? यदि हां, तो पुलिस द्वारा मुल्जिमों को न पकड़ने का क्या कारण है ? क्या सरकार इस घटना की जांच गुप्तचर विभाग से करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां, इस संबंध में थाना पश्चिम शरीरा पर मु० अ० सं० 186/91 धारा 498ए/304बी/201 भा० दं० वि० बनाम बृज नन्दन, बृज मोहन व श्रीमती हीरा पंजीकृत किया गया है ।

अभियुक्त बृजनन्दन जेल भेजा जा चुका है तथा शेष दो अभियुक्त घर छोड़कर भागे हुए हैं, जिनकी तलाश जारी है ।

विवेचना प्रचलित है । अतः घटना की जांच गुप्तचर विभाग से कराने की आवश्यकता नहीं पायी गई ।

जनपद बांदा में बिसण्डा ग्रामीण नाम की नयी ग्राम सभा गठित किये जाने की कार्यवाही

24–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या सरकार को जानकारी है कि बांदा जनपद में बिसन्डा रूलर के अन्तर्गत लोधन पुरवा, व्यास का पुरवा, उड़ियन पुरवा, कोरिन का पुरवा, कछियन पुरवा, चमरहा पुरवा तथा कोइलहा पुरवा आदि जो भी पुरवे आते हैं, व सभी पुरवे न तो किसी ग्राम सभा में है और न ही नगर क्षेत्र समिति में है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या इन सभी पुरवों को मिलाकर एक ग्राम सभा बनाई जावेगी ? ताकि इनका भी विकास हो सके ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

जी हां । ग्राम सभा विसण्डा के टाउन एरिया में परिवर्तित हो जाने तथा प्रश्न में उल्लिखित पुरवों को टाउन एरिया सीमा में सम्मिलित न किये जाने के कारण सम्प्रति प्रश्नगत पुरवे न तो किसी ग्राम सभा में और न ही किसी नगर क्षेत्र समिति में सम्मिलित हैं ।

जनपद बांदा में विसण्डा ग्रामीण नाम की एक नयी ग्राम सभा गठित किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है ।

25–श्री राम आसरे वर्मा–

[मा० उपाध्यक्ष होने के कारण हटाया गया]

जनपद देहरादून की टोंस नदी के बजरी बोल्डर की नीलामी की अवशेष धनराशि की वसूली

26–श्री मुन्ना चौहान–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–देहरादून की टोंस नदी की लाट नं०–3/14बजरी बोल्डर अन्य खनिज उठाये जाने हेतु वर्ष 1979-80 के लिये नीलामी की गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि नीलामी उच्चतम बोलीदाता श्री पृथ्वी सिंह पुत्र श्री बारू सिंह के नाम पर छोड़ी गयी थी ? यदि हां, तो क्या पृथ्वी सिंह को संदर्भित लाट से बजरी, बोल्डर तथा अन्य खनिज उठाने की अनुज्ञा सक्षम अधिकारी द्वारा दी गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि श्री पृथ्वी सिंह द्वारा अंकन 20 (बीस) हजार रुपये की धनराशि नीलामी की शर्तों के अनुसार सरकारी कोष में जमा करायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या नीलामी की शर्तों के अनुसार बजरी-बोल्डर तथा अन्य खनिज उठाये जाने की अनुज्ञा न दिये जाने पर उनके द्वारा सरकारी कोष में जमा करायी गयी राशि वापस किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं, नीलामी की शर्तों के अनुसार नीलामी की आधी धनराशि जो रु० 10,000 होती है चालान सं० 51 व 52 द्वारा दिनांक 30-5-79 को जमा करायी गयी । शेष धनराशि समय से जमा न करने पर श्री पृथ्वी सिंह के विरुद्ध वसूली प्रमाण पत्र जारी कर अवशेष रु० 10,000 की धनराशि चालान सं०–30, दिनांक 20-10-82 द्वारा जमा करायी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ में अन्सल आवास योजना द्वारा पार्कों के विकास का प्रस्ताव

27–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ में अन्सल आवास योजना में जनहित में छोड़े गये पार्क समाप्त कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि अनाधिकृत रूप से उन्हें भूखंड बनाकर आवास बनाने के लिये बेच दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसे कुल कितने भूखण्ड हैं तथा किस विहित प्राधिकारी द्वारा अन्सल कम्पनी को यह अनुमति प्रदान की है ?

श्री कल्याण सिंह–

स्थल सर्वेक्षण के उपरान्त लखनऊ विकास प्राधिकरण से प्राप्त सूचनानुसार मैसर्स अन्सल द्वारा कुल 523.49 एकड़ क्षेत्रफल में आवासीय योजना का विकास कार्य किया जा रहा है, जिसमें 81 पार्क प्रस्तावित हैं । 33 पार्क अब तक डिमार्केट हुए हैं, शेष 48 पार्कों का डिमार्केशन अभी नहीं हुआ है ।

जनपद रामपुर की तहसील मिलक के ग्राम नगरिया सादात में हुई हत्याओं के सम्बन्ध में अभियुक्तों को जेल भेजा जाना

28–श्री मोहम्मद आजम खां–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर की तहसील मिलक के ग्राम नगरिया सादात के कितने व्यक्ति गला काटकर माह जनवरी, 92 में मारे गये हैं ? कितने व्यक्ति रामपुर शहर के ज्वाला नगर क्षेत्र में चाकू छुरी तथा गोलियों से जख्मी करके ? क्या यह सत्य है कि सभी मौतें साम्प्रदायिक दुर्भावना से हुई हैं ? यदि हां, तो उनमें से कितनों के परिवारों को सरकारी मुआवजा दिया गया है ? मुल्जिमानों के खिलाफ किस प्रकार की कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

माह जनवरी, 92 में 3 व्यक्तियों की गर्दन काटकर हत्या की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में मुकदमा अपराध संख्या–9/92 धारा 147, 148, 149, 302 भा० दं० वि० थाना मिलक पर पंजीकृत हुआ, माह जनवरी, 92 में रामपुर शहर के ज्वाला नगर क्षेत्र में चाकू, छुरी तथा गोलियों से जख्मी किये जाने की कोई घटना घटित नहीं हुई अपितु थाना सिविल लाइन पर दिनांक 18-1-92 को श्री मोहम्मद अली के घर भैंस को खोलने की नियत से घुसे व्यक्तियों तथा घर वालों की आपस में मारपीट हुई । इनमें से एक अभियुक्त ने बाबू को गोली मार दी जो मौके पर ही मर गया इस सूचना पर थाना सिविल लाइन्स, रामपुर पर मु० अ० सं०–36/92 धारा 302 भा० दं० वि० पंजीकृत हुआ ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुकदमा अपराध संख्या–9/92 धारा 147, 148, 149, 302 भा० दं० वि० थाना मिलक पर पंजीकृत हुआ जिसमें विवेचना से 6 अभियुक्तगण प्रकाश में आये । 4 अभियुक्तों को बन्दी बनाकर जेल भेजा गया । शेष दो अभियुक्त फरार हैं जिनकी कुर्की की कार्यवाही की जा चुकी है । मुकदमा अपराध संख्या–36/92 के अन्तर्गत धारा 302 भा० दं० वि० की विवेचना में प्रकाश में आये 4 अभियुक्तों में से तीन को बन्दी बनाकर जेल भेजा गया तथा एक अभियुक्त ने दिनांक 5-2-92 को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया ।

जनपद बांदा के थाना-मऊ में पंजीकृत अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में विचाराधीन

29–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में थाना मऊ में मु० अ० सं० 232/91 धारा-147/504/506 ता० हि० दिनांक 30-12-91 को जानमाल की धमकी ग्यारह अभियुक्तों के खिलाफ पंजीकृत हुआ था ? यदि हां, तो अब तक कितने मुल्जिमों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि गिरफ्तार किया जायेगा, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत अभियोग की विवेचना से अपराध मात्र धारा 504 भा० दं० वि० का पाया गया, जो अहस्तक्षेपीय अपराध है जिसमें बिना न्यायालय के आदेश के कोई भी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती और न दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत पुलिस को गिरफ्तार करने का अधिकार है । इसीलिये किसी की गिरफ्तारी नहीं की गयी । मामले में विवेचनोपरान्त अभियुक्त राम बहादुर, अखिलेश व हरिश्चन्द्र के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया, जो विचाराधीन न्यायालय है । शेष अभियुक्तों की नामजदगी जांच से गलत पाई गई ।

जनपद फर्रुखाबाद के थाना कमालगंज के ग्राम नसरतपुर निवासी श्री निसार अहमद की नाबालिग पुत्री राजिया के अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही

30–श्री खालिद गौरी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमारी राजिया नाबालिग पुत्री श्री निसार अहमद नि० ग्राम नसरतपुर, थाना कमालगंज, जिला फर्रुखाबाद के दिनांक 7-11-91 को अपहरण के मुकदमा अपराध संख्या–357/91 के सम्बन्ध में पुलिस ने अब तक क्या कार्यवाही की ? कुमारी राजिया बरामद की गयी या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

मु० अ० सं० 357/91 नहीं वरन मु० अ० सं० 351/91 अन्तर्गत धारा 363/366/भा०द०वि० अभियुक्त हसरुद्दीन पुत्र बकरीदी तथा उसकी मां श्रीमती बुहन के विरुद्ध पंजीकृत कर, थाना कमालगंज की पुलिस द्वारा विवेचना प्रारम्भ की गयी । पुलिस की दबिश के कारण श्रीमती बुहन ने न्यायालय में आत्म समर्पण कर दिया । अभियुक्त ने कुमारी राजिया के साथ कानपुर में कोर्ट मैरेज कर ली तथा गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गया । न्यायालय के आदेश से उसकी सम्पत्ति कुर्क कर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया । इसी बीच अभियुक्त ने मा० उच्च न्यायालय से स्वयं एवं

कुमारी राजिया की गिरफ्तारी के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है तथा न्यायालय जे०एम० फतेहगढ़ ने उसकी कुर्क की गयी सम्पत्ति वापस करने का आदेश भी पारित कर दिया है।

जनपद फतेहपुर के थाना–बिन्दकी में पंजीकृत अभियुक्तों द्वारा न्यायालय में आत्म समर्पण किया जाना

31–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर, थाना बिन्दकी में मु० अ० सं-294/91 धारा-364 ता० हि०, दिनांक 23-8-91 अपहरण सम्बन्धी पंजीकृत हुआ है ? यदि हां, तो अब तक अभियुक्तों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां।

तीन अभियुक्तों में से राम किशोर एवं बृजेन्द्र कुमार ने न्यायालय में आत्म समर्पण कर दिया है। सुरेन्द्र कुमार की खोज की जा रही है।

32–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[7वें सोमवार में अता० प्र० सं० 131 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद आजमगढ़ की जिला परिषद् के वर्तमान अभियन्ता की तैनाती की अवधि

33–श्री अंगद सिंह यादव–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में जिला परिषद् के वर्तमान अभियन्ता कितने वर्ष से वहां कार्यरत हैं ? क्या सन् 91 में इनका स्थानान्तरण किसी अन्य जनपद के लिये किया गया था ? यदि हां, तो क्या पुनः इनका स्थानान्तरण इसी स्थान के लिये स्थगित कर दिया गया है ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

जनपद आजमगढ़ में जिला परिषद् के वर्तमान अभियन्ता वहां 10-10-85 (पूर्वाह्न) से कार्यरत हैं।

जी हां।

जी हां।

जनपद आजमगढ़ में व्याप्त विदेशी मुद्रा की कालाबाजारी को रोकने की मांग

34–श्री अंगद सिंह यादव–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में विदेशी मुद्रा की कालाबाजारी जोरों पर चल रही है ? यदि हां, तो उसकी रोकथाम के लिये शासन ने कोई व्यवस्था की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

35–36–श्री राम आसरे वर्मा–

[मा० उपाध्यक्ष होने के कारण हटाये गये]

जनपद गोरखपुर के थाना झगहा के ग्राम ज० गौरी नं० 1 के अनिरुद्ध पुत्र स्व० स्वामी नाथ के भूमि को थाने की दीवार बनाकर कब्जा किया जाना

37–श्रीमती शारदा देवी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री अनिरुद्ध पुत्र स्व० स्वामी नाथ ग्राम जं० गौरी नं०-1, थाना झगहा की भूमि धरी आराजी नं० 491, रकबा 0.09 डी०, कृषि भूमि को, दिनांक 2 नवम्बर, 88 को जबरदस्ती थाने की दीवाल बनवाकर कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के थाना जसपुरा के ग्राम-मवईघाट से अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के व्यक्तियों का सवर्णों के उत्पीड़न से पलायन की शिकायत

38–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के थाना जसपुरा के अन्तर्गत ग्राम मवईघाट में 1980 से अब तक कितने परिवार अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के सवर्णों के उत्पीड़न से पलायन कर गए हैं? क्या लगातार प्रतिवर्ष जुल्म अत्याचार से पीड़ित अनुसूचित व पिछड़ी जाति के परिवार अब भी पलायन कर रहे हैं ? यदि हां, तो अब तक इसके लिये सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गयी है ? क्या मौके पर सर्वे कराकर गरीबों को राहत दिलायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी कोई नहीं ।

जी नहीं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

39–श्री राम आसरे वर्मा–

[मा० उपाध्यक्ष होने के कारण हटाया गया]

अयोध्या में संकट मोचन मंदिर को हटाने के संबंध में जानकारी

40–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अयोध्या में संकट मोचन मंदिर सहित कितने मंदिर तोड़े जाने की जानकारी सरकार को है ? क्या प्रश्नगत मामले में कोई मुकदमा कायम हुआ है ?

श्री कल्याण सिंह–

यह सही नहीं है कि अयोध्या में मन्दिर तोड़े गये । प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अधिगृहीत 2.77 एकड़ भूमि में समतलीकरण के दौरान संकट मोचन मंदिर के महन्त श्री राम आसरे दास ने लिखकर दिया है कि वह हनुमान जी की मूर्ति को, जिससे उनका भावनात्मक लगाव है, वहां से हटाकर अपने स्थान पर ले जाना चाहते हैं । महन्त श्री राम आसरे दास ने हनुमान जी की मूर्ति स्वेच्छा

से हटा लिया है । इसके पश्चात् भवन का अवशेष ढांचा हटा दिया गया है । साक्षी गोपाल काम्प्लेक्स का मूर्ति वाला कमरा अभी भी यथावत् है । जो अन्य भवन हटाये गये, मंदिर नहीं थे ।

प्रश्न नहीं उटता ।

41–श्री अवध पाल सिंह–

[7वें सोम में अता० प्र० सं० 132 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखनऊ की डायमन्ड डेरी कालोनी में अध्यासियों द्वारा किये गये अवैध निर्माण को हटाने की कार्यवाही

42–श्री ज्ञानेन्द्र–

क्या सरकार को जानकारी है कि लखनऊ नगर स्थित आवास विकास परिषद् की डायमन्ड डेरी कालोनी अनुरक्षण हेतु नगर महापालिका, लखनऊ को सौंप दी गयी है ? यदि हां, तो कब से ? क्या उक्त कालोनी में सड़कों, पार्कों एवं अन्य जगहों पर वहां के निवासियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है और उसे हटाने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । लखनऊ नगर स्थित आवास विकास परिषद् की डायमन्ड डेरी कालोनी में विकसित समस्त जन सेवायें अनुरक्षण हेतु नगर महापालिका, लखनऊ को दि० 15-7-81 में सौंप दी गयी हैं ।

उक्त कालोनी में सड़कों, पार्कों पर वहां के निवासियों द्वारा किये गये अतिक्रमण की सूचना एकत्र की जा रही है ।

परिषद् द्वारा निर्मित बहुमंजिले भवनों एवं दुकानों के चारों ओर सार्वजनिक प्रयोग हेतु छोड़ी गयी खुली भूमि पर वहां के निवासियों द्वारा 13 स्थानों पर अनाधिकृत निर्माण किये गये हैं, जिनके विरुद्ध नियमानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किये गये, सुनवाई की गयी तथा गुण अवगुण के आधार पर सक्षम अधिकारी (अधिशासी अभियन्ता) द्वारा अवैध निर्माण ध्वस्त करने के आदेश भी पारित किये गये हैं । इनमें से पम्प हाउस के कमरे पर किये गये एक अनाधिकृत कब्जे को हटवाया गया है परन्तु अन्य प्रकरणों पर पुलिस बल प्राप्त न होने के कारण अनाधिकृत निर्माण गिराने की कार्यवाही सम्पन्न नहीं हो पायी है ।

जनपद बाराबंकी के खादी ग्रामोद्योग कार्यालय में कार्यरत श्री केशव राम चपरासी पर लगाये गये आरोपों की जांच करके उसके निलम्बन को समाप्त करने की मांग

43–श्री श्रीराम (मऊ)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खादी ग्रामोद्योग कार्यालय, बाराबंकी में कार्यरत श्री केशव राम चपरासी को मुख्य कार्य पालक अधिकारी द्वारा दिनांक 31-12-91 को निलम्बित किया गया है ? यदि हां, तो उस पर मुख्य आरोप क्या हैं ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर निलम्बित अल्पभोगी कर्मचारी के बहाली के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मयंकर सिंह–

जी हां । श्री केशव राम, चपरासी ने जिला ग्रामोद्योग कार्यालय आजमगढ़ में अपनी नियुक्ति के दौरान वर्ष 1985-86 एवं 1986-87 में ग्रामोद्योग के विकास हेतु ऋण एवं अनुदान के वितरण आदि में ऐसे अपराधिक कार्य किये जिससे उनके ऊपर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409/467/468/471/420/120 बी भा० द० वि० धारा–5(2) सपठित धारा–5(1) डी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1980 (अधिनियम संख्या–49 सन् 1988) की धारा–13(2) के अधीन अपराध बनता है जिसके अनुसार अभियोजन की कार्यवाही चल रही है । जी नहीं । उपरोक्त अभियोजन की कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में मा० न्यायालय के निर्णयानुसार कार्यवाही करना सम्भव होगा ।

44–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद आजमगढ़ की तहसील–सगड़ी के ग्राम करखिया रुस्तम सराय की ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

45–श्री ओम प्रकाश–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम करखिया रुस्तम सराय, तहसील सगड़ी, आजमगढ़ में ग्राम सभा की आराजी नं० 518/251 पर अवैध कब्जा तहसीलदार सगड़ी, के आदेश दिनांक 6-4-72 द्वारा न हटाने के परिणाम स्वरूप पुनः मुकदमा नम्बर 383/623 तहसीलदार सगड़ी की अदालत में चला, जिसमें तत्कालीन जिला अधिकारी श्री राम मोहन सिंह ने कब्जा हटाने एवं कब्जा करने वाले के विरुद्ध पुलिस में भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत एफ० आई० आर० दर्ज कराकर कार्यवाही करने हेतु दिनांक 29-6-87 को तहसीलदार सगड़ी को आदेशित किया था ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो वह अवैध कब्जा कब तक समाप्त होगा ? ग्राम सभा की सम्पत्ति पर अवैध कब्जा करने वाले के विरुद्ध कब तक कार्यवाही होगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां, प्रश्नगत मुकदमा सं० 383/623 तहसीलदार सगड़ी की अदालत में चला था परन्तु तत्कालीन जिलाधिकारी का आदेश दिनांक 29-6-1987 तहसील में उपलब्ध होना नहीं पाया गया ।

ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 123ब ज० वि० एवं भू० व्य० अधिनियम के अन्तर्गत थाना रौनापार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है ।

जनपद आजमगढ़ की तहसील–सगड़ी के ग्राम-करखिया सराय के ग्रामवासियों के मध्य हुए विवाद न्यायालय में विचाराधीन

46–श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 15 फरवरी, 91 को करखिया रुस्तम सराय, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ को ग्रामवासियों द्वारा पक्की सड़क नं० 95/1 जो लबालब गन्दे पानी से डुबी होने के साथ ही गांव के बीस नावदानों का निकास वहीं अवरुद्ध होने तथा मुख्य मार्ग पर आवागमन भी बन्द होने एवं प्रदूषण से भयंकर रोग तथा मौतें होने के कारण उस जल के निकास हेतु तथा पक्की सड़क पर से अतिक्रमण हटाने हेतु दिये गये सामूहिक प्रार्थना पत्र पर जिलाधिकारी,

आजमगढ़ ने तत्कालीन परगनाधिकारी, सगड़ी को मौके पर जाकर समस्या के निस्तारण हेतु आदेश दिया था ? यदि हां, तो क्या परगनाधिकारी ने मौके पर पहुंच कर ग्रामवासियों के समस्त समस्याओं का निस्तारण करके उभय पक्षों से सुलहनामा लेकर सड़क के दोनों तरफ पक्के नावदान का लिखित आदेश देकर रुके हुये जल को ग्राम सभा के गढ़ा नं० 518 में गिराने का आदेश दिया ? क्या यह भी सत्य है कि थानाध्यक्ष रौनापार को उपस्थित होकर मौके पर निर्माण कार्य कराने का लिखित आदेश दिया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं हुई, तो कब तक हो जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां, थानाध्यक्ष, रौनापार ने उभय पक्षों के बीच नावदान के पानी की निकासी हेतु समझौता कराने का प्रयास किया परन्तु उभय पक्षों के सहमत न होने तथा उभय पक्षों के विरुद्ध 133 जा० फौ० की कार्यवाही न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

जनपद मथुरा के थाना–छाता में श्री भोलेराम के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग

47–श्री राम सरन सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के थाना छाता के अन्तर्गत प्रभारी ने बिना किसी कारण रिपोर्ट दर्ज कर के श्री भोलेराम पुत्र किशनलाल, गांव खैरा, थाना–छाता निवासी को दिनांक 21-1-92 को गिरफ्तार किया है तथा घर से 8,000 रु० भी ले जाकर 21-1-92 से 31-1-92 तक थाने में बन्द रखकर विभिन्न यातनायें दी हैं ? यदि हां, तो थाना प्रभारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना छाता जनपद मथुरा पर पंजीकृत अभियोग अपराध संख्या–4/92 अन्तर्गत धारा 396 भा०द०वि० के सम्बन्ध में पूछताछ हेतु श्री भोलेराम पुत्र किशन लाल को दिनांक 22-1-92 को थाना छाता पर लाया गया था । भोले राम के विरुद्ध कोई रिपोर्ट अंकित नहीं की गयी थी ।

थाना छाता के वर्तमान प्रभारी निरीक्षक द्वारा श्री भोले राम को बन्दी बनाये जाने तथा उसके घर से 8,000 रुपये ले जाकर दिनांक 21-1-92 से दिनांक 31-1-92 तक यातनायें दिये जाने के कथन की पुष्टि हेतु कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ ।

जनपद देवरिया के थाना–खामपार के ग्राम-सरया में पंजीकृत अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में विचाराधीन

48–श्री हरिवंश सहाय–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सरया, थाना खामपार जिला देवरिया में दि० 13-1-92 तथा दि० 22-1-92 को दो रपटें थाने में दर्ज हुई है ? क्या दोनों रपटें एक मामले से सम्बन्धित हैं ? यदि हां, तो इस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

विवेचनोपरान्त अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 31-1-1992 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है ।

जनपद देवरिया के खामपार के थानाध्यक्ष के विरुद्ध प्रश्न कर्ता के पत्र पर जांच

49–श्री हरिवंश सहाय–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि थानाध्यक्ष खामपार, जिला देवरिया के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4-12-91 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें प्रमुख शिकायतें क्या हैं तथा उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

संदर्भित पत्र में यह आरोप लगाया गया है कि देवरिया की क्षेत्रीय पुलिस ने रमाकान्त सिंह तथा भोला गुप्त नामक दो व्यक्तियों को मृत संजीवनी रखने के आरोप में थाने लाकर जेल भेजने की धमकी देकर उनसे रिश्वत लिया । वादी को यह ज्ञात होने पर कि मृत संजीवनी रखना जुर्म नहीं है, इसकी सूचना पुलिस उपाधीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक के संज्ञान में लायी गयी किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई । इस प्रकरण को जांच हेतु भ्रष्टाचार निवारण संगठन को संदर्भित किया जा चुका है । जांच प्रचलित है ।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र बारा के अन्तर्गत (लोहगरा) बाजार में कतिपय व्यक्तियों की बन्द दुकानों को खुलवाने की मांग

50-श्री राम सेवक सिंह -

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बारा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत (लोहगरा) बाजार थाना-बारा-इलाहाबाद के दुकानदार श्री इन्द्र प्रसाद, श्री रामनिधि सिंह, सुरेन्द्र सिंह, श्री अमर बहादुर सिंह, श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त छोटकू, केसरवानी की दुकानें अक्टूबर, 1991 से श्री देवनारायण गर्ग परिवार के आतंक से बन्द है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन दुकानों को खुलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? क्या सरकार दोषी व्यक्तियों तथा अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर सम्बन्धित दुकानदारों की क्षतिपूर्ति की अदायगी करेगी ? यदि करेगी, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद इलाहाबाद के थाना–शंकरगढ़ के ग्राम-आमगोदर के श्री विश्राम चमार का कथित रूप से अपहरण कर लिये जाने के विरुद्ध कार्यवाही

51–श्री राम सेवक सिंह–

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री विश्राम चमार ग्राम–आमगोदार, थाना शंकरगढ़, जनपद-इलाहाबाद का गत जून, 1991 में उसी ग्राम के ठाकुरों द्वारा अपहरण कर लिया गया था ? यदि हां, तो उपरोक्त व्यक्ति कहां है ? वह जीवित है या मर गया ? क्या सरकार अपहरण करने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

कथित अपहरण की कोई सूचना अंकित नहीं करायी गई है । श्री विश्राम चमार को रुपये के लेन देन सम्बन्धी विवाद की आशंका से उनके पुत्र द्वारा ही कहीं अज्ञात स्थान पर छिपा कर रखे रहने की सूचना प्राप्त हुई है । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बस्ती के थाना व पोस्ट–धनकटा के ग्राम-सुरैना के श्री बंसू पुत्र श्री सुखराज की हत्या से सम्बन्धित अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

52–श्री वंशीधर राज–

क्या सरकार को ज्ञात है कि दिनांक 1, 2 जनवरी, 1992 की रात्रि में ग्राम सुरैना, पोस्ट व थाना धनकटा, जनपद बस्ती में श्री बंसू पुत्र श्री सुखराज की हत्या करके लाश गांव में एक किलोमीटर दूर एक अरहर के खेत में डाल दी गयी थी ? यदि हां, तो इस हत्या से सम्बन्धित कितने अभियुक्त अभी तक पकड़े जा चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

मृतक बंसू पुत्र श्री सुखराज के भाई छांगुर ने दिनांक 2-1-92 को थाना धनकटा पर अपने भाई बंसू की लाश अरहर के खेत में पड़े होने की सूचना दी थी ।

पोस्टमार्टम से मृत्यु का कारण स्पष्ट न होने के कारण बिसरा परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ भेजा गया है । विवेचना के दौरान छांगुर तथा अन्य ग्रामवासियों द्वारा बंसू की मृत्यु के सम्बन्ध में आशंका व्यक्त करते हुए जहर देकर मार डालने की बात अंकित करायी गयी । इस पर क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद की जांच के आधार पर दिनांक 28-2-92 को थाना धनघटा पर मु०आ०सं० 44/92 अन्तर्गत धारा 302 भा०दं०वि० बनाम मोहन बेलदार कायम किया गया जिसकी विवेचना प्रचलित है ।

विसरा परीक्षण के परिणामों के आधार पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद लखनऊ के मोहल्ला सफदरबाग में स्थित भवनों में हुए अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की मांग

53–श्री बंशीधर राज–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ शहर के मोहल्ला सफदरबाग में स्थित मकान नम्बर 81, 76, 84 में अलग-अलग कितने कमरे बने हुए हैं ? क्या उक्त मकानों का मानचित्र समक्ष अधिकारी लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसे अनधिकृत निर्माण को तत्काल हटवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

मकान नम्बर 81 में 7 कमरे एवं मकान नम्बर 76 में 4 कमरे बने हुए हैं । मकान नम्बर 84 मौके पर नहीं है ।

जी नहीं ।

उपर्युक्त भवनों में हुए अनाधिकृत निर्माण नियमानुसार कार्यवाही की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

54–श्री राम ललित चौधरी–

[गोपनीयता के आधार पर निरस्त]

जनपद वाराणसी के चोलापुर थाने के सब इन्सपेक्टर श्री दया राम भास्कर के लाइन हाजिर होने के बाद पुनः बहाल करके इंचार्ज बनाये जाने के संबंध में जानकारी

55–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद के चोलापुर थाने के सब इन्सपेक्टर श्री दया राम भाष्कर को श्री नियत राम नामक अनु० जाति के व्यक्ति की पिटाई में पुलिस लाइन हाजिर कर दिया गया था ? यदि हां, तो किन कारणों से पुनः बहाल करके कोटवा पुलिस चौकी का इन्चार्ज बना दिया गया है ?

श्री कल्याण सिंह–

उप निरीक्षक श्री दयाराम भास्कर को कथित पिठाई के आरोप में नहीं अपितु अन्य शिकायतों के कारण लाइन हाजिर किया गया था । शिकायतों की पुष्टि न होने पर उन्हे पुलिस चौकी कोटवा का प्रभारी नियुक्त किया गया । वर्तमान में वे पुनः लाइन हाजिर हैं ।

पशुधन प्रसार अधिकारी स्व० श्री कान्त दुबे की पत्नी श्रीमती चिन्ता देवी द्वारा स्वीकृत धनराशि का प्राप्त किया जाना

56–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि स्व० श्रीकान्त दुबे पशुधन प्रसार अधिकारी और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद् के कोषाध्यक्ष की हत्या दिनांक 25-10-91 को वाराणसी के कोषागार में तैनात पुलिस के राइफल धारी सन्तरी की रायफल से हुयी थी ? यदि हां, तो क्या स्व० दुबे के परिवार के आश्रितों के भरण-पोषण के लिये दिनांक 28 दिसम्बर, 1991 को मुख्य मंत्री के विवेकाधीन कोष से 25 हजार रुपया मात्र दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सत्य है कि मृतक के शोक संतप्त आश्रित परिवार वालों ने उक्त धनराशि को उस समय स्वीकार नहीं किया है ? यदि हां, तो क्या इसके लिये शासन द्वारा अलग से कोई शासकीय धन प्राविधानित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या मुख्य मंत्री तत्काल अपने विवेकाधीन कोष से स्व० श्री दुबे के आश्रितों के लिए अब एक लाख रुपये प्रदान करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

स्व० श्रीकान्त दुबे के परिवार के भरण-पोषण हेतु मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से दिनांक 23-11-91 को रु० 25 हजार तथा दिनांक 28-12-91 को रु० 10 हजार, कुल रु० 35,000 स्वीकृत हुआ है ।

मृतक की पत्नी श्रीमती चिन्ता देवी ने दिनांक 24-2-92 को कुल स्वीकृत धनराशि रु० 35,000 प्राप्त कर लिया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

57-58–श्री राम आसरे वर्मा–

[उपाध्यक्ष होने के कारण हटाये गये]

जनपद आगरा में घटित अपराधिक घटनाओं से सम्बन्धित अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की मांग

59–श्री किशन गोपाल–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंये कि क्या सरकार आगरा शहर में लूट मार, राहजनी, अपहरण, डकैती, हत्या, अवैध शराब बिक्री, वैश्यावृत्ति, जुआ के अड्डों जैसे बढ़ते अपराधों व जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों पर काबू पाने हेतु पुलिस विभाग द्वारा कठोर कदम उठाने के आदेश प्रदान करेंगे ? यदि हां, तो क्या अपराधियों को कठोर दण्ड के साथ-साथ अपराधियों की सिफारिश करने वालों के खिलाफ भी कठोर कदम उठाने की शासन की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

माह जनवरी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा के समय बैरीकेडिंग आदि व्यवस्था पर हुए व्यय का विवरण

60–श्री सुरेन्द्र नाथ–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह जनवरी, 1992 में एकता-यात्रा के सम्बन्ध में, उत्तर प्रदेश भ्रमण पर आये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री मुरली मनोहर जोशी की जन सभाओं हेतु सरकार द्वारा बैरीकेडिंग पर किया गया खर्च कितना है ? क्या सरकार सभी राजनैतिक दलों के राष्ट्रीय नेताओं को इसी प्रकार की सुविधा जन सभाओं हेतु उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? शासन द्वारा खर्च की गई उक्त बैरीकेडिंग की रकम के व्यय का आधार क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा पर प्रदेश के 13 जनपदों में बैरीकेडिंग पर रु० 23,18,380.76 पै० खर्च किया गया । राजनैतिक दलों के राष्ट्रीय नेताओं के आगमन पर जनहित में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा भीड़ को नियंत्रित करने हेतु बैरीकेडिंग आदि की व्यवस्था की जाती है । उक्त एकता यात्रा के समय में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा भीड़ को नियंत्रित करने के लिये बैरीकेडिंग पर उक्त व्यय किया गया है ।

क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत डी०पी०ए०पी० सेल में कार्यरत दैनिक कर्मियों को नियमति करने की मांग

61–श्री मिर्जा सुल्तान रजा–

क्या क्षेत्रीय विकास मत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय विकास अनुभाग-1 के पत्र संख्या–255/54-1-4(2)/92, दिनांक 25-1-92 के अन्तर्गत श्री महेश प्रताप सिंह की नियुक्ति कार चालक के पद पर की गयी है जबकि क्षेत्रीय विकास के अन्तर्गत नियुक्त दैनिक वेतन भोगी आशुलिपिक/टंकक के पद पर नियुक्त अन्य कर्मचारियों की सेवायें समाप्त की जा रही हैं ? यदि हां, तो उक्त परिस्थितियों में उक्त कार चालक के पद पर नियुक्ति का औचित्य क्या है ? क्या सरकार दैनिक वेतन पर 1987 से नियुक्त टंककों को रिक्त पदों पर नियमित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

जी हां ।

कार चालक के रिक्त पद को भरने की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए नियुक्ति की गई । क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत एक अन्य डी० पी० ए० पी० सेल में कार्यरत दैनिक कर्मी केवल कार्य की मात्रा को दृष्टि में रखते हुए लगाये एवं हटाये जाते हैं । उक्त सेल की स्थापना संबंधी शासनादेश संख्या 59 जी/38-2-76, दिनांक 12 मार्च, 1976 के प्राविधानानुसार इन पदों पर नियुक्ति संबंधित विभागों से प्रतिनियुक्ति पर किये जाने का प्राविधान है । सभी पद पूर्ण रूपेण अस्थाई हैं तथा भारत सरकार से अनुदान प्राप्त होने तक ही चलते रहेंगे । इस प्रकार इन दैनिक कर्मियों को नियमित किये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को मूल विभाग में वापस करने की मांग

62–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या आवास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आवास एवं विकास परिषद्, उ० प्र०, लखनऊ में कितने अधिकारी एवं कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर अन्य निगमों एवं संस्थानों से आये हैं ? क्या सरकार उनकी सूची सदन के पटल पर रखेगी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रतिनियुक्ति पर आये उन अधिकारियों/कर्मचारियों को कब तक उनके पैतृक निगम/संस्थान में वापस भेजने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । कुल 7 कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर आये हैं ।

सूची संलग्न है ।

परिषद् को वर्तमान में इन कर्मचारियों की सेवाओं की आवश्यकता है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 228 पर)

जनपद हरदोई की जिला परिषद् के अध्यक्ष व कर्मचारियों द्वारा लाखों रुपये के गबन की शिकायत एवं उनके विरुद्ध जांच विषयक कार्यवाही

63–श्री नरेश अग्रवाल–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने माह जनवरी, 1992 में जिला परिषद्, हरदोई के अध्यक्ष व कर्मचारियों द्वारा लाखों रुपये के गबन के सम्बन्ध में शिकायत की थी, जिसकी जांच के लिये कमिश्नर, लखनऊ को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था ? यदि हां, तो उस जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

जी हां ।

जांच आख्या अप्राप्त है । जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार समुचित कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद मिर्जापुर से प्रकाशित हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र "जग प्रकाश" और "स्टैण्डर्ड न्यूज" पर बछावत आयोग की शर्तों लागू न किये जाने के संबंध में जानकारी

64-श्री पूरन प्रकाश–

क्या सूचना मंत्री को ज्ञात है कि मिर्जापुर से प्रकाशित दैनिक हिन्दी समाचार पत्र "जगप्रकाश" एवं "स्टैण्डर्ड न्यूज" की दैनिक प्रसार संख्या कितनी है ? इनको वर्ष 1989-90/90-91 तथा 91-92 में कितने रुपये का विज्ञापन सूचना विभाग से मुहैय्या किया गया है ? इन दोनों दैनिक समाचार पत्रों पर बछावत आयोग की शर्तें लागू न किये जाने का अभिप्राय क्या है ? आर० एन० आई० द्वारा प्रमाणित प्रसार संख्या क्या सच है ? यदि हां, तो क्या दोनों समाचार पत्रों की जिलावार प्रसार संख्या का सक्षम प्राधिकारी से तथा पूरी प्रसार संख्या का पुनः परीक्षण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

विभाग से शासकीय विज्ञापनों के लिये मान्यता प्राप्त दैनिक "जग प्रकाश" मिर्जापुर की सशुल्क प्रसार संख्या भारत सरकार के दृश्य प्रचार निदेशालय से प्राप्त प्रमाण-पत्र के अनुसार वर्तमान में 20,020 है। "स्टैण्डर्ड न्यूज" मिर्जापुर विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। अतः उसकी प्रसार संख्या के बारे में विभाग के पास कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

वित्तीय वर्ष 1989-90, 90-91 तथा 91-92 में दैनिक "जग प्रकाश" मिर्जापुर को दिये गये विज्ञापनों के लिये भुगतान की गयी धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	विज्ञापन पर व्यय धनराशि
1989-90	69,384.90
1990-91	1,36,349.40
1991-92	94,574.20

चूंकि "स्टैण्डर्ड न्यूज" समाचार-पत्र शासकीय विज्ञापनों हेतु मान्यता प्राप्त नहीं है। अतः उसे विभाग द्वारा कोई विज्ञापन नहीं दिया गया है।

दैनिक "जग प्रकाश" के सेवायोजकों द्वारा वेतन मंडल की अनुशंसाओं को लागू न किये जाने के कारण उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी की गयी थी। लेकिन मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा जन सेवक कार्यालय लि० एवं अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया से सम्बन्धित याचिका में दिनांक 30-1-90 को यह निर्णय लिया गया कि जब तक इस सम्बन्ध में अन्तिम निस्तारण नहीं हो जाता है, तब तक बछावत वेतन मंडल की अनुशंसाओं का पालन न किये जाने के कारण कोई प्राभियोजन नहीं किया जायेगा। अतः अभी तक मामले में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

"स्टैण्डर्ड न्यूज" का प्रकाशन श्री के० आर० काजिम द्वारा अपने जाब प्रेस "रजा प्रेस" वासलीगंज, मिर्जापुर से किया जाता है। इस समाचार पत्र का वितरण निःशुल्क होता है। इसमें कोई कर्मचारी नियोजित नहीं है। मालिक के घर के ही लोग कार्य करते हैं। अतः इस प्रतिष्ठान में वेतन मंडल की अनुशंसाओं को लागू नहीं किया जाता।

जी हां, आर० एन० आई० द्वारा प्रमाणित प्रसार संख्या सत्य तथा प्रमाणित मानी जाती है क्योंकि यह संस्था समाचार पत्रों की प्रसार संख्या प्रमाणीकरण हेतु सक्षम संस्था है।

आर० एन० आई० समाचार पत्रों की प्रसार संख्या का परीक्षण तथा पुनः परीक्षण अपने स्तर से समय-समय पर करती है। समाचार पत्रों की प्रसार संख्या के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर आर० एन० आई० से जांच का मात्र अनुरोध किया जाता है। दैनिक "जग प्रकाश" मिर्जापुर की प्रसार

संख्या की जांच हेतु आर० एन० आई० से दिनांक 20-7-91 को अनुरोध किया गया है । ''स्टैण्डर्ड न्यूज'' मिर्जापुर चूंकि विभाग के शासकीय विज्ञापनों के लिये स्वीकृति पत्र नहीं है । अतः इसकी प्रसार संख्या की जांच हेतु कोई भी कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अल्मोड़ा में कालीन बुनाई प्रशिक्षण योजना केन्द्र में मास्टर, क्राफ्ट्समैन तथा सहायक कर्मचारियों को उचित वेतन दिये जाने तथा सेवा नियमावली बनाये जाने की कार्यवाही

65–श्री बच्ची सिंह रावत–

क्या शासन को जानकारी है कि जनपद अल्मोड़ा के जिला उद्योग केन्द्र रानीखेत पर स्थित राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र में मास्टर क्राफ्ट्समैन के पद पर कार्यरत कर्मचारियों को केवल 400 रुपये से प्रतिमाह तथा सहायक के पद पर कार्यरत कर्मचारियों को केवल 300 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है, जो कि न्यूनतम वेतन 750 रुपये प्रतिमाह से भी कम है ? यदि हां, तो सरकार उन्हें उचित वेतन देने व उनकी सेवा नियमावली बनाने हेतु कब तक तथा क्या कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय के अन्तर्गत उत्तरांचल क्षेत्र के जनपद अल्मोड़ा में कालीन बुनाई प्रशिक्षण योजना केन्द्र अल्मोड़ा में चलाया जा रहा है जिसमें मास्टर क्राफ्ट्समैन के पद पर 4 कर्मचारी एवं सहायक क्राफ्ट्समैन के पद पर चार कर्मचारी कार्यरत हैं जिनको क्रमशः रु० 400 एवं रु० 300 प्रतिमाह की दर से नियत वेतन दिया जा रहा है ।

उपर्युक्त कर्मचारियों को उचित वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में यथाशीघ्र विचार किया जायेगा ।

उक्त कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार नियत वेतन पर रखा गया है । अतः उनकी सेवा नियमावली बनाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद आगरा में अंजना सिनेमा के पास खाली जगह के आवंटन की कार्यवाही को स्थगित किया जाना

66–श्री किशन गोपाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में अंजना सिनेमा के बराबर की खाली जगह जो कि उपाध्यक्ष ए० डी० ए० आगरा द्वारा कम नाप दिखाकर व कम दाम में आवंटित कर दी गई थी, इसकी जांच शासन द्वारा भेजे गये अधिकारियों द्वारा करायी गयी है ? यदि हां, तो क्या जांच में कोई घोटाला पाये जाने पर उक्त जगह का आवंटन निरस्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उक्त जमीन के दाम जो कि 3,500 रु० प्रति गज से बेची गयी है अब 7,000 रुपये प्रति गज व उससे भी अधिक दाम बिक्री में प्राप्त हो सकती है ? यदि हां, तो क्या उक्त जमीन को 7,200 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से बेचने की शासन की योजना है ? यदि हां, तो 7,200 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से कब तक भूमि का आवंटन किया जा सकेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

इस प्रकरण में शासन स्तर पर करायी गयी जांच विचाराधीन होने के कारण आवंटन की कार्यवाही स्थगित किये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पिथौरागढ़ के सिंचाई विभाग द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों की जांच

67–श्री कृष्ण चन्द्र–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ हेतु वर्ष 1990-91 तथा 91-92 में सिंचाई निर्माण के लिये कितनी धनराशि वर्षवार दी गयी ? उस धनराशि का वर्षवार किन-किन कार्यों में तथा कहां-कहां उपयोग हुआ है ? क्या उक्त विभाग द्वारा व्यय की गयी धनराशि व

उसके द्वारा कराये गये कार्यों की जांच प्रदेश स्तर के किसी सक्षम अधिकारी से करायी गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि जांच करायी जायेगी तो कब तक ?

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री पूरन चन्द्र शर्मा)–

जनपद पिथौरागढ़ हेतु वर्ष 1990-91 तथा 91-92 में सिंचाई विभाग को सिंचाई निर्माण कार्यों हेतु क्रमशः 75.64 लाख तथा 75.60 लाख (कार्यों पर) धनराशि आवंटित की गयी थी ।

वर्ष 1990-91 में रुपया 70.38 लाख का उपयोग नहरो, टैंकों, लिफ्ट स्कीम के निर्माण एवं अन्य सम्बन्धित कार्यों में किया गया । वर्ष 1991-92 में रु० 64.33 लाख का उपयोग नहरों, टैंकों, लिफ्ट स्कीम के निर्माण एवं सम्बन्धित कार्यों में किया गया । प्राविधिक सम्परीक्षा प्रकोष्ठ के द्वारा जनपद के दोनों खण्डों के कार्यों की सम्परीक्षा जून, 91 में की गयी थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के अकबरपुर निवासी श्री राकेश पाण्डेय की सुरक्षा हेतु अंगरक्षक प्रदान करने की मांग

68–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के अकबरपुर नगर क्षेत्र के निवासी एवं प्रतिष्ठित व्यवसायी व नियमित आयकर दाता श्री राकेश पाण्डेय को पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद के पत्र संख्या–एस० टी०/ए० डी०-16/1988, दिनांक 2-5-1988 के आधार पर अकबरपुर कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी श्री राज कुमार सिंह द्वारा लिखित सूचना भेजकर यह सूचित कराया गया था कि उनकी जान का खतरा बना हुआ है तथा स्थानीय निवासियों सहित जनपद आजमगढ़ के व अन्य जगह के बदमाश उनकी (श्री राकेश पाण्डेय) हत्या के लिये प्रयासरत हैं ? यदि हां, तो क्या तत्कालीन पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा एवं शासन के आदेशानुसार श्री राकेश पाण्डेय को अंगरक्षक दिया गया था ? यदि हां, तो अब श्री राकेश पाण्डेय का अंगरक्षक हटाये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार श्री राकेश पाण्डेय की हत्या की साजिश में लगे विपक्षियों तथा बदमाशों से उनकी सुरक्षा के लिये तत्काल अंगरक्षक प्रदान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

69–श्री यदुनाथ सिंह–

[छठे सोम में अता० प्र० सं० 133 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखनऊ के विलोचपुरा में सीवर लाइन के कार्य को पूर्ण किया जाना

70–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या आवास मंत्री को ज्ञात है कि मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण को महाप्रबन्धक, जल संस्थान, लखनऊ का पत्र विलोचपुरा सीवर लाइन के बारे में ता० 19-6-91 के आस-पास मिला है ? यदि हां, तो उक्त सीवर लाइन अभी तक क्यों और कैसे पूरी नहीं की गयी है ? अब कब तक सीवर लाइन पूरी की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत सीवर लाइन का कार्य दिनांक 15-3-92 को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्ण करा दिया गया है तथा सीवर लाइन कार्य करने लगी है ।

जनपद बुलन्दशहर के थाना जहांगीराबाद के ग्राम रिवाडा के निवासी श्री गिरीश सक्सेना की हत्या की मजिस्टीरियल जांच

71–श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 28/29-12-91 को थाना जहांगीराबाद, जनपद बुलन्दशहर की पुलिस ने गिरीश सक्सेना नि० रिवाडा, थाना जहांगीराबाद की हत्या कर दी थी ? क्या पूर्व विधायक श्री किरन पाल सिंह ने माह जनवरी, 1992 के प्रथम पखवारे में जिलाधीश तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर को चिट्ठी लिखकर गिरीश सक्सेना के हत्यारों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने तथा मृतक के आश्रितों को सहायता राशि दिये जाने की मांग की थी ? यदि हां, तो उक्त संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

जी नहीं, अपितु श्री किरन पाल सिंह पूर्व विधायक की मौखिक शिकायत के परिपेक्ष्य में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर के अनुरोध पर जिला मैजिस्ट्रेट बुलन्दशहर द्वारा संदर्भित प्रकरण में मजिस्टीरियल जांच के आदेश दिये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के थाना-काकोरी के ग्राम-गोहरामऊ के निवासी श्री संतोष कुमार चौरसिया के जानमाल की सुरक्षा

72–श्री बसन्त लाल गुप्ता तथा श्री सतीश भाटिया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम चन्द्र चौरसिया व श्री शिवशंकर पासी निवासी-गण ग्राम–गोहरामऊ, थाना–काकोरी, जनपद लखनऊ द्वारा श्री संतोष कुमार चौरसिया पुत्र श्री देवीदीन, ग्राम–गोहरामऊ, थाना–काकोरी, जिला लखनऊ की हत्या का प्रयास किये जाने तथा जान माल की रक्षा किये जाने के बारे में प्रार्थना-पत्र दिनांक 29-1-92 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त घटना के संबंध में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या प्रार्थी की जान माल की रक्षा हेतु सरकार द्वारा कोई कदम उठाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

दोनों अभियुक्तों (राम चन्द्र चौरसिया व शिवशंकर पासी) ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया । पुलिस ने विवेचना करके दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पुलिस द्वारा प्रार्थी की सुरक्षा की दृष्टि से सतर्कता बरती जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० मुख्यालय, लखनऊ पर वर्ष 1991 व 92 में मान्यता प्राप्त संवाददाताओं की मान्यता समाप्त सम्बन्धी विवरण

73–श्री हृदय नारायण दीक्षित––

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1991 एवं वर्ष 1992 में उ० प्र० मुख्यालय लखनऊ पर मान्यता प्राप्त किन-किन संवाददाताओं की मान्यतायें समाप्त की गयी हैं और उनकी मान्यतायें समाप्त करने के क्या कारण हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर जिन मान्यता प्राप्त संवाददाताओं की मान्यतायें वर्ष 1991 तथा 1992 में समाप्त की गयीं उनकी सूची कारण सहित संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 229-230 पर)

जनपद इटावा के थाना अनुरुद्धनगर के ग्राम–अयाना में पुलिस चौकी स्थापित करने की मांग

74–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद तथा श्री गयाचरन दिनकर–

क्या सरकार बतायेगी कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या घ 446922 दिनांक 7-11-91 लालाराम गैंग द्वारा हत्यायें व लूट के रोकने एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु ग्राम अनुरुद्धनगर, थाना अयाना में पुलिस चौकी स्थापित किये जाने विषयक पत्र पुलिस अधीक्षक, इटावा को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या अनुरुद्ध नगर में स्थायी पुलिस चौकी खुलवायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नगत पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा को प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के निदेशक द्वारा प्राप्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति का विवरण

75–श्री गोपी नाथ दीक्षित–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट डेवलपमेन्ट, उ० प्र० के निदेशक एक पी० सी० एस० अधिकारी हैं जिन्हें चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं है ? यदि हां, तो क्या वह संस्थान से चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में धनराशि प्राप्त करते हैं ? यदि हां, तो अब तक वे कितनी धनराशि संस्थान से प्राप्त कर चुके हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । परन्तु इनकी बाह्य सेवा की शर्तों में यह उल्लिखित है कि उन्हें चिकित्सीय उपचार के संबंध में विशेष सुविधा प्राप्त होगी जो राज्य सरकार में उन्हें अनुमन्य सुविधा से कम न होगी ।

जी हां ।

इस मद में उन्होंने 31-3-92 तक रु० 1164.45 की धनराशि प्रतिपूर्ति स्वरूप प्राप्त की है ।

जनपद लखनऊ के अलीगंज में स्थित उ० प्र० इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के खातों में जमा धनराशि का विवरण

76–श्री गोपी नाथ दीक्षित–

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, उ० प्र०, अलीगंज, लखनऊ के विभिन्न बैंक खातों व सावधि खातों में दिनांक 30-6-90 को कितनी धनराशि जमा रही है ? दिनांक 31-12-91 को कितनी जमा धनराशि है ?

श्री कल्याण सिंह–

रु० 42,75,000.00

रु० 40,95,835.00

जनपद गाजियाबाद के विकास प्राधिकरण द्वारा वैशाली योजना में मा० सांसदों को आवंटित भूखण्डों का विवरण

77–श्री सतीश भाटिया–

क्या आवास मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1988-89 और 1990 में कुछ तत्कालीन सांसदों ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से वैशाली योजना में भूखण्डों के लिये आवेदन किया था ? यदि हां, तो वे कौन लोग थे ? क्या उन्हें भूखण्ड आवंटित कर दिये गये थे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां, वर्ष 1988-89 में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बैशाली योजना में आवासीय भूखण्डों हेतु श्री बी० सी० केशव राव, तत्कालीन मा०-सांसद से प्राप्त पत्र पर प्राधिकरण द्वारा मा० सांसद से बैशाली अथवा प्रताप बिहार योजना में आवंटन के लिये सहमति मांगी गयी थी । सहमति प्राप्त होने पर पुनः प्राधिकरण द्वारा क्षेत्रफल की सविवरण जानकारी मांगी गई, जिसके प्राप्त न होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं हो सकी । वर्ष 1990 में प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर निम्नलिखित मा० सांसदों को बैशाली योजना में भूखण्ड आवंटित किये गये :—

1–श्री असद मदनी

2–श्री अजीत सिंह

3–श्री एस० बी० चौधरी

4–श्री बालेश्वर यादव

5–श्री रामपाल सिंह

6–श्री महाबीर प्रसाद

78–श्री छोटे लाल मिश्र तथा श्री लक्ष्मेश्वर सिंह–

[सातवें गुरु में अता० प्र० सं० 128 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

'उत्तर प्रदेश संदेश' नाम की पत्रिका के प्रकाशन पर हुए व्यय का विवरण

79–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि "उत्तर प्रदेश संदेश" नाम की पत्रिका के प्रकाशन पर प्रति माह कितना व्यय होता है ? क्या नई सरकार ने पत्रिका के प्रकाशन में विषय वस्तु के चयन के कोई मानक तय किये हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

'उत्तर प्रदेश सन्देश' नाम की पत्रिका के प्रकाशन पर प्रतिमाह रुपये 1,54,795.00 व्यय होता है ।

जी नहीं, नई सरकार ने कोई नये मानक नहीं निर्धारित किये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रशासनिक सुधार निदेशालय में मेटाडोर वाहन के उपयोग का विवरण

80–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रशासनिक सुधार निदेशालय में इस समय जो मेटाडोर गाड़ी उपलब्ध है वह किस अधिकारी के उपयोग के लिये है ? यदि निदेशालय के उप निदेशक या संयुक्त निदेशक या अतिरिक्त निदेशक के लिये है, तो इस समय उपरोक्त पदों पर कौन अधिकारी तैनात है ? यदि कोई नहीं, तो इस गाड़ी के चलने का क्या औचित्य है ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रशासनिक सुधार निदेशालय की मेटाडोर गाड़ी किसी अधिकारी विशेष के उपयोग के लिये नहीं बल्कि निदेशालय के कार्यों एवं दायित्वों के सम्पादन हेतु निदेशालय के सभी अधिकारियों के उपयोग के लिये है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रशासनिक सुधार निदेशालय में कार्यरत टंककों को अनुमन्य वेतनमान दिया जाना

81–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रशासनिक सुधार निदेशालय के अन्तर्गत तैनात आशुलिपिकों को रु० 1400 से 2300 का वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या वित्त विभाग या सचिवालय प्रशासन विभाग से ऐसा कोई आदेश निर्गत किया गया है जिसमें निर्देश है कि विभागों में तैनात आशुलिपिकों को रु० 1200–2040 वाला वेतनमान अनुमन्य है ? यदि हां, तो किस आधार पर इनको उच्च वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या निदेशालय के मात्र दो टंककों को सचिवालय के अवर वर्ग सहायकों का वेतनमान अनुमन्य कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रदेश में आशुलिपिक संवर्ग को केन्द्र से समकक्षता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है । इस निर्णयानुसार प्रदेश में आशुलिपिक के पदों का वेतनमान केन्द्र सरकार के सादृश्य पर सम्बद्ध अधिकारी के वेतनमान के आधार पर चार प्रकार के वेतनमानों में निर्धारित किया जायेगा ।

प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों हेतु समता समिति (1989) की संस्तुतियों पर जारी शासकीय संकल्प दिनांक 19 मई, 1989 के अधीन स्वीकृत वेतनमानों में विभिन्न सेवा संगठनों तथा विभागों से प्राप्त प्रत्यावेदनों पर विचार करने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में आशुलिपिक संवर्ग के संबंध में निर्णय लिये गये हैं, उक्त निर्णय से वित्त विभाग ने समस्त विभागों को अवगत कराया है । निर्णयानुसार आशुलिपिकों का वेतनमान जिस अधिकारी से वह सम्बद्ध होते हैं, के आधार पर निर्धारित होना है । इसके अनुसार आशुलिपिकों हेतु चार प्रकार के वेतनमान देय हैं, जिसमें रु० 3000–4500 तथा 3700–5000 से कम वेतनमान वाले अधिकारियों के साथ सम्बद्ध आशुलिपिक को रु० 1200–2040 का वेतनमान देय है । प्रशासनिक सुधार निदेशालय में उक्त आधार

पर देय वेतनमान के बारे में आवश्यक संशोधन की कार्यवाही वित्त विभाग की सहमति से की जा रही है।

जी नहीं। उत्तर प्रदेश सचिवालय के टंकक संवर्ग के पदों का संविलियन वर्ष 1988 में "अवर वर्ग सहायक" संवर्ग में किया जा चुका है। निदेशालयों में टंकक के पदों पर रु० 950–1500 का वेतनमान अनुमन्य है, तद्नुसार ही प्रशासनिक सुधार निदेशालय के प्रश्नगत टंकक के पदों पर भी रु० 950–1500 का वेतनमान स्वीकृत है। प्रश्नगत टंककों को उत्तर प्रदेश सचिवालय के अवर वर्ग सहायकों के समान वेतनमान देने का औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

82–श्री लाखी राम जोशी–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

श्री राम वृक्ष यादव एवं श्री नवाब सिंह यादव शैडो के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

83–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राम वृक्ष यादव एवं श्री नवाब सिंह यादव, शैडो के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7-8-91 पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को, दिनांक 12-8-91 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच कब तथा किस अधिकारी द्वारा करायी गयी एवं उसकी जांच रिपोर्ट क्या रही ? यदि नहीं, तो पुलिस द्वारा विभागीय कर्मचारियों की जांच न करने का क्या कारण रहा है ? क्या इस सम्पूर्ण घटना की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराकर तत्काल दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

तत्कालीन थानाध्यक्ष जमालपुर श्री एम० पी० यादव का स्थानान्तरण

84–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जमालपुर के थानाध्यक्ष श्री एम० पी० यादव, क्षेत्राधिकारी चुनार श्री आर० पी० सिंह व पुलिस अधीक्षक, श्री राम अधार राम के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का सात सूत्रीय शिकायती-पत्र, ता० 3-2-92 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक इस शिकायती-पत्र के किन-किन बिन्दुओं पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जांच के दौरान इन अधिकारियों को हटाया गया है ? यदि हां, तो किस स्थान के लिये हटाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां।

शिकायती-पत्र में अंकित आरोपों की जांच कराई गई। जांच में आरोप प्रमाणित नहीं हुए।

फिर भी, जनहित में श्री एम० पी० यादव तत्कालीन थानाध्यक्ष, जमालपुर का स्थानान्तरण जनपद वाराणसी के लिये किया जा चुका है।

जनपद चमोली के गैरसैंण में अपर शिक्षा निदेशक (उत्तरांचल) का कार्यालय स्थापित करने की कार्यवाही

85–श्री बची सिंह रावत–

क्या शासन को जानकारी है कि अपर शिक्षा निदेशक (उत्तरांचल) के कार्यालय को गैरसैंण, जनपद चमोली में खोला गया है ? क्या यह सत्य है कि दिनांक 19-11-91 को इसका विधिवत उद्घाटन भी किया जा चुका है ? यदि हां, तो इस कार्यालय से संबंधित रिकार्ड व स्टाफ अभी तक गैरसैंण में तैनात न करने का कारण क्या है ? सरकार इस कार्यालय के लिये स्टाफ व अभिलेखों को कब तक गैरसैंण में भेजने की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पूरन चन्द्र शर्मा–

कार्यालय खोलने का आदेश दिया गया है ।

जी हां ।

कार्यालय स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है ।

आवश्यक व्यवस्था की जा रही है ।

पर्यटन क्षेत्र के रूप में रानीखेत को प्रोत्साहित करने की प्रस्तावित योजना पर कार्यवाही की मांग

86–श्री बची सिंह रावत–

क्या शासन को जानकारी है कि पर्यटन के क्षेत्र में रानीखेत विश्व प्रसिद्ध स्थल रहा है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि यहां रानीखेत, मानिला जौरासी, सराईखेत, आदि रमणीय पर्यटक स्थल हैं ? यदि हां, तो पर्यटकों को प्रोत्साहित करने के लिये इस क्षेत्र में क्या कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो प्रस्तावित योजना पर कब तक कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पूरन चन्द्र शर्मा–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बलिया स्थित बालू खनन क्षेत्र के पट्टा धार का पट्टा निरस्त किया जाना

87–श्री राज नारायण बिन्द–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि बालू खनन क्षेत्र तहबलिया जिला बलिया का वर्ष 1986-87 का खनन पट्टा डुहां विहरा ना० ज० म० सह० समिति लि० नवानगर बलिया को दिया गया है ? यदि हां, तो पट्टे का निष्पादन की तिथि क्या है ? क्या उक्त पट्टा निर्धारित समय तक लागू रहा ? यदि नहीं, तो बीच में किन कारणों से निरस्त कर दिया गया है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

पट्टा निष्पादन की तिथि 20-10-86 है ।

जी नहीं ।

पट्टा धारक द्वारा पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 13-8-87 को पट्टा निरस्त कर दिया गया ।

जनपद गाजीपुर की जिला परिषद् अवन्ती-असांव तथा अवन्ती-विशुनपुरा की सड़कों के निर्माण में दोषी अभियन्ताओं से प्राप्त स्पष्टीकरण का परीक्षण

88–श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के जिला परिषद् की अवन्ती-असांव तथा अवन्ती-विशुनपुरा सड़कों के निर्माण से सम्बन्धित टी० ए० सी० द्वारा जांच करायी गयी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

जी हां ।

टेक्निकल आडिट सेल की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है जिसके आधार पर दोषी ठहराये गये अभियन्ताओं का स्पष्टीकरण मांगे जाने का निर्णय लिया गया एवं तद्नुसार अभियन्ताओं का स्पष्टीकरण मांगा गया । अभियन्ताओं का स्पष्टीकरण भी शासन को प्राप्त हो गया है जिसका परीक्षण किया जा रहा है ।

जनपद देवरिया के थाना–भटनी के ग्राम–मोतीपुर मुआल के श्री रामानन्द यादव के अपहरण के सम्बन्ध में कार्यवाही

89–श्री हरिवंश सहाय तथा श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री रामानन्द यादव, ग्राम मोतीपुर मुआल, थाना भटनी जि० देवरिया का अपहरण दिनांक 19-1-92 को किया गया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह–

दिनांक 23-01-1992 को थाना कोतवाली देवरिया पर श्री रामानन्द यादव ने इस आशय की लिखित सूचना दी कि दिनांक 19-1-1992 को जब वह पाठशाला का सामान खरीदने देवरिया गये थे तो सायं 5.30 बजे कोआपरेटिव बैंक, देवरिया के सामने तीन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उन्हें आंखों पर पट्टी बांध कर जीप पर बैठाकर अज्ञात स्थान पर ले जाया गया और दिनांक 23-1-1992 को गोरखपुर रेलवे स्टेशन से 3 कि० मी० पश्चिम छोड़ दिया गया । उक्त सूचना के आधार पर थाना कोतवाली देवरिया पर मु० अ० सं० 203/1992 धारा 342 भा० दं० वि० बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया । अब तक की विवेचना से किसी अभियुक्त का नाम तथा स्थान जहां पर श्री यादव को रखा जाना बताया गया है, प्रकाश में नहीं आया ।

90–श्री पवन कुमार पाण्डेय––

[नियम 301 के अन्तर्गत उत्तरित हो जाने के कारण निरस्त]

जनपद वाराणसी के धार्मिक स्थलों व कुण्डों का पर्यटन विकास के अन्तर्गत विकसित करने का प्रस्ताव

91–श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी महानगर के पर्यटन विकास हेतु 3 करोड़ की धनराशि आवंटित की गयी है ? यदि हां, तो उसमें रामकुण्ड जैसे ऐतिहासिक तथा पौराणिक धार्मिक

स्थलों जो विशेषकर महिलाओं की तीर्थ स्थली है, उसके विकास व मरम्मत को शामिल किया गया है ? यदि हां, तो किस रूप में ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केदार सिंह फोनिया–

धार्मिक स्थलों के पर्यटन विकास की विशेष योजनान्तर्गत वाराणसी के विकास हेतु तीन करोड़ की सीमा तक प्रथम चरण के कार्यों को कराया जाना प्रस्तावित है ।

जी नहीं ।

प्रथम चरण में केवल अत्यन्त महत्वपूर्ण कुण्डों के विकास के कार्य प्रस्तावित हैं ।

जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत राजकीय महिला चिकित्सालय परिसर में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित भवनों पर अवैध कब्जा तथा अन्य आरोपों के मामले में कृत कार्यवाही

92–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि हाउसिंग पुल स्कीम के अन्तर्गत राजकीय महिला चिकित्सालय परिसर, फैजाबाद में लोक निर्माण विभाग तथा हरिदास द्वारा बनाये जाने वाले भवनों पर जबरिया कब्जा करके वहां पर रहने तथा कटिया के जरिये विद्युत उपभोग करने की शिकायत संबंधी प्रश्नकर्ता द्वारा भेजा गया पत्र दिनांक 7-10-91 उन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि इसे प्रभावी कार्यवाही करने हेतु प्रमुख सचिव, गृह विभाग को शासन द्वारा भेजा गया है ? यदि हां, तो प्रश्नगत शिकायत के मामले में अब तक क्या कार्यवाही करायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

शिकायती-पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा करायी गयी । जांच से अवैध रूप से कब्जा करने, विद्युत प्रयोग करने तथा अन्य आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है ।

93–श्री लाखी राम जोशी–

[छठे सोम में अता० प्र० सं० 134 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

रायपुर कद्दूखाल मोटर मार्ग के निर्माण कार्य पर व्यय की गयी धनराशि की जानकारी एवं विवरण

94–श्री लाखी राम जोशी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायपुर कद्दूखाल मोटर-मार्ग की स्वीकृति की कुल लम्बाई क्या है ? अब तक निर्मित की गयी सड़क की लम्बाई कितनी है ? स्वीकृति प्राप्त और निर्मित सड़क की लम्बाई में कितना अन्तर है ? क्या सड़क निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि पूरी व्यय कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्या इसकी जांच करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि करायी जायेगी, तो कब तक ?

श्री पूरन चन्द्र शर्मा–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्र की सिंचाई नहर लस्तर का कार्य पूर्ण किया जाना तथा जखोली ग्राम के कतिपय किसानों की भूमि के मुआवजे के भुगतान का प्रस्ताव

95–श्री लाखी राम जोशी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री को जानकारी है कि उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे बड़ी लस्तर सिंचाई नहर का कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि नहर से क्षतिग्रस्त निजी भूमि का मुआवजा, ग्राम सभा जखोली के व अन्य प्रभावित कृषकों को नहीं मिला है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा नहर का अधूरा निर्माण कब तक पूर्ण होगा ? प्रभावित किसानों को उनकी भूमि के मुआवजा का भुगतान कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पूरन चन्द्र शर्मा–

नहर का निर्माण वर्ष 1985 में लगभग पूर्ण कर लिया गया था ।

नहर निर्माण में नहर के टेल पर पड़ने वाली ग्राम सभा जखोली एवं कुछ अन्य कृषकों को भूमि प्रतिकर वितरित किया जाना शेष है ।

वर्ष 1986-87 में अतिवृष्टि एवं भूस्खलन से हुई क्षति की मरम्मत का कार्य प्रगति में है तथा वर्ष 1992-93 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है ।

प्रभावित कृषकों को उनकी भूमि का प्रतिकर का भुगतान वित्तीय वर्ष 1992-93 में किया जाना प्रस्तावित है ।

जनपद एटा के सेवानिवृत्त आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी श्री राम प्रताप शर्मा की पेंशन के भुगतान की कार्यवाही

96–डा० दिनेश जौहरी–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनको श्री राम प्रताप शर्मा, सेवानिवृत्त आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, जिला परिषद्, एटा के 7 माह के वेतन भुगतान के विषय में कोई पत्र दिनांक 10-12-91 को प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने सचिव, पंचायती राज को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया था ? यदि हां, तो क्या उस पर कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

जी हां । श्री राम प्रताप शर्मा, चिकित्साधिकारी, जिला परिषद्, एटा दिनांक 31-8-89 को सेवा निवृत्त हुए थे तथा श्री शर्मा को दिनांक 1-9-89 से पेशन का भुगतान किया जा रहा है ।

श्री यदुनाथ सिंह, स० वि० स० के पत्र के सम्बन्ध में विभिन्न बिन्दुओं की जानकारी की मांग

97–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के 4थे गुरुवार के लिये निर्धारित अता० प्र० सं० 29 के संदर्भ में क्या उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पत्र सं०–1890 में किन-किन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी थी ? क्या उक्त जानकारी सदन के पटल पर रखी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद उन्नाव के थाना कोतवाली में श्री सरजू लाल से सम्बन्धित मुकदमा न्यायालय के अन्तर्गत विचाराधीन होना

98–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि उन्नाव जनपद के जिलाधिकारी ने ता० 1-11-86 को थाना कोतवाली में मु० अ० सं०–596/86 धारा 165 (क) भा० दं० वि० बनाम सरजू लाल के विरुद्ध पंजीकृत कराया था ? यदि हां, तो उक्त मुकदमा का क्या परिणाम रहा ? क्या रपट सही पायी गयी ? यदि नहीं, तो क्या झूठी रपट लिखने वाले अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है ।

जी हां ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी के थाना–फूलपुर के ग्राम–असवारी के श्री फूलेगन मुसहर पुत्र श्री मंगरू मुसहर की पत्नी व माता की पिटाई के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की जानकारी

99–श्री ऊदल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री फूलेग मुसहर पुत्र श्री मंगरू मुसहर, गांव असवारी, थाना फूलपुर, जिला वाराणसी ने एक रिपोर्ट अपराध संख्या 162, दिनांक 12-11-91 को लिखायी है कि उसकी मां श्रीमती चनरादेवी व स्त्री श्रीमती प्रभावती को दिनांक 11-11-91 को गांव मंगवानपुर थाना फूलपुर, जिला वाराणसी श्री राम दुलार ने बुरी तरह से मारा पीटा ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता ने उसके कागजात को संलग्न करके एस० एस० पी० वाराणसी को ता० 4-12-91 को उसकी रक्षा करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु पत्र लिखा था ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या इसकी मां की एक्सरे रिपोर्ट और चोटों की डाक्टरी सार्टिफिकेट भी पुलिस को दे दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र का प्राप्त होना नहीं पाया गया ।

मार-पीट के सम्बन्ध में मु० अ० सं० 162/91 धारा 323/504 भा० दं० वि० पंजीकृत किया गया था । एक्सरे रिपोर्ट के आधार पर धारा 325 भा० दं० वि० बढ़ाकर मु० अ० सं० 180/91 पंजीकृत किया गया । विवेचना से अपराध सिद्ध होने के कारण आरोप-पत्र न्यायालय को प्रेषित किया गया है ।

जनपद एटा कंचनपुर नं० अलीगंज के श्री अजय पाल सिंह यादव के शिकायत से सम्बन्धित तत्कालीन नेता विरोधी दल श्री सत्यपाल सिंह यादव के पत्र पर जांच आख्या

100–श्री अवध पाल सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन नेता विरोधी दल श्री सत्य पाल सिंह यादव के पत्र सं० 4243/नेविद/विस/88, दिनांक 5-1-88 के द्वारा श्री अजयपाल सिंह यादव, कंचनपुर नं० अलीगंज, एटा का प्रार्थना-पत्र कोई जांच कराने के सम्बन्ध में उन्हें प्राप्त हुआ था ? क्या सरकार उक्त शिकायती-पत्र पर जांच कराने जा रही है ? यदि हां, तो क्या उक्त जांचोपरान्त की गयी कार्यवाही से सदन को सरकार अवगत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रशासनिक सुधार सचिव शाखा के कतिपय कर्मचारियों द्वारा "एक्यूटेन्स रोल" पर हस्ताक्षर कराकर वेतन दिया जाना

101–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रशासनिक सुधार सचिव शाखा के लेखा कोष्ठक द्वारा पूर्व में कर्मचारियों द्वारा वेतन वितरण के संबंध में एक आवेदन-पत्र दिया गया था कि उनका हस्ताक्षर वेतन प्राप्ति के समय मुख्य वेतन बिल पर नहीं कराया जाता है, जो मुख्य वेतन बिल पर कराया जाये ? क्या यह सही है कि सम्यक् विचारोपरान्त तत्कालीन सचिव/आहरण वितरण अधिकारी ने नियमानुसार और उचित व्यवस्था मानते हुए मुख्य वेतन बिल पर ही हस्ताक्षर कराने के आदेश दिये थे, जो व्यवस्था तत्काल लागू कर दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रक्रिया अब भी जारी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं । प्रशासनिक सुधार सचिव शाखा के लेखा कोष्ठक कर्मचारियों द्वारा नहीं अपितु शाखा के कतिपय कर्मचारियों द्वारा आवेदन-पत्र दिया गया था । आवेदन-पत्र पर सम्यक् विचारोपरान्त तत्कालीन सचिव, प्रशासनिक सुधार सचिव शाखा ने पूर्व से चली आ रही व्यवस्था के अनुसार "एक्यूटेन्स रोल" पर ही हस्ताक्षर कराकर वेतन भुगतान करने के आदेश दिये थे परन्तु बाद में कुछ कर्मचारियों के मौखिक अनुरोध पर प्रयोग के तौर पर वेतन बिल पर हस्ताक्षर कराने की व्यवस्था की गयी । प्रयोग के आधार पर यह व्यवस्था बिलों की सुरक्षा की दृष्टि से व्यवहारिक नहीं पायी गयी । अतएव पूर्व व्यवस्था पुनः लागू कर दी गयी । उल्लेखनीय है कि "एक्यूटेन्स रोल" पर हस्ताक्षर कराने की व्यवस्था वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-V भाग–(1) के नियम 138 में दी हुई है तथा समय पर महालेखाकार के आडिट पार्टी द्वारा आडिट किये जाने पर इसे नियमानुकूल पाया गया ।

जनपद इलाहाबाद में स्थित ला बुक कम्पनी प्रा० लि० द्वारा पुस्तकों की आपूर्ति के पश्चात् मूल्य धनराशि का भुगतान न किये जाने के संबंध में जानकारी

102–श्री भगवन्न प्रसाद–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि मेसर्स ला बुक कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, सरदार पटेल मार्ग, इलाहाबाद की फर्म से एस० एस० पी०, वाराणसी के, उनके आदेश संख्या–एल० 209/88, दिनांक 3-5-90 के अनुसार रुपया 39,50 सहित 18 अन्य एस० पी०/एस० एस० पी० कार्यालयों में विभिन्न मांग पत्रों के अनुसार कुल रुपया 10,82,600 मूल्य की पुस्तकों की आपूर्ति का भुगतान करने की आज्ञा पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद द्वारा आदेश सं०–बीस-114-85, दिनांक 22 फरवरी, 1991 के माध्यम से की जा चुकी है ? यदि हां, तो पुस्तकों एवं रिसालों का भुगतान उक्त फर्म को अब तक न किये जाने का क्या कारण है ? उक्त भुगतान उन्हें कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत फर्म द्वारा पुस्तकों की कथित आपूर्ति से सम्बन्धित प्रकरण में हुई अनियमितता के सम्बन्ध में जांचोपरान्त पुलिस मुख्यालय द्वारा थाना–सिविल लाइन, इलाहाबाद में दिनांक 1-10-90 को मु० अ० सं० 831/91 धारा 420/511/120-बी भा० दं० वि० एवं 13(2)/13(1)-डी भ० नि० अ० मुकदमा

कायम किया गया है । प्रकरण से सम्बन्धित समस्त अभिलेख अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग (सी० आई० एस० सेक्टर) उत्तर प्रदेश, लखनऊ को जांच हेतु भेजा गया है जो अभी विवेचनाधीन है। विवेचना पूर्ण होने के उपरान्त उनकी आख्या के आधार पर भुगतान करने अथवा न करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायगी ।

जनपद उन्नाव के वरिष्ठ दलित नेता पर हुए हमले की जांच

103–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के वरिष्ठ दलित नेता पर हमले की जांच कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र, जो नेता विरोधी दल कुंवर रेवती रमण के कवरिंग पत्र दिनांक 13-2-92 सहित मुख्य सचिव गृह उ० प्र० शासन को मिला है ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र पर जांच के आदेश दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया के थाना–खुरबन्दह के वर्तमान एस० आई० श्री शिव बचन सिंह द्वारा की गई अनियमितताओं पर कृत कार्यवाही की जानकारी

104–श्री नन्द किशोर मिश्रा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शिव बचन सिंह, एस० आई०, वर्तमान में थाना खुरबन्दह देवरिया की उनकी गोरखपुर में सेवाकाल में अनियमितताओं के कारण सेवा समाप्त की गयी थी ? यदि हां, तो अनियमिततायें क्या थीं ? क्या सरकार उन अनियमितताओं पर पुनः कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है ।

जनपद देवरिया में थानाध्यक्ष, गौरीबाजार के विरुद्ध शिकायतों की जांच रिपोर्ट

105–श्री नन्द किशोर मिश्रा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थानाध्यक्ष, गौरी बाजार, जनपद देवरिया के विरुद्ध माह सितम्बर, 91 से अब तक कितनी शिकायतें किन-किन तिथियों में पुलिस अधीक्षक देवरिया को प्राप्त हुई हैं ? उनमें से कितनी शिकायतों की जांच रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक, देवरिया को मिल गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

थानाध्यक्ष गौरीबाजार के विरुद्ध सितम्बर, 1991 से अब तक कुल सात शिकायतें क्रमशः दिनांक 30-9-91, 1-10-91, 18-10-91, 27-10-91, 2-11-91, 4-11-91 एवं 23-11-91 को प्राप्त हुई हैं ।

सभी शिकायतों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

106–श्री फतेह बहादुर सिंह तथा श्री सुरेन्द्र नाथ–

[सातवें सोम में अता० प्र० सं० 133 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय के खण्ड-2 में स्थित फर्म साइंटिफिक कारपोरेशन को बिक्रीकर बकाया व सम्भावित राजस्व हानि के बारे में पत्र एवं कार्यवाही

107–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के तीसरे मंगल के लिये निर्धारित अता० प्रश्न सं० 4 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उनको इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं० 9156/89, ता० 17-4-89 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मुख्य मंत्री से पत्र सं० 1045 में किन-किन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी थी ? क्या उक्त जानकारी सदन के पटल पर रखी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नकर्ता के दिनांक 17-4-89 के दो पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय विधायक कोष्ठक में प्राप्त हुए हैं लेकिन उनका सम्बन्ध सूचना विभाग से नहीं है ।

प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–1045 मुख्य मंत्री कार्यालय में दिनांक 24-9-88 को प्राप्त हुआ था जिसमें जिन बिन्दुओं पर जानकारी चाही गयी थी उनकी सूची संलग्न है ।

प्रश्नगत पत्र में टेलीग्राफ इण्डिया को मार्च, 1988 में पांच पृष्ठ का विज्ञापन देने पर ध्यान आकर्षित किया गया है । यह सही है कि उक्त पत्र को व्यवसायिक दर पर विज्ञापन दिया गया है । इस समाचार-पत्र को पूर्व में भी वर्ष 1984-85, 1985-86 में सूचना निदेशक द्वारा व्यवसायिक दर पर विज्ञापन दिये गये । इसके अतिरिक्त सूचना निदेशक द्वारा वर्ष 1986-87 में 15 समाचार पत्रों को और 1987-88 में 17 समाचार पत्रों को 5 पृष्ठी या उससे अधिक के विज्ञापन दिये गये । सूचना निदेशक विज्ञापन व्यवसायिक दर पर देने के लिये अधिकृत हैं ।

वर्ष 1988-89 में सूचना विभाग तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा ''टेलीग्राफ इंडिया'' को कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया । परीक्षणोपरान्त पाया गया कि इसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है । अतः किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 231 पर)

जनपद लखनऊ के ऐशबाग स्थित रामनगर तकिया में चल रहे चकलाघर से सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जाना

108–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ के बाजार खाला थाने के पुलिस इन्सपेक्टर के क्षेत्र में तकिया चांद अली शाह में चकलाघर चल रहा था और उक्त आधार पर इन्सपेक्टर का तबादला रायबरेली के लिये माह अक्तूबर, 1991 में कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह भी बतलायेंगे कि

उक्त इन्सपेक्टर के विरुद्ध अन्य क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि कार्यवाही नहीं की गयी है, तो उसके विरुद्ध कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत प्रकरण संज्ञान में आते ही दिनांक 24-10-91 को तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक द्वारा रामनगर तकिया ऐशबाग स्थित मकान नं०–268/86 पर छापा मारकर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके विरुद्ध थाना बाजार खाला पर मुकदमा अपराध संख्या–374/91 धारा 3/4/5 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम पंजीकृत हुआ । चारों के विरुद्ध विवेचना पूर्ण करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया ।

बाजार खाला थाने के तत्कालीन पुलिस निरीक्षक श्री भुवन चन्द्र अवस्थी का स्थानान्तरण सामान्य तौर पर दिनांक 22-10-91 को किया गया था, इस प्रकरण से उनके स्थानान्तरण का कोई संबंध नहीं था ।

उक्त निरीक्षक के विरुद्ध इस संदर्भ में किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव के शराब ठेकेदार सरजू लाला द्वारा तत्कालीन जिलाधिकारी को रिश्वत देने के असफल प्रयास पर विधिक कार्यवाही

109–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के 6ठे मंगल के लिये निर्धारित अता० प्रश्न सं०–130 के संदर्भ में क्या गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मुकदमा स्पेशल ट्रायल नं०–1/87, राज्य बनाम सरजू प्रसाद का परिणाम क्या रहा है ? क्या जिलाधिकारी के विरुद्ध लिखायी गयी रपट सही पायी गयी ? यदि नहीं, तो जिलाधिकारी के विरुद्ध झूठी रपट लिखाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

मुकदमा स्पेशल ट्रायल नं० 1/87 राज्य बनाम सरजू प्रसाद न्यायालय में विचाराधीन है ।

जिलाधिकारी के विरुद्ध कोई रपट नहीं लिखायी गयी थी । जिलाधिकारी द्वारा लिखायी गयी रिपोर्ट मु० अ० सं०–596/86 धारा 165(क) भा० दं० वि० विरुद्ध सरजू प्रसाद जायसवाल सही पायी गयी । विवेचनोपरान्त आरोप सिद्ध होने पर आरोप पत्र दिनांक 30-12-86 न्यायालय प्रेषित किया गया ।

चूंकि जिलाधिकारी के विरुद्ध कोई रपट नहीं लिखायी गयी है इसलिये कार्यवाही करने का औचित्य नहीं बनता ।

जनपद बांदा के लघु सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता श्री एस० आर० आर्या द्वारा विभागीय जिप्सी का दुरुपयोग एवं अन्य शिकायतों की जांच

110–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी तथा श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री अवगत है कि लघु सिंचाई विभाग बांदा के कर्मचारियों द्वारा मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन, लखनऊ को शिकायती-पत्र दिनांक 2-10-91 को लघु सिंचाई विभाग, बांदा के

अधिशासी अभियन्ता, श्री एस० आर० आर्या द्वारा विभागीय जिप्सी का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में प्रेषित किया गया था ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच की गयी है ? यदि हां, तो जांच आख्या क्या है ? यदि नही, तो क्या शीघ्र ही इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां । टेक्निकल आडिट सेल द्वारा जांच के आदेश दे दिये गये हैं ।

111–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी तथा श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री अवगत है कि क्या लघु सिंचाई विभाग, बांदा के कर्मचारियों द्वारा दिनांक 2-4-91 व दि० 2-10-91 को लघु सिंचाई विभाग, बांदा के अधिशासी अभियन्ता, श्री एस० आर० आर्या की 16 सूत्रीय व 18 सूत्रीय शिकायतें मुख्य सचिव, उ० प्र० व ग्राम्य विकास एवं लघु सिंचाई सचिव, उ० प्र० को भेजी गयी थीं और जांच करवाने की मांग की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रकरण में कोई जांच की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अब शिकायती-पत्र के अनुसार बिन्दुवार जांच की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां, 2-4-91 के शिकायती-पत्र की जांच कराई गई और शिकायत निराधार पाई गई । शिकायती पत्र दिनांक 2-10-91 में उल्लिखित शिकायतों की जांच टेक्निकल आडिट से कराई जा रही है ।

जनपद बांदा के लघु सिंचाई विभाग में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता श्री एस० आर० आर्या द्वारा पी-4 किर्लोस्कर कम्प्रेशर ब्लास्टिंग के फर्जी मरम्मत का कार्य दिखाकर भुगतान प्राप्त करने की शिकायत की जांच की मांग

112-श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी तथा श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री अवगत है कि क्या लघु सिंचाई विभाग, बांदा के अधिशासी अभियन्ता श्री एस० आर० आर्या द्वारा लगभग एक वर्ष पूर्व पी–4 किर्लोस्कर कम्प्रेशर ब्लास्टिंग की मरम्मत करवाई गयी थी ? यदि हां, तो यह मरम्मत किससे करवाई गयी थी ? क्या मरम्मत कार्य का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कितना व कब भुगतान किया गया है ? क्या यह सत्य है कि उक्त मरम्मत कराया गया कम्प्रेशर आज भी खराब पड़ा है ? यदि हां, तो कब से ? क्या यह भी सत्य है कि फर्जी मरम्मत कार्य दिखा कर भुगतान प्राप्त कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद में निर्धारित अवधि में जारी आग्नेयास्त्र लाइसेन्स/धारकों का विवरण

113-श्री पवन कुमार पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में वर्ष 1991 के माह जून के बाद से अब तक एक-एक व्यक्ति के नाम तीन-तीन आग्नेयास्त्र के लाइसेन्स तथा आपराधिक मामलों से सम्बन्धित व्यक्तियों के नाम से आग्नेयास्त्र लाइसेन्स जारी किये गये है ? यदि हां, तो एक-एक व्यक्ति के नाम

तीन-तीन लायसेन्स जारी करने तथा आपराधिक मामलों से सम्बन्धित होने पर भी कुछ लोगों को लायसेन्स देने और कुछ का प्रार्थना-पत्र निरस्त करने का दोहरा माप दण्ड अपनाये जाने के क्या कारण हैं ? क्या जून 1991 से अब तक की अवधि में जनपद फैजाबाद में जारी किये जाने वाले आग्नेयास्त्रों लायसेन्स धारी व्यक्तियों के नाम व पता का पूर्ण विवरण सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत करने का आदेश प्रदान करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील-मोहम्मदी के कस्बा बरवर के तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्री प्रकाश नारायण शर्मा द्वारा कब्जित भूमि एवं भवन का अवैध रूप से किये गये ट्रांसफर को रद्द करने की कार्यवाही

114-श्री इजहार आलम खां-

क्या पंचायती राज मंत्री को ज्ञात है कि कस्बा-बरवर, तहसील-मोहम्मदी, जिला-लखीमपुर खीरी में उन्नीसवीं शताब्दी से चल रहे जूनियर हाई स्कूल को सन् 1965 में बरवर से 6 किलोमीटर दूर मकसूदपुर में स्थानान्तरित कराकर तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्री प्रकाश नारायण शर्मा ने जिला परिषद् से स्कूल की एक एकड़ 830 कड़ी भूमि तथा भवन 60 रु० महीना किराये पर अपना प्राइवेट आदर्श जूनियर हाई स्कूल चलाने हेतु ले लिया और अब तक उसका कोई किराया अदा नही किया, बल्कि उन्होंने एक मुकदमा नं०-28 धारा 39/61, प्रकाश नारायण बनाम ग्राम सभा एस० डी०-एम० मोहम्मदी के यहां दाखिल करके उपरोक्त भूमि व भवन आदर्श जूनियर हाई स्कूल के नाम ट्रान्सफर करवा लिया ? यदि हां, तो क्या सरकार जिला परिषद् किराये की धनराशि वसूल करेगी तथा उपरोक्त सरकारी सम्पत्ति के नाजायज ट्रान्सफर को रद्द करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य-

जिला परिषद खीरी के अभिलेखों के अनुसार कस्बा-बरबर, तहसील-मोहम्मदी, जिला लखीमपुर खीरी के जूनियर हाई स्कूल को वर्ष 1965 में मकसूदपुर स्थानान्तरित किये जाने के फलस्वरूप रिक्त भवन आदि मु० 60 रु० मासिक किराये पर अध्यक्ष आदर्श जूनियर हाई स्कूल बरबर को परिषद द्वारा दिया गया था । बाद में प्रबन्धक आदर्श जूनियर हाई स्कूल बरबर श्री प्रकाश नारायण शर्मा ने मुकदमा नं०-28 धारा 39/61, प्रकाश नारायण बनाम ग्राम सभा, ग्राम बरबर, परगना पसगवां के द्वारा परगनाधिकारी मोहम्मदी, जिला खीरी के आदेश से गाटा नं० 188 रकबा 1-82 को जूनियर हाई स्कूल बरबर के नाम से आदर्श जूनियर हाई स्कूल बरबर के नाम करा लिया तथा किराया भी अदा नही किया गया ।

किराये की वसूली हेतु आर० सी० जारी की गयी परन्तु अभी तक वसूली नहीं हो सकी है । सम्पत्ति के अवैध ट्रान्सफर को रद्द करने की कार्यवाही जिला परिषद् द्वारा की जा रही है ।

जनपद मऊ में जिलाधिकारी/सार्वजनिक निर्माण कार्यालय परिसर के बाहर हुए प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर शांति व्यवस्था हेतु लाठीचार्ज किया जाना

115-श्री फतेह बहादुर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दि० 25-1-92 को जनपद मऊ में जबरन कर्जे की वसूली के खिलाफ 24-1-92 को कांग्रेस की रैली जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष श्री द्वारिका नाथ गुप्ता ने निकाली

थी ? क्या इस रैली को मऊ के जिलाधिकारी ने अपने ड्राइवर से पिटवाया था ? इस घटना को देखकर दिनांक 7-2-92 को जनपद मऊ रेलवे स्टेशन के मैदान में सर्व दलीय संघर्ष समिति की तरफ से श्री सुभाष यादव और श्री के० के० पाण्डेय ने भी जिलाधिकारी के खिलाफ जन आन्दोलन किया था ? अभी तक जिलाधिकारी समेत अन्य दोषी अधिकारियों को क्यों नहीं हटाया गया ?

श्री कल्याण सिंह–

दिनांक 25-1-92 को मऊ में जिलाधिकारी/सार्वजनिक निर्माण कार्यालय परिसर के बाहर एक प्रदर्शन हुआ था और शान्ति व्यवस्था स्थापित करने हेतु मामूली लाठीचार्ज किया गया था । दिनांक 24-1-92 को कोई रैली नहीं निकाली गयी । उक्त तिथि को मा० मानव संसाधन मंत्री जी तथा मा० ऊर्जा राज्य मंत्री जी के आगमन पर बैरीकेटिंग की व्यवस्था का श्री द्वारिका नाथ गुप्ता ने उल्लंघन करने का प्रयास किया था । यह कथन सही नहीं है कि जिलाधिकारी, मऊ ने अपने ड्राइवर से किसी को पिटवाया । 7-2-92 को रेलवे स्टेशन के मैदान में आयोजित सभा 24-1-92 की घटना से संबंधित न होकर 25-1-92 की घटना से संबंधित थी । इस प्रकरण में किसी अधिकारी को दोषी नहीं पाया गया है ।

जनपद आगरा में अंजना सिनेमा के समीप स्थित रिक्त भूमि का आवंटन तथा कब्जा

116–श्री किशन गोपाल–

क्या आवास मंत्री को जानकारी है कि आगरा में अंजना सिनेमा के बराबर की जमीन को, उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण श्री भगत सिंह वर्मा ने किस्तों में किस दाम में आवंटित किया था ? क्या यह भी बतायेंगे कि उक्त जमीन का आवंटन किन कारणों से निरस्त करके पजेशन नहीं दिया गया है ? क्या उक्त जमीन की पूर्ण नाप कराकर 5000 रु० प्रति गज नकद मूल्य के हिसाब से आवंटन करके तुरन्त पजेशन देने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी बतायेंगे कि वर्तमान में उक्त जमीन पर किसका कब्जा है ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत भूमि रु० 3630 प्रति वर्ग मीटर की दर से आवंटित की गयी थी ।

प्रश्नगत भूमि के आवंटन के संबंध में शासन द्वारा जांच कराये जाने के कारण मामले में अग्रिम कार्यवाही स्थगित कर दी गयी है ।

जी नहीं, जांच की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त ही कोई निर्णय लिया जाना सम्भव होगा ।

वर्तमान में संदर्भित भूमि पर श्रीमती उर्मिला देवी का कब्जा है ।

जनपद गाजियाबाद, अण्डर ट्रेनिंग पुलिस लाइन के सब इन्सपेक्टर, श्री शिशु पाल सिंह यादव की टांग टूटने का प्रकरण

117-श्री अवध पाल सिंह–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री शिशुपाल सिंह यादव, सब इन्सपेक्टर, अण्डर ट्रेनिंग, पुलिस लाइन, गाजियाबाद की, माह नवम्बर, 1991 में गाजियाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलजा कान्त मिश्र ने मारपीट कर टांग तोड़ दी है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचना*के अनुसार श्री शिशुपाल सिंह यादव, सब इन्सपेक्टर की टांग तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शैलजा कान्त मिश्र द्वारा मारपीट कर नहीं तोड़ी गई है । फलस्वरूप उक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है ।

118–श्री सुरेन्द्र नाथ तथा श्री फतेह बहादुर सिंह–

[8वें गुरु में अता० प्र० सं० 177 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद नैनीताल के विकास खण्ड बेतालघाट में मिनी औद्योगिक आस्थान की स्थापना

119–श्री बंशीधर भगत–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जनपद के बेतालघाट विकास खण्ड में, कितनी लघु उद्योग इकाइयां पंजीकृत हैं ? इनमें से कितनी इकाइयां वर्तमान समय में चल रही हैं ? क्या इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान किये जाने हेतु किसी उद्योग का लगाया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कौन सा उद्योग ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद नैनीताल के बेतालघाट विकास खण्ड में 20 लघु उद्योग इकाइयां पंजीकृत हैं । वर्तमान समय में 15 इकाइयां चल रही हैं । बेतालघाट में कोई उद्योग लगाया जाना प्रस्तावित नहीं है क्योंकि शासन द्वारा स्वयं कोई उद्योग स्थापित नहीं किया जाता है अपितु उद्योग स्थापना में नये उद्यमियों को अवस्थापना सुविधा उपलब्ध करायी जाती है । इसी क्रम में शासन द्वारा बेतालघाट विकास खण्ड में एक मिनी औद्योगिक आस्थान की स्थापना की गयी है, जिसमें स्थानीय उद्यमियों को प्लाट आवंटित कर रोजगार के अवसर सुलभ कराये जायेंगे ।

जिला परिषद् के आयुर्वेदिक एवं यूनानी वैद्यों/हकीमों के वेतन पुनरीक्षित करने पर विचार

120–श्री मुहम्मद मुकीम–

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी वैद्यों का वेतनमान रुपया 2200–4000 तथा जिला परिषद् आयुर्वेदिक एवं यूनानी वैद्यों का वेतनमान 1400–2600 रुपया है ? यदि हां, तो क्या इस अन्तर को समाप्त करने हेतु सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

जी हां । जिला परिषद् के आयुर्वेदिक एवं यूनानी वैद्यों/हकीमों के वेतनमानों को पुनरीक्षित किये जाने के बारे में शासन द्वारा विचार किया जा रहा है ।

जनपद फैजाबाद के पूर्व जिलाधिकारी के कार्यकाल में हुई अनियमितताओं की शिकायत

121–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के पूर्व जिलाधिकारी द्वारा अपने कार्यकाल में की गयी गम्भीर राजस्व क्षति/नियुक्तियों में हेराफेरी आदि की लम्बित शिकायतों पर अब तक प्रभावी जांच व कार्यवाही न हो पाने के बारे में प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित कराया गया रजिस्टर्ड पत्र संख्या 287

दि० 18-9-91 संलग्नकों सहित मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित इस पत्र का और संलग्नकों का बिन्दुवार सम्पूर्ण विवरण क्या है ? उक्त मामले में अब तक क्या-क्या कार्यवाही करायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । मा० सदस्य का पत्र संख्या 287, दिनांक 18-9-91 संलग्नकों सहित प्राप्त हुआ था । शिकायत-पत्र में भूतपूर्व जिलाधिकारी, फैजाबाद के विरुद्ध अदूरदर्शिता के कारण 21-10-88 को पूरे फैजाबाद में कर्फ्यू घोषित करके 10 दिन तक सामान्य लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त करने, 23-10-88 को दूरदर्शन पर गलत प्रचार बीस सूत्रीय कार्यक्रम में आगे रहने की होड़ में फर्जी कार्यवाही कराने, शासन के आदेशों का उल्लंघन कर कई रिश्तेदारों को नियुक्त करने, बालू खनन के ठेकों, विभिन्न निर्माण कार्यों तथा आपूर्ति कार्यों में गम्भीर वित्तीय अनियमितता करने की शिकायतें की गयी थीं । इन शिकायतों की आयुक्त, फैजाबाद मण्डल से जांच कराई गई थी परन्तु कोई शिकायत प्रमाणित नहीं पायी गयी । अतः मामले को समाप्त कर दिया गया ।

जनपद हरदोई के अन्तर्गत थाना–अतरौली के ग्राम शिवपुरी निवासी श्री छेद्दू को जारी रायफल लाइसेन्स को निरस्त न किया जाना

122–श्री राम पाल वर्मा–

क्या गृह मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद हरदोई के अन्तर्गत अतरौली थाना के ग्राम शिवपुरी निवासी छेद्दू के पास रायफल लाइसेन्स संख्या–54 तथा शेरू के पास बन्दूक लायसेन्स संख्या–34 गलत पता देकर प्राप्त की गयी है जो थाना कोतवाली जनपद सीतापुर से लाइसेन्सी है ? क्या यह भी सही है कि उक्त दोनों व्यक्तियों का आपराधिक इतिहास है व इनके लाइसेन्स जिला प्रशासन हरदोई व सीतापुर से निरस्त कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो शस्त्र जब्त न किये जाने का क्या कारण है ? क्या क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु इनके शस्त्र शीघ्र जब्त कराने हेतु सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद हरदोई के मूल निवासी श्री छेद्दू पुत्र श्री देवशंकर जो कि अपना पैतृक निवास छोड़कर काफी दिनों से जनपद सीतापुर में डेरी का काम कर रहे हैं । इनको जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर से राइफल का लाइसेन्स संख्या-54 वर्ष 1980 में जारी किया गया है । लाइसेन्स संख्या-34 जनपद सीतापुर से श्री शेरू के नाम से जारी नहीं किया गया है ।

श्री छेद्दू को वर्ष 1961 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी जो वर्ष 1970 में पूरी हो गयी । तत्पश्चात् इनके विरुद्ध कोई शिकायत प्रकाश में नहीं आयी है । अतः इनका लाइसेन्स निरस्त नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

123–श्री राम पाल वर्मा–

[दिनांक 6-8-91 को अता० प्र० सं० 18 द्वारा उत्तरित]

जनपद आगरा के थाना कोतवाली हाथरस में सार्वजनिक भूमि की धोखाधड़ी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

124–श्री राम सरन सिंह–

क्या सरकार को ज्ञात है कि अपराध संख्या 324/89, थाना कोतवाली हाथरस, जनपद अलीगढ़ की विवेचना होने के बाद, आरोप- पत्र एस० आई० एस० द्वारा क्षेत्राधिकारी, हाथरस को भेजा गया ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि फिर 3 दिन में रि-चैकअप के बाद तत्कालीन एस० एस० पी० के आदेश पर क्षेत्राधिकारी, सिकन्द्राराऊ ने रि-चैकअप किया है ? यदि हां, तो इतनी लम्बी अवधि के बावजूद अभी तक, यह आरोप पत्र न्यायालय में क्यों नहीं भेजा गया है ? दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही अभी तक क्यों नहीं की गयी है ? क्या यह प्रकरण सार्वजनिक भूमि को धोखाधड़ी से दादा लाई घोषित कराकर तथा न्यायालय से फर्जी डिग्रियां लेकर जमीन बेचकर लाभ अर्जित करने से संबंधित है ? यदि हां, तो अभी तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां, दिनांक 10-5-1990 को एस० आई० एस० के विवेचक द्वारा आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था ।

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण की विवेचना अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है । इसलिये विवेचना पूर्ण होने पर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी ।

विवेचना प्रचलित होने के कारण अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

सार्वजनिक भूमि को धोखाधड़ी से दादालाई घोषित कराकर तथा न्यायालय से फर्जी डिग्रियां लेकर लाभ अर्जित किये जाने विषयक आरोप के सम्बन्ध में स्थिति विवेचना पूर्ण होने पर ही स्पष्ट हो सकेगी ।

जनपद देवरिया के विभिन्न थानों में पंजीकृत रपटों का विवरण

125–श्री हरिवंश सहाय व श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया के विभिन्न थानों में 1-6-91 से 31-1-92 तक कितनी रपटें लिखी गयी हैं ? कितने मामलों में चार्ज शीट लगी तथा कितने में फाइनल रिपोर्ट ? क्या यह भी बतायेंगे कि फाइनल रिपोर्ट लगाने का कारण क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

126–श्री श्याद अली–

[आठवें गुरु में अता० प्र० सं० 150 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

127–श्री बंशीधर राज–

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

जनपद वाराणसी के थाना बड़ागांव की पुलिस द्वारा फर्जी इन्काउन्टर की जांच

128–श्री ऊदल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपराध संख्या–235/83, धारा-147/148/201/218/302, भा० दं० वि०, थाना बड़ागांव, जिला–वाराणसी दिनांक 22-12-83 में अभियुक्त बड़ागांव के पूर्व एस० ओ० श्री जीवन लाल निवारी, एस० आई श्री ताहिर खां तथा अन्य सात पुलिस कर्मी फर्जी इन्काउन्टर दि० 1/12-7-1981 करने के अपराध में सरकार द्वारा अभियोग स्वीकार करने और अदालत वाराणसी में अभियोग दाखिल करने के बाद निलम्बित कर दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या आरोप पत्र सी० बी० सी० आई० डी० ने न्यायालय में दाखिल किया गया है ? क्या यह सही है कि गलत आख्या पर सभी अभियुक्तों को पुनः पदारूढ़ करके प्रोमोशन भी दे दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि ऐसा किया गया है तो क्या पुनः उन्हें निलम्बित करके दिया गया प्रोमोशन वापस लेगी ? क्या सरकार अपराध अनुसंधान शाखा, वाराणसी के खण्डाधिकारी, श्री अफजाल अहमद द्वारा तथ्यों को छिपा कर गोल-मोल रिपोर्ट एस० एस० पी०, गोरखपुर व डी० आई० जी०, गोरखपुर को देने की भी जांच करायेगी ? क्या सरकार के आदेश से फर्जी इन्काउन्टर करने की जांच में फर्जी इन्काउन्टर पाये जाने पर ही उनका निलम्बन किया गया था ? यदि हां, तो अभियुक्तों को बहाल कराने में कौन अधिकारी दोषी है ? क्या उनकी भी जांच करके कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के तत्कालीन उपाध्यक्ष श्री बाबूराम एवं मुख्य अभियन्ता श्री हरि नारायण दुबे के विरुद्ध अनियमितताओं की जांच आख्या

129–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के तीसरे मंगल के लिये निर्धारित अता० प्रश्न संख्या-11 व 12 के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उपाध्यक्ष व मुख्य अभियन्ता के विरुद्ध कौन-कौन से आरोप पूर्ण या आंशिक रूप से सही पाये गये ? उनके विरुद्ध कब और क्या कार्यवाही की की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जांच आख्या सम्प्रति विचाराधीन है । उस पर अन्तिम निर्णय हो जाने पर यथावश्यक कार्यवाही की जा सकेगी ।

जनपद लखनऊ स्थित रवीन्द्रालय में आयोजित "पद्मा नाइट शो" के सम्बन्ध में जानकारी

130–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि ता० 6-1-86 को रवीन्द्रालय में "पद्मा नाइट शो" का आयोजन किया गया था ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं०–738 मुख्य मंत्री के कार्यालय में ता० 15-1-86 को प्राप्त हुआ था । यदि हां, तो पत्र में मांगी गयी जानकारी सदन के पटल पर रखी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

131–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

[मा० सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

जनपद बांदा के सुतरखाना (अम्बेदकर नगर) के श्री दुर्गा केवट की पत्नी श्रीमती सइकी द्वारा अपनी मर्जी से मकान का विक्रय किया जाना

132–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक संख्या नं० 317684/89 (9)/91, दिनांक 24-9-91 एवं दिनांक 28-10-91 श्रीमती सइकी पत्नी श्री दुर्गा केवट, नि०/मु०सुतरखाना (अम्बेदकर नगर) बांदा एवं श्रीमती किसना, पत्नी श्री कल्लूराम, नि०/मु० सुतरखाना, बांदा को अराजक तत्वों के साथ मिलकर श्री कालीचरन पुत्र श्री श्रीपाल, नि०/मु०–सुतरखाना, बांदा द्वारा मारने पीटने के बारे में जिलाधिकारी, बांदा को प्राप्त हुए हैं ? क्या यह सही है कि श्रीमती सइकी की गुहार न सुनने के कारण उसे अपना घर बेचकर जान बचाकर वहां से जाना पड़ा है ? क्या इसी सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 18-12-91 द्वारा घटनाक्रम से उनको अवगत कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इन अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित है ?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नकर्ता का पत्रांक–317684/89(9)/91, दिनांक 24-9-91 जिलाधिकारी, बांदा को प्राप्त नहीं हुआ । उनका पत्र संख्या–446958 दि० 28-10-91 ही जिलाधिकारी, बांदा को प्राप्त हुआ । उक्त प्रार्थना-पत्र में अंकित आरोपों की जांच से ज्ञात हुआ कि सइकी देवी पत्नी श्री दुर्गा केवट के घर में घुसकर कालीचरन आदि द्वारा मारपीट नहीं की गयी ।

जहां तक मकान बेचने का प्रश्न है वह अपनी मर्जी से मकान बेचकर बांदा शहर से चली गयी है ।

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांकित 18-12-91 का प्राप्त होना नहीं पाया जाता है ।

जनपद झांसी के लघु सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा कथित रूप से की गयी अनियमितताओं की जांच जारी

133–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता (लघु सिंचाई) झांसी वृत्त द्वारा स्थानान्तरण एवं स्थाईकरण करने व विभिन्न अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्रांक–क नं० 200705 दिनांक 3-1-92 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

शिकायती -पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की जांच करायी जा रही है ।

जनपद फैजाबाद के अयोध्या में रामजन्म भूमि/बाबरी मस्जिद में हुई कार सेवा का विवरण

134–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में गत 30 अक्टूबर, 1990 को अयोध्या में हुई कार सेवा के दौरान विवादित राम जन्म भूमि/बाबरी मस्जिद इमारत को कारसेवकों द्वारा पहुंचाई गयी क्षति तथा इमारत के पीछे व सटी हुई दीवारों को तोड़ा जाना दिखाकर मरम्मत कराये जाने के लिये तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा ट्रेजरी रूल 27 के अन्तर्गत 10 (दस) लाख रु० निकाला गया था ? यदि हां, तो इस दस लाख रु० में से विवादित भवन या पास की दीवारों की मरम्मत या निर्माण कार्य या विवादित भवन के मरम्मत कार्य कराये जाने का विवरण क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

135–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

136–श्री नन्द किशोर मिश्रा–

[सातवें सोम० मे अता० प्र० सं० 127 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद एटा में प्रश्नगत अवधि में हत्या, डकैती व अपहरण की घटित घटनाओं का विवरण

137–श्री राजेन्द्र सिह (एटा)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा में वर्ष 1991-1992 में कितनी हत्यायें हुई ? कितनी डकैती एवं अपहरण हुए ? क्या बढ़ती हुई हत्याओं को रोकने हेतु सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जनपद एटा को आपराधिक जनपद घोषित करने की नीति है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अवधि में जनपद एटा में हुई हत्या, डकैती एवं अपहरण की घटनाओं का विवरण निम्न है :—

1–हत्यायें	...	335
2–डकैती	..	28
3–अपहरण	..	126

हत्या की घटनाओं को रोकने के सम्बन्ध में जिला प्रशासन को निर्देश दे दिये गये हैं ।

जी नहीं। इसकी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । अपराधों पर नियंत्रण हेतु प्रभावी कदम उठाये गये हैं ।

जनपद प्रतापगढ़ के थाना–अन्तू के ग्राम–बहोरीपुर के निवासी श्री सीताराम पुत्र श्री बजरंगी चमार का उत्पीड़न

138–श्री राम लखन–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बहोरीपुर, थाना–अन्तू, जनपद–प्रतापगढ़ के निवासी श्री सीताराम पुत्र श्री बजरंगी चमार (अनुसूचित जाति) के घर पर कुछ नामजद सवर्ण श्री लाल बहादुर उर्फ ललऊ श्रीवास्तव (दस नम्बरी) ने दिनांक 9-7-91 को अपने गिरोह के साथियों के साथ जातिगत रंजिश के कारण धावा बोलकर मारा-पीटा तथा घर में आग लगा दी, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध सं०–163/91 आई० पी० सी० की धारा–147, 148, 307, 436, 504, 506, 323 के अन्तर्गत थाना अन्तू में दर्ज करायी गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त धारा के अन्तर्गत अपराधियों को गिरफ्तार करके उन पर कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उन पर कोई अब कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

विवेचना से अभियुक्तगण लाल बहादुर श्रीवास्तव उर्फ ललऊ, अमर बहादुर, अनन्त कुमार व छोटे लाल के विरुद्ध धारा 323/504/भा० दं० वि० के अतिरिक्त 3/10 उ० प्र० हरिजन उत्पीड़न निवारण अधिनियम का अपराध प्रमाणित हुआ तथा सभी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया है । पुलिस द्वारा अभियुक्त लाल बहादुर श्रीवास्तव उर्फ ललऊ, अमर बहादुर व अनन्त कुमार गिरफ्तार किये गये तथा अभियुक्त छोटे लाल की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है ।

जनपद बलिया पुलिस आफिस से सम्बद्ध एस० आई० श्री आर० एस० सचान द्वारा श्री पतरू राम की हत्या की सी० आई० डी० द्वारा जांच

139–श्री मारकण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलिया पुलिस आफिस से सम्बद्ध एस० आई०, श्री आर० एस० सचान को बलिया जनपद के बैरिया थाने में उनके तैनाती के दौरान, श्री पतरू राम की हत्या करने के सम्बन्ध में दिनांक 5-4-90 को गिरफ्तार करके दिनांक 21-4-90 तक कारागार में रखा गया था ? यदि हां, तो सोलह दिनों तक कारागार में रहने तथा उक्त संगीन मुकदमें का अभियुक्त होने के बावजूद भी आज तक उन्हें निलम्बित न किये जाने का क्या कारण हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि इस संदर्भ में उनके विरुद्ध सी० आई० डी० जांच भी प्रचलित है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कार्य प्रभावित न हो, इसके लिये जिम्मेदार दोषी अधिकारी को निलम्बित करने का तत्काल विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

उप निरीक्षक श्री आर० एस० सचान को दिनांक 4-4-90 को निलम्बित किया गया तथा बाद में पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 27-8-90 को बहाल किया गया ।

जी हां ।

अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग की जांच पूर्ण होने के पश्चात् यथोचित कार्यवाही तुरन्त की जायेगी ।

उ० प्र० राज्य सीमेन्ट निगम, चुर्क, मिर्जापुर की क्षतिग्रस्त मारुति कार की मरम्मत

140–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 12 अक्टूबर, 1991 के पूर्व उ० प्र० राज्य सीमेन्ट निगम चुर्क, मिर्जापुर में कोई मारुति कार थी ? यदि हां, तो वह कहां और किस स्थिति में है ? उसे क्षति पहुंचाने हेतु कौन व्यक्ति दोषी है ? उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

यह कार निगम के कार्यहित में की गयी यात्रा के दौरान हुई दुर्घटना के फलस्वरूप क्षतिग्रस्त हो गयी थी । उसकी मरम्मत की जा रही है । चूंकि कार दुर्घटना के कारण क्षतिग्रस्त हुई थी, अतः उसके लिये कोई व्यक्ति दोषी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

141–श्री दीपलाल भारती–

[छठवें शुक्र में अता० प्र० सं० 196 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उ० प्र० राज्य खनिज विक्रय निगम में बिना मानक के नौकरी देने के सम्बन्ध में स० वि० प० श्री खान अब्दुल वदूद के शिकायती पत्र पर कार्यवाही

142–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि उ० प्र० राज्य खनिज विक्रय निगम में बिना किसी मानक के नौकरी देने के बारे में सदस्य, विधान परिषद्, खान अब्दुल वदूद खा का शिकायती पत्र सं०–1442/90 ता० 24-4-90 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में किन-किन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गई थी ? क्या उक्त जानकारी सदन के पटल पर रखी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद उन्नाव के ग्रा० रसीदपुर निवासी श्री अरुण कुमार दीक्षित की गिरफ्तारी की जांच

143–श्री अखिलेश–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त मंत्री, पंकज बाल युवा विकास समिति, राजाजीपुरम्, लखनऊ का गृह सचिव, उ० प्र० शासन को सम्बोधित दि० 22-1-92 का पत्र ग्राम-रसीदपुर, थाना पुरवा, जनपद उन्नाव के एक गरीब युवक श्री अरुण कुमार दीक्षित को बिना किसी कारण बताये उक्त थाने के पुलिस कर्मचारियों द्वारा जेल में बन्द किये जाने के प्रकरण पर प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या उक्त प्रकरण में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी, पुरवा, उन्नाव द्वारा की जा रही है ।

जांच प्रचलित है ।

जनपद सुल्तानपुर की कोतवाली देहात की बाउन्ड्री वाल बनाने की मांग

144–श्री फतेह बहादुर सिंह–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत कितने थाने, कोतवाली हैं ? उनमें से कितनों पर आधुनिक किस्म के वायरलेस सेट, दूरभाष हैं ? क्या जिन थानों पर दूरभाष नहीं हैं, उनमें दूरभाष लगाये जायेंगे ? यदि हां, तो कितनी अवधि तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या थाना कोतवाली देहात जो राष्ट्रीय मार्ग-56 पर स्थित है, की सुरक्षा के दृष्टिकोण से अब तक उसकी बाउन्ड्री वाल बनायी गयी ? यदि नहीं, तो कब तक उक्त बाउन्ड्री वाल वहां बनेगी और उस पर कितना धन व्यय होगा ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद सुल्तानपुर में कुल 24 थाने हैं, जिनमें 4 कोतवाली भी सम्मिलित हैं ।

सभी थानों पर वायरलेस सेट लगे हैं । 11 थानों पर दूरभाष सेवा नहीं है ? दूरभाष सेवा संबंधी प्रस्ताव शासन में लम्बित नहीं है ।

इस संबंध में शासन को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

जनपद मऊ के तत्कालीन थानाध्यक्ष कोपागंज के विरुद्ध लगाये गये आरोपों का असत्य पाया जाना

145–श्री अखिलेश–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूर्व मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) का पत्र दिनांक 4-2-92 जिसमें थानाध्यक्ष, कोपागंज, जनपद मऊ के विरुद्ध मुकदमा कायम करने के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का उल्लेख है, पुलिस महानिदेशक, उ० प्र० को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो थानाध्यक्ष के विरुद्ध क्या आरोप हैं और इस संबंध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

शिकायती-पत्र में तत्कालीन थानाध्यक्ष, कोपागंज, जनपद मऊ के विरुद्ध श्री कैलाश राय को थाने ले जाकर बुरी तरह मारपीट कर हाथ पैर तोड़ने एवं फर्जी तौर पर 151 ज० फौ० में चालान किये जाने के आरोप लगाये गये थे ।

इस संबंध में क्षेत्राधिकारी (मुहम्मदाबाद) एवं परगना मजिस्ट्रेट (सदर) द्वारा जांच करायी गयी । जांच से शिकायती-पत्र में लगाये गये आरोप असत्य पाये गये ।

146–श्री रवीन्द्र प्रताप–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद कानपुर नगर में नियुक्त कान्सटेबिल स्व० श्री गजेन्द्र सिंह के आश्रित को असाधारण पेंशन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

147–श्री हरेन्द्र सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर में नियुक्त रहे कान्सिटेबिल 1653 सी० पी० गजेन्द्र सिह की हत्या बदमाशों द्वारा दिनांक 26-11-91 को कर दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या उसके परिवार को भरण-पोसाण हेतु असाधारण पेंशन स्वीकृत हो गयी है ? यदि हां, तो कब और नहीं हुई, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर से प्राप्त सूचनानुसार स्व० कान्स० गजेन्द्र सिंह के संबंध में पत्र दिनांक 24-3-92 द्वारा असाधारण पेंशन का प्रकरण तैयार कर उ० प्र० पुलिस मुख्यालय को भेजा गया है, जो अभी शासन स्तर पर नहीं हुआ है शासन स्तर पर प्रकरण प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद फैजाबाद नदी के किनारे बालू खनन की नीलामी से प्राप्त आय का एवं नीलामी न कराये जाने से हुई क्षति का विवरण

148–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में नदी किनारे बालू खनन कार्य हेतु नीलामी कराये जाने से 17 लाख रु० की राजस्व आय इस वर्ष हुई है जबकि इससे पूर्व बगैर नीलामी के पट्टा आदि दे दिये जाने से मात्र ढाई-तीन लाख रु० की ही राजस्व आय होती थी ? यदि हां, तो इस वर्ष से पूर्व नीलामी न कराये जाने से कितने रुपये प्रति वर्ष की राजस्व क्षति का आंकलन सरकार ने किया है ? इस राजस्व क्षति के लिए किन-किन अधिकारियों को जिम्मेदार मानकर क्या-क्या कार्यवाही सरकार करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

वर्ष 1991-92 में रु० 17,47,050 की आय हुई है ।

जी हां ।

प्रदेश शासन द्वारा सितम्बर, 1990 से उप खनिजों को मात्र नीलामी/निविदा द्वारा परिहार पर देने का निर्णय लिया गया है, अतएव इसके पूर्ववर्ती वर्षो में नीलामी न कराये जाने से होने वाली क्षति का आंकलन करने का तथा उसके लिए किसी की जिम्मेदारी निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा में घटित घटनाओं के सम्बन्ध में उप सम्पादक श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल के शिकायती पत्र पर निरोधात्मक कार्यवाही

149–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल उप सम्पादक, समाचार पत्र, मध्यकेन, बांदा ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बांदा को दिनांक 18-10-91 व 3-11-91 को लगातार घटित अपराधिक घटनाओं का उल्लेख करते हुए अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही के साथ सुरक्षा की मांग को लेकर शिकायती पत्र दिया है ? यदि हां, तो उल्लिखित घटनाओं में अब तक

क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो, क्यों ?क्या यह भी बतायेंगे कि उक्त शिकायतों के बाद दिनांक11-12-91 को थाना क्षेत्रान्तर्गत कोतवाली देहात, बांदा के अन्तर्गत पुनः उक्त पत्रकार के ऊपर अपराधिक हमला हुआ है ? यदि हां, तो पत्रकार की सुरक्षा एवं अपराधियों के विरुद्ध कोई प्रभावी कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो पत्रकार की सुरक्षा एवं अपराधियों के विरुद्ध कोई प्रभावी कार्यवाही की जायेगी । यदि हां, तो क्या और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अपराधी व्यक्ति लाइसेन्सी है यदि हां, तो क्या निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

शिकायतकर्ता श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, उप सम्पादक, समाचार-पत्र मध्यकेन बांदा का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बांदा को सम्बोधित दिनांक 18-10-91 को किसी शिकायती पत्र का प्राप्त होना नहीं पाया जाता है । केवल दिनांक 3-11-91 का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें दिनांक 23-8-91 एवं दिनांक 16-10-91 की घटनाओं का उल्लेख किया गया है ।

उपरोक्त दोनों घटनाओं के सम्बन्ध में संबंधित पक्षों के विरुद्ध समय-समय पर नियमानुसार निरोधात्मक कार्यवाही की गई ।

उक्त शिकायतकर्ता श्री शुक्ल के प्रार्थना-पत्र दि० 10-12-91 के आधार पर थाना कोतवाली देहात में मु०अ०सं० 248/91 धारा 147/353/430/506 भा०दं०वि० का अभियोग पंजीकृत कराया गया विवेचनोपरान्त घटना असत्य पाये जाने पर उक्त अभियोग में अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गई, जो विचाराधीन न्यायालय है । उक्त घटना में सम्मिलित व्यक्ति सर्वश्री भगत सिंह उर्फ सूरजबली, गुरुशरण सिंह व शत्रुघन सिंह, क्रमशः एस० बी० बी०एल० गन, रायफल व रायफल के लाइसैन्सी हैं परन्तु प्रश्नगत घटना में इनके द्वारा घटना के समय अपने लाईसेन्सी शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया गया था । इसके कारण इनके शस्त्र निरस्तीकरण की कार्यवाही नहीं की गई ।

जनपद बांदा के अन्तर्गत उ० प्र० खनिज निगम द्वारा ग्राम लोढ़वारा में ग्रेनाइट गिट्टी तोड़ाई से प्राप्त आय तथा अनधिकृत रूप से गिट्टी ले जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

150–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा अन्तर्गत उत्तर प्रदेश खनिज निगम द्वारा ग्राम लोढवारा में ग्रेनाइट गिट्टी तोड़ाई हेतु पहाड़ का पट्टा लेकर लाखों रूपया व्यय करके गिट्टी तोड़ाई गयी है जिसको कुछ लोग खुले आम उठाकर ले जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या निगम की सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु नुकसान को रोकने हेतु एवं दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 22-1-92 मुख्य मंत्री, उ० प्र०, अध्यक्ष, उ० प्र० खनिज निगम तथा सचिव, सतर्कता विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी बतायेंगे कि गिट्टी तोड़ाई में खनिज निगम का कितना धन व्यय हुआ है ? क्या गिट्टी की नीलामी गत वर्ष में हुई थी ? यदि हां, तो कितनी आमदनी आयी थी ? क्या नीलामी स्थगित की गयी, तभी गिट्टी चोरी गयी है ? यदि हां, तो कितनी धनराशि की ? क्या इसके रख-रखाव में अव्यवस्था के लिये कोई दोषी है ? यदि हां, तो क्या उनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अनधिकृत रूप से खुले आम निगम की गिट्टी ले जाने हेतु दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

151–श्री बंशीधर राज तथा श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

[दिनांक 24-3-92 को अता० प्र० सं० 58 द्वारा उत्तरित]

जनपद लखनऊ के रेशम उद्योग निदेशालय के श्री श्रीराम कुशवाहा स्टोर कीपर की बहाली तथा वेतन आदि के भुगतान की मांग

152–श्री श्रीराम (जालौन)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री श्रीराम कुशवाहा, स्टोर कीपर, रेशम उद्योग (निदेशालय लखनऊ) को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 19-4-89 को 22 वर्षों के बाद अपने पद पर सम्मान पूर्वक वेतन एवं अन्य देय सहित बहाल किया गया है ? यदि हां, तो क्या माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार श्री कुशवाहा का समस्त बकाया वेतन आदि का भुगतान करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार श्री कुशवाहा का समस्त वेतन आदि अविलम्ब भुगतान करने के आदेश देगी ?

श्री मयंकर सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

नियमानुसार मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार कार्यवाही हेतु शासन द्वारा निदेशक, रेशम, उ० प्र० को निर्देश दे दिये गये हैं ।

जनपद लखनऊ के शारदा सहायक समादेश परियोजना में वरिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत [illegible] श्री प्रेम चन्द्र गुप्त की आश्रिता श्रीमती जानकी गुप्ता को अवशेष धनराशि के भुगतान की मांग

153–श्री विश्राम दास–

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक समादेय परियोजना, मुख्यालय लखनऊ में वरिष्ठ लिपिक पद पर कार्यरत श्री प्रेमचन्द्र गुप्त जिनका स्वर्गवास हो गया था उनके भविष्य निधि खाते की माह 2/75, 3/75, 12/79 व 4/80 से 4/81 तक विलुप्त धनराशि को महालेखाकार, उ० प्र० के पत्र संख्या विधि-2/120, दिनांक 6-9-84 द्वारा पुष्टि किये जाने हेतु आयुक्त एवं प्रशासन, शारदा सहायक समादेश परियोजना, जवाहर भवन, लखनऊ को प्रेषित किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त की पुष्टि करके महालेखाकार को सूचित किया गया ? यदि हां, तो कब ? उक्त धनराशि अब तक मृतक आश्रिता श्रीमती जानकी गुप्ता को भुगतान न होने के लिये कौन दोषी है ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? अवशेष धनराशि कब तक दिला दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

जी हां ।

शारदा सहायक समादेश के कार्यालय के पत्र संख्या-2361/कार्मिक-एक-2-16/82-83 दिनांक 17-6-85 द्वारा 2/79 एवं 4/80 से 3/81 तक की कटौतियों का विवरण सत्यापित कराकर उ० प्र० इलाहाबाद

को भेजा गया है । माह 2/75 से 3/75 की कटौती स्व० श्री गुप्ता के वेतन से नहीं की गयी थी अतः इन माहों की कटौती के सत्यापन का प्रश्न ही नहीं उठता है अवशेष धनराशि दिलाये जाने के सम्बन्ध में महालेखाकार उ० प्र० इलाहाबाद के स्तर से वांछित धनराशि का प्राधिकृत पत्र जारी करने के पश्चात् भुगतान किया जाना सम्भव होगा । इस संबंध में महालेखाकार को कई बार स्मरण कराया जा चुका है ।

154—श्री ओम प्रकाश—(गाजीपुर)—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

भारत स्थित रुस के राजदूत श्री अनाते एम० दुकोब की मा० मुख्य मंत्री से भेंट

155—श्री हृदय नारायण दीक्षित—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि भारत स्थित रुस के राजदूत श्री अनाते एम० दुकोब से मा० मुख्य मंत्री जी की माह फरवरी, 92 के दूसरे सप्ताह में हुई वार्ता के मुख्य विन्दु क्या थे ? वार्ता के निष्कर्ष क्या है ?

श्री कल्याण सिंह—

भेंट शिष्टाचारवश हुई थी ।

जनपद हरदोई के थाना-अतरौली की पुलिस द्वारा मुठभेड़ में एक व्यक्ति की मृत्यु तथा अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अग्रेतर कार्यवाही

156—श्री राम पाल वर्मा—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के थाना अतरौली की पुलिस द्वारा दिनांक 31-1-91 को ग्राम बिजौली में एक फर्जी मुठभेड़ व हत्या की वारदात की गयी है ? यदि हां, तो क्या प्रश्नकर्ता द्वारा इस सम्बन्ध में अनेकों प्रार्थना पत्र ग्रामवासियों के व मृतक के भाई द्वारा उच्च अधिकारियों को दिये गये हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही है कि उक्त काण्ड की जांच सी० आई०डी० को सौंपी गयी थी ? यदि हां, तो क्या फिर से सी० आई० डी० से वापस लेकर, जांच सिविल पुलिस को दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

जी नहीं । प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 31-1-91 को थाना अतरौली पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम बिजौली में कन्हैयालाल दुबे के दरवाजे पर हो रही नौटंकी को महादेव डकैत नाजायज असलहों एवं उसके 10-12 साथियों के साथ देख रहा है । इस पर थानाध्यक्ष अतरौली मयफोर्स के पहुंचे और डकैतों को आत्मसमर्पण के लिए ललकारा । बदमाशों ने फायर करना करना शूरू कर दिया जिसपर पुलिस ने भी आत्म सुरक्षार्थ फायर किये । कुछ बदमाश भाग गये कुछ को गिरफ्तार किया गया और मौके पर एक बदमाश श्री कृष्ण मारा गया । इस हादसे की मेजिस्ट्रीयल जांच स्पेशल कार्यपालक मजिस्ट्रेट हरदोई द्वारा की गयी जिसमें पुलिस मुठभेंड़ की घटना को सही पाया गया । इस संबंध में मु०अ०सं० 12 से 18/91 धारा 147/148/149/307 भा०दं०वि० एवं 25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत हुआ दो अभियुक्तों को बाद में गिरफ्तार किया गया । सभी गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किये गये ।

जी हां ।

प्रार्थना-पत्रों में लगाये गये आरोपों की जांच से पुष्टि नहीं हुई ।

जी हां ।

जी हां ।

क्योकि उक्त गैंग का आतंक क्षेत्र व उसके आसपास फैला हुआ था जिसे सफाया करने के लिए जिला प्रशासन सक्रिय था । उक्त मुठभेड़ के पश्चात् क्षेत्रीय जनता में जिला प्रशासन के प्रति विश्वास पैदा हुआ, जो कि एक सराहनीय कार्य है ।

जनपद बरेली में राजेन्द्र नगर इज्जत नगर निवासी श्री टी० डी० लोहानी द्वारा परिषद् की भूमि पर अनधिकृत निर्माण एवं पूरे प्रकरण की जांच

157–श्री ऊदल–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थान उदय पुरावास, तहसील एवं जिला बरेली के खसरा नं० 138 में आवास संख्या 1977 में श्री टी० डी० लोहानी, नि० राजेन्द्र नगर इज्जत नगर, जिला बरेली ने मकान बनाया है ? यदि हां, तो क्या इसके आवास विकास परिषद् उ० प्र० बरेली ने सन् 90 में एक्वायर करना अभिलेखों मे दिखाया है ? क्या यह सही है कि खसरा नं० 138 में और बहुत से आवास बने थे, जिनको भूमि अर्जन की कार्यवाही से मुक्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो इनके मकान को भूमि अर्जन से अब तक मुक्त न किये जाने का औचित्य क्या है ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां ।

खसरा नं०–138 दिनांक 19-3-80 को अभिलेखानुसार ही अर्जित होना दर्शाया गया है ।

यह सही है कि खसरा नं०–138 में और भी आवास बने हैं जिनको अर्जन से मुक्त नहीं किया गया है । इस खसरा नं० में 11,000 घ० मी० में ऐसे भवन जो परिषद् अधिनियम की धारा 28 से पूर्व बने थे केवल उनको ही योजना में समायोजित किया गया । श्री लोहानी का भवन परिषद् की भूमि पर अनधिकृत निर्माण है ।

158–श्री ऊदल–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आवास विकास परिषद् ने श्री श्याम सुन्दर सूरी की अध्यक्षता में गठित नियोजन समिति में दिनांक 19-4-84 को श्री टी० डी० लोहानी. को अधिशासी अभियन्ता आवास वि० प० पत्र संख्या 32/वी-6/32 आपत्ति संख्या 63 की सुनवाई हेतु बुलाया था ? यदि हां, तो अब तक विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी ने इनके मकान को भूमि अर्जन से क्यों मुक्त नहीं किया है ? क्या सरकार पूरे प्रकरण की जांच कराकर इनके मकान को अर्जन से मुक्त करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

श्री लोहानी द्वारा अवैध निर्माण कराया गया है इसके सम्बन्ध में सिटी मजिस्ट्रेट, बरेली के न्यायालय में उनके विरूद्ध वाद दायर किया गया था जिसका निर्णय वर्ष 86 में परिषद् के पक्ष में हुआ तदुपरान्त

श्री टी० डी० लोहानी द्वारा वर्ष 86 में ही मा० जिला जज, बरेली के न्यायालय में अपील संख्या 41/86 दायर की गयी जो न्यायालय में विचाराधीन है

159–श्री वंशीधर राज–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद मिर्जापुर के थाना लालगंज के ग्राम पतुलकी के वनरक्षक श्री द्वारिका प्रसाद द्वारा पत्रकार श्री शशि भूषण सिंह का उत्पीड़न

160–श्री सुरेन्द्र नाथ–

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि जनपद मिर्जापुर के थाना लालगंज के पतुलकी गांव में विगत 23 जनवरी, 92 को वनरक्षक श्री द्वारिका प्रसाद ने युवा पत्रकार श्री शशि भूषण सिंह सहित दो अन्य के खिलाफ प्रथम दृष्टया रिपोर्ट दर्ज कराकर सरकारी कामकाज में बाधा डालने का आरोप लगाया है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि बदले की भावना से ग्रसित वनरक्षक ने श्री सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है ? क्या उसके खिलाफ समाचार पत्रों में कई बार उक्त पत्रकार ने खबरें छापी हैं ? क्या सरकार उक्त पत्रकार श्री सिंह के उत्पीड़न की जांच गैर जिले के पुलिस अधीक्षक अथवा सी०आई०डी० से करायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां ।

जी नहीं, श्री द्वारिका प्रसाद वनरक्षक की लिखित सूचना पर थाना लालगंज, मिर्जापुर पर मु०अ० सं० 18/92 धारा 353/332/323/504/506 भा० द० वि० एवं 3(10) अनु० जाति/अनु० जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम–1989 शशि भूषण सिंह व दो अन्य के विरूद्ध पंजीकृत कर विवेचना की गयी । तीनों अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया तथा दिनांक 5-2-92 को जमानत पर रिहा हो चुके हैं । उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप सिद्ध होने पर दिनांक 9-2-92 को आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया ।

ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं है । अतः सम्प्रति शेष प्रश्न नहीं उठते हैं ।

प्रदेश के उद्योग रहित जनपदों में उद्योग लगाने की मांग

161–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में उद्योग रहित कौन-कौन से जिले हैं ? क्या उद्योग रहित जिलो में उद्योग लगाने हेतु प्रभावी प्रक्रिया अपनायी जायेगी ? यदि हां, तो किस प्रकार से और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

भारत सरकार द्वारा 1983 में किये गये वर्गीकरण के अनुसार प्रदेश में 11 उद्योग शून्य जनपद बांदा, जौनपुर, जालौन, फतेहपुर, कानपुर देहात, हमीरपुर, सुल्तानपुर, चमौली, पौड़ी-गढ़वाल, उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल हैं इन जनपदों में उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिये विभिन्न प्रकार की सहायता व सुविधायें जैसे पूंजी उपादान, बिक्रीकर में छूट/आस्थगन; पर्वतीय क्षेत्र में केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा परिवहन, उपादान सस्ती दर पर भूमि व अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध हैं ।

उ० प्र० सचिवालय के चीनी उद्योग विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण की मांग

162–श्री कमल नयन वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० सचिवालय में कितने कर्मचारी/अधिकारी विगत 5 वर्षों से अधिक समय से एक ही विभाग में नियुक्त हैं ? क्या चीनी उद्योग विभाग में सचिवालय सेवा के ऐसे कर्मचारी/अधिकारी विगत अनेक वर्षों से लगातार नियुक्त हैं जो प्रोन्नति के बाद भी चीनी उद्योग में ही कार्यरत हैं ? इसका क्या कारण है ? इन अधिकारियों/कर्मचारियों को स्थानान्तरण नीति के अनुसार कब तक अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उत्तरांचल के नगरों/कस्बों में शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में जानकारी

163–श्री लाखी राम जोशी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में उत्तरांचल के किन-किन नगरों/कस्बों में सुलभ शौचालयों के निर्माण की योजना है ? सुलभ शौचालयों हेतु कौन सी निर्माण एजेन्सियों को, किन शर्तों पर, कितनी धनराशि भुगतान की गयी है ? शासन की शर्तों के आधार पर कार्य न करने वाली एजेन्सी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ? सुलभ शौचालयों के वहां निर्माण हेतु शासन ने भविष्य हेतु क्या नीति तय की है ?

श्री पूरन चन्द्र शर्मा–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के देव प्रयाग में सुलभ शौचालयों के निर्माण कार्य को पूरा कराने की मांग

164–श्री लाखी राम जोशी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देव प्रयाग, टिहरी गढ़वाल में सुलभ शौचालय कब से निर्माणाधीन हैं ? उसका निर्माण किन कारणों से पूरा नहीं हो सका है ? निर्माण किस कम्पनी से, किन शर्तों पर कराया जा रहा है ? उसे कितनी धनराशि अग्रिम दी गयी है ? निर्माण एजेन्सी द्वारा शर्तें पूरी न करने की स्थिति में, शासन द्वारा दिये गये अग्रिम धनराशि के सम्बन्ध में क्या कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सुलभ शौचालय का निर्माण कब तक पूरा करा लिया जायेगा ? क्या इस वर्ष यात्रियों को देव प्रयाग में सुलभ शौचालय की सुविधा प्राप्त हो सकेगी ?

श्री पूरन चन्द्र शर्मा–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लखनऊ दूरदर्शन के सुरक्षा कर्मी द्वारा विशेष सचिव के साथ घटित घटना के सम्बन्ध में स० वि० प० के पत्र का प्राप्त न होना

165–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जनवरी, 1988 में लखनऊ दूरदर्शन के सुरक्षा कर्मी ने एक आई० ए० एस० विशेष सचिव की पिटायी कर दी थी ? क्या इस सम्बन्ध में सदस्य विधान परिषद् ने पत्र सं० 38 भेजा था जो उनके कार्यालय में ता० 10-2-88 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो मुख्य मंत्री द्वारा

उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचनानुसार जनवरी, 1988 में प्रश्नगत घटना-घटित होना नहीं पाया गया ।

मामले से सम्बन्धित मा० सदस्य विधान परिषद् का पत्र प्राप्त होना नहीं पाया गया । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

सेवा निवृत्त संयुक्त सचिव, सचिवालय सेवा के श्री ब्रह्म स्वरूप पाण्डेय के विरुद्ध भ्रष्टाचार के संबंध में प्रेषित शिकायती-पत्र की जांच

166–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के तीसरे मंगल के लिये निर्धारित अता० प्रश्न संख्या 15 के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं० 410 उनके कार्यालय में ता० 26-4-88 को मिला है ? यदि हां, तो पत्र में किन-किन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी थी ? क्या उक्त जानकारी सदन के पटल पर रखी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

माननीय सदस्य का पत्र संख्या–401/88, दिनांक 26-4-1988 को प्राप्त हुआ है । उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी है, वे निम्नवत हैं––

(क) कि सतर्कता अधिष्ठान की जांच रपट पर, क्या परीक्षण कर लिया गया है ? यदि हां, जांच रपट के आधार पर श्री पाण्डेय के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं की गयी, तब क्यों नहीं की गयी ।

(ख) कि जांच रपट में सतर्कता अधिष्ठान ने किन-किन आरोपों को पूर्ण रूप से और किन-किन आरोपों को आंशिक रूप से सही माना ।

(ग) कि क्या यह सही है कि सतर्कता अधिष्ठान ने भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम के अन्तर्गत अदालत में मुकदमा चलाने की संस्तुति की थी ? यदि हां, तब इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ।

(घ) कि श्री पाण्डेय की पेंशन व ग्रेच्युटी किस-किस तारीख को स्वीकृत हुई ।

उपर्युक्त बिन्दु (क) एवं (घ) के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि श्री ब्रह्म स्वरूप पाण्डेय के विरुद्ध लगाये गये आरोपों उन पर प्राप्त सतर्कता विभाग की जांच आख्या एवं श्री पाण्डेय के स्पष्टीकरण पर सम्यक् रूप से विचार करने के उपरान्त श्री पाण्डेय की पेंशन से रु० 150 (रुपये एक सौ पचास) मात्र प्रतिमास की कटौती किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है, तथा एतदर्थ आदेश कार्यालय ज्ञाप संख्या–5-78/बीस-ई-1-90-74पी(5)/70, टी० सी० दिनांक 27 जुलाई, 1990 द्वारा निर्गत किया जा चुका है । ग्रेच्युटी में कोई कटौती नहीं की गयी ।

उपर्युक्त बिन्दु (ख) के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि श्री पाण्डेय के विरुद्ध निम्न आरोप सिद्ध हुए थे :––

(1) वर्ष 1982-83 में 80 टाइपराइटर्स की खरीददारी में रुपये 3,09,750.00 (तीन लाख नौ हजार सात सौ पचास) की धनराशि व्यय करते समय अपेक्षित विवेक तथा समुचित सावधानी नहीं बरती गयी और आवश्यकता न होते हुए भी राजकीय धन का अपव्यय किया गया।

(2) श्री पाण्डेय द्वारा अपने पुत्र श्री सुधीर पाण्डेय के नाम थाना इटौंजा, लखनऊ में क्रय किये गये एक कृषि फार्म, जिसका मूल्य 39,541.00 (रुपये उन्तालिस हजार पांच सौ इक्तालिस) मात्र था के संबंध में न तो शासन की पूर्व स्वीकृति की गयी और न ही इसकी सूचना दी गयी।

(3) श्री ब्रह्मस्वरूप पाण्डेय ने अपने पुत्र श्री सुधीर पाण्डेय के नाम मोहल्ला, डालीबाग में क्रय किये गये भूखण्ड और उस पर भवन निर्माण में कुल रुपये 84,790.00 (रुपये चौरासी हजार सात सौ नब्बे) मात्र लगाकर बेनामी संव्यवहार किया और इस संव्यवहार की शासन से पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी और न ही इस संव्यवहार की सूचना ही शासन को दी गयी।

(4) श्री ब्रह्मस्वरूप पाण्डेय ने अपनी पत्नी श्रीमती चन्द्रकली पाण्डेय के नाम मोहल्ला विजय नगर हाउसिंग सोसाइटी से एक भूखण्ड वर्ष 1970 में रुपये 7,200.00 (रुपये सात हजार दो सौ) मात्र में क्रय किया था। इस भूखण्ड के क्रय की अनुमति श्री पाण्डेय द्वारा सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी थी। परन्तु उक्त भूखण्ड का विक्रय जो दिनांक 22-11-83 को किया गया, के सम्बन्ध में श्री पाण्डेय द्वारा न तो शासन की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की गयी और न ही इसकी सूचना शासन को दी गयी।

उपर्युक्त बिन्दु (ग) के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि ऐसी कोई संस्तुति सतर्कता अधिष्ठान द्वारा नहीं की गयी थी।

उ० प्र० राज्य कताई मिल निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में भू० पू० सांसद श्री राम प्यारे सुमन द्वारा प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही

167–श्री बंशीधर राज–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व सांसद श्री राम प्यारे सुमन का कोई पत्र दिनांक 27-7-89 का जोकि उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल निगम और उससे संबंधित इकाइयों में व्याप्त भ्रष्टाचार से सम्बन्धित तमाम प्रमाण-पत्रों को लगाकर दिया गया था उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र व संलग्न प्रमाण पत्रों को सदन के पटल पर रखते हुए क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त शिकायत पर किसने कब जांच की ? उक्त जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

पूर्व सांसद श्री राम प्यारे सुमन का पत्र दिनांक 27-7-89 प्राप्त हुआ था जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम तथा उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल के कतिपय अधिकारियों के विरुद्ध आरोप लगाये गये थे। इन अधिकारियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में छानबीन की गयी थी।

श्री आर० सी० गुप्ता, तत्कालीन संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी के विरुद्ध जांचोपरान्त कम्पनी एक्ट की धारा-229 के अन्तर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद के समक्ष अभियोजन की कार्यवाही की गयी है।

श्री वी० के० जैन, तत्कालीन संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम द्वारा टेक्सटाइल टेक्नालोजी में फर्जी डिप्लोमा प्राप्त करने के आरोप के संबंध में प्रधानाचार्य जी० सी० टी० आई० कानपुर से तथ्यों की जांच करायी गयी थी जिसमें उनके पत्र दिनांक 29-9-89 द्वारा यह सत्यापित किया गया है कि श्री जैन ने वर्ष 1952 में टेक्सटाइल टेक्नालोजी में डिप्लोमा प्राप्त किया था ।

श्री श्रीराम अग्रवाल, तत्कालीन मुख्य अधिशासी, रायबरेली के विरुद्ध अनियमितताओं के संबंध में जांच कराई गई थी जांचोपरान्त इन अनियमितताओं को ठीक कर लिया गया है । कम्पनी को कोई हानि नहीं हुई है ।

श्री एस० के० सिंह, तत्कालीन मुख्य अधिशासी, अकबरपुर के विरुद्ध लगाये गये आरोप के सम्बन्ध में अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 18-4-87 में श्री सिंह के विरुद्ध भर्त्सना प्रविष्ट किये जाने की संस्तुति की गयी थी जिसके संदर्भ में श्री सिंह को सचेत किया जा चुका है ।

जनपद अल्मोड़ा के रानीखेत नगर में खेल स्टेडियम बनाने की मांग

168–श्री बची सिंह रावत–

क्या शासन को जानकारी है कि जनपद अल्मोड़ा के रानीखेत नगर में करीब 15000 की जनसंख्या है परन्तु यहां पर युवा खेल प्रतिभा के विकास हेतु कोई भी खेल मैदान नहीं है ? क्या यह सत्य है कि पूर्व मुख्य मंत्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने यहां पर खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो क्या सरकार इस नगर के युवा प्रतिभाओं के कल्याण हेतु कोई खेल स्टेडियम वहां बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पूरन चन्द्र शर्मा–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

169–श्री श्रीराम (जालौन)–

[सातवें गुरु में अता० प्र० सं० 129 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद कानपुर हथकरघा कार्यालय में श्री अली मन्जूर की नियुक्ति का प्रकरण

170–श्री शिव कुमार बेरिया–

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हथकरघा निदेशालय के क्षेत्रीय सह निदेशक, उद्योग, हथकरघा कार्यालय, फैजाबाद में तैनात श्री एस० एस० एच० रिजवी परियोजना अधिकारी वेतनमान 2000–3200 में कार्यरत हैं ? क्या वे तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के नियुक्त अधिकारी हैं ? यदि हां, तो इनके द्वारा श्री तारिक अली खां पुत्र श्री नौशाद अली खां कार्यालय अधीक्षक, अधिष्ठान, मुख्यालय कानपुर की नियुक्ति तथा श्री अली मन्जूर की नियुक्ति वैधानिक है ? यदि नहीं, तो इनकी सेवायें समाप्त करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद लखनऊ के आवास विकास परिषद् में पंजीकृत व्यक्तियों को भूखण्डों का आवंटन/कब्जा दिये जाने का विवरण

171–श्री अंगद सिंह यादव–

क्या आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1979-80 में आवास विकास परिषद्, लखनऊ द्वारा भूमि आवंटन हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी थी ? यदि हां,तो इसके अन्तर्गत कितने अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त हुए, कितनों को आवंटन किया गया, कितने अवशेष हैं ? इनको कब तक भूमि आवंटित कर कब्जा दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

वर्ष 1979 में परिषद् की लखनऊ योजना में भूमि आवंटन हेतु पंजीकरण के लिये प्रकाशित विज्ञप्ति के अन्तर्गत 2319 व्यक्तियों द्वारा पंजीकरण/आवंटन हेतु आवेदन किया गया ।

1027 व्यक्तियों को परिषद् की लखनऊ योजनाओं में भूमि आवंटित कर दी गयी है । 736 व्यक्तियों ने अपना रिफण्ड करा लिया है । वर्तमान में 556 व्यक्तियों को भूखण्ड देना अवशेष है ।

भूखण्डों की अनुपलब्धता के कारण शेष व्यक्तियों को भूखण्ड आवंटन/कब्जा दिया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद सिद्धार्थनगर के थाना शोहरतगढ़ के भवन का किराया नगरीय दर से देने की मांग

172–श्री शिव लाल मित्तल–

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के थाना–शोहरतगढ़ के भवन को प्रति वर्ग फुट प्रतिमाह कितने किराये पर लिया गया है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि नगरीय क्षेत्र में किराये की दर प्रतिवर्ग फीट प्रति माह कितनी है ? क्या किराया शोहरतगढ़ के उक्त भवन मालिक को प्रति माह नियमित रूप से दिया जा रहा है ? यदि हां, तो किस दर से एवं कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन नगरीय दर से उक्त भवन का किराया देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

173–श्री किशोरी लाल यादव (जौनपुर) तथा श्री श्याद अली–

[सातवें सोम० में अता० प्र० सं० 134 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

174–श्री रवीन्द्र प्रताप–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

लखनऊ विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियन्ता के सम्पत्ति की सतर्कता विभाग द्वारा जांच के बारे में सदस्य, विधान परिषद् श्री खां अब्दुल वदूद खां के पत्र पर कार्यवाही

175–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियन्ता की सम्पत्ति की जांच के बारे में सदस्य, विधान परिषद्, खान अब्दुल वदूद खां का पत्र सं०–1639/90 सचिव, नगर

विकास को ता० 5-5-90 व पत्र सं०–1640/सचिव, सतर्कता विभाग को मिले हैं ? यदि हां, तो क्या पत्र सं०–188 में मांगे गये बिन्दुओं पर जानकारी सदन के पटल पर रखी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रकरण में सतर्कता विभाग द्वारा जांच कराई जा रही है ।

176–श्री अंगद सिंह यादव–

[आठवें गुरू में अता० प्र० सं० 160 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद इटावा के लखना में स्थित दुर्गा कोल्ड स्टोरेज पर बकाये धन की वसूली

177–श्री महराज सिंह यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दुर्गा कोल्ड स्टोरेज लखना, इटावा पर लगभग 56 लाख रुपया वसूल करना बकाया है ? क्या उसे शासन ने माफी के आदेश कर कर दिये हैं ? यदि हां, तो कैसे ? यदि नहीं, तो वसूली कब तक की जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

मे० दुर्गा कोल्ड स्टोरेज, लखना, इटावा के विरुद्ध मूलधन एवं ब्याज की कुल बकाया वसूली योग्य धनराशि दिनांक 20-3-92 तक रुपया 47.75 लाख है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इकाई के यंत्र संयत्र को, एक अन्य स्थापित होने वाली शीतगृह इकाई को रुपया 6.75 लाख में बेच दिया गया है तथा इकाई के भूमि व भवन को बेचने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं । तदुपरान्त उनकी बिक्री के बाद भी यदि कोई धनराशि बकाया रहती है तो उस इकाई के भागीदारों की व्यक्तिगत सम्पत्तियों के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र जारी करके वसूल किया जायेगा ।

178–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद उन्नाव के मौरावा कस्बे के निवासी श्री कृष्ण दत्त शुक्ल के जानमाल की सुरक्षा हेतु लाइसेन्स दिया जाना

179–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला उन्नाव के मौरावा कस्बे के निवासी कृष्णदत्त शुक्ल व उनके परिवार के ही सदस्यों को माह जून-जुलाई, 91 में शस्त्र लाइसेन्स दिये गये थे ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि उक्त शस्त्र लाइसेंसों के कथित नियम विरुद्ध होने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के गृह सचिव व जिलाधिकारी, उन्नाव को प्रेषित पत्र दिनांक 3-9-91 की जांच पुलिस अधीक्षक ने भी की है ? यदि हां, तो क्या शस्त्र लाइसेंस प्रकरण की जांच आख्या में पुलिस ने श्री कृष्ण दत्त शुक्ल का कोई आपराधिक इतिहास भी बताया है ? यदि हां, तो उक्त आपराधिक इतिहास क्या हैं ? क्या सरकार उक्त शस्त्र लाइसेंसों की श्रेणी भी बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जानमाल की सुरक्षार्थ ।

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री कृष्णदत्त शुक्ल के विरुद्ध 5 मुकदमें दर्ज हुए जिनमें से अधिकांश या तो विवेचना के दौरान ही समाप्त हो गये या श्री शुक्ल के पक्ष में निर्णीत हुए ।

सभी मुकदमों में श्री शुक्ल को बाइज्जत बरी किया गया है । अतः इस स्थिति में श्री शुक्ल के विरुद्ध दर्ज हुए मुकदमों को उनका अपराधिक इतिहास कहा जाना न्यायोचित नहीं है ।

सामान्य ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नक्शा पास करने के सम्बन्ध में लिये गये विकास शुल्क से विकास कार्य करने की मांग

180–श्री सतीश भाटिया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भवन के नक्शे पास करते समय विकास शुल्क लिया जाता है ? यदि हां, तो लखनऊ कैन्टोनमेन्ट विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1989 से अब तक कितने भवनों के नक्शे पास किये गये तथा कितना विकास शुल्क वसूला गया ? क्या इन क्षेत्र में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कोई विकास कार्य किया गया अथवा विकास शुल्क की धनराशि विकास कार्यों हेतु नगर महापालिका को हस्तान्तरित की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां, शासनादेश सं० 5748/11-5-86-52मिस/86,दिनांक 12-8-86 के अनुसार विकास शुल्क लिये जाने के संबंध में कार्यवाही की जाती है । लखनऊ कैन्टोनमेन्ट विधान सभा क्षेत्र में कैंट क्षेत्र (छावनी क्षेत्र) को छोड़कर शेष क्षेत्र में, उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार, वर्ष 1989 से अब तक 67 मानचित्र स्वीकृत किये गये है । शासनादेश दिनांक 12-8-86 के अनुसार 67 स्वीकृत मानचित्र विकास शुल्क वसूल किये जाने की श्रेणी में नहीं आते थे, जिसके कारण उनसे कोई विकास शुल्क नहीं वसूला गया । लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं किया गया है । चूंकि विकास शुल्क नहीं लिया गया है, इसलिये विकास शुल्क की धनराशि नगर महापालिका को हस्तान्तरित किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जनपद मऊ में पुलिस कर्मियों के नियतन/मानक के अनुरूप नियुक्ति करने की कार्यवाही

181–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ में पुलिस कर्मियों की तैनाती का अलग-अलग पदों का मानक क्या है ? क्या यह सही है कि मानक के अनुसार जनपद–मऊ में पुलिस कर्मियों की तैनाती नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार तत्काल मानक के अनुसार जनपद मऊ में पुलिस कर्मियों की नियुक्ति करने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद मऊ में पुलिस कर्मियों के पदवार स्वीकृत नियतन/मानक एवं उसके विरुद्ध नियुक्त कर्मियों का विवरण निम्नवत है :—

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत नियतन/ मानक	नियुक्त कर्मियों की संख्या
1	निरीक्षक, ना० पु०	3	3
2	निरीक्षक, स० पु०	1	1
3	उप निरी० ना० पु०	60	56
4	उप निरी० स० पु०	4	3
5	हेड कान्स० ना० पु०	61	58
6	हेड कान्स० स० पु०	33	35
7	कान्स० ना० पु०	457	366
8	कान्स० स० पु०	131	267
9	हेड कान्स० एम० टी०	–	1
10	कान्स० एम० टी०	21	21
11	एस० आई (एम)	7	5
12	ए० एस० आई० (ए)	14	13
13	कान्स० (एम)	1	2
14	एफ० एस० ओ०	1	1
15	एफ० एस० एस० ओ०	1	1
16	ए० एस० आई० (एम)	1	--
17	एल० एफ० एम०	4	4
18	फायर सर्विस ड्राईवर	4	4
19	फायरमैन	26	31
20	इंस्पेक्टर, एल० आई० यू०	1	1
21	उप निरीक्षक, एल० आई० यू०	5	5
22	हेड कान्स० एल० आई० यू०	8	8
23	कान्स० एल० आई० यू०	7	7
24	एस० आई (एम)	2	2
	योग –	853	895

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि 853 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 895 पदधारकों की तैनाती की गयी है। इस प्रकार कतिपय पदों को छोड़कर सभी पदों पर मानक के अनुसार ही तैनाती की गयी है। जिन पदों पर

मानक के अनुसार तैनाती नहीं हुई है, उन पर मानक के अनुसार शीघ्र तैनाती सुनिश्चित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

जिला परिषद एटा में मुर्दा मवेशी की नीलामी में अवशेष धनराशि की वसूली

182–श्री नेतराम सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता द्वारा माह अगस्त, 1991 में जिला परिषद् एटा में की गयी मुर्दा मवेशी की नीलामी में अनियमितताओं तथा घोटाले से संबंधित कोई शिकायती-पत्र उन्हें मिला था ? उसके जांच कर्ता कौन अधिकारी थे ? नीलामी कितने की हुई तथा कितना धन वसूल हुआ ? कितने धन की परिषद् को हानि हुई ? इस प्रकरण में कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

जी हां । शिकायती-पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच परगनाधिकारी, एटा द्वारा की गयी ।

वर्ष 1990-91 में मुर्दा मवेशी के बारे में रु० 13,04,700/- की नीलामी हुई तथा रु० 7,65,391.79 की धनराशि वसूल की जा चुकी है । चूंकि शेष धनराशि की वसूली भू-राजस्व के बकाये के रूप में करायी जा रही है अतः परिषद् को कोई हानि होने की सम्भावना नहीं है ।

चूंकि जांच के दौरान कोई अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया अतः कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

183–श्री ऊदल–

[6ठे शुक्र में अता० प्र० सं० 194 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अयोध्या में श्री राम मन्दिर निर्माण में प्रगति का विवरण

184–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अयोध्या में श्री राम के मन्दिर निर्माण की दिशा में कितनी प्रगति हुई है ?

श्री कल्याण सिंह–

अयोध्या में राज्य सरकार द्वारा स्वयं शासन के व्यय पर मन्दिर निर्माण की कोई योजना नहीं है ।

जनपद सिद्धार्थनगर में कतिपय थानाध्यक्षों के संबंध में वांछित विवरण

185–श्री शिव लाल मित्तल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेपाल के सीमावर्ती जनपद सिद्धार्थनगर में कौन-कौन थानाध्यक्ष ऐसे नियुक्त हैं, जिनकी आयु 50 वर्ष से ऊपर है ? इनकी नियुक्ति हेतु संस्तुति किस अधिकारी द्वारा दी गयी ? उक्त जनपद में कौन-कौन थानाध्यक्ष ऐसे नियुक्त हैं जिनके विरुद्ध पूर्व में तैनाती के स्थानों पर गड़बड़ी करने के आरोप में जांच चल रही है ? उन्हें अब किन परिस्थितियों में पुनः उक्त जनपद में चार्ज दे दिया गया है ?

श्री कल्याण सिंह–

नव सृजित जनपद सिद्धार्थनगर में वर्तमान समय में 50 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी थानाध्यक्ष नियुक्त नहीं है । अतः 50 वर्ष की आयु से अधिक उम्र के थानाध्यक्षों की नियुक्ति की संस्तुति किसी अधिकारी द्वारा किये जाने का प्रश्न ही नहीं है । प्राप्त सूचनानुसार वर्तमान में जनपद सिद्धार्थनगर में निम्नलिखित 3 उपनिरीक्षक/थानाध्यक्ष ऐसे हैं, जिनके विरुद्ध जांच प्रचलित हैं :––

1–उप निरीक्षक श्री हरिश्चन्द्र यादव

2–उप निरीक्षक श्री शिव दास यादव

3–उप निरीक्षक श्री राम नगीना राय

प्राप्त सूचनानुसार उक्त उप निरीक्षक क्रमशः दिनांक 30-11-90 को जनपद कानपुर देहात, दिनांक 21-8-91 को जनपद देवरिया तथा दिनांक 17-8-91 को जनपद देवरिया से स्थानान्तरण पर सिद्धार्थनगर जनपद पर आये थे । तीनों उप निरीक्षक अपने पूर्व जनपद में थानाध्यक्ष के पद से स्थानान्तरित होकर इस जनपद में आये थे । उक्त सभी अधिकारी थानाध्यक्ष पद पर कार्य करने के लिये पूर्व से ही पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र द्वारा अनुमोदित थे और सिद्धार्थनगर में भी आने के बाद क्रमशः दिनांक 20-8-91, 20-9-91 तथा 20-8-91 को तत्कालीन पुलिस अधीक्षक द्वारा उपरोक्त आधार पर उन्हें थानाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था ।

186–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह–

[दिनांक 7-4-92 को अता० प्र० सं० 24 द्वारा उत्तरित]

बरेली मण्डल में गिरफ्तार कार सेवकों के विरुद्ध पंजीकृत मुकदमों को समाप्त करने की मांग

187–डा० दिनेश जौहरी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष कार सेवा के दौरान बरेली मण्डल से जिलेवार कितने और कौन लोगों के विरुद्ध झूठे मुकदमें कायम किये गये और विभिन्न जेलों में बन्द रखा गया ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि बरेली मण्डल में क्या सभी कार सेवकों के विरुद्ध मुकदमें वापस ले लिये गये ? यदि नहीं, तो क्या सभी कार सेवकों पर से मुकदमें यथाशीघ्र वापस लेने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

बरेली मण्डल के जनपद बदायूं में गिरफ्तार किये गये कारसेवकों की संख्या–1040, जनपद पीलीभीत में 953, जनपद बरेली में 6 तथा शाहजहांपुर में 1532 हैं । जनपद बदायूं में कार सेवकों के विरुद्ध पंजीकृत 44 मुकदमें न्यायालय में विचाराधीन हैं, जनपद पीलीभीत में सभी कार सेवकों के विरुद्ध पंजीकृत मुकदमें वापस ले लिये गये, जनपद बरेली में पंजीकृत 6 मुकदमें में से 3 मुकदमें वापस ले लिये गये तथा जनपद शाहजहांपुर में पंजीकृत 22 मुकदमों से 7 मुकदमों में अन्तिम रिपोर्ट लगायी गयी । इस प्रकार बदायूं में 44, बरेली में 3 व शाहजहांपुर में 15 मुकदमें अभी शेष हैं । इनकी वापसी/समाप्ति के विषय में समीक्षा की जा रही है ।

जनपद जालौन में विभिन्न थानों में अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति के इन्सपेक्टरों की नियुक्ति का विवरण

188–श्री श्रीराम (जालौन)–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन में वर्ष 1989-90 तथा माह जून, 1991 तक विभिन्न थानों पर कुल कितने अनुसूचित जाति के थानाध्यक्ष तैनात रहे ? क्या गत वर्षों की अपेक्षा वर्तमान में अनुसूचित जाति के थानाध्यक्ष जनपद के थानों में कम तैनात किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या जनपद के प्रत्येक थानो पर एक सब इन्सपेक्टर अनुसूचित जाति का तैनात है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अनुसूचित जाति के सीनियर सब इन्सपेक्टरों को गत वर्षों की भान्ति जनपद के विभिन्न थानों पर थानाध्यक्ष तथा अनुसूचित जाति या पिछड़ी जाति के सब इन्सपेक्टरों को प्रत्येक थाने पर नियुक्त किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

वर्ष 1989 में 2, वर्ष 1990 में 2 तथा वर्ष 1991 के जून तक 2 थानाध्यक्ष नियुक्त थे।

जी नहीं।

जी नहीं।

अनुसूचित जाति अथवा पिछड़ी जाति के सब इन्स्पेक्टर जनपद में थानों की संख्या से कम हैं।

जनपद में उपलब्ध अनुसूचित जाति के उप निरीक्षकों में से उपयुक्त उप निरीक्षकों को थानाध्यक्ष तथा चौकी प्रभारी पद पर पूर्व से ही नियुक्त किया गया है। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के उप निरीक्षकों की संख्या को देखते हुए प्रत्येक थाने पर नियुक्त किया जाना सम्भव नहीं है।

बरेली जंक्शन पर श्री अमर नाथ यादव के सामान की चोरी की गुमशुदगी की रिपोर्ट के पश्चात की गयी जांच का विवरण

189–श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना बरेली जंक्शन पर अपराध संख्या 395/91 धारा 379 भा० दं० वि० के अन्तर्गत दिनांक 6/7 नवम्बर, 1991 की रात्रि में अमर नाथ नामक व्यक्ति ने 60-70 हजार रुपये की कीमत की चोरी की कोई रिपोर्ट दर्ज करायी ? यदि हां, तो थानाध्यक्ष द्वारा मुल्जिमों के नाम सुरेन्द्र व बब्बू बताये जाने के बावजूद अब तक मुल्जिमों को गिरफ्तार तथा माल बरामद न किये जाने का क्या कारण है ? इस सम्बन्ध में श्री सत्य पाल सिंह यादव, सांसद तथा शासन के पुलिस अनुभाग-10 के नवम्बर, व दिसम्बर, 1991 में लिखे गये पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

श्री अमरनाथ द्वारा सामान की गुमशुदगी के संबंध में दिनांक 7-11-91 को रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की सूचना है। दर्ज रिपोर्ट में सूटकेस कपड़े तथा कुछ जेवर चोरी होने का उल्लेख है। कीमत का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। जांच से अभी तक कोई अभियुक्त प्रकाश में नहीं आया। मा० सांसद के एवं शासन के संदर्भित पत्रों के संदर्भ में पुलिस अधीक्षक रेलवे मुरादाबाद से जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये थे।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के मोहिबुल्लापुर के ग्राम पल्टन छावनी निवासी श्री राज दुलारे तिवारी के मकान के सामने वाले मार्ग पर खड़न्जा बिछाने की मांग

190—श्री राम लखन—

विधान सभा का प्रथम सत्र 1988 के छठवें सोम को उत्तरित अता० प्र० सं०—95 के उत्तर में यह सूचित किया गया था कि ग्राम पल्टन छावनी, मोहिबुल्लापुर, लखनऊ में राज दुलारे तिवारी के मकान के सामने (खुशीराम यादव एवं श्री तिवारी के मकान के बीच) वाले मार्ग पर खड़ंजा बिछा दिया गया है? क्या यह सही है कि उक्त मार्ग पर भी खड़ंजा नहीं बिछाया गया है ? यदि हां, तो खड़ंजा कब तक बिछा दिया जायेगा ? गलत सूचना देने वाले के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

जी हां ।

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के 6वें सोम के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 95 के उत्तर में मात्र यह पूछा गया था कि जनपद लखनऊ के मोहिबुल्लापुर के ग्राम पल्टन छावनी निवासी श्री राज दुलारे तिवारी के मकान के सामने वाले मार्ग पर खड़ंजा बिछा दिया गया है न कि श्री राज दुलारे तिवारी एवं श्री खुशीराम यादव के मकान के बीच वाले मार्ग पर ।

श्री तिवारी के मकान के सामने वाले मार्ग पर खड़ंजा बिछा होने के कारण प्रश्न का उत्तर जी हां में दिया गया था जो तथ्यों पर आधारित है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के हुसैनगंज के स्टेशन रोड पर स्थित स्टेजर्स होम 2 के अध्यासी पादरी जेवियर डीसोजा द्वारा उक्त भवन पर अनधिकृत कब्जे की शिकायत

191—श्री ओम प्रकाश दिवाकर—

क्या सरकार को जानकारी है कि हुसैनगंज, लखनउ जहां स्ट्रेंजर्स होम, 2, स्टेशन रोड नामक स्थान में पादरी, जेवियर डीसोजा रहते हैं ? क्या यह सत्य है कि वह जमीन और भवन नजूल की है जिसकी लीज अवधि समाप्त हो चुकी है और उसका नवीनीकरण लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त नजूल भूमि को पादरी जेवियर डीसोजा अनधिकृत रूप से उक्त स्थान पर काबिज हैं ? क्या यह भी सही है कि लीज शर्तों के विपरीत उक्त भवन को वे शादी ब्याह हेतु किराये पर उठाकर अवैधानिक रूप से लाखों की आमदनी भी कर रहे हैं ? क्या संत एग्नेस चर्च का बोर्ड लगाकर उस पर कब्जा कर रहे हैं ? अब तक उक्त सम्पत्ति पर पादरी डीसोजा को कब्जा करने से न रोकने का कारण क्या है ? क्या उन्हें कब्जा करने से रोका जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद लखनऊ के हुसैनगंज के 2 स्टेशन रोड स्थित स्ट्रेंजर्स होम पादरी जेवियर डी सोजा द्वारा कथित श्री शम्भू नाथ कनौजिया पर इसाई धर्म स्वीकार करने हेतु दबाव डालने की जानकारी

192—श्री ओम प्रकाश दिवाकर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि 2, स्डेशन रोड हुसेनगंज, लखनऊ में विगत लगभग 90 वर्षों से रह रहे अनुसूचित जाति के सदस्य श्री शम्भूनाथ को, पास ही स्थित स्ट्रेंजर्स होम में रहने वाले पादरी

जेवियर्स डीसोजा द्वारा इसाई धर्म मनवाने के लिए बाध्य करके, उनके विरुद्ध फर्जी मुकदमें कायम करने आदि के तरीकों से उन्हें प्रताड़ित करके गैर कानूनी ढंग से अमन के लिए खतरा पैदा किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार श्री शम्भूनाथ की जान-माल की सुरक्षा के लिए इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करायेगी ताकि अनुसूचित जाति के सदस्यों की जान माल की सुरक्षा हो सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं । सत्यता यह है कि श्री शम्भू नाथ कनौजिया अपने परिवार के साथ वर्तमान समय में स्ट्रेंजर्स होम के अन्दर गेट के किनारे सर्वेंट क्वार्टर में रह रहे हैं । श्री जैवियर डिसोजा द्वारा श्री शम्भू नाथ के परिवार के सदस्यों को इसाई धर्म स्वीकार करने हेतु दबाव डालने की बात जांच से असत्य पाई गई । श्री शम्भू नाथ कनौजिया उक्त परिसर के आवास में रहना चाहते हैं जबकि श्री डिसोजा जिनकी नियुक्ति उक्त स्ट्रेंजर्स होम में अधीक्षक के पद पर वर्ष 1986 में हुई थी उसे खाली कराना चाहते हैं । इस संबंध में दीवानी न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है । दिनांक 17-6-88 को श्री डिसोजा ने थाना हुसैनगंज में अपराध संख्या–211/88 धारा 298/417/451/504/506भा०दं०वि० का श्री शम्भू नाथ व उनके दो पुत्रों के विरुद्ध पंजीकृत कराया था । सभी अभियुक्त न्यायालय हाजिर हुए । अभियोग में निष्पक्ष जांच के बाद आरोपपत्र न्यायालय प्रेषित किया गया । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

आज की कार्यसूची में जनपद महराजगंज में डोंडा एवं व्यास नदियों का जल प्रदूषित होने के सम्बन्ध में, वक्तव्य का उल्लेख न होने पर व्यवस्था का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अब मैं नियम 301 की सूचनाओं को लेता हूं ।

श्री अखिलेश–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है मुझे विधान सभा सचिवालय की ओर से सूचित किया गया था कि आज की तिथि में जनपद महाराजगंज में डोंडा एवं व्यास नदियों का जल प्रदूषित होने के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री जी द्वारा वक्तव्य दिया जायेगा लेकिन आज की कार्यसूची में उसका उल्लेख नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं देख लूंगा ।

काशीपुर में चल रहे धरने का ज्ञापन एस०डी०एम० द्वारा न लिये जाने के सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकृष्ट किया जाना

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, आपको याद होगा कि कल मैंने कहा था कि काशीपुर में एक धरना चल रहा है एस०डी०एम० उनका ज्ञापन नहीं ले रहे हैं धरना स्थल से । मान्यवर, आपने भी सहमति जाहिर की थी....

श्री अध्यक्ष–

आप संसदीय कार्य मंत्री जी से बात कर लीजियेगा मेरी बात उनसे हो चुकी है ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह कोई जिद का मामला नहीं है, हमारी पार्टी का प्रोग्राम था, वे लोग एस०डी०एम० को ज्ञापन देना चाहते हैं, वे ले नहीं रहे हैं, इन सब बातों से पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत टूटता है, अगर एस०डी०एम० जाकर उनसे ज्ञापन ले लेंगे तो इसमें क्या बुराई हो जायेगी सरकार की ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, इनका कहना है कि हाकिम परगना ज्ञापन नहीं ले रहे हैं इनके दल का वहां प्रोग्राम था वहां कुछ लोग ज्ञापन देना चाहते हैं इनका अनुरोध है कि ज्ञापन उनसे लिया जाय ।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री–(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, वैसे तो परिपाटी यह है कि कक्ष में हुई बात पर चर्चा नहीं होनी चाहिये ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

चर्चा कक्ष में नहीं यहां हुई थी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, सभी राजनीतिक दल, यह संयोग की बात है कि हम यहां हैं, चाहे जो भी राजनीतिक दल हो सबका बराबर का सम्मान है । जनता की किसी मांग को लेकर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिये किसी के माध्यम से कोई ज्ञापन शासन को देना चाहते हैं तो सम्मान के साथ ज्ञापन को लिया जाना चाहिये यह बात स्वयं स्वीकार की थी । अब इस तरह के निर्देश भेजे जायं तो समय लग सकता है आजम साहब ने रामपुर की बात कही है उनसे बात हो जायेगी क्या मामला है उनका ज्ञापन क्यों नहीं लिया जा रहा है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, काशीपुर की बात है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

वह ज्ञापन मुझे दे दें, मैं सधन्यवाद उसे स्वीकार कर लूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

हाकिम परगना ज्ञापन ले लेंगे उसे शासन को ही भेजेंगे । आप इन्हीं को दे दें ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं तो अपना इन्हें दे दूंगा । लेकिन वे लोग वहां काशीपुर में धरने पर बैठे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि वे निर्देश दे देंगे वे ज्ञापन ले लेंगे ।

नियम 301 की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 21 अप्रैल, 1992 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 28 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गयीं। मैं सभी की उपस्थिति भी देख लेता हूं।

पहली सूचना श्री राज नारायण बिन्द की बांदा जनपद में बांदा-तिंदवारी मार्ग के बीच उसरा नाले पर तथा तिंदवारी–बबेरू मार्ग पर मडरा नदी पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में है। श्री राज नारायण बिन्द उपस्थित नहीं हैं। दूसरी सूचना श्री मातवर सिंह कण्डारी की दुगड्डा–चौकी पीपलीपार डागर (टिहरी-गढ़वाल) मोटर-मार्ग का निर्माण कराने के सम्बन्ध में है। श्री कण्डारी उपस्थित हैं। तीसरी सूचना श्री भारत सिंह रावत की गढ़वाल जनपद के कोट्द्वार भावर के कोटद्वार नगर, काथीरायपुर, पदमपुर, तल्ला आदि गांवों में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। श्री भारत सिंह रावत उपस्थित हैं। चौथी सूचना श्री हरेन्द्र सिंह की मुजफ्फरनगर के बधरा क्षेत्र में विद्युत उप संस्थान निर्मित कराने के सम्बन्ध में है। श्री हरेन्द्र सिंह उपस्थित हैं।

पांचवीं सूचना श्री नवाब सिंह की जनपद मथुरा के गोकुल क्षेत्र में राज्य सेक्टर योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन कतिपय मार्गों को पूरा कराने के संबंध में है। श्री नवाब सिंह उपस्थित हैं। छठीं सूचना श्री राम औतार शाक्य की ग्राम भेसरौली–मैनपुरी में पुलिस द्वारा निर्दोष लोगों को उत्पीड़ित करने के संबंध में है। श्री रामऔतार शाक्य उपस्थित हैं। सातवीं सूचना श्री किशन गोपाल की ग्राम धर्मशाला का नगला, जिला आगरा में विद्युतीकरण कराने के संबंध में है। श्री किशन गोपाल उपस्थित हैं। चूंकि श्री राजनारायण बिन्द जी उपस्थित नहीं इसलिए प्रतीक्षा सूची से श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की सूचना को लिया जाता है।

(सभी संलग्न सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गईं।)

दुगड्डा–चौकी पीपलीधार डागर (टिहरी गढ़वाल) मोटर-मार्ग का निर्माण कराने के सम्बन्ध में, नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

[मान्यवर, जनपद टिहरी गढ़वाल में दुगड्डा चौकी पिपलीधार डागर मोटर मार्ग 1975 से अधर में लटका हुआ है। इस मोटर-मार्ग के निर्माण में वन भूमि बाधक है किन्तु वन भूमि में कोई वन सम्पदा नहीं है। यदि इस मोटर-मार्ग का निर्माण हो जाता है तो 20 ग्राम सभाओं की 60000 जनता को यातायात की सुविधा मिल पायेगी।

मेरा उत्तर प्रदेश शासन से अनुरोध है कि जनहित में दुगड्डा चौकी पिपलीधार डागर मोटर-मार्ग का तुरन्त निर्माण करवाने के निर्देश लोक निर्माण विभाग एवं वन विभाग टिहरी गढ़वाल को देने की कृपा की जाए।]

जनपद गढ़वाल के कोटद्वार भावर के नगर तथा ग्रामों में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भारत सिंह रावत–

[मान्यवर, गढ़वाल जनपद के कोटद्वार नगर एवं समीपी ग्रामों, पदमपुर, काशीरामपुर तल्ला लालपुर, सिताबपुर आदि में गत एक सप्ताह से भीषण पेयजल संकट है। ग्रामीण पेयजल संकट के कारण अत्यंत परेशान है, जनता आन्दोलित हो रही है। जल संस्थान के पास धन उपलब्ध न होने के कारण, पेयजल व्यवस्था एवं संकट और गम्भीर हो गई है।

नोट :– [यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर आपसे अनुरोध है कि आप शासन को निर्देशित कर दें कि जल संकट का समाधान शीघ्र करें ।]

जनपद मुजफ्फरनगर के बधरा क्षेत्र में विद्युत उप संस्थान निर्मित कराने के सम्बन्ध में, नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरेन्द्र सिंह–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन एवं सरकार के संज्ञान में यह अविलम्बनीय लोक महत्व के कार्य को लाना चाहूंगा, मान्यवर, जनपद मुजफ्फरनगर का बधरा क्षेत्र पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र है । तथा कृषि उत्पादकता में प्रदेश में सर्वोत्तम क्षेत्र है परन्तु अब वहां पर बिजली की आपूर्ति अस्त व्यस्त है वहां पूर्व से कुटवा में एक 33/11 के० वी० विद्युत उप संस्थान निर्माणाधीन है परन्तु पूरा नहीं हो पा रहा है, इसी प्रकार पीनना, कुरमाली, करोडी में प्रस्तावित बिजली घरों पर निर्माण की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पा रही है, जिससे बिजली की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है, क्षेत्रीय जनता में रोष बढ़ रहा है, जो कभी भी ज्वालामुखी बनकर फूट सकता है, जनहित में उक्त स्थानों पर बिजली घरों का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है ।

मैं आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के कार्य को सदन एवं सरकार के संज्ञान में लाकर चर्चा की मांग करता हूं, तथा बिजलीघरों के निर्माण की मांग करता हूं ।]

जनपद मथुरा के गोकुल क्षेत्र में राज्य सेक्टर योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन कतिपय मार्गों को पूरा कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नवाब सिंह–

[मान्यवर, जनपद मथुरा के गोकुल क्षेत्र में कतिपय मार्ग राज्य सेक्टर योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन थे, उक्त मार्गों के संबंध में मेरी जानकारी के अनुसार 60 से 80 प्रतिशत तक कार्य पूरा हो चुका है उक्त मार्गों के लिए गत वर्ष अनुदान रोक दिया गया था, जिससे वहां के निवासियों को काफी परेशानी होती है, जिससे यह मार्ग अविलम्ब पूरा कराया जाना नितान्त आवश्यक है । मेरी जानकारी के अनुसार विधान सभा क्षेत्र–मथुरा और छाता को राज्य सेक्टर योजना से अनुदान दे दिया गया है फिर गोकुल क्षेत्र के साथ राजनैतिक द्वेष क्यों किया जा रहा है ? मैं सदन के माध्यम से शीघ्र अनुदान दिये जाने की मांग करता हूं ।

मान्यवर, जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत और वित्तीय संशाधन उपलब्ध होने के बावजूद भी पिछले वर्ष का कार्य अधिकारियों की लापरवाही के कारण पूरा नहीं किया गया है, संबंधित अधिकारियों से जांच कर अविलम्ब कार्य पूर्ण कराये जायं, इसी के संदर्भ में कतिपय मार्गों के क्रासिंग पुलों की मरम्मत एवं निर्माण की तरफ भी ध्यान दिया जाय, इसकी सूची संबंधित अधिकारियों के पास उपलब्ध है ।]

जनपद मैनपुरी के ग्राम भैंसरौली में पुलिस द्वारा निर्दोष लोगों का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अनतर्गत सूचना

श्री राम औतार शाक्य–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान ग्राम–भैंसरौली, थाना भोगांव, जनपद मैनपुरी में श्री कृष्ण के साथ दिनांक 7-3-92 को सायं 4 बजे उनके घर में घुसकर पुलिस द्वारा लूटपाट करने व उनकी लाइसेन्सी

नोट:— [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

बन्दूक व कारतूस लेकर दिनांक 8-3-92 को रात्रि में 11.20 बजे अन्यत्र स्थान पर दूसरे मुल्जिम को प्लाण्ट कर फर्जी कार्यवाही करने की उत्पीड़न की कार्यवाही की तरफ ले जाना चाहता हूं। मान्यवर, इस पुलिस जुल्म की शिकायत हजारों लोगों ने पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी एवं सहकारिता राज्य मंत्री श्री सूरज सिंह शाक्य से भी 8-3-92 को दिन में भोगांव में की थी तथा 7-3-92 को ही तार दे दिये थे परन्तु पुलिस ने बर्बरता पूर्ण रवैया अख्तियार किया। इस घटना से पूरे जनपद में रोष व आक्रोष व्याप्त है तथा कानून एवं व्यवस्था पर आशंका पैदा हो गयी। क्योंकि पूरे जनपद की जनता भड़क उठी है। अ० ए० 127 लगाये 130/92 थाना भोगांव से संबंधित है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आदरणीय सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए उक्त प्रकरण में सी० आई० डी० द्वारा जांच किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद आगरा के ग्राम धर्मशाला का नगला में विद्युतीकरण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री किशन गोपाल–

[मान्यवर, आगरा में थाना मलपुरा के अंतर्गत धर्मशाला का नगला जिसमें सभी अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं 20 साल से विद्युत के लिये प्रार्थना करते आ रहे हैं और मेरे द्वारा भी वर्ष 90 में आगरा सर्किट हाउस में नियोजन की मीटिंग में लिखित इस गांव को तुरन्त विद्युत देने को दिया गया लेकिन इन गरीब अनुसूचितों की पिछले 20 साल में कोई सुनवाई नहीं हुई।

आपसे अनुरोध है डा० अम्बेडकर जन्म शताब्दी के अवसर पर जल्द से जल्द धर्मशाला का नगला में विद्युत अवश्य देने की कृपा करें जिससे अनुसूचित लोग बाबा साहब के जन्म शताब्दी वर्ष में अपने गांव में प्रकाश पाकर अपने को गौरवान्वित महसूस कर सकें और कह सकें कि 20 साल से हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं की गयी किन्तु इस कल्याणकारी सरकार के आने से हमारे गांव व हमारे जीवन में प्रकाश की लहर जगमगा उठी।

जनपद बांदा के ग्राम खप्टिहा खुर्द में विद्युतीकरण न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[मान्यवर, जनपद बांदा में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मीटिंग में स्वीकृत ग्राम खप्टिहा खुर्द, ब्लाक जसपुरा में एल० टी० लाइन बिछाकर विद्युतीकरण नहीं कराया गया है जबकि जनपद में वर्ष 1991-92 की योजना के अन्तर्गत ऊर्जा सलाहकार समिति में चयनित ग्रामों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। लेकिन खप्टिहाखुर्द को अभी तक नहीं किया गया है। इसलिये अविलम्ब विद्युतीकरण कराना नितान्त आवश्यक है।

अस्तु आपसे अपेक्षा की जाती है कि ऊर्जा सलाहकार समिति वर्ष 1991-92 में एल० टी० लाइन बिछाकर विद्युतीकरण में चयनित ग्राम खप्टिहा खुर्द पर विद्युतीकरण अविलम्ब कराया जाय।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त हुईं । इसमें पहली सूचना श्री हृदय नारायण दीक्षित की, दूसरी सूचना श्री स्वामी नाथ यादव जी की, तीसरी सूचना श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी की, चौथी सूचना श्री हरिवंश सहाय की तथा पांचवीं सूचना श्री राम औतार शाक्य की है । इसके अलावा श्री पवन कुमार पाण्डेय की व श्री मोहम्मद रिजवानुल हक, श्री अकबर, श्री जाहिद हुसैन की जो सूचना है वह सदन की कार्यवाही से सम्बन्धित नहीं है इसलिये निरस्त की जाती है ।

दिनांक 7 अप्रैल, 1992 को नियम 300 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सुरक्षित रखे गये निर्णय के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, जो विषय मैंने औचित्य प्रश्न के रूप में प्रेषित किया है वह विषय इतना गम्भीर है कि जब से यह सरकार सत्ता में आयी है तब से पूरे प्रदेश की यह जिज्ञासा है कि अयोध्या में पूर्ववर्ती सरकार के समय, जिसे कथित नरसंहार की संज्ञा दी गयी थी, वहां पर कितने लोग मारे गये और यह विषय प्रश्न के माध्यम से मैंने एक बार यहां उठाया और पहले इसका उत्तर टालने की कोशिश सरकार की तरफ से की गयी और सरकार से उत्तर आया कि सूचना एकत्र की जा रही है ।

दोबारा यह प्रश्न आपकी अनुज्ञा से कार्यसूची में आया, 10 मार्च, 1992 को तब सरकार की तरफ से यह उत्तर दिया गया कि यह विषय एक सदस्यीय जांच आयोग की परिधि में आता है हम लोग संतुष्ट हो गये । फिर उस पर 31 मार्च, 1992 को मा० नरेश अग्रवाल ने सवाल किया कि क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछली उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या काण्ड की जांच हेतु न्यायमूर्ति श्री जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच आयोग का जो गठन किया गया था उसमें दस बिन्दुओं को जांच दायरे में रखा था जिसमें मुख्य रूप से 11 अक्टूबर, 1990 से 31 दिसम्बर, 1990 तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुई हिंसात्मक व साम्प्रदायिक घटनाओं की जांच तथा 30 अक्टूबर व 2 नवम्बर, 1990 को अयोध्या में हुई गोली काण्ड में मारे गये कारसेवकों की संख्या आदि थी ? क्या यह सत्य है कि दिसम्बर, 1991 को मौजूदा प्रदेश सरकार ने उस आयोग को समाप्त करके अब न्यायमूर्ति श्री नरेन्द्र नाथ मित्तल की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग की घोषणा की और उस जांच आयोग को केवल तीन बिन्दुओं पर जांच करने का कार्य सौंपा जिसमें उपरोक्त दोनों मुख्य मुद्दों को नहीं रखा ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ? क्या सरकार पिछले आयोग के समक्ष जांच हेतु रखे गये दसों बिन्दुओं पर फिर से जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? जब इस पर अनुपूरक प्रश्न पूछा जा रहा था तब इस आदरणीय सदन के तमाम विधायकों ने जिज्ञासा प्रकट की कि क्या सरकार उक्त तिथियों में मारे गये लोगों की संख्या बतायेगी । उस समय माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर दिया कि यह विषय अलग से पूछा जाये तो मैं इसका जवाब दे सकता हूं । उसके पहले जब पूछा गया तो यह उत्तर आया कि एक सदस्यीय जांच आयोग की परिधि में है और जब इसकी बात दुबारा आयी तो कहा कि अलग से पूछा जाये । आप अवगत ही हैं कि सरकार इसी खास मुद्दे को लेकर सत्ता में आयी है तो प्रदेश की जनता की जिज्ञासा और इस सदन के सदस्यों की जिज्ञासा स्वाभाविक है कि वहां पर कितने लोग मारे गये पर यह बार-बार किसी न किसी बहाने से टालते गये ।

मैंने पहले भी इसे औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाने की कोशिश की थी तब आपने कहा था कि मैं इसका परीक्षण करा लूंगा और आपने अपना निर्णय सुरक्षित रखा था । आप कृपापूर्वक सरकार को निर्देश देने का कष्ट करें कि वह बताये कि उक्त तिथियों में कितने लोग मारे गये ? प्रश्न पूछना हमारा अधिकार है और यह सरकार जांच आयोग का बहाना बनाकर टालती रहती है । यह बड़ा ही ज्वलन्त प्रश्न है और यह यक्ष प्रश्न है क्योंकि इसी आधार पर यह सत्ता में आये हैं, इस विषय पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस मामले का परीक्षण करा रहा हूं । मैंने शासन से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी है । जानकारी प्राप्त होने के पश्चात मैं निर्णय दूंगा । आपने जो 7 अप्रैल, 92 का उद्धरण प्रस्तुत किया है, उसमें भी मैंने यही कहा है कि परीक्षण कराया जा रहा है और निर्णय तब सुरक्षित रखा था । इसके लिये मैं अनुस्मारक भिजवा दूंगा ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

इस प्रकार यह सूचना निस्तारित हुई ।

प्रथम सत्र 1992 के पांचवें सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 202 एवं 209 के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री स्वामी नाथ यादव की है ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक पत्र लिखा था, माननीय शिक्षा मंत्री को, दिनांक 3-9-91 को । बाद में उसके संदर्भ में मैंने प्रश्न भी किया था कि जवाहर लाल नेहरू रघुनन्दन उ० मा० विद्यालय, यमुनामठ, कसिली, जनपद देवरिया का चतुर्थ अनुरक्षण अनुदान किन परिस्थितियों में अब तक प्राप्त नहीं हुआ है, इस संबंध में उन्हें कोई पत्र प्राप्त हुआ है ? उत्तर दिया गया, जी हां । उसके बाद 23-3-92 को भी उत्तर आया और कहा गया कि सूचना एकत्र की जा रही है ।

उसके बाद पुनः प्रश्न किया गया कि क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में हाईस्कूल व इंटरमीडिएट से संलग्न प्राइमरी पाठशाला जो 1970 के पूर्व से मान्यता प्राप्त हैं, उनमें शासन की सूची में कितने छूट गये हैं तथा कितने संचालित हैं ? कितने शासन की सूची से छूट गये ? उसमें भी उत्तर आया कि सूचना एकत्र की जा रही है । उसके बाद औचित्य के प्रश्न के माध्यम से मैंने इस मामले को उठाया । आपके निर्देशानुसार इस प्रश्न को पुनः कल दिनांक 20-4-92 के लिये संदर्भित किया गया । आपने अपनी पीठ से स्पष्ट निर्देश दिया था । इस प्रकार अतारांकित प्रश्न संख्या 202 तथा 209 का उत्तर स्पष्ट आना चाहिए था, लेकिन आपकी पीठ से स्पष्ट निर्देश होने के बावजूद एक माह का पुनः समय लिया गया और इतना समय मिलने के बाद पुनः हूबहू वही उत्तर आ गया । आप कार्यवाही निकलवा कर देख लें । इस प्रकार मान्यवर, आपके आदेश के बावजूद भी मंत्री महोदय ने अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझी । अब यह औचित्य के प्रश्न के रूप में अवश्य मामला बनता है

क्योंकि आपके निर्देशों का पालन सरकार ने नहीं किया और गैर जिम्मेदाराना ढंग से प्रश्न का उत्तर उसी तरह से दिया गया । इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि आप इसे औचित्य के प्रश्न के रूप में स्वीकार करें ।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, आप जो व्यवस्था देंगे, वह हमें शिरोधार्य होगी, लेकिन अब तक इस आदरणीय सदन में परिपाटी रही है कि प्रश्नों के मामले औचित्य के प्रश्न के माध्यम से नहीं उठाये जाते रहे हैं श्रीमन्, पूर्व दृष्टान्त भी हैं । उन्हें आप देख सकते हैं । नियमों में व्यवस्था है कि कोई अगर प्रश्न है तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसका उत्तर दें । परन्तु हम क्या उत्तर दें, इसके लिये हमें बाध्य नहीं किया जाता है । यदि हमारे उत्तर से किसी माननीय सदस्य का समाधान नहीं होता हो तो वह अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और नियम–49 में चर्चा की मांग कर सकते हैं । यदि कोई गलत सूचना दे दी गयी है और बाद में उसकी जानकारी मिल गयी है तो हम उसका शोधन उत्तर देंगे ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा में अध्यक्ष पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों के संकलन मार्च, 1969 से 30 दिसम्बर, 1978 तक को देखने का कष्ट करें । इसके पृष्ठ-67 पर आप देखें । जिसमें श्री शम्भूनाथ चौधरी ने कहा–''मान्यवर, मैं औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता था, प्रश्नों के बारे में ।'' इस पर श्री अध्यक्ष ने व्यवस्था दी–''मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि प्रश्नों के बारे में कोई औचित्य का प्रश्न नहीं उठता इसी तरह से कई जगहों पर ऐसे दृष्टान्त हैं । इसी संग्रह के पृष्ठ-74 पर आप देखें । खण्ड–58 में यह लिखा है कि जब श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा तथा श्री राम रतन प्रसाद ने कहा कि उसके उत्तर से वह संतुष्ट नहीं हैं तो श्री अध्यक्ष ने कहा–''उसका उत्तर दे दिया गया है । अगर उसके बारे में आपको कुछ और जानकारी करना है तो आप नियम-49 के अन्तर्गत चर्चा की मांग कर सकते हैं ।'' अब इस प्रकार मान्यवर, प्रश्नों के संबंध में इस प्रकार औचित्य का प्रश्न उठाया जाता रहा तो अन्य प्रश्नों का क्या होगा ? वे सब अतारांकित प्रश्न जिनका उत्तर समय सीमा के कारण यहां पर नहीं दिया जा सका ।

पहले प्रश्नों का समय एक घंटा था, बाद में बीस मिनट का बढ़ा दिया गया । अगर प्रश्नों के संबंध में इसी प्रकार औचित्य का प्रश्न उठाकर चर्चा प्रारम्भ हो जायेगी तो अतारांकित प्रश्नों का कोई महत्व नहीं रह जायेगा । इसलिये मान्यवर, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस पर कोई स्थाई व्यवस्था दें । क्या प्रश्नों के संबंध में औचित्य के प्रश्न उठाये जायेंगे, यदि हां तो हमें उन पर क्या करना होगा ? इस पर स्थायी व्यवस्था आप देने की कृपा करें । हो सकता है कभी उत्तर देने में हमसे चूक हो सकती है । उत्तर उतना सुसंगत न हो, जितना माननीय सदस्य अपेक्षा करते हों । आप हमें निर्देश भी देते हैं । उन निर्देशों का हम इसलिये पालन करते हैं कि सदन व्यवस्थित ढंग से चले । आपने कहा कि हमारे सहयोगियों ने वक्तव्य टालने के लिये प्रार्थना की । हमने बात-चीत की है । आपको बहुत कम मौका देने का हम प्रयास करेंगे । मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्नों का और औचित्य के प्रश्नों का क्या संबंध होना चाहिए, उस पर आप स्थायी व्यवस्था देने की कृपा करें ?

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मान्यवर, मुझे बड़ा अफसोस होता है । आज 10 महीने में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की इतनी विचार धारा बदल गयी है । जब इधर बैठते थे तो सवालों के संबंध में औचित्य के प्रश्न उठाते थे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, सवालों के संबंध में औचित्य का प्रश्न मैंने शायद ही कभी उठाया हो । यदि कभी उठाया भी होगा तो तुरन्त उसी दिन प्रश्नकाल के बाद उठाया होगा, वह भी इसलिये कि प्रश्न का उत्तर सही स्थान पर नहीं गया है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

आपने कहा कि कदाचित ही मैंने किया होगा । हम आपकी बात को ही सही मान लेते हैं । माननीय सदस्य सवाल करते हैं । सरकार से अपेक्षा करते हैं कि उनका समुचित उत्तर आये । आप कहते हैं कि बाध्य नहीं किया जा सकता है । लेकिन आप युक्ति संगत, तर्क संगत तथा समुचित जवाब तो देंगे । माननीय स्वामी नाथ यादव जी ने जो बात उठायी है सही है 10 महीने से यह प्रकरण लम्बित है वही जबाब पहले भी आया और जब आपने निर्देशित कर दिया उसके बावजूद फिर वही जवाब आ रहा है । मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो जवाब डिपार्टमेंट से आ जाता है उसमें जरूरी नहीं है कि वैसे ही आप पढ़ दें आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें । जो जवाब माननीय सदस्य को दिया है उसमें विवेक का इस्तेमाल नहीं किया गया है जो लिख कर आया उसे पढ़ दिया माननीय सदस्य बार-बार यही कहते हैं उस पर कहते हैं कि सदन का समय नष्ट हो रहा है । सदन का समय नष्ट नहीं हो रहा है इतना महत्वपूर्ण प्रश्न मा० स्वामीनाथ यादव जी ने उठाया है 10 महीने से मामला लम्बित है आप डिपार्टमेंट से क्वैरी नहीं कर सकते हैं अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ।

मैं आग्रह करूंगा बजाय यह कहने के कि इन प्रश्नों पर जो जिज्ञासा यहां पर होती है उसमें औचित्य का प्रश्न नहीं उठाना चाहिए । आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें और उनका समुचित उत्तर दिला दें तो इस तरह के प्रकरण विधान सभा में नहीं उठेंगे ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, मैं कुछ नहीं कहूंगा यदि आप महसूस करते हैं कि आपके निर्देश के बाद इस सरकार ने वही बात कही एक गैरजिम्मेदाराना तरीके से यह कहना कि यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता आपकी पीठ की अवमानना है । इस पीठ का सम्मान सम्पूर्ण सदन करता है और यदि माननीय मंत्री जी नहीं करते हैं तो इस पीठ की अवमानना हुई तो मामला आपकी अदालत में है । इसलिये यह औचित्य का प्रश्न बनता है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय स्वामी नाथ यादव जी ने जो सूचना दी है उस पर माननीय स्वामी नाथ यादव जी, माननीय रेवती रमण सिंह, नेता विरोधी दल तथा शासन पक्ष से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मुझे लगता है इसमें औचित्य का प्रश्न तो कोई नहीं है परन्तु जरूर इस पीठ से अपेक्षा करूंगा मैंने जो पहले निर्देश दिया है इस शासन से उत्तर स्पष्ट आना चाहिए विधान सभा सदस्यों की गरिमा को रखने के लिये उनके द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर शासन को यथासंभव सबसे प्रथम उपलब्ध अवसर पर उनको उत्तर दे दिये जायं । यह मैं शासन से आशा करता हूं इसका पालन करेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इसका पूरा पालन किया जायेगा ।

प्रथम सत्र 1992 के चौथे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 110 का गलत उत्तर दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

तीसरी सूचना माननीय नसीम उद्दीन सिद्दीकी की है ।

श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय शिव प्रताप शुक्ल, शिक्षा राज्य मंत्री (बेसिक) द्वारा इसी सत्र के 4थे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 110 के उत्तर के संबंध में कहना चाहता हूं । उन्होंने मान्यवर, जो उत्तर दिया है जिसमें उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि बांदा शहर के 50 प्रतिशत विद्यालय ऐसे हैं जिनके भवन बिलकुल गिरने की स्थिति में हैं कभी भी गिर सकते हैं ? दूसरी बात यह है कि इसमें सत्यता छिपाई गयी है । मैंने लिखा है कि अभियन्ता की रिपोर्ट है कि बच्चे और अध्यापक इन भवनों के नीचे बैठेंगे तो कभी भी दुर्घटना हो सकती है और हजारों की मृत्यु हो सकती है वहां के जिलाधिकारी ने भी लिखित भेजा है कि बच्चे न बैठाये जायं ।

इनका उत्तर हैं कि अध्यापकों ने रिपोर्ट दी है तो यह बिल्कुल बेबुनियाद है । इन्होंने कहा है कि अध्यापकों को निर्देश दे दिये गये हैं कि उन भवनों में बच्चों को न बैठाया जाय जो खतरे की स्थिति में हैं । तो फिर वह बतायें बच्चों को कहां बैठायें सड़क में, इस तपती धूप में, या बरसात के मौसम में खुले में बच्चों को बैठायेंगे तो क्या होगा ? क्या इसको सरकार ने सोचा है कि बच्चे वहीं बैठेंगे और जब भवन गिरेंगे तो हजारों की संख्या में बच्चों की जानें जायेंगी ? यह कहते हैं कि वित्तीय संसाधन नहीं हैं बच्चे मरेंगे तो क्या होगा ? इसी सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि प्रत्येक मरने वाले व्यक्ति को 10 हजार रुपया दिया जायेगा । तो मान्यवर, फिर वित्तीय संसाधन कहां से आयेंगे ? इनके लिये रुपया देने के लिये कहां से आयेगा ? तो क्या सरकार ने कोई नीति बना ली है कि अगर बच्चे मर जायें तो पैसा दे देंगे, ऐसे नहीं ? इस संबंध में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं, आप सरकार को निर्देश दें कि वह ऐसे जवाब न दें और उन विद्यालयों के भवन बनवायें ।

श्री अध्यक्ष–

सरकार के उत्तर से कोई संतुष्ट हो जाता है कोई नहीं, भी मैंने श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी की पूरी सूचना पढ़ी है । शासन की ओर से निर्देश दिया गया है खतरे की स्थिति में भवन में अध्यापन कार्य न करें, जब कि इनका कहना है कि यह बिल्कुल गलत है, अभी भी अध्यापक व बच्चे इन्हीं खतरे वाले भवन के नीचे अध्यापन का कार्य कर रहे हैं । तो आपकी सूचना यही है कि शासन के निर्देश के बावजूद निर्देश का पालन नहीं हो रहा है । तो यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है ।

प्रथम सत्र 1992 के पांचवें सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 151 के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

चौथी सूचना श्री हरिवंश सहाय जी की है ।

श्री हरिवंश सहाय–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने सवाल किया था कि देवरिया जनपद में 10 लाख कूप योजना के अन्तर्गत वर्ष 91-92 तथा वर्ष 92-93 में कौन सी योजनायें स्वीकृत हुईं ? कितनों पर कार्य प्रारम्भ किया और कितनों पर कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ । जिसका मंत्री जी ने उत्तर दिया कि खड़ी फसल के कारण, भूमि

उपलब्ध न होने के कारण और पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध न होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है । इसको मैंने औचित्य के प्रश्न में उठाया है । मंत्री जी कहेंगे इसमें औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है । इसके अन्तर्गत 5 करोड़ रुपया 10 लाख कूप योजना में आवंटित किया गया है । इसमें दो करोड़ रुपये में बनवाई जा रही है । इसके अन्तर्गत जितने भी देवरिया में नाले थे उन सबको नया ड्रेन मान कर उस पर केवल सफाई करके, ड्रेन के काम में ढाई करोड़ रुपया हड़प लिया गया है ।

मैं समझता हूं इतना बढ़ा भ्रष्टाचार ड्रेन के मामले में किसी भी विभाग में आज तक नहीं हुआ होगा। दस प्रतिशत पैसा खर्च करके ढाई करोड़ रुपया ड्रेन के नाम पर हड़प लिया जाय यह सरकार के लिये बड़े शर्म की बात है । दूसरी बात यह है इसमें जो पुलिया बन रही है, देवरिया में 600 रुपया प्रति हजार ईंटें सब जगह मिल रही हैं लेकिन इसमें साढ़े आठ सौ रुपया हजार में ईंटों को क्रय किया जा रहा है और साथ ही इसके बनाने में बालू और सीमेन्ट का अनुपात 15 : 1 का रखा जा रहा है । इसमें भी दो करोड़ रुपया हड़प लिया जा रहा है । मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि इस सारे प्रकरण की जांच आप करा लें कि पुरानी ड्रेनें नई कैसे मानी गयीं और 850 रुपये हजार जो ईंट बिक रही है उससे दो सौ रुपया प्रति हजार महंगी ईंट क्यों खरीदी जा रही है ? मैं चाहता हूं कि औचित्य के प्रश्न के माध्यम से सरकार इसको पूरी गम्भीरता से ले ।

श्री अध्यक्ष–

इसके अनुसार 10 लाख कूप योजना में भ्रष्टाचार की शिकायत की गयी है लेकिन यह विषय विधान सभा के कार्य संचालन में नहीं आता है इसलिये यह सूचना निरस्त की जा रही है, पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार की बात कही गयी है ।

प्रथम सत्र 1992 के चौथे बुधवार के अतारांकित प्रश्न सं०-132, 143,144,160,161, 162 तथा 164 के संबंध में औचित्य का प्रश्न

* श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, इसी सत्र के दौरान चौथे बुधवार के लिये कार्यसूची में एक प्रश्न रखा गया था । उस दिन कार्यसूची में 7 प्रश्न थे वह ऊर्जा मंत्री से संबंधित थे । कुछ प्रश्न ऐसे थे जिसमें कहा गया था कि मात्र कागजों में बिजली है लेकिन गांवों में नहीं । कुछ प्रश्न ऐसे थे कि ट्यूबवेल कनेक्शन देने में प्राथमिकता क्रम को तोड़कर भ्रष्टाचार के आधार पर दिये जाते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे थे जिसमें भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खंड, मैनपुरी को प्रेषित की जाती हैं लेकिन वह जानबूझ कर निपटारा नहीं करते हैं । एक प्रश्न महत्वपूर्ण था जो गड़ेरा और हजारा गांव से संबंधित है । गड़ेरा में पुराने विद्युत के तार हैं जबकि विद्युत विभाग को नये तारों को लगाना चाहिए था लेकिन वह नहीं लगाये और नये तारों की चोरी कर ली जिससे कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है । मैंने दिनांक 7-10-92 को प्रश्न लगाया था और सारी चीजें सदन के संज्ञान में आयीं । अभी 17-4-92 को उसी गांव का दूसरा प्रश्न किया था कि बिजली के तार टूट गये हैं जिससे गड़ेरा गांव की लगभग 10 एकड़ गेहूं की पकी फसल जलकर राख हो गयी है जिससे लाखों रुपये का किसानों का नुकसान हो गया है ।

चौथे बुधवार के लिये 7 प्रश्न थे जिसमें किसी की कोई सूचना नहीं आयी है, न जवाब दिया गया और सभी में कहा गया कि सूचना एकत्रित की जा रही है । मैंने यह भी प्रश्न किया था कि भोगांव में

---

* वक्ता ने भषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लोगों की मृत्यु हो गयी है विद्युत विभाग की असावधानी और लापरवाही के कारण और आज भी वहां बराबर घटनायें हो रही हैं चूंकि तार पुराने होने के कारण टूटते हैं और गर्मी के कारण आग खलिहानों में लगती है जिससे किसानों की फसल जलने से लाखों रुपये का नुकसान होता है । इसलिये मंत्री जी से चाहूंगा कि इस तरह की घटनायें वहां होने से रोकें और गड़ेरा में जो घटना हुई है उसकी पूरी जांच करायें और मुआवजा दिलायें ।

मेरा यह भी निवेदन है कि जो प्रश्न करते हैं यदि उनका समुचित उत्तर आ जाता तो यह समस्या पैदा न होती । मान्यवर, यहां समुचित उत्तर नहीं मिलता है और समुचित उत्तर देने में टालमटोल किया जाता है, इसलिये मैं चाहूंगा कि इसमें आप व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य यह भी समझ लें कि प्रश्नों का अंतरिम उत्तर भी दिया जा सकता है और वह अन्तरिम उत्तर था । इसलिये यह नियम 300 के अन्तर्गत सूचना नहीं आती है ।

माननीय सदस्यों से अपेक्षा है कि प्रश्नों से संबंधित जब औचित्य के प्रश्न उठायें तो सूचना के लिये प्रश्नों से संबंधित उत्तर की प्रतियां प्रश्नों के साथ संलग्न कर दें तो हमें सहूलियत हो जायेगी ।

इन शब्दों के साथ आपकी सूचना को मैं अस्वीकार करता हूं ।

व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से नियम 300 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बोलने का प्रयास

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि इस विधान सभा का गठन संविधान के मुताबिक हुआ है । जो नियम बने हैं यदि उनका यहां उल्लंघन होगा तो औचित्य का प्रश्न बनेगा । मान्यवर, मुर्दा मवेशियों और पशुओं का हड्डी खाल का ठेका .....

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना अस्वीकार हो गयी है । आप किसी दूसरे नियम में दे दें क्योंकि यह नियम 300 में नहीं आती है ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

नियम 311 में दी है, उसे सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

किसी सुसंगत नियम में दें, मैं सुनूंगा ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मान्यवर, मैं नियम 56 में दे दूंगा । आपकी तरफ से आश्वासन हो जाना चाहिए कि आप इसे 56 में सुन लेंगे । एक तो आपके विवेक पर होता है आप आश्वासन दे दें ।

श्री अध्यक्ष–

किसी दूसरे नियम में दीजियेगा ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मान्यवर, आप फिर इन्साफ नहीं कर रहे हैं । मैं मुरादाबाद से चल कर आता हूं । आप चाहते हैं कि मैं न आऊं ।

श्री अध्यक्ष–

आप 301 में, 51 में सूचना दें । 300 में यह सूचना नहीं आती है ।

(श्री विजय सिंह राणा के बोलने के लिये खड़े होने पर)

विशेषाधिकार की लिखित सूचना निरस्त करते हुए व्यक्ति विशेष के नाम से दूसरी सूचना देने के सम्बन्ध में निर्देश

श्री अध्यक्ष–

श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी जी की भी एक सूचना है । वह उपस्थित नहीं हैं, आ जायं तो उनको सुन लूंगा । ठीक है आप कहें । माननीय अवस्थी जी आ गये । अवस्थी जी आपने अंसल्स के मामले में प्रश्नकाल में यह कहा था कि आपको धमकी दी गयी है । आशियाना द्वारा प्रश्न हटाये जाने के लिये, आर्थिक लाभ देने और अनन्तर में धमकी दिये जाने की बात आपने लिख कर दी । आपने कहा था कि विशेषाधिकार का हनन हो रहा है । लेकिन आपकी सूचना इतनी स्पष्ट नहीं है कि अंसल्स के किसी अधिकारी को मैं तलब कर सकूं । इसलिये मैंने अभी आपकी सूचना को निरस्त कर दिया है । यह स्वतंत्रता देते हुए कि किसी व्यक्ति विशेष का नाम देते हुए आप सूचना देंगे ताकि उस पर यथोचित कार्यवाही हो सके ।

समाचार पत्रों में प्रकाशित आपराधिक जीवन सम्बन्धी सूची में श्री विजय सिंह राणा, सदस्य, विधान सभा का नाम सम्मिलित होने के सम्बन्ध में व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने का प्रयास

* श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, कल समाचार पत्रों में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता श्री कलराज मिश्र द्वारा एक सूची निकाली गयी है जिसमें राजनैतिक व्यक्तियों के ऊपर अपराधिक जीवन रहने और अपराधी होने का आरोप लगाया गया है और मान्यवर, उसमें एक बात यह साफ कही गयी है कि सन् 1989 के चुनाव में जनता दल के 208 लोगों में से 45 लोगों का आपराधिक जीवन है । मान्यवर, उसमें मेरा नाम भी शामिल किया गया है और दफायें गिनाई गई हैं । मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जनता दल में रहने वाले अधिकांश लोगों ने इस देश के महान सपूत, राजनैतिक आदर्शों को जीवन के पल-पल में धरने वाले व्यक्ति, देश के किसानों के मसीहा, श्री चौधरी चरण सिंह के श्रीचरणों में बैठकर राजनैतिक शिक्षा ली है । वह हम लोगों से दो बातें कहा करते थे जब-जब कार्यकर्ताओं की बैठक हुआ करती थी । उनका यह कहना था कि वैयक्तिक जीवन और सार्वजनिक जीवन अलग-अलग नहीं हो सकते हैं । दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ।

वैयक्तिक जीवन किसी कमीज, कुर्ते या धोती की तरह नहीं है कि जिस पर एक छींट पड़ जाय तो उसको उतार कर खूंटी पर टांग दिया जाय । वह कहा करते थे कि वैयक्तिक जीवन पर एक भी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पड़ गयी तो व्यक्ति का सार्वजनिक जीवन कलंकित हो जायेगा और वह कलंकित होने से बच नहीं सकता । मान्यवर, वह कहा करते थे कि मैं यह चाहता हूं कि जब मेरे दल के कार्यकर्ता सड़क पर निकल जायं तो सामान्य लोग, जो देखने वाले हैं यह कह सकें कि यह लोग चरण सिंह की पार्टी के लोग है, असत्य नहीं बोलेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे । कोई अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं हो सकता ।

मान्यवर, हमने उस महान व्यक्ति के श्रीचरणों में बैठकर राजनैतिक शिक्षा ग्रहण की है । हमारे ऊपर यह आरोप लगा दिया गया कि हम अपराधिक जीवन के हैं उसमें मेरा नाम भी है । मेरे खिलाफ 1985 में चुनाव के दौरान एक झगड़ा हुआ था । जनता और प्रत्याशी के बीच गोली चली थी । मैं वहां था नहीं । पुलिस ने गोली चलाई थी । 12 साल के लड़के के हाथ पर से गोली निकल गयी थी । मैं दूसरे सिरे पर था मैं लौट कर आया वहां जाकर घेरा डाल कर बैठ गया मैंने जिलाधिकारी और एस० एस० पी० से कहा कि हम एक ईंट एक ढेला कहीं नहीं मारेंगे, एक भी आदमी खड़ा नहीं होगा, एक भी आदमी यहां से जायेगा नहीं, आप जो कानूनी कार्यवाही करना चाहते हैं करें । हम आठ घंटे तक घेरा डाल कर बैठे रहे करीब 50 हजार आदमी घेरा डाल कर बैठे रहे । जिलाधिकारी बहुत भले आदमी थे वह हमें थाने पर ले गये वहां जाने के बाद मैं उनसे बात कर रहा था कि तभी यह मालूम हुआ कि पुलिस ने हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज किया मैं भाग कर कार्यकर्ताओं के बीच में आया। मेरे सिर पर भी लाठियां पड़ीं और आठ टांके सर में आये । मुझे जेल में बन्द कर दिया गया ।

मान्यवर, दूसरे दिन आगरा में चौधरी चरण सिंह जी आये । उन्होंने जिलाधिकारी से पूछा कि क्या गलती इस लड़के ने कर दी, उन्होंने स्वयं रोकर चौधरी साहब को बताया कि मैं कह नहीं सकता हूं बहुत शर्मिन्दा हूं । मैंने ऐसा विधायक नहीं देखा, अपनी सही बात को भी ऐसे कहा और जिद नहीं की। मान्यवर, यह पहला केस मेरी जिन्दगी का था । मान्यवर, मेरा आपसे यह अनुरोध है कि इस केस को इसी सरकार ने आपकी ही सरकार है 5 तारीख को मेरा प्रश्न स्वीकार किया है अभियोग संख्या 61/85 राज्य बनाम लहोरे आदि तथा 62/85 राज्य बनाम विजय सिंह राणा आदि को वापस लेने के आदेश जिलाधिकारी, आगरा को शासनादेश दिनांक 5-2-92 को जारी किये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष–

अपराधों के बारे में विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, उस केस को लेने के लिये इस सरकार ने शासनादेश जारी किये हैं, तो मेरी जिन्दगी में, मेरे पूरे जीवन में एक मुकदमा कायम हुआ था । इस सरकार ने अपना क्लेम वापस ले लिया है । मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है और सूची में नाम दे दिया गया अपराधियों की लिस्ट इस सरकार ने जारी कर दी । मेरे अकेले के साथ ही नहीं बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है । मान्यवर, किसी के चरित्र के ऊपर दाग नहीं लगना चाहिए, किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित नहीं किया जाना चाहिए । मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे द्वारा कहीं भी कोई अपराध किया गया हो, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा । इस्तीफा ही नहीं आगे चुनाव भी नहीं लड़ूंगा । मान्यवर, हमने चौधरी चरण सिंह जी, जो देवतुल्य हैं, के श्री चरणों में बैठकर राजनीति सीखी है ।

वह इस समय स्वर्ग में हैं उनके कार्यकर्ता पर यह सरकार लांछन लगा रही है वह इसको देख रहे होंगे तो उनकी आत्मा को आघात पहुंच रहा होगा । मान्यवर, आप इसमें अपनी व्यवस्था दे दें वरना मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लें, मैं आपको इस्तीफा लिख कर इसी समय भेज दूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

विजय सिंह राणा जी ने.....

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, एक मिनट मुझे भी सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

विजय सिंह राणा, सदस्य, विधान सभा ने, विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली के नियम 291 के अन्तर्गत सूचना दी है समाचार-पत्रों में समाचार प्रकाशित हुए हैं अपराधिक इतिहास के बारे में । माननीय राणा जी ने सशर्त त्याग-पत्र भी दिया है । श्री राणा जी उक्त विषय पर नियम 291 (क) के अन्तर्गत वैयक्तिक स्पष्टीकरण देना चाहते हैं और उन्होंने संक्षेप में कुछ बातें कही हैं । इस संबंध में मैं उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि श्री राणा जी यह सूचना समाचार पत्रों में छपी खबरों पर आधारित है । इसके अतिरिक्त जिसके द्वारा उक्त सूचना प्रकाशित किया जाना बताया गया है वह इस सम्मानित सदन के सदस्य भी नहीं हैं ।

अध्यक्ष पीठ से समय-समय पर दिये गये निर्देशों में यह मत व्यक्त किया गया है कि समाचार-पत्रों में छपी खबरों के आधार पर कोई प्रश्न सदन में नहीं उठाया जाता । अतः इस मामले को सदन में उठाने की अनुमति मैं नहीं देता हूं । श्री राणा का सशर्त त्याग-पत्र भी मैं अस्वीकार कर रहा हूं ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, यह बात सही है कि विधान सभा के अन्दर सदन के पटल पर रखने के लिये समाचार-पत्र में छपी कोई घटना विषय नहीं बनती है लेकिन मेरा कहना है कि जिस प्रकार का लांछन मुझ पर लगाया गया है वह समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है ।

श्री अध्यक्ष–

उसके लिये सामान्य कानून में रास्ता है, रेमिडी है । आप चाहें तो उस रेमिडी को अख्तियार कर सकते हैं ।

श्री विजय सिंह राणा–

मेरे सार्वजनिक जीवन को कलंकित करने का प्रयास किया गया है ।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं अनुमति नहीं देता हूं । आपने अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दे दिया है ।

मद संख्या 3, 4, 5 और 6 में कुछ नहीं है ।

(मद सं०–7 पुकारे जाने पर)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, कल माननीय सुन्दर लाल जी ने एक मामला उठाया था । आपने कहा था कि कल इसके बारे में बता दिया जायगा । यह मद निकली जा रही है इसलिये मैंने ध्यान आकर्षित किया है ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1992†

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करता हूं ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 21-4-92 को नियम 311 के अंतर्गत प्राप्त सभी सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया है । इस प्रकार नियम 56 के अन्तर्गत कुल 21 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें से निदेश संख्या–15 के अनुसार निम्नलिखित 10 सूचनायें चयनित की गयी हैं :–

मैं इन 10 सूचनाओं का उल्लेख कर देता हूं । जिन 5 माननीय सदस्यों की सूचनायें चयनित की गयी हैं उनको मैं ग्राह्यता पर सुनुंगा और अन्य 5 सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जायेगा ।

पहली सूचना माननीय हृदय नारायण दीक्षित की जनपद लखनऊ स्थित सभी दीवानी व फौजदारी अदालतों के बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । दूसरी सूचना श्री महेन्द्र सिंह भाटी, श्री सुखबीर सिंह गहलौत, श्री नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री बेनी प्रसाद वर्मा, श्री हरेन्द्र सिंह, श्री नरेश अग्रवाल, श्री सुरेन्द्र नाथ की प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था तथा श्री कुशल पाल त्यागी, अध्यक्ष, बार एसोसियेशन, गाजियाबाद की हत्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

तीसरी सूचना माननीय रेवती रमण सिंह, श्री लालजी वर्मा , श्री स्वामीनाथ यादव, श्री प्रमोद तिवारी, श्री नरेश अग्रवाल, श्री सोमांश प्रकाश, श्री विजय पाल सिंह तोमर की प्रदेश में अस्पतालों हेतु दवाओं की खरीद न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । चौथी सूचना श्री अकबर की जनपद मुरादाबाद के कुंदरकी विधान सभा क्षेत्र में बिजली के तारों के टूटने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

नोट :–† दिनांक 24-4-92 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा हुआ है ।

पांचवीं सूचना श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय की जनपद पीलीभीत में शारदा नदी के कटान से पीड़ित परिवारों जो कि सम्प्रति जनपद हरदोई की तहसील शाहाबाद के ग्राम अभिस्ता में आवासित हो गये हैं, को प्रताड़ित किये जाने के संबंध में है।

छठी सूचना श्री राम औतार शाक्य की है। सातवीं सूचना श्री इकबाल महमूद, श्री लालजी वर्मा, श्री मुन्ना चौहान, श्री वीरेन्द्र सिंह व श्री जाहिद हुसैन की है। आठवीं सूचना श्री खालिद गौरी की है। नवीं सूचना श्री दिनेश चन्द्र सोनकर, श्री दुलारे लाल, श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री विक्रमाजीत मौर्य की है। अन्तिम सूचना श्री पवन कुमार पाण्डेय की है।

(श्री हृदय नारायण दीक्षित का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, एक मेरी सूचना थी उसके बारे में क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष–

वह सूचना शलाका में नहीं आयी है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मेरी सूचना देख लें यह मुझसे संबंधित है।

श्री अध्यक्ष–

नियम 311 की सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया है और नियम 56 की प्रक्रिया के अनुसार शलाका निकाली गयी है और यह सूचना शलाका में नहीं आयी है।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मान्यवर, मेरी सूचना को स्वीकार नहीं किया गया है, बड़ी महत्वपूर्ण सूचना थी, मैं सदन का बहिष्कार कर रहा हूं।

(श्री रिजवानुल हक सदन त्याग कर चले गये।)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह कितनी गम्भीर बात है।

श्री अध्यक्ष–

शलाका में नहीं आया। कल फिर दे दीजियेगा। पिछले कुछ दिनों से यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मुझे खेद है कि मेरी सूचना को आपने सुना नहीं। मुझे दुख है कि मैंने शुरुआत की है। मैं चाहता नहीं था कि यह सदन में आये। यह मेरे लिये अफसोस की बात है कि इसे सदन में लाऊं जो मेरा जाती मामला है लेकिन सदन में भी हमें संरक्षण नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा।

श्री अध्यक्ष–

संरक्षण मिलेगा लेकिन नियमानुसार मिलेगा ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैंने इसीलिये नियम 311 में दिया । मैं जानता था कि नियमों में फंस जाऊंगा ।

श्री अध्यक्ष–

नियम 311 में सूचना देना आपका अधिकार है लेकिन किस नियम में स्वीकार करूं, यह मेरा अधिकार है । इसीलिये नियम 56 में परिवर्तित कर दिया और नियम 56 की प्रक्रिया अपनाई । इसको फिर दोबारा दे दें । हो सकता है कि कल, परसों फिर आ जाय ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, आपने 11 बजे के बाद कह दिया कि 311 को 56 में परिवर्तित कर दिया है तो मेरी सूचना 56 में सुनी जायगी, मैं मानता हूं कि आपकी पीठ से दिये गये निर्देश लागू होंगे ।

श्री अध्यक्ष–

आप कल 56 में दे दीजिये या कल 311 में दे दीजिये । पिछले कई दिनों से 311 की सूचना को 56 में परिवर्तित करके उसी प्रक्रिया से निश्चित हो रहा है ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैं चाहूंगा कि मेरी उस सूचना को आप पढ़ जरूर लें ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने पढ़ लिया है, दोबारा पढ़ लूंगा ।

श्री सुन्दर लाल–

मान्यवर, मेरी एक सूचना थी, माननीय मंत्री जी ने आज जवाब देने के लिये कहा था । डा० अम्बेदकर की मूर्ति तोड़े जाने के सम्बन्ध में सूचना थी । मेरी कल की उस सूचना को पहले ले लें ।

श्री अध्यक्ष–

ये जो शलाका में आयी हैं, इसके बाद सुन लूंगा ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, सभी न्यायालयों में एक ध्येय वाक्य लिखा गया है कि वादकारी का हित सर्वोपरि है । लेकिन, श्रीमन्, लखनऊ जनपद के सभी वादकारी लगभग 2 माह से अपने मुकदमों की सुनवाई के लिये मारे-मारे फिर रहे हैं । आप जानते हैं कि लखनऊ कचेहरी से जुड़े सभी मुकदमें उन्नाव से जोड़ दिये गये हैं । गैंगेस्टर के मुकदमें भी उन्नाव जनपद से सम्बद्ध कर दिये गये हैं । श्रीमन्, आप जानते हैं कि एक-एक व्यक्ति जो गांव से लखनऊ कचेहरी आता है, छोटे से मुकदमे के लिये, अगर कोई छोटा सा भी मुकदमा भूमि विवाद का हो तो वह लखनऊ से उन्नाव जाय, वकील ढूंढना होगा । नये सिरे से परिचय करना होगा और उसको बहुत कठिनाई होगी । दूसरे लखनऊ में कोई मामूली सी धारा में गिरफ्तारी की जाती है तो रिमाण्ड के लिये उन्नाव ले जाया जाता है । वहां पर यह कार्य एक मुंसिफ से सम्बद्ध कर दिया गया है, अलग से अधिकारी नहीं बैठाया गया है । रोज 400-500 मुकदमें निस्तारित

करने होते हैं । ऐसी स्थिति में लखनऊ जिले का सारा वादकारी परेशान है और अगर किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार हुआ है, उसे जमानत की आवश्यकता होती है, अगर जब तक लखनऊ में कचेहरी रही, जमानत की प्रक्रिया में उसे सुविधा होती थी, जमानतदार खोज लेता था, वकील यहां के जमानत करा लेते थे और जब गिरफ्तार बन्दी को उन्नाव ले जाया जाता है, तो उसकी जमानत भी नहीं हो पाती है । वहां के अगर वकील पैरवी करते हैं, जमानत स्वीकार भी हो जाती है और जो जमानत वहां पर दाखिल की जाती है, तो वह परीक्षण के लिये लखनऊ भेज दी जाती है ।

जो प्रथम दृष्टया निर्दोष है, उनको परेशानी पैदा हो जाती है । तनाव क्यों हुआ यहां पर आप अवगत होंगे, एक माननीय मुंसिफ और एक विद्वान अधिवक्ता के बीच कुछ कहा सुनी हो गयी थी, वकील हड़ताल पर चले गये, न्यायिक सेवा संघ ने भी इसको गम्भीरता से लिया । इसमें कौन दोषी है, कौन दोषी नहीं है, मैं इसकी गहराई में नहीं जाता हूं । जो व्यक्ति गांव का है, जो मारा-मारा फिर रहा है, वह निर्दोष है, उसे न्यायिक सेवा और वकीलों के विवाद से कोई मतलब नहीं है । छोटे-छोटे वकील भी बेरोजगार हो रहे हैं । यहां पर दो-तीन विद्वान अधिवक्ता बैठे हुए हैं । माननीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी, माननीय ओम प्रकाश सिंह, माननीय बसन्त लाल गुप्ता ये सब दिखायी पड़ रहे हैं ।

मान्यवर, लखनऊ जिले का पूरा का पूरा अधिवक्ता वर्ग परेशान है, वादकारी परेशान है, न्याय में देरी हो रही है, न्याय अगर देरी से मिलता है, तो वह श्रीमन्, अन्याय हो जाता है । इस दिशा में, इस मामले को देखते हुए सरकार को स्पष्ट निर्देश देने की कृपा करें । जो काम लखनऊ से उन्नाव को हस्तान्तरित कर दिया गया है, उसमें बड़ी परेशानी है । श्रीमन्, इस विषय को बड़ी गम्भीरता से लें । इससे लखनऊ जिले के गांव के लोग परेशान हैं । उन्नाव जिले के लोग मुझसे नाराज होंगे कि हमारा काम बढ़ गया था, उसे आप कम करा रहे हैं । मान्यवर, न्याय की दृष्टि से सरकार को स्पष्ट निर्देश देने की कृपा करें कि ताकि यह विवाद समाप्त हो, कचेहरी खुले । मान्यवर, फेमिली कोर्ट्स को भी बन्द कर दिया गया है, जिसमें वकील की आवश्यकता नहीं होती है । मान्यवर, इससे गम्भीर कोई और विषय नहीं हो सकता है । मान्यवर, आपसे निवेदन है कि आज की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करा दें ।

सिंचाई, न्याय एवं विधायी मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

मान्यवर, माननीय दीक्षित जी ने वादकारी की जिस कष्टदायक स्थिति की चर्चा की है, उससे पूर्ण रूप से सभी सहमत हैं । मान्यवर, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हुई है, जिसके कारण से वादकारी अत्यन्त कष्ट में हैं । वादकारी को अनेक कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं । न्याय की शीघ्रता और उसकी प्रतिष्ठा दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, न्यायपालिका के जो दो पहिये हैं, जो दोनों मिल कर जनता को न्याय देते और दिलाते हैं, न्यायाधीश और अधिवक्ता हैं, दोनों के बीच एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हुई है ।

(इस समय 1बजकर 20 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए ।)

और उन दोनों के मतभेद के कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई और जो समय से नहीं सुलझ पायी, इसलिये उच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि सभी न्यायिक कार्य, जो लखनऊ के थे, उन्नाव स्थानान्तरित कर दिये जायें । मान्यवर, इस स्थानान्तरण के विरुद्ध अधिवक्ताओं की ओर से उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका भी दाखिल की गयी । यह दोनों की प्रतिष्ठा का प्रश्न उस घटना से जुड़ गया है, उस प्रकरण से जुड़ गया है, जिसके कारण निश्चित रूप से जनता के हितों पर ठेस पहुंच रही है, उसके हितों को ध्यान में नहीं रखा गया है । जो यह कहा जाता है कि वादकारी का हित सर्वोपरि है, लेकिन उसकी

सर्वोपरियता को ध्यान में नहीं रखा गया है, यह प्रश्न गौड़ड हो गया है और प्रतिष्ठा का प्रश्न प्रमुख हो गया है ।

एक पक्ष ने कहा कि हम न्यायालयों का बहिष्कार करते हैं और दूसरे पक्ष ने यह प्रस्ताव पारित किया और निर्णय लिया कि सम्बन्धित अधिवक्ता के आवेदन-पत्रों पर सुनवाई नहीं करेंगे । मान्यवर, जनता का दबाव और वादकारी का हित निश्चित रूप से कारगर सिद्ध हुआ है और इस सम्बन्ध में कुछ अधिवक्ता प्रतिनिधि माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मिले थे, उनसे बातचीत की और कुछ रास्ता निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन मान्यवर, रास्ता निकल नहीं पाया फिर भी सुधार की स्थिति है, क्योंकि न्यायिक अधिकारियों के संघ ने जो प्रस्ताव पास किया था, उसमें यह था कि सम्बन्धित अधिवक्ता द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्रों पर सुनवाई नहीं करेंगे, उस प्रस्ताव में संशोधन किया गया है, उसे वापस ले लिया गया है और अब न्यायिक अधिकारी उस सम्बन्धित अधिवक्ता के प्रार्थना-पत्रों पर सुनवाई करने के लिये तैयार हो गये हैं, ऐसा प्रस्ताव में है ।

मान्यवर, मुख्य न्यायाधीश से मिलने के उपरान्त समाचार-पत्रों में पढ़ने को मिला कि हड़ताल जारी रहेगी । मेरी भी उनसे बात हुई है, लेकिन यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि न्यायालय खुलने के बाद कार्य होगा या नहीं । इस समय यह प्रश्न है । अनेक अधिवक्ता मुझसे भी मिले थे और हमने भी प्रयास किया है शासन स्तर पर कि यह मसला सुलझ जाये, लेकिन न्यायपालिका के क्षेत्र में शासन कितना दखल दे सकता है, यह सभी लोग जानते हैं, हमें किस स्थिति में प्रवेश करना चाहिए, कि दोनों की प्रतिष्ठा बनी रहे , न्यायिक अधिकारियों की प्रतिष्ठा बनी रहे और अधिवक्ताओं की प्रतिष्ठा बनी रहे । न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसके सम्मान को ध्यान में रखते हुए शासन इस विषय पर विचार कर रहा है । मान्यवर, किसी विरोध को प्रकट करने की एक सीमा होती है ।

मैं अधिवक्ता बन्धुओं से अपील करूंगा और आग्रह करूंगा और इस सदन से भी आग्रह करूंगा कि वह अपील करें कि अधिवक्ताबन्धु अनिश्चितकालीन हड़ताल को समाप्त करें, न्यायिक अधिकारी काम करने के लिये तैयार हैं । यह कोई प्रशासनिक कार्यवाही नहीं है, न्यायपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की बात है, इसलिये कोई भी कदम बहुत सोच समझ कर उठाना पड़ता है, जिससे न्यायपालिका की गरिमा और उसकी स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा को ठेस न पहुंचे । इसलिये मान्यवर, शासन भी प्रयास कर रहा है न्यायिक अधिकारी संघ ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है । मैं समझता हूं कि थोड़े से प्रयास से यह स्थिति भी सुलझ जायेगी और जिस तरह से सामान्य रूप से कार्य हो रहा था वह कार्य होने लगेगा । वादकारी का हित सर्वोपरि है इसको मानकर न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ता संघ दोनों ही संघ अब इस स्थिति को सामान्य करने में आपसी समझ से एक ही रास्ता निकालेंगे । हम जितना प्रयास कर सकते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए वह प्रयास जारी है । हमें पूर्ण विश्वास है कि हड़ताल की स्थिति समाप्त होगी और जनता के हित में सामान्य स्थिति बनेगी और शीघ्र ही न्यायालय खुलेंगे ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, लखनऊ के विद्वान अधिवक्ताओं से जो इनकी वार्ता हुई उसका परिणाम क्या है, विद्वान अधिवक्ता चाहते हैं हड़ताल वापिस लेना यह सब बातें कुछ साफ नहीं हुई हैं । आपको वकीलों के बीच में बैठ कर सरकारी पक्ष रखना चाहिए । आपको सभी दलों ने नोटिस दे रखा है, शारदा प्रताप शुक्ला ने भी आन्दोलन का नोटिस दे रखा है जो यहां के माननीय सदस्य थे ।

मान्यवर, आप अधिवक्ताओं की बैठक बुला कर बात करें, न्यायपालिका की गरिमा को देखते हुए जो आपके बीच में संबंध हो सरकार का तो इस हड़ताल को जितनी भी जल्दी हो सके इस समस्या के समाधान के लिये तुरन्त समाप्त होना चाहिए । आप ऐसा स्पष्ट निर्देश जारी करें सरकार को कि वह सम्भवतः तय करें कि कितनी जल्दी समाधान हो जायेगा । मान्यवर, कोई समयबद्ध कार्यक्रम सरकार की तरफ से आये कि कितने दिन में इसका समाधान हो जायेगा ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, आपके निर्देश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यह हम सबका दायित्व है, शासन का विशेष रूप से दायित्व है और जैसा कि हमने कहा कि प्रयास कर रहे हैं, हम दोनों पक्षों से बात करेंगे और इसका हल निकालेंगे । लेकिन यह एक ऐसे क्षेत्र का मसला है जिसमें शासन कोई प्रशासनिक दृष्टिकोण की अपेक्षा नहीं कर सकता और न करना चाहिए जो अन्य प्रशासनिक क्षेत्र में या न्यायपालिका से अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में शासन करता है । इसलिये हम प्रयत्नशील हैं, हम दोनों पक्षों से बात करेंगे और शीघ्र अतिशीघ्र सामान्य स्थिति बनेगी, इसका प्रयास करेंगे इसमें कोई भी कसर शासन नहीं छोड़ेगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

दूसरी सूचना ले रहा हूं माननीय नेता विरोधी दल ।

* श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, पहले मुझे बोल लेने दें ।

मान्यवर, बड़े दुखी मन से और वेदना के साथ यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव मैं लाया हूं । इस सरकार की अकर्मण्यता, इस सरकार की लापरवाही और इस सरकार की बदनीयती के कारण हमें अपने होनहार साथी से हाथ धोना पड़ा है । मान्यवर, यूं तो घटनाएं दुर्घटनाएं होती रहती हैं लेकिन इसमें जिस तरह से सोच समझ कर श्री कुशलपाल त्यागी की हत्या की गयी है उसमें साफ नजर आता है कि उसमें सत्तारूढ़ दल के संरक्षण के तहत पुलिस की मिलीभगत से यह हत्या की गयी है । मैं बताना चाहता हूं कि श्री कुशलपाल त्यागी जी जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसियेशन, गाजियाबाद के अध्यक्ष थे और हमारे साथी राजपाल त्यागी जी के भाई भी थे, उनकी हत्या, नृशंस हत्या मैं कहूंगा 15 अप्रैल, 1992 को दिन दहाड़े पौने 10 बजे कर दी गयी । हत्या हो सकती थी किसी की भी हत्या हो सकती है लेकिन यह जिन परिस्थितियों में हत्या हुई जिससे ऐसे तथ्य सामने आये हैं जिससे लगता है कि इस सरकार के हाथ खून से रंगे हुए हैं और यह उन अपराधियों को संरक्षण दे रही है जो हत्या करके निर्बाध रूप से गाजियाबाद की सड़कों पर घूम रहे हैं । मान्यवर, कुछ तथ्य रखना चाहता हूं । गाजियाबाद में दो गैंगों की आपसी लड़ाई है । एक रोहतास पंडित का गैंग है और दूसरा बुन्देला का । 9 तारीख को वहां पर गोलियां चलीं । रोहतास पंडित थाने लाया गया । थाने पर उसने कहा कि वह कुशलपाल त्यागी की हत्या करेगा । जब यह बात श्री राजपाल त्यागी जी को पता चली तो वह वहां पर गये । उन्होंने जब एस० पी० (सिटी) से पूछा तो उन्होंने स्वीकार किया कि हां रोहतास पंडित ने यह कहा है ।

श्री राजपाल त्यागी जी ने बराबर यही अनुरोध किया कि कानूनी कार्यवाही की जाय । अगर उसको जेल में नहीं रख सकते हैं तो जिसकी हत्या की धमकी दी है, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाय लेकिन

नोट :– * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इस सरकार का रुख फासिस्टवादी है और राजनीतिक लोगों की हत्या करने के लिये ही यह सरकार चुनी गयी है, उस अपराधी को छोड़ दिया गया । श्री राज पाल त्यागी ने जब पूछा कि क्यों छोड़ा गया तो दरोगा ने कहा कि दबाव आया था । एस० पी० (सिटी) ने कहा कि मैंने नहीं छोड़ा दरोगा ने छोड़ दिया होगा । इससे यह पता चलता है कि इसके पीछे कितनी बड़ी साजिश थी और इसके पीछे सत्ता पक्ष का कितना बड़ा हाथ है ।

जब अपराधी धमकी देकर गया था और 9 से लेकर 11 तारीख तक उसी थाने में रहा, 11 तारीख को विधायक जी ने अनुरोध किया था । मैं इस सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि 11 तारीख को जब वह धमकी देकर गया था तो श्री कुशलपाल त्यागी की रक्षा के लिये क्या किया गया ? श्री राजपाल त्यागी हम लोगों के साथ तिरुपति अधिवेशन में गये थे, वहां पर पता चला कि श्री कुशलपाल त्यागी की निर्मम हत्या 9.45 बजे गोली मारकर कर दी गयी है । यह हत्या डी० एम०/एस० एस० पी० की कोठी से चन्द मीटर की दूरी पर हुई है । घटना होती है डी० एम०/एस० एस० पी० के बंगले से मात्र 35 से 100 मीटर की दूरी पर, गाजियाबाद शहर में 9.45 पर और पुलिस एक घण्टे के बाद पहुंचती है । पुलिस चाहती थी कि अपराधी सफलतापूर्वक कार्य सम्पादित कर ले और जब वह निकल जायं तभी पुलिस पहुंचना चाहती थी । आज 15 तारीख को कई दिन हो गये, अभी तक अपराधियों को पकड़ा नहीं जा सका है । कुर्की भी जो की गयी है, बतायें कि क्या-क्या सामान कुर्की किया गया है ? अपराधी सत्ता पक्ष के संरक्षण में गाजियाबाद में घूम रहे हैं, पुलिस हाथ डालने में कामयाब नहीं हो सकी है । 9 तारीख से 11तारीख के बीच में श्री राजपाल त्यागी को ही नहीं बल्कि श्री सुखवीर सिंह गहलौत को भी बताया गया कि श्री राजपाल त्यागी के भाई श्री कुशलपाल त्यागी की हत्या की कसम रोहतास पंडित ने थाने में ही खायी थी, तो कौन सी ऐसी चीज है जो अपराधियों को गिरफ्तार करने से रोके हुए हैं और श्री कुशलपाल त्यागी की सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं की गयी ? मेरा खुला आरोप है कि इसमें स्थानीय पुलिस मिली हुई थी और साजिश से ही यह सब हुआ है । अपराध क्या था, वकील के रूप में बार एसोसियेशन के अध्यक्ष के रूप में एक अभियुक्त की जमानत करायी थी, पुलिस को यह बात नागवार गुजरी थी, पुलिस ने साजिश करके उनको मरवाया है । उन अपराधियों को पकड़ा जाय । जब तक वहां के एस० एस० पी०, एस० पी० (सिटी) का ट्रांसफर नहीं किया जायेगा, इन्साफ नहीं मिलेगा । यह हमारे साथी के भाई की जान का प्रश्न है, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम अपने मुखर विरोध के किसी भी स्तर तक जायेंगे । मा० शारदा प्रसाद रावत जी को मरवा दिया गया, श्री छोटे लाल जी की हत्या कराने का प्रयास किया गया, श्री कल्याण सिंह जी की जान ले ली गयी । वे सुरक्षा की प्रार्थना करते रहे, उनको सुरक्षा नहीं दी गयी ।

जब तक एस० एस० पी०, एस० पी० (सिटी) का ट्रांसफर नहीं किया जायेगा, एस० पी० (सिटी) के खिलाफ मुकदमा कायम करके उनको गिरफ्तार नहीं किया जायेगा, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे । मान्यवर, यह लोक महत्व का है, तात्कालिक है इस पर सदन की शेष कार्यवाही रोककर तत्काल चर्चा करायी जाय ।

श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन्, जब से यह भा० ज० पा० की सरकार इस प्रदेश में आयी है तभी से दुर्भाग्यपूर्ण संकेत हो रहे हैं विपक्ष के माननीय विधायकों के ऊपर, उनके परिवारों के ऊपर कातिलाना हमले हो रहे हैं या उनके परिवार के लोगों की हत्यायें की जा रही है । श्रीमन्, इससे संदेह पैदा हो गया है आज से

10 महीने से पहले से जब से यह सरकार आयी है इनके राज्य में जितने भी अटैक हुए जितनी भी हत्यायें हुईं विपक्षी विधायकों व उनके परिवारों पर हुईं ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि आप देख लें कितनी घटनायें विपक्षी विधायकों व उनके परिवारों के साथ हुईं ? कितनी सत्ता पक्ष पर हुईं ? मैं यह नहीं चाहता कि सत्ता पक्ष के विधायक पर कोई बात हो या विपक्ष के विधायक पर कोई बात हो लेकिन इन सब घटनाक्रम से एक संदेह सा पैदा हो रहा है कि क्या कारण है कि विपक्ष के विधायकों व उनके परिवारों पर अटैक हो रहा है । श्री रामपाल वर्मा के भाई पर अटैक हुआ । (व्यवधान) जिस दिन आपके परिवार का कोई आदमी मरेगा तो यहां रोओगे, मान्यवर, आप देखें कितने गलत ढंग से टोकाटोकी कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप अपनी बात कहें ।

* श्री नरेश अग्रवाल–

मेरे पार्टी के विधायक श्री रामपाल वर्मा जी के भाई पर अटैक हुआ, श्री महेन्द्र सिंह भाटी जी के भाई की हत्या हुई, श्री अंगद सिंह यादव के शैडो की हत्या हुई, श्री भोला शंकर मौर्य जी पर अटैक हुआ, श्री अतीक अहमद जी पर अटैक हुआ । इसी प्रकार से निर्दलीय विधायकों पर अटैक हुए हैं । यह इस बात का सबूत है कि अपने संरक्षण में अपराधी तत्वों को मिलाकर, गुण्डों को मिलाकर, हमारे साथी विधायकों पर अटैक करा रही है । हमारे नेता मा० प्रमोद तिवारी जी ने सारी बातें स्पष्ट रूप से यहां कहीं । संदेह इसमें है कि जब वे अभियुक्त पहले पकड़े गये थे उनको तीन दिन थाने में रखा गया, एस० पी० के सामने उन्होंने कहा था कि कुशलपाल त्यागी को मारेंगे, उनको तीन दिन के अन्दर वहां से छोड़ दिया गया, थाने की जी० डी० में उसकी इंट्री नहीं की गयी कि क्यों बन्द थे क्यों छोड़ा गया क्या कारण थे ? हमारे माननीय विधायक श्री सुखबीर सिंह गहलौत के सामने बातें हुई, विधायक के परिवार को सुरक्षा दें, सुरक्षा नहीं दी गयी ।

इस सरकार के नेताओं की वजह से वहां के पुलिस अधीक्षक, एस० पी०, एस० एस० पी० के नेतृत्व में हमारी पार्टी के एक विधायक के भाई की हत्या हुई । श्रीमन्, हम इसे सहन नहीं करेंगे । पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में श्रीमन्, अदालतें बंद हैं । पिछले दिनों दिल्ली उच्च न्यायालय में वकीलों पर अत्याचार को लेकर हड़ताल रही । यह बहुत गम्भीर प्रश्न है । अगर वकील लोग हड़ताल पर जाते हैं तो ऐसा नहीं कि उसके संबंध में कोई गलत आंकलन ले ले यह सरकार तो हर बातों को बहुत हल्के रूप से ले रही है आज तक अपराधी घूम रहे हैं, अपराधियों को संरक्षण प्राप्त है जबकि आप भयमुक्त समाज की बात करते हैं आप स्वयं भय मुक्त हो गये हों लेकिन सारे विपक्ष के विधायक और प्रदेश की जनता भयमुक्त नहीं है । अगर इसी तरह से विपक्ष के विधायकों पर, उनके परिवारों पर अटैक होता रहेगा तो यह लोकतंत्र जिन्दा नहीं रह पायेगा । हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पायेंगे । आप गम्भीरता से आदेश दें और हमें मजबूर न करें कि हमें ऐसा कदम उठाना पड़े जिसमें आपको भी अच्छा महसूस न हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी सूचना पर बल देता हूं और यह मांग करता हूं कि सदन की सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायी जाये और आपसे यह भी अनुरोध करूंगा कि आप शासन को आदेशित करें जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटना न घटित हो ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* श्री सुरेन्द्र नाथ–

माननीय उपाध्यक्ष जी, रोज इस आदरणीय सदन में एक ही चर्चा होती है कि प्रतिपक्ष के फलां विधायक पर हमला हुआ, उनके परिवार पर हमला हुआ । मान्यवर, यह तो वही व्यवस्था हो रही है कि जो हिटलर ने द्वितीय युद्ध के समय अपने समस्त विरोधियों को मरवाकर फासिज्म को पैदा किया यह सरकार भी उसी नक्शे कदम पर चल रही है । यह भी अपने सभी विरोधियों को मरवाने का षड़यन्त्र कर रही है । मान्यवर, श्री कुशल पाल त्यागी केवल एक व्यक्ति ही नहीं थे बल्कि उनके साथ कुछ मान्यतायें जुड़ी हुई थीं ।

छात्र राजनीति से उभरकर गाजियाबाद जनपद की राजनीति में प्रवेश करके उस व्यक्ति ने राजनीति के मापदण्डों में एक अहम भूमिका स्थापित की थी । सवाल इस बात का नहीं है कि श्री राजपाल त्यागी के भाई श्री कुशल पाल त्यागी, जो कि गाजियाबाद बार एसोसियेशन के अध्यक्ष भी थे, उनकी हत्या हुई, सवाल इस बात का है कि किन परिस्थितियों में उनकी हत्या हुई । दिन का समय 9.45 मिनट .....

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया संक्षिप्त करें ।

श्री सुरेन्द्र नाथ––

दिन दहाड़े जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के आवास से चन्द मीटर के फासले पर ही उनकी हत्या हुई । पुलिस हत्या के एक घंटे बाद पहुंची और उसने कार्यवाही क्या की ? पुलिस की जानकारी में यह है कि किसने उसे मारा है ? उसने उस अभियुक्त के घर में कुर्की करायी और कुर्की में क्या दिखाया जाता है एक चारपाई कुर्क की गयी है । कितने शर्म की बात है । पूरे प्रशासन को इसकी जानकारी है और चेतावनी देकर उनकी हत्या की गयी तो यह षड़यन्त्र नहीं है तो और क्या है ? प्रतिपक्ष के लोगों को विधायी कार्यों के निर्वहन में .....

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया ग्राह्यता पर ही बोलें और संक्षिप्त करें ।

श्री सुरेन्द्र नाथ–

मान्यवर, ग्राह्यता पर ही बोल रहा हूं । ग्राह्यता पर बोलने के लिये शब्दों का संकलन करूं तो कैसे करूं ? लखनऊ में हजरतगंज के चौराहे पर श्री हरिश्याम श्रीवास्तव की हत्या कर दी गयी जो कि पेशे से वकील थे तो इस प्रकार की घटनायें होती हैं, विधायक के भाई की हत्या होती हैं । हमारे नेता तिवारी जी ने सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं । मैं तो केवल इतना ही कहूंगा कि आज की सारी कार्यवाही रोक कर केवल श्री कुशल पाल त्यागी के मामले पर चर्चा कराई जाय । इस पर आपका जब तक स्पष्ट निर्देशन न हो, तब तक अग्रिम कार्यवाही न हो ।

श्री सुखवीर सिंह गहलौत–

मान्यवर, 9 तारीख को ओम पाल चन्देला और रोहतास शर्मा गैंगों के बीच युद्ध चल रहा था, इस मामले में राजीव शर्मा का कत्ल हुआ । बाद में रोहतास शर्मा पकड़ कर लिंक रोड थाने में लाया गया,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उस समय उसके पास अंग्रेजी रिवाल्वर था, रोहतास शर्मा ने रिपोर्ट लिखायी है। इसके बाद 11 तारीख तक रोहतास शर्मा को लिंक रोड थाने में रखा गया। 11तारीख को एस० ओ० उसे कवि नगर थाने ले आये और कहा कि उससे कुछ पूछतांछ करनी है। उसके दो साथी मनीष शर्मा तथा लक्ष्मण कट्टे के साथ पकड़ा गया, उनके पास एक 38 बोर का रिवाल्वर था, साथ ही एक गाड़ी डी० एल० सी० 2978 भी पकड़ कर थाने लायी गयी।

मैं कुशल पाल त्यागी के साथ एस० पी० सिटी से मिला था और मैंने कहा कि जब उसके साथियों को कट्टे और रिवाल्वर के साथ पकड़ा गया है, तो उनका चालान कर उनको बन्द करिये। श्री कुशल पाल त्यागी, ओम पाल चन्देला के वकील थें, उसकी उन्होंने जमानत कराई थी, इसीलिये उनका कत्ल हुआ। कत्ल होने के पहले मैंने व श्री राजपाल त्यागी ने एस० पी० सिटी से कहा था कि आप रोहतास को छोड़ रहे हैं तो कम से कम कुशल पाल त्यागी की सुरक्षा करिये क्योंकि रोहतास शर्मा ने बार-बार कहा है कि मैं कुशलपाल त्यागी की हत्या करूंगा। श्री राजपाल त्यागी को तिरुपति अधिवेशन में भाग लेने जाना था, इसलिये वह इतनी बात करने के बाद तिरुपति चले गये। इस मामले में दो प्रश्न उठते हैं कि किस अधिकारी के कहने से रोहतास शर्मा को छोड़ा गया ? किस अधिकारी के कहने से उसे लिंक रोड थाने से कविनगर थाने लाया गया ? मान्यवर, जिस स्थान पर कुशल पाल त्यागी की हत्या हुई , वह स्थान डी० एम० और एस० पी० के निवास से मात्र 400–500 मीटर की दूरी पर है और एस० पी० के यहां पर 75 सुरक्षा कर्मचारी, गाड़ियां आदि रहती हैं। कुशल पाल त्यागी के एक भाई जो कानपुर में रहते हैं, आये हुए थे वह और मैं घटनास्थल पर 5 मिनट के बाद पहुंचे, उसके बाद दिल्ली के तमाम पत्रकार इंडियन एक्सप्रेस आदि के वहां पहुंचे, उसके बाद हजारों लोगों गणमान्य व्यक्ति वकील का और जनसमूह वहां इकट्ठा हो गया। इसके एक घण्टे बाद पुलिस वहां पहुंची। उसके बाद डी० एम० और एस० एस० पी० पहुंचे। उसके बाद हमने डी० एम० से कहा कि तिरुपति तार करवा दीजिये। मान्यवर, 15 तारीख को कुशल पाल त्यागी सुबह अपने घर से निकले और कुछ ही दूरी चले थे, कि हिन्द पेपर के दफ्तर के थोड़ी दूरी पर उनकी हत्या कर दी गयी। जब एस० पी० सिटी को सब मालूम था, तो उसे क्यों छोड़ दिया गया ? मेरा निश्चित मत है कि एक दिन हम लोगों का भी कत्ल होगा। आज मेरी पत्नी को फोन आया, राजपाल त्यागी की पत्नी का भी फोन आया कि धमकी के फोन आ रहे हैं हत्या के सारे अपराधी शहर में बराबर घूमते रहे।

एक दिन श्री महेन्द्र सिंह भाटी, श्री हरेन्द्र सिंह, श्री वीरेन्द्र सिंह और मेरा भी इसी तरह कत्ल होगा, हम लोग भी कहीं सुरक्षित नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप यहां पर 425 सम्मानित सदस्यों के सम्मान की, सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन मेरा मत है कि श्री महेन्द्र सिंह भाटी, श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री हरेन्द्र सिंह और मेरा तथा सबके परिवार कहीं सुरक्षित नहीं हैं। आज भी श्री राजपाल त्यागी के घर बराबर फोन आ रहे हैं कि अगर उन लोगों ने गवाही दी तो उनके लड़के, पत्नी को मार दिया जायेगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कल मिला, उन्होंने डी० जी० पुलिस को बुलाया था। उसके बाद डी० आई० जी० व कमिश्नर भी श्री राजपाल त्यागी से मिलने गये। अगर वहां के एस० एस० पी० व एस० पी० को नहीं हटाया गया और उनके खिलाफ मुकदमा कायम नहीं किया गया, हत्यारों को नहीं पकड़ा गया तो हम लोगों के परिवारों की सुरक्षा नहीं की गयी तो एक दिन हम लोगों की और परिवार के लोगों की हत्या हो जायेगी। एक-दो साल में चार सौ के लगभग हत्यायें हुई हैं और ये सारी अटोमैटिक हथियारों के द्वारा हुई हैं परन्तु आज तक एक भी अटोमैटिक हथियारों को किसी से बरामद नहीं किया गया है। इस समय भी गाजियाबाद

में कम से कम 30 से लेकर 40 तक स्टेनगन/एस० एल० आर० लेकर बदमाश घूम रहे हैं। पुलिस को इसकी जानकारी भी है।

कुशल पाल की हत्या करने के बाद यह पहली बार है कि सुप्रीम कोर्ट बन्द रहा, हाई कोर्ट बन्द रहा, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी बार बन्द रही हैं और आज भी वहां की अदालतें ठप्प पड़ी हैं। इसलिये मैं पुनः कहना चाहता हूं कि जिसने एफ० आई० आर० लिखी है, दूसरा सुनील त्यागी जी गवाह हैं, श्री राजपाल त्यागी व उनका लड़का, मैं और मेरा परिवार, श्री महेन्द्र सिंह भाटी व श्री हरेन्द्र सिंह, इन सारे लोगों के लिये सुरक्षा के प्रबन्ध होने चाहिए। हत्यारों को पकड़ा जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं एक भूल सुधार कर लूं। माननीय सदस्य के हस्ताक्षर दूसरी सूचना पर थे और मेरी नजर अन्य सूचना पर चली गयी। आपके हस्ताक्षर इस सूचना पर हैं। श्री महेन्द्र सिंह भाटी जी आप अपनी बात कहें।

* श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, हम लोग जो राजनीति कर रहे हैं, पता नहीं कब तक जिन्दा हैं। एक दिन भी जब गुजर जाता है तो वह एक साल के बराबर लगता है। चाहे वह श्री भोपाल सिंह की हत्या हो, श्री राठी की हत्या हो, चाहे राजबीर की हत्या हो या कुशल पाल की हत्या हो, ये सारी हत्यायें अटोमैटिक वैपन से हुई हैं। परन्तु आज तक कोई पकड़ा नहीं गया है। पुलिस की निश्चित जानकारी में ये सारी हत्यायें हुई हैं। इस वाले काण्ड में एस० एस० पी० का घर साढ़े तीन सौ मीटर पर है और कलेक्टर का 50 मीटर पर। कुशल पाल की हत्या करने से पहले थाने में इस बात की धमकी दी जाती है कि हमें कुशल पाल को मारना है। उसके बयान को दर्ज नहीं किया जाता है बल्कि दूसरे थाने पर उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है। वहां वह दो बदमाशों–श्री मनीराम उर्फ पप्पू व लक्ष्मण को बुला लेता है। जिस पुलिस को सुरक्षा के लिये लगाया जाता है, वही बदमाशों से मिल कर हत्या कराये तो इससे ज्यादा गम्भीर बात और क्या हो सकती है। जिन परिस्थितियों में श्री राजबीर त्यागी, श्री सुखबीर सिंह गहलौत, श्री हरेन्द्र सिंह और मैं स्वयं जिन्दा रह रहे हैं, पता नहीं कब तक जिन्दा रहते हैं। ये जितने भी पुलिस वाले यहां से भेजे जाते हैं, वे सारे के सारे हमारे यहां पर प्रापर्टी डीलिंग का काम करते हैं। हम लोग सम्मान की जिन्दगी जीना चाहते हैं। परन्तु हमें इसमें मौत दिखाई पड़ती है। श्री कुशल पाल का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने श्री अमरपाल की जमानत की थी। मान्यवर, पेशे से वकील है, अगर वह अपने पेशे के हिसाब से किसी के जमानत की वकालत नहीं करेगा तो और क्या करेगा ? परन्तु पुलिस को यह बुरा लगा और उसे मरवा दिया गया। मैं तो मान्यवर, यह भी कहना चाहता हूं और एक-दो बार बयान भी दे चुका हूं कि बदमाश लोग दिन में दिल्ली में घूमते हैं और रात में दिल्ली से आकर गाजियाबाद के पुलिस थानों में सोते हैं। मेरी इस जानकारी को आप सही मानकर इसकी जांच करायेंगे ? हम लोग जो राजनीति करते हैं सुबह से शाम तक दर बदर घूमते हैं हम को मारना कठिन नहीं है। हमें अपने जान की चिन्ता नहीं है हम इसके लिये कोई सुरक्षा की मांग नहीं करना चाहते हैं लेकिन जो अफसर आप वहां भेजते हैं उनसे कम से कम कहें कि वह बदमाशों के साथ बैठकर शराब न पियें, होटलों में बैठ कर उनके साथ खाना न खायें। मान्यवर, मेरी प्रार्थना है कि इस स्थगन-प्रस्ताव पर आज की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, 15 ता० का दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इतिहास में कलंक का दिन है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यह घटना राजनीतिक घटना नहीं है इस सदन के हम सभी सदस्यों और उनके परिजनों की सुरक्षा का मामला है किसी का कोई अपराधिक इतिहास भी नहीं है । एक वकील जो बार एसोसियेशन के अध्यक्ष चुने गये उनका कत्ल इसलिये कर दिया कि उन्होंने एक मुल्जिम की जमानत कराई । उनका यह पेशा था वह वकालत करते हैं जमानत लेना या न लेना न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है ।

एस० एस० पी० के बंगले के पीछे उनकी हत्या कर दी गयी और उसके बाद उनके परिवार वालों को धमकी दी जा रही है, श्री सुखबीर सिंह गहलौत के यहां टेलीफोन में धमकी दी जा रही है । मेरी चुनौती है जो भी पश्चिम का एम० एल० ए० बदमाशों के खिलाफ बोलेगा या उनके कार्य में बाधा डालेगा उसको वह मार देंगे । या उन अपराधी व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही की मांग करेगा या पुलिस के विरुद्ध बोलेगा वह सुरक्षित नहीं रह पायेगा । यह केवल गाजियाबाद की घटना नहीं है माननीय शारदा प्रताप रावत की हत्या कर दी गयी और यहां शोक संदेश हो गया । माननीय भोपाल सिंह, माननीय सत्यवीर सिंह और हमारा भी कत्ल हो जायेगा तो यहां पर शोक संदेश हो जायेगा । मा० महेन्द्र सिंह के भाई श्री राजवीर सिंह का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है, श्री राजपाल सिंह त्यागी के भाई का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है तो उनके भाई की हत्या हो गयी । हमारे मेरठ मंडल में किसी का भी कत्ल करना आसान है एस० एल० आर०, स्टेनगन आदि खतरनाक हथियार वहां ऐसे लेकर घूमते हैं जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में कट्टे भी नहीं मिलते होंगे । मेरठ मंडल की इतनी बुरी हालत है । श्री वीरेन्द्र सिंह चौथे टर्म में यहां विधायक हैं, हम लोग बिना सुरक्षा गार्ड के अपना काम नहीं कर सकते हैं । हमारा कसूर केवल एक है कि हम जनता की सेवा में गुण्डों के खिलाफ कार्यवाही की बात करते हैं । डा० सुरेश का अपहरण हुआ हम लोगों ने मिलकर बात उठाई । माननीय मुख्य मंत्री जी से मिले और उन्होंने डी० जी० से कहा तो उसके बाद यह काण्ड हो गया वहां एक षड्यन्त्र रचा गया ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ जो कहेगा उसको समाप्त कर दिया जायेगा । श्री सुखवीर सिंह गहलौत एवं श्री महेन्द्र सिंह भाटी को बराबर धमकियां मिल रही हैं । तो हमने सोच लिया है जो होगा सो देख लेंगे हमें अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है जनता में गुण्डों के खिलाफ बोलना है हमें उनकी परवाह नहीं है। श्री राजपाल के भाई की हत्या हो गयी, यह हर सामाजिक व्यक्ति के लिये चुनौती है । कुछ घटनायें ऐसी हैं जिनमें गुण्डे सरेआम घूम रहे हैं पुलिस बदमाशों को पकड़ नहीं पा रही है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

क्या इसमें भी समय सीमा होगी । हमारे यहां इस हत्या के विरोध में हड़ताल हुई कोर्ट बन्द रहे । महेन्द्र सिह भाटी के भाई की हत्या हो गयी वहां के 5-6 सदस्यों की जान को खतरा है । हम कोई अतिरिक्त सुरक्षा की मांग नहीं कर रहे हैं । मेरी चुनौती है वहां जो 50, 60 स्टेनगन और एस० एल०

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आर० को लेकर घूमते हैं उनको पकड़ लें । हमारा अनुरोध है आज इस महत्वपूर्ण मामले में जो अति लोक महत्व का है अविलम्बनीय है इस पर पूरे सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाय ।

* श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

आज इस सदन में बड़े दुख का विषय है, जो भाई कुशल पाल सिंह की हत्या जनपद गाजियाबाद में दिन दहाड़े दिन के 9.45 बजे गाजियाबाद जिला मुख्यालय पर उस स्थान पर कर दी गयी जिसके एक तरफ कलेक्टर का आफिस और उनका बंगला था और दूसरी तरफ एस० एस० पी० का बंगला था । ये दोनों तीनों स्थान घटनास्थल से ढाई सौ--तीन सौ मीटर की दूरी पर थे । वहां से थाना कबीर नगर भी पास ही था । उनकी गाड़ी का पीछा भी हत्यारों की गाड़ी द्वारा किया गया । जबकि श्री कुशलपाल सिंह एस० एस० पी० के बंगले के पीछे साईड से निकले थे ? मालूम पड़ता है कि वहीं से बदमाश उनका पीछा करते रहे होंगे और वहां से निकलते ही उनको मार दिया गया ।

मैं बहुत ज्यादा विस्तार से कोई बात नहीं कहना चाहता हूं, फिर भी कुछ चीजें जो इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण हैं और मेरे संज्ञान में हैं उनको मैं अवश्य बता देना चाहता हूं । बदमाशों ने उनको गोली मारने के बाद उनकी कार के टायर में भी गोलियां मारी थीं, जबकि उनको पूरी तरह से गोलियों से भून दिया गया । वह हत्या का स्थान बहुत चहल-पहल का था उस स्थान पर एक मिनट में 500 वाहन प्रातः निकलने का औसत रहता है । उनकी इतनी हिम्मत देखिये कि बदमाश हत्या के बाद गाड़ी रोक कर सिगरेट निकालते हैं और सिगरेट जलाई और सिगरेट जलाने के बाद वे आराम से कार स्टार्ट कर चले गये । मान्यवर, वहां की पुलिस का बदमाशों के साथ सदैव एक सौदा रहता है कि उतनी देर तक पुलिस घटना स्थल पर न आवे जितनी देर में, जितने समय में वे लोग जनपद का बार्डर क्रास करके दिल्ली की सीमा में प्रवेश न कर जायें ।

दिल्ली में प्रवेश कर जाने के बाद पुलिस एक बहाना बना देती है कि क्या करें अपराधी तो जनपद से बाहर दिल्ली चले गये हैं । मालूम पड़ता है कि दिल्ली न हुई कोई विदेश का स्थान हो गया है कि वहां छुपे अपराधी के खिलाफ वह निष्प्रभावी हो जाती है । गाजियाबाद की ज्यादातर पुलिस बदमाशों के साथ मिलकर मकानों पर, जमीनों पर और प्लाटों पर अवैध कब्जा कराने का काम करती है और फिर ऐसी हथियाई गयी जमीन, मकान और प्लाटों को पुलिस अपने संरक्षण में बिकवा कर आधा धन बदमाशों को दे देती है और आधा धन पुलिस आपस में बांट लेती है । इस तरह से वहां की पुलिस अपने कर्तव्यों की अनदेखी करके धन की लूट खसोट करने में लगी हुई है और इसी सम्बन्ध में उसकी बदमाशों के साथ पूरी मिलीभगत रहती है । यह धन्धा वहां जारों पर है । पिछले वर्ष 7 अप्रैल को वहां श्री राजवीर सिंह की दादरी के मेन बाजार में ऐसे ही मामले को लेकर हत्या हुई थी तब से पूरा एक वर्ष बीतने के बाद श्री कुशलपाल सिंह की हत्या हो गयी जो जिला बार एसोसियेशन के अध्यक्ष भी थे । मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस तरह के अपराध..... (व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष–

गहलौत जी, आप कृपया अपनी सीट पर बैठें ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

इस तरह से जघन्य अपराध वहां आये दिन हुआ करते हैं किन्तु पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करती है। वहां की पुलिस बिल्कुल निष्क्रिय और भ्रष्ट है । हम लोगों ने इसके लिये पुलिस को कई बार अवगत कराया है । एक बार बताया था कि अमुक जगह पर अमुक बदमाश एस० एल० आर० जैसे घातक हथियारों से लैस मौजूद हैं लेकिन उस सूचना पर पुलिस ने कुछ नहीं किया और मालूम हुआ कि थाने की पूरी पुलिस कहीं न कहीं थोड़ी देर पहले की अपनी रवानगी दिखा कर थाने से गायब हो गई । ऐसे समय में पुलिस पूरा थाना ही खाली करके भय वशं चली जाती है कि फलां बदमाश थाने में आ गया तो हमारा क्या होगा । मैं बहुत विशेष मुद्दे पर बोल रहा हूं इसलिये आप दो मिनट देंगे । इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और कोई विषय हमारे लिये नहीं है । एक एम० एल० ए० के भाई की हत्या का मामला है और हो सकता है कि कल हम लौट कर घर जा सकें या न जा सकें, इसलिये इससे महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे लिये और कोई नहीं है । मान्यवर, 11 अप्रैल को एस० पी० सिटी विधायक श्री राजपाल त्यागी से कहते हैं कि बदमाश कविनगर थाने में बैठे हैं और बदमाश थाने में 11 से 13 तक रहे । बदमाश मनीष और पप्पू एक साथ थाने में रहे । 13 तारीख की शाम को उच्च अधिकारियों के निर्देश पर एस० ओ०, कविनगर थाने का कहता है कि उच्च अधिकारियों ने कहा है कि इन बदमाशों को छोड़ दें ।

एस० ओ० ने उन बदमाशों को मय मारुति कार और असलहों सहित कवि नगर थाने से छोड़ दिया। एस० पी० सिटी मानते हैं कि 11 तारीख को कुशल पाल त्यागी की हत्या के लिये वह कह रहे हैं और थाने में बैठे हैं । उन बदमाशों ने इसके पहले 5–10 मर्डर किये हैं फिर उनको छोड़ने की क्या जरूरत थी ? छोड़ने के बाद श्री कुशल पाल त्यागी की हत्या की गयी । बदमाशों की फर्जी कुर्की की जाती है और उनको आज तक नहीं पकड़ा गया है जबकि मेरा निश्चित मत है कि वह गाजियाबाद में मौजूद हैं । मान्यवर, यदि सरकार का दबाव हुआ तो मेरा मत है कि उन बदमाशों को पुलिस अपनी हिरासत में सरेन्डर करायेगी ।

मान्यवर, मेरी मांग है कि इसमें जो पुलिस अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ धारा 302 का मुकदमा दर्ज किया जाये और हत्यारों को अविलम्ब पकड़ा जाये । इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो विधायक हैं जैसे श्री महेन्द्र सिंह भाटी, श्री सुखवीर सिंह गहलौत, श्री हरेन्द्र सिंह आदि जिनकी जान का खतरा है उनकी सुरक्षा की सम्पूर्ण व्यवस्था सरकार करे और मेरे कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करायी जाये ।

* श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं केवल दो-तीन बातें कहना चाहता हूं । एक तो मेरठ, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर इन तीनों जिलों की स्थिति हमारे संज्ञान में बड़ी खराब है जो आज से नहीं बहुत पहले से चली आ रही है और अब इतनी विस्फोटक स्थिति हो गयी है कि वहां किसी का जीना दूभर हो गया है । मान्यवर,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अपराधियों ने डिप्टी जेलर, श्री राम खिलाड़ी की हत्या ड्यूटी करते समय की और यहीं से हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ । इसके बाद श्री भोपाल सिंह मारे गये, उसके बाद प्रो० सत्यवीर सिंह मारे गये, उसके बाद श्री राजबीर सिंह मारे गये और उसके बाद श्री कुशल पाल त्यागी की हत्या की गयी और यह मारने का सिलसिला गाजियाबाद और मेरठ में अंतहीन सिलसिला है । मान्यवर, यह इतने लोग मारे गये लेकिन आज तक इसे गम्भीरता से नहीं लिया गया है ।

मान्यवर, मारे जाने में दो बातें खास हैं । एक तो स्वचालित हथियारों के माध्यम से हत्यायें की गयीं हैं और दूसरे पुलिस के संरक्षण में यह हत्यायें की गयीं हैं । मेरठ, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर में जितनी हत्यायें हो रही हैं वह सब पुलिस के संरक्षण में हो रही हैं । और इसका कारण है पुलिस इन अपराधियों से जो आज के भूमाफिया हैं उनसे लाखों रुपये की रिश्वत लेती है और कुत्ते का काम करती है जो पूंजीपतियों के घर पर रखवाली करती है और जिसको चाहे भूकेगी और जिसको चाहे नहीं भूकेगी । इसलिये पुलिस के छोटे-बड़े अधिकारी इन गिरोहों को संरक्षण देते हैं । यह मेरे पास सूचना है कि गाजियाबाद और मेरठ में जहां हत्यारे हत्या करके जाते हैं तो मुजफ्फरनगर के एस० पी० सिटी के घर में जाकर रहता है तथा मुजफ्फरनगर में हत्या करता है तो गाजियाबाद में रहता है । गाजियाबाद में हत्या करता है तो मेरठ में जाकर रहता है । इस प्रकार से अधिकारियों के यहां हत्यारे रहते हैं, पुलिस का संरक्षण उन्हें प्राप्त हो रहा है । हमेशा सरकार यह बयान देती रही है कि हम यह करेंगे, हम वह करेंगे लेकिन यह सिलसिला थामे नहीं थम रहा है ।

यह इस तरह से समाप्त होने वाला नहीं है । इसमें सुरक्षा की सुनिश्चित व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था जिससे हम भी खुश, आप भी खुश और सभी माननीय सदस्य खुश हों । मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि माननीय महेन्द्र सिंह भाटी, सुखवीर सिंह गहलौत, हरेन्द्र सिंह, राजपाल त्यागी व अन्य जो लोग हैं, उनके जीवन की सुरक्षा आप सुनिश्चित करायें । आप इस पीठ पर बैठे हैं इसलिये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करायें जिससे हम भी संतुष्ट हो जायं, आप भी संतुष्ट हो जायं और सभी सदस्य संतुष्ट हो जायं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मान्यवर, अभी माननीय नेता कांग्रेस पार्टी, माननीय उप नेता जनता दल और सभी तमाम सदस्यों ने अपनी चिन्ता यहां व्यक्त की है । मान्यवर, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से, माननीय मुख्य मंत्री जी जो ज्यादातर सदन में नदारद रहते हैं इसलिये मैं आपसे.....

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)---

आप तो हैं हमारे साथ ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, सही बात मैं कहूंगा तो उसे आप सुनेंगे नहीं । केवल दो एक मंत्री सहिष्णुता रखते हैं । उसमें से एक आप भी हैं जो सुनते हैं । आज उत्तर प्रदेश में क्या माहौल बन गया है ? अभी मैं गाजियाबाद गया था । श्री कुशल पाल त्यागी के घर गया था । मान्यवर, वहां जाकर इतनी हैरत हुई कि बता नहीं सकता । लखनऊ में बैठ कर इस बात का अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता है कि गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर में क्या स्थिति है । वहां जाकर हालात का जायजा लें वहां की स्थिति पंजाब से भी ज्यादा भयावह है । वहां पर अपराधियों के पास एस० एल० आर० और ए० के०-47

रायफलें पंजाब के मुकाबले ज्यादा हैं। आपकी पुलिस वहां किन कारणों से कैसे काम कर रही है इसकी विवेचना करना चाहें तो देखें वहां क्या हो रहा है ? कुशल पाल त्यागी दबंग प्रकृति का नवयुवक था। उसकी उम्र 35 साल के करीब रही होगी वह बार एसोसियेशन का अध्यक्ष भी था। बड़ी दबंगई से काम कर रहा था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा हो जायेगा। आज जो स्थिति देखी कि माननीय कलेक्टर की कोठी, सब इन लोगों ने बयान कर दिया है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता।

आप स्वयं विचार करें। तीन दिन एक थाने में रखा गया और दो दिन कवि नगर थाने में रखा गया और बाद में मय असलहे के छोड़ दिया गया जब कि वह कह रहे थे कि उन्हें कुशल पाल त्यागी की हत्या करनी है। यहां एक सवाल यह नहीं है कि कुशल पाल त्यागी, मा० राजपाल त्यागी जो विधायक हैं उनके भाई थे। इस बात को नहीं कि सरकार विधायकों की सुरक्षा और उनके परिवार की सुरक्षा की बात करे। आपसे कहना चाहता हूं कि क्या यही आप भयमुक्त समाज की कल्पना को साकार कर रहे हैं ? आपने जो वादा किया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गयी है उसे आप ठीक कर देंगे। आज मान्यवर, फिरौतियों का सिलसिला आज भी जारी है। पचासों लाख रुपये की फिरौती ली जाती है उसके बाद भी नहीं छोड़ा जाता है और मार दिया जाता है। राजनीतिक लोगों की हत्यायें हो रही हैं। गुप्ता जी पुराने माननीय सदस्य हैं रिकार्ड निकालकर देख लें आपकी सरकार में, इस विधान सभा में, जितना जिक्र हत्याओं का हुआ है उतना कभी नहीं हुआ है। वहां के एस० पी० सिटी ने गहलौत जी तथा अन्य लोगों से कहा कि बिना मुझसे पूछे वह अपराधी छोड़ दिया गया, कैसे छोड़ दिया गया अब यह तो आप जानें, शासन में हैं। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो आने वाले दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो आग लग रही है वह बुझने वाली नहीं है अगर आप में दम-खम है तो मैं कहना चाहता हूं कि आप इस सदन में घोषणा करें कि उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने घिनौना काम किया है श्री कुशल पाल सिंह के तीन-चार साल के बच्चे हैं, अनाथ हो गये इस प्रदेश में आप क्या कर रहे हैं ? आप कहते हैं भयमुक्त समाज बनायेंगे भयमुक्त समाज के नाम पर पूरे प्रदेश को भयग्रस्त कर दिया है।

इससे बड़ी घटना और कोई नहीं हो सकती है। आप सदन में घोषणा करें कि कोई भी बड़े से बड़ा अधिकारी जिसका इसमें हाथ होगा उसको दंडित किया जायेगा। उसके खिलाफ मुकदमा कायम किया जायेगा और कड़ी से कड़ी कार्यवाही होगी। अगर आप यह घोषणा नहीं करते हैं तो इस सदन में वाद विवाद करने का कोई फायदा नहीं है। आप वही रटे रटाये जवाब देते हैं सरकार बड़ी गम्भीरता से कार्यवाही कर रही है। अपराधियों को बख्शा नहीं जायेगा। दस महीने से आपका यही भाषण सुन रहा हूं। भयमुक्त समाज कह देने से कुछ हल निकलने वाला नहीं है। आप एक्शन करके दिखाइये। इस केस को - लेकर आप चलिये फिर रिजल्ट आप देखें आप कहते हैं कि आपके सहयोग से काम कर रहे हैं मैं आपको शाबासी दूंगा, इस केस में जो बड़े से बड़ा अधिकारी अगर दोषी पाया जाये तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करिये। आप कहते हैं भयमुक्त समाज बनायेंगे लेकिन– "खोदा पहाड़, निकली चुहिया" शान्ति व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने की बात करते हैं कहते हैं ऐसी सरकार आज तक नहीं आयी। मैं भी कहता हूं कि ऐसी सरकार न आयी है और न भविष्य में आयेगी, तो आप इस मामले में कार्यवाही करने पर विचार करें। और इस सदन में घोषणा करें कि एक सम्बद्ध समय में कार्यवाही करेंगे। और जो भी दोषी होगा चाहे वह बड़े से बड़ा अधिकारी ही क्यों न हो उसके खिलाफ कार्यवाही करके सदन को अवगत करायेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जिस घटना की चर्चा की गयी वास्तव में वह दुखद घटना है । माननीय नेता विरोधी दल ने इस बात की चर्चा की कुछ जिलों के नाम भी लिये, कुछ जिलों के मंडलीय प्रभारी तय होते हैं संयोग से मुझे उन्हीं जिलों में प्रभारी के रूप जाने का मौका मिला है । भाटी जी जानते हैं । मान्यवर, तिवारी जी ने कहा लम्बा सिलसिला चला आ रहा है । हमने नियंत्रण करने की पूरी चेष्टा की है । आंकड़ों से स्थिति स्पष्ट होती है । वातावरण से स्थिति की जानकारी मिलती है । माननीय सदस्यों ने व्यक्तिगत वार्ता में स्वयं स्वीकार किया है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

किसने स्वीकार किया है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं कह रहा था तो उधर के कुछ माननीय सदस्य सिर हिला रहे थे ।

श्री प्रमोद तिवारी–

कोई सिर नहीं हिला रहा था ।

[समय 2 बजकर 20 मिनट]

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह कहा गया कि यह जो हत्या हुई है इसमें भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता या किसी अधिकारी की साजिश है, मान्यवर, ऐसी बात नहीं हैं, मैं इसका खंडन करता हूं ।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

मंत्री जी आप अफसरों को क्यों डिफेंड कर रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जो सूचना है उसके आधार पर मैं अपना बयान दे रहा हूं । अगर कहीं पता चलेगा कि किसी अधिकारी की साजिश है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी । जो यह कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ अभियुक्त घूम रहे हैं यह बात सही नहीं है । यह भी कहा गया कि अभियुक्तों को पकड़ने का प्रयास नहीं किया गया इस संबंध में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 5 टीमें बना दी गयी हैं जो अभियुक्तों को पकड़ने की चेष्टा करेंगी । जो नामजद मुल्जिम हैं उनका घर 16 तारीख को कुर्क कर लिया गया है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

क्या मिला ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जो मेरी जानकारी है उसके आधार पर, 5 ट्रक सामान वहां पर बरामद करके ले गये हैं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

यह बात आप जानकारी के आधार पर कह रहे हैं या रिकार्ड के आधार पर । रिकार्ड के आधार पर कह रहे हों तो बता दें क्या-क्या सामान है ? किस आधार पर आप कह रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय तिवारी जी इधर बैठकर जिस आधार पर उत्तर दिया करते थे उसी आधार पर उत्तर दिया है ।

श्री प्रमोद तिवारी –

मैं कभी गुप्ता जी की तरह गलत बयानी नहीं करता था इनका कहना है कि 5 ट्रक सामान मिला, बता दें क्या-क्या सामान है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

सामानों की सूची मेरे पास नहीं है । मैं यह भी बताना चाहता हूं कि 35 स्थानों पर दबिश दी जा चुकी है । दिल्ली, मेरठ, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, इन सब जगहों पर दबिश दी गयी है । माननीय विधायक श्री राजपाल त्यागी के भाई की हत्या हुई है उनको खतरा हो सकता है इसलिये उनकी सुरक्षा के लिये एक गनर उन्हें और दे दिया गया है । वहां पर सुरक्षा के लिये डेढ़ सेक्शन पी० ए० सी० लगा दी गयी है ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, अभियुक्तों को मय असलहा थाने से छोड़ा गया है । थाने से जब छोड़ा गया है दबिश कहां दी जा रही है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इसके अतिरिक्त जो गवाह थे उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की गयी है । मान्यवर, मैं स्पष्ट रूप से घोषणा करना चाहता हूं कि पूरी तत्परता के साथ कड़ी कार्यवाही की जायगी उन मुल्जिमों को पकड़ने के लिये ।

श्री प्रमोद तिवारी–

क्या कार्यवाही की जायगी, कोई निश्चित समय बतायेंगे, इस बात का जवाब दे दें कि 9 तारीख से 11 तारीख तक अभियुक्त थाने में मौजूद थे । कार भी मौजूद थी । किसके आदेश से अभियुक्तों को छोड़ दिया ? या तो घोषणा करें कि एक निश्चित समय में अपराधी पकड़े जायेंगे और एस० पी० के खिलाफ मुकदमा कायम किया जायगा । लेकिन ये केवल अपराधियों को बचा रहे हैं ।

(घोर व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल––

मेरे आरोपों का स्पष्ट जवाब दिलवा दें ।

श्री उपाध्यक्ष––

आप पहले उनको अपनी बात कहने का मौका दें । आप बैठें ।

(घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

(घोर व्यवधान के मध्य) जो बात माननीय सदस्य ने कही सही कही । श्री त्यागी की घटना की तारीख देख लें और जिस तारीख को बुलाया गया, उसकी तारीख देख लें । वह दूसरी घटना थी । दोनों मामले अलग-अलग हैं ।

श्री प्रमोद तिवारी--

यह झूठ है । यह [xxx] झूठ बोल रहे हैं । माननीय मंत्री जी अपराधियों को संरक्षण देकर, [xxx] बयान देकर उनको बचाना चाहते हैं । इससे बड़ा [xxx] और कोई नहीं हो सकता । ये अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं । 9 से 11 तारीख के बीच में रोहितास शर्मा ने बयान दिया कि कुशल पाल त्यागी की हत्या करेंगे....

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मेरा निवेदन सुन लें । पहले माननीय मंत्री जी को सुन लें ।

श्री स्वामी नाथ यादव--

मान्यवर, जब आशंका थी कि वे कुशल पाल त्यागी की हत्या करेंगे तो फिर अपराधियों को थाने से छोड़ कैसे दिया गया ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

वह बहैसियत वादी थाने में गये थे । थाने में उसकी एफ० आई० आर० लिखी गयी थी ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आपके बोलने से काम चल जाय तो बोल लें ।

श्री सुरेन्द्र नाथ--

मान्यवर, किसी व्यक्ति की हत्या का प्रश्न है । कितनी हत्याएं और होंगी ? आप भावनाओं को समझें (घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

पहले मंत्री जी को सुन लें ।

श्री सुखवीर सिंह गहलौत--

(घोर व्यवधान)

मान्यवर, मै स्पष्ट करना चाहता हूं कि 9 तारीख को जो कत्ल हुआ राजीव शर्मा का, उसकी एफ० आई० आर० रोहतास पंडित ने लिखाई है । वह 9 तारीख से 11 तारीख तक लिंक रोड थाने में रहा, 11 तारीख के बाद 13 तारीख तक कवि नगर थाने में उसको ले आये । वहीं पर लक्ष्मन और मनीष पंडित को ले आये । यही तीनों कुशल पाल त्यागी की हत्या में नामजद हैं । इनकी कार नं० डी० एल० सी० 2978 पर नाजायज असलहे पकड़े गये, लेकिन उनको तीनों को छोड़ दिया गया । इसी कार से कत्ल हुआ था (घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

कृपया शांति बनाये रखें ।

नोट :- [xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(श्री सुखवीर सिंह गहलौत, श्री सुरेन्द्र नाथ, श्री महेन्द्र सिंह भाटी, श्री नरेन्द्र सिंह भाटी तथा कई अन्य विरोध पक्ष के सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं सदन को 20 मिनट के लिये स्थगित करता हूं।

(इसके बाद 2 बजकर 30 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 2 बजकर 50 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी। 2 बजकर 50 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि श्री उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन सवा तीन बजे तक के लिये और बढ़ा दिया है।

3 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

अभी जिस विषय पर सदन के अन्दर विचार विमर्श हो रहा था, श्री कुशल पाल त्यागी, अध्यक्ष, जिला बार एसोसियेशन की हत्या के संबंध में जो नियम 56 में सूचना आयी थी उस सूचना में कुछ तथ्य संक्षेप में उल्लिखित किये गये थे, लेकिन मैं सुन रहा था कि माननीय सदस्यों ने बहुत ही विस्तार से इस घटना का उल्लेख किया है। मैं चाहूंगा कि इन सभी तथ्यों को जिनका उल्लेख सूचना में नहीं है और जो अब माननीय सदस्यों की चर्चा में आ गये हैं उनके संबंध में शासन जानकारी प्राप्त करके कल प्रश्नकाल के उपरान्त इस सदन को सूचना दे।

मैं अगली सूचना ले रहा हूं जो माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी की प्रदेश में अस्पतालों हेतु दवाओं की खरीद न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार की असंवेदनशीलता का इससे बड़ा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिल सकता। इस सरकार में कितनी असंवेदनशीलता व्याप्त है। इस प्रदेश में पिछले 20 सालों से इस बात की व्यवस्था थी कि अस्पतालों में जो गरीब मरीज होते हैं उनके भर्ती होने पर जीवन रक्षक दवायें उनमें बैन्डेज, ग्लूकोज, कुत्ता काटने की दवाई, सांप काटने की दवाई सब जितनी दवायें हैं अस्पतालों में उपलब्ध करायी जाती थीं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की आबादी 14 करोड़ मानकर चलें तो उत्तर प्रदेश में 27 करोड़ रुपये का जो परिव्यय रखा गया है, पिछले साल रखा गया था उससे 1.90 रु० प्रति व्यक्ति दवा का औसत आता है। एक तरफ तो आबादी बढ़ रही है और एक तरफ यह परिव्यय बजाय बढ़ने के पिछले 20 सालों से स्थिर रखा गया है। मान्यवर, बहुत सी सरकारें उसके लिये जिम्मेदार हैं लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस सरकार ने सभी नार्म्स धराशायी कर दिये। पहली बार इस प्रदेश में एक पैसे की दवा नहीं क्रय की गयी।

[समय 3 बजकर 30 मिनट]

दवा का पैसा लैप्स हो गया, पुराने बिलों के भुगतान में खर्च कर दिया गया और पहली बार 1991-92 में एक पैसे की दवा क्रय नहीं की गयी। यहीं आपके पास किंग जार्ज मेडिकल कालेज है, जो उत्तर प्रदेश के शीर्ष अस्पतालों में माना जाता है। मैं दो महीने पहले वहां गया था, ग्लूकोज चढ़ाने के लिये पैसा नहीं है, ग्लूकोज स्टैण्ड के लिये पैसा नहीं है, मरीज का परिचारक हाथ से बोतल पकड़कर खड़ा रहता है। इस प्रकार से आप मजबूर कर रहे हैं कि वह प्राइवेट नर्सिंग होम में जाकर इलाज कराये क्योंकि यहां पर अगर भर्ती होगा तो यह अस्पताल बूचड़खाना बन गया है। अगर आप "वैलफेयर

स्टेट'' की बात करते हैं तो आज घोषणा कीजिये कि 27 करोड़ रु० जो लैप्स हुआ है, उस संबंध में चाहे बड़े से बड़ा अधिकारी दोषी होगा तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ।

आपने 27 करोड़ रुपया लैप्स करा दिया । इसका मतलब अब आप चिकित्सा बजट में जो प्राविधान करेंगे, उसे खर्च भी करेंगे या नहीं । घोषणा करिये कि क्या प्रदेश में दो तरह की व्यवस्था चलेगी एक प्राइवेट नर्सिंग होम चलेंगे और दूसरी तरफ अस्पतालों का सामान डाक्टर घर ले जायेंगे ? सरकार के इस कार्य से प्रदेश के जन जीवन में असंतोष है । 31 मार्च को यह पैसा लैप्स किया गया है इससे महत्वपूर्ण और कोई दूसरा विषय नहीं हो सकता है । मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि इस गम्भीर विषय पर चर्चा करायें और वोटिंग करा लें । 1/10 सदस्य अगर हों तो कार्य-स्थगन के रूप में इसे स्वीकार करें क्योंकि इससे महत्वपूर्ण विषय नहीं हो सकता है । पूरे प्रदेश के अस्पतालों में दवा नाम की चीज नहीं मिल रही है । इससे बड़ा इस सरकार के दिवालियेपन का कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिल सकता है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

इससे ज्यादा इस सरकार की अक्षमता का और क्या प्रमाण हो सकता है कि राम राज्य के नाम पर जिसकी सरकार हो उसके राज्य में मरीज दम तोड़ते रहें ? कहावत है कि ''रोम जलता रहा और नीरो बांसुरी बजाता रहा ।'' यह एक गरीब प्रदेश है और इतने साधन नहीं हैं कि पूरी तरह से निःशुल्क सुविधा दे सकें । यहां पैसा देना चाहिए था, वह लैप्स हो गया । दवायें खरीदकर मरीजों को नहीं पहुंच सकीं इसकी जिम्मेदारी सरकार पर है । किसी और मद में खर्च न पाते तो अलग बात थी लेकिन जहां 14 करोड़ जनता के जीवन का प्रश्न हो वहां ऐसा करना उचित नहीं है । 27 करोड़ रुपये का आवंटन गत वर्ष था इस वर्ष उसे बढ़ा सकते थे लेकिन उसे घटाकर 21 करोड़ रुपये कर दिया गया है । अगर इनके तथ्यों में जायें तो स्पष्ट रूप से बात सामने आयेगी कि कुछ खास चुनिन्दा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिये यह सब कुछ किया गया है । मान्यवर, मैं समझता हूं कि यह एक तरह का आर्थिक घोटाला है यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने का प्रश्न इसमें निहित है । माननीय नेता विरोधी दल की बातों पर बल देते हुए यह कहना चाहता हूं कि यहां की संख्या आप देख लें अगर 1/10 सहमत हों तो कृपया इस कार्य-स्थगन पर चर्चा तुरन्त करा दें ।

* श्री सोमांश प्रकाश–

मान्यवर, मैं इस गम्भीर विषय पर आपके माध्यम से शासन का ध्यान जरूर दिलाना चाहूंगा, आज प्रदेश में जितने भी अस्पताल हैं, जनता में वैसे ही उनको बूचड़खाना माना जाता है । साधन सम्पन्न आदमी तो अस्पतालों में जाते ही नहीं हैं । प्रदेश का गरीब आदमी, साधन विहीन आदमी वहां जाता है ताकि उसको दवा मिल सके, डाक्टर के द्वारा उसका इलाज हो सके । मान्यवर, 27 करोड़ जो था, जिसकी बात अभी उठायी गयी, वह भी लैप्स हो गया । आगे के लिये रुपया बढ़ाया नहीं गया, किसी का इस बचे पैसे पर ध्यान नहीं गया यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है । मरीजों का क्या होगा ? इस प्रदेश के गरीब आदमी का क्या होगा ? जिस आदमी के पास दवा लेने के लिये पैसा नहीं है वह सरकारी अस्पतालों से दवा मिलने की आशा करता है मान्यवर, जितने भी डाक्टर हैं लगभग सबका ध्यान प्राइवेट प्रेक्टिस पर हो गया है । सरकारी अस्पतालों में डाक्टर ठीक से देखते नहीं मरीजों से कह देते हैं कि हमारे घर पर आकर दिखाना । आपका उन पर कोई अंकुश नहीं है ।

नोट :–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मेडिकल कालेज में भी यही स्थिति है । इस प्रदेश के उस गरीब आदमी का क्या होगा ? नर्सिंग होम फाईव स्टार होटल जैसे बन गये हैं । मुझे एक व्यक्ति के बारे में जानकारी है, एक बहुत गरीब आदमी था । उसका इलाज अस्पताल में नहीं हुआ । घर को रेहन रखके वह एक जगह इलाज के लिये गया । मेरठ के पास बहुत ज्यादा नर्सिंग होम खुल गये हैं, उसका पेट खोला गया, पेट खोलने के बाद बंद कर दिया गया, उसमें कोई बीमारी नहीं थी, एक हफ्ते के बाद वह आदमी मर गया । आज उसके बाल-बच्चे बरबाद हैं । आज प्रदेश में अस्पताल बूचड़खाने बन गये हैं । मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री से विशेष तौर पर बात कहूंगा कि यह कोई राजनीतिक बात नहीं है बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से यह देखा जाय कि हमारे प्रदेश के खास तौर से गरीब आदमी का क्या होगा जो साधन विहीन है उसका इलाज कैसे हो कैसे उसको बचाया जाय ?

श्री नरेश अग्रवाल---

मान्यवर, एक मिनट मैं भी इस पर बोलना चाहूंगा ।

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह---

मान्यवर, यह एक जिले की समस्या नहीं है, यह पर्टिकुलर एक चीज की समस्या नहीं है पूरे प्रदेश की समस्या है । इस विधान सभा के द्वारा, बजट के द्वारा वहां पर 27 करोड़ रुपये परिव्यय के लिये निश्चित है अगर किसी सदस्य का कोई निजी मामला होता तो आप उस पर उसी व्यक्ति को सुनते । लेकिन मैं यह आग्रह करूंगा कि आज जो माननीय सदस्यों ने सूचना दी है इससे गंभीर विषय और कोई हो नहीं सकता...

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्यों ने जिन्होंने नोटिस दी है, मैं उन्हें सुन रहा हूं ।

श्री नरेश अग्रवाल---

मान्यवर, एक कहावत है चिराग तले अंधेरा । कल की ही बात है आपके यहां बैठा हुआ था ए० टी० एस० इंजेक्शन लगवाना था । आपके प्राइवेट सेक्रेट्री ने सचिवालय डिस्पेन्सरी को फोन किया । कहा गया कि ए० टी० एस० वहां मौजूद नही है; निजी पैसा देकर लगवाना पड़ा । यह हालत यहां की सचिवालय डिस्पेंसरी की है तो अन्य जगहों का क्या हाल होगा ? चूंकि यह विभाग मुख्य मंत्री के पास है, इसको गंभीरता से लेना चाहिये । एक परम्परा चली आ रही है कि 31 मार्च, को स्वास्थ्य विभाग में भारी खरीद होती है । आप कई सालों का रिकार्ड देख लें एक दिन में अधिक खर्च करने का मतलब कुछ अनियमितता होना स्वाभाविक है । श्रीमन् 21 करोड़ रुपया आप पिछले साल का बजट उठाकर देखें तो 1.90 पैसा प्रति व्यक्ति इस सदन के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा देने के लिये रखा गया और वह भी उन गरीबों को न पहुंच पाये तो क्या स्थिति होगी ? माननीय मुख्य मंत्री जी के पास इस समय स्वास्थ्य विभाग है । उन्होंने नीति बनायी जिस नीति के तहत बहुराष्ट्रीय कम्पनी और जो प्राइवेट सेक्टर्स को दवाइयां खरीदने का अधिकार दिया गया । इसका मतलब यह हुआ कि जो छोटे लाइसेंस वाले हैं, जो लघु उद्योग हैं वह स्वतः बन्द हो जायेंगे जबकि आपकी सरकार यह कहती है कि हम लघु उद्योग को बढ़ावा देंगे । मान्यवर, यही दवाइयां लघु उद्योग के माध्यम से आधे दामों में मिलती थीं, जबकि जो बहुराष्ट्रीय कम्पनी हैं जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वह इसे तिगुने दाम में बेचती हैं । तो प्रदेश के सामने एक संकट पैदा हो गया है । मैं एक मिंसाल देना चाहूंगा । गोरखपुर में सी० एम० ओ० ने सेपट्रान दवाई

खरीदी । एक हजार टेबलेट का मूल्य 380 रुपये आता है लेकिन उन्होंने एक हजार टेबलेट 467 रु० में खरीदी और शासन से यह मांग की कि तीन लाख रुपया और दे दिया जाये । एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी उड़ीसा फारमासेटिकल्स ने ग्लूकोज सप्लाई किया । फफूंदी लगा ग्लूकोज था उसे स्वास्थ्य सचिव ने खुद पकड़ा ।

यू० पी० डी० पी० एल० को 3 करोड़ 3 लाख रुपये की दवाइयां परचेज करने के लिये दिया । उन्होंने एक करोड़ रुपये की दवा खरीदी बाकी सारा पैसा वह खा गये वह उसके खाते में पड़ा है । मैं नहीं कहना चाहता हूं, उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूं । एक अनूप खण्डेलवाल स्वास्थ्य विभाग में हैं वह जो चाहते हैं बहुराष्ट्रीय कम्पनी में वही दवाइयां खरीदी जाती हैं । एक अजीब सी स्थिति पैदा हो जायेगी, माननीय विधायकों को दवायें नहीं मिला करेंगी तो फिर अस्पतालों का क्या होगा ? आज वहां पर एक पैसे की दवा भी उपलब्ध नहीं है । गरीब बेचारा तड़प रहा है उसके परिवार के लोग बगैर दवा के मर रहे हैं उनको दवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, सम्पूर्ण प्रदेश में असंतोष व्याप्त है और सरकार की इस नीति और कारनामों पर आज प्रश्नचिन्ह इस सरकार के सामने खड़ा हो गया है क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री के अंतर्गत यह विभाग आता है इसलिये मैं कुछ नहीं कहूंगा । लेकिन शंका न पैदा हो इसलिये मुख्य मंत्री का कर्तव्य है कि जो शंका आयी है, उसका निवारण करें । मेरा आपसे अनुरोध है कि इस गम्भीर प्रकरण को देखते हुए, प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है इसको दृष्टिगत रखते हुए इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर जो बिन्दु हमने रखे हैं, उसका उत्तर दिलवाया जाये । श्रीमन्, वैसे तो आप यह कह देंगे कि यह कार्य-स्थगन में नहीं आता है इसलिये इस पर वोटिंग करा दी जाये और यदि 1/10 सदस्य इसमें सहमत हों तो कार्य-स्थगन में इस पर चर्चा करा दी जाये । मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एक नयी परम्परा की शुरुआत करें और इस पर वोटिंग करा दें और चर्चा करा दें तो वस्तुस्थिति की जानकारी हो जायेगी ।

श्री स्वामीनाथ यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जो गरीबों, मजदूरों और किसानों की मसीहा बनी बैठी हुई सरकार है उससे यह जानना चाहूंगा कि, जो यह पिछली सरकार की दुहाई दे रहे हैं लेकिन गरीबों को दवा नहीं मिल पा रही है, मजदूरों को दवा नहीं मिल पा रही है, किसानों को दवा नहीं मिल पा रही है जो अस्पताल खोले गये हैं और जिसके लिये 27 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया था उसको इन्होंने घटाकर 21 करोड़ रुपये कर दिया है । तो यही हमदर्दी है इनकी किसानों के प्रति । बजाये इसके कि उन्हें दवा उपलब्ध करायी जाये उनसे छीन ली जा रही है । मान्यवर, 21 करोड़ रुपया जब देते हैं तो 21 करोड़ में 11 करोड़ 75 लाख रुपया मुख्य चिकित्साधिकारियों को दवा खरीदने के लिये दे दिया गया । बाकी में से 9 करोड़ 27 लाख केन्द्रीय औषधि भंडार को दे दिया गया, इसमें से 7 करोड़ 78 लाख केन्द्रीय औषधि भंडार ने दवा खरीद के लिये रखा और 1 करोड़ ८७ लाख रुपये में से 70 लाख रुपये से पेन्डिंग बिलों का भुगतान किया जा रहा है । जो पैसा दवाओं की खरीद के लिये आवंटित हुआ, उस पैसे से पेन्डिंग बिलों का भुगतान किया जाना ठीक नहीं है । आज अस्पतालों में सर्प काटने, कुत्ता काटने की दवा उपलब्ध नहीं है, कहीं पट्टी, टेबलेट्स उपलब्ध नहीं हैं । इस सबके बावजूद 47 लाख रुपया पी० एल० ए० में जमा कर दिया गया और शेष 70 लाख रुपया पब्लिक सेक्टर को दवाओं के क्रय के लिये दिया गया, इस सबके बावजूद 30-31 मार्च तक एक भी पैसे की दवाओं की खरीद नहीं हुई और तमाम पैसा सरेन्डर किया गया । कुल मिलाकर 14 करोड़ 13 लाख रुपया पेन्डिंग बिलों के भुगतान में डाल दिया गया और सब चीजें एक क्रम में हुईं । ऐसा नहीं कि यह सब एक दिन में हो गया हो । लिहाजा मुख्य बात यह है कि कौन वह बड़ा अधिकारी है, जिसने ऐसा गैर जिम्मेदाराना कार्य किया है ?

आज अस्पताल में कौन जाता है, गरीब जाता है, मजदूर जाता है, किसान जाता है, जिसके पास पैसा नहीं है, वह जाता है, लेकिन सारे के सारे पैसों से पेन्डिंग बिलों का भुगतान कर दिया जाय, बाकी पी० एल० ए० में डाल दिया जाय, इसके लिये कौन दोषी है ? मान्यवर, आज प्रदेश के सम्पूर्ण अस्पताल दवाओं से खाली हैं और इसलिये मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह 4-5 आदमियों को यहीं से अपने साथ ले लें और केवल लखनऊ मेडिकल कालेज तथा कानपुर मेडिकल कालेज का निरीक्षण करा लें, सारी स्थिति स्पष्ट हो जायेगी । मैं आपको देवरिया सदर अस्पताल की बात बता दूं । अभी थोड़े दिनों पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं वहां अस्पताल गया, लेकिन मुझे बाहर से एक्सरे करवाना पड़ा, दवा भी बाहर से खरीदनी पड़ी, केवल प्लास्टर लगाने का काम अस्पताल में हुआ । हम कहते हैं कि ठीक है, आप हमें दवाई न दो, लेकिन जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, जिनके हाथ पैर टूट गये हों, उसको तो दवा मिलनी चाहिए । जब अस्पतालों में दवा नहीं है, तो इतने बड़े-बड़े डाक्टरों को वहां रखकर वेतन देने से क्या लाभ है ? आज जितने भी उपकेन्द्र खोले गये हैं, वहां केवल एक वार्डब्वाय रख दिया गया है, न डाक्टर है, और न दवा है । इसलिये मेरी मांग है कि यह जनजीवन से जुड़ा सवाल है और इस प्रदेश की मूल समस्या है, इसलिये इसे नियम 56 के अन्तर्गत कार्य-स्थगन के रूप में वोटिंग कराकर स्वीकार करें और इस पर आगे की कार्यवाही करें ।

श्री विजय पाल सिंह तोमर–

मान्यवर, बड़े दुख का विषय है कि पूरे प्रदेश के अस्पतालों में और मेडिकल कालेजों में दवा उपलब्ध नहीं है और मौजूदा सरकार का इतना घटिया काम रहा है कि पहली बार केवल 27 करोड़ का बजट इन्होंने इतने बड़े प्रदेश के लिये रखा है उसमें से 6 करोड़ रुपया सरेन्डर हो गया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ । 27 करोड़ का बजट पिछले 10-15 सालों से चल रहा है, लेकिन इनके द्वारा भी बजट बढ़ाने का प्राविधान नहीं किया गया । जो मौजूदा बजट था, उसके हिसाब से प्रति व्यक्ति 1.90 पैसे मिल रहा था, उसमें से भी 6 करोड़ सरेन्डर कर दिया गया । आज हालत यह है कि लाइफ सेविंग ड्रग्स तक अस्पतालों में उपलब्ध नहीं हैं । मेरठ के अस्पताल में सर्प काटने, कुत्ता काटने जैसी दवायें उपलब्ध नहीं हैं । जब गरीब मेडिकल कालेज जाता है, तो डाक्टर बाहर से दवा लेने के लिये लिख देते हैं, आज कोई भी आदमी अपना इलाज अस्पतालों में नहीं करा सकता । आज पूरे प्रदेश का सवाल है और जन जीवन से जुड़ा प्रश्न है, इसलिये इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर नेता विरोधी दल और प्रमोद तिवारी जी के विचारों से अपने को सम्बद्ध करते हुए मैं मांग करता हूं कि इस पर वोटिंग करा ली जाये और चर्चा कराई जाये ।

* राजस्व मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी)–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता कांग्रेस और अन्य माननीय सदस्यों ने नियम 311 के अन्तर्गत जो सूचना दी है.....

श्री अध्यक्ष–

इसे नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

तो मान्यवर, उसमें यह एक चूक कर गये । इस सूचना में सही तथ्यों की जानकारी नहीं थी । मैं बताना चाहता हूं कि यह बात अपनी जगह सही है कि वर्ष 91-92 में जो बजट प्राविधान था, वह 27 करोड़ का था, लेकिन मान्यवर, इन्हें यह भी जानना चाहिये कि 27 करोड़ रुपये में लगभग 4 करोड़ 83 लाख रुपया भारत सरकार की जो सामुदायिक स्वास्थ्य योजना चल रही है, उसके अन्तर्गत प्राप्त होने वाला अनुदान था, जो दो वर्ष से नहीं मिल रहा है । मुझे आश्चर्य होता है, जब यह लोग कहते हैं कि एक भी पैसे की दवा की खरीद नहीं हुयी । जब 90-91 का बजट आया, उस समय नेता विरोधी दल एक अच्छे मंत्री थे और प्रभावी थे उसके बाद 1990-91 में 22 करोड़ 10 लाख रुपये दिये गये जिसमें से मात्र 11 करोड़ 22 लाख रुपये की खरीद हुई, शेष 10 करोड़ 95 लाख रुपये पी०एल०ए० में डाल दिये गये । अब मैं 1991-92 के बारे में बताना चाहता हूं । इसमें 4 करोड़ 83 लाख रुपये भारत सरकार से आना था, परन्तु वह अनुदान हमें प्राप्त नहीं हुआ । हां, मितव्ययता के नाम पर 1 करोड़ 26 लाख की कटौती की गयी, शेष 20 करोड़ 91 लाख रुपये में से 20 करोड़ 7 लाख रुपये की औषधि खरीदी गई । जो यह कहा जा रहा है कि एक भी पैसे की दवा नहीं खरीदी गई, उसके परिपेक्ष्य में यह बात बता रहा हूं ।

श्री सोमांश प्रकाश–

माननीय मंत्री जी, आप स्वयं ही चेक कर लीजिए, किसी भी अस्पताल में दवा नहीं है ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

हम यह स्वीकार करते हैं कि अस्पतालों में दवाओं की कमी है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी स्वास्थ्य मंत्री की हैसियत से बोल रहे हैं । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि लोकल परचेज से, सेन्ट्रल परचेज से और सी०एम०ओ० के माध्यम से कितनी-कितनी दवा कहां-कहां खरीदी गई इसका विस्तृत विवरण वह दें ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, जो यह कहा जा रहा है कि एक पैसे की भी दवा नहीं खरीदी गई, उसके संबंध में यह बता रहा हूं कि 1991-92 में 20 करोड़ 7 लाख की दवा खरीदी गई है । अब 84 लाख रुपये शेष हैं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, तमाम माननीय सदस्यों का आरोप है कि दवाइयां नहीं खरीदी गईं । माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को इस बात की जानकारी होनी चाहिये कि सेन्ट्रल स्टोर से, सी०एम०ओ० के माध्यम से और सेन्ट्रल औषधि बोर्ड से कितनी-कितनी दवा कहां-कहां से खरीदी गई और कब-कब खरीदी गई ?

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि लगभग साढ़े चार करोड़ रुपये केन्द्र सरकार से प्राप्त होना था, जो नहीं मिला । इसके बावजूद भी मंत्री जी कहते हैं कि 20 करोड़ की दवाई खरीदी गई । अगर मान्यवर, 21 करोड़ रुपये में से चार करोड़ रुपये को घटा दिया जाय तो 17 करोड़ रुपये ही बचता है । तो ऐसी स्थिति में माननीय मंत्री जी ने 20 करोड़ की दवा कहां से खरीद ली ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, मुझे मालूम नहीं था कि माननीय सदस्य की गणित इतनी कमजोर है ।

श्री स्वामीनाथ यादव–

मान्यवर, 15 करोड़ रुपये तो पेंडिंग बिलों के भुगतान में चला गया और 47 लाख रुपये पी०एल०ए० में जमा कर दिया गया । तो फिर इन्होंने दवा कहां से खरीद ली, इसकी जांच करा ली जाय ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने जो यह प्रश्न किया है कि कहां-कहां से, कब-कब और कितने-कितने रुपये की दवा खरीदी गई है ? इसके लिए तो सूचना की आवश्यकता होगी ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, हमारा स्पष्ट आरोप है कि एक भी पैसे की दवा नहीं खरीदी गई । पेंडिंग बिलों का जो भुगतान किया गया है, उससे यह मान लिया गया है कि दवायें खरीदी गई हैं । कहां-कहां से, कब-कब और कितनी कितनी दवा खरीदी गई है ? इसकी सूचना माननीय मंत्री जी के पास नहीं है । इसलिए आप इसे स्थगित कर दें । जब मंत्री जी इस सूचना को कलेक्ट कर लें, उस दिन इसके बारे में बता दें ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, औषधि क्रय करने की एक नीति थी । उस नीति के अनुसार 60 व 40 का रेशियो रखा जाता था । केन्द्रीय भण्डार से 60 प्रतिशत व सी०एम०ओ० के माध्यम से 40 प्रतिशत दवा की खरीद होती है । तो यह जो खरीद की यह उन्हीं सोर्सेस के द्वारा की । अब हमने नीति में परिवर्तन किया है 80 और 20 का रेशियो रखा है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मैं नीति के बारे में नहीं पूछ रहा हूं । मैंने एक सवाल किया कौन-कौन सी कितनी-कितनी दवायें कहां-कहां से खरीदी गयीं ?

श्री अध्यक्ष–

वह तो माननीय मंत्री जी ने कह दिया डिटेल के लिए सूचना की आवश्यकता होगी ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

कब-कब दवायें खरीदी गयीं, कौन-कौन सी खरीदी गयीं दूसरा जो 15 करोड़ की बात है क्या वह भी इसमें जुड़ा है या नहीं ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मैं समझता हूं कि धैर्य रखेंगे तो उनकी शंका का समाधान हो जायेगा, हम उन्हें संतुष्ट करना चाहते हैं और अगर पहले से ही मन बना लिया है कि हम संतुष्ट नहीं होंगे तब दिक्कत आयेगी । कहा गया कि एक नये पैसे की दवा नहीं खरीदी गयी यह आरोप निराधार है । 20 करोड़ 7 लाख की औषधियां जो उसकी प्रक्रिया है उसके माध्यम से खरीदी गयीं । यही नहीं आपको बताना चाहता हूं जो आपके

शासनकाल का है 90-91 में 10 करोड़ 95 लाख पी०एल०ए० में डाल दिया गया उसमें भी हमने औषधि खरीदी 5 करोड़ 51 लाख की औषधि खरीदी ।

यह मैंने पहले निवेदन किया कि कौन-कौन दवा कितनी रूई पट्टी कहां से खरीदी इसका डिटेल देना जरा मुश्किल होगा । दूसरी बात आपने कही जो पुराने पेमेन्ट हैं उनका भुगतान किया जा रहा है नयी दवा नहीं खरीदी गयी तो ऐसा पहले होता होगा उससे मैं इनकार नहीं करता हूं । जब से यह सरकार आई हमने शासनादेश जारी किया है उसमें स्पष्ट कहा है 22 जनवरी का शासनादेश है उसकी संख्या 1159/सेक-2/5-92-4/32/91, दिनांक 22 जनवरी, 92 में स्पष्ट प्राविधान कर दिया कि जो धनराशि वर्ष 91-92 के लिए औषधि क्रय करने के लिए आवंटित होगी उसका उपयोग उसी में किया जायेगा और किसी भी दशा में पिछले वर्षों के लिये नहीं किया जायेगा ।

मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने निश्चित रूप से जी० ओ० जारी किया कार्य उसी के माध्यम से होगा । अब हमने नीति बनाई है इस वर्ष के बजट में औषधियों के लिये उपकरणों के क्रय करने के लिए प्राविधान कर दिया है । मान्यवर, पिछले वर्ष की 15 अप्रैल तक की सारी सूचना प्राप्त हो गयी है पी०एल०ए० में 5 करोड़ 44 लाख रू० में से भुगतान कर रहे हैं । तो जो आरोप लगाया है वह निराधार है । हो सकता है कहीं औषधियां नहीं मिल रही हों उसे मैं मानता हूं माननीय नरेश जी को कष्ट हुआ उसका खेद है माननीय अग्रवाल जी को स्वयं क्रय करना पड़ा ।

श्री प्रमोद तिवारी–

तो मान्यवर, हमारा निश्चित आरोप था कि दवायें नहीं खरीदी गयीं । माननीय मंत्री जी से जानना चाहा कि यह 20 करोड़ की दवायें खरीदी गयीं तो किन तारीखों में खरीदी गयी और कहां से खरीदी गयीं, स्टोर में कब पहुंची ? हमारा कहना है कि दवायें खरीदी ही नहीं गयी केवल कागज में फर्जी पेमेंट हो गया । यह जनता को दवा उपलब्ध नहीं करा रहे हैं । इसके विरोध में, मैं और मेरा दल सदन त्याग करता है ।

(श्री प्रमोद तिवारी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री स्वामी नाथ यादव–

30-31 मार्च तक कितने करोड़ रुपये सरेन्डर हुये हैं क्योंकि सदन को इस मसले पर गुमराह करना ठीक नहीं है । 5 करोड़ रुपया 30-31 मार्च या 1 अप्रैल के बाद सरेन्डर कर दिया गया । रुपया भी आ गया और सरेन्डर भी हो गया, यह बात समझ में आने वाली नहीं है । यह सवाल उत्तर प्रदेश की आम जनता से जुड़ा हुआ है । 15 करोड़ रुपया आपने पेंडिंग बिलों का भुगतान किया और पी० एल० ए० में जमा किया, उसके बाद भी यह कहते है कि दवायें खरीदी गयी हैं । यह सब सदन को गुमराह करने वाली बातें हैं ....(व्यवधान)... मैं नहीं बोलने पाऊंगा तो आपके नेता नहीं बोलने पाएंगे और संसदीय कार्य मंत्री नहीं बोल पाएंगे । (घोर व्यवधान) यह सरकार उस घोटाले में पूरी तरह शामिल है ।

कुवंर रेवती रमण सिंह–

मैं आपसे आग्रह करूंगा, मैंने आपसे एक बार नहीं कई बार प्रार्थना की कि जब हमारे इधर के–विरोध पक्ष के कोई माननीय सदस्य बोलते रहते हैं (व्यवधान) इनके ज्ञान का आप परिवर्द्धन कराइये यदि यह लोग यही करेंगे तो यह सदन इस तरह से नहीं चल पायेगा । यह लोग क्या कहते हैं और क्या करने लगते हैं कुछ समझ में नहीं आता है ? यह सदन स्वस्थ्य वाद-विवाद का स्थल है, लड़ने या छीटा

कसी करने का स्थान नहीं है । यदि उनकी बात सही नहीं है, उनको अच्छी नहीं लगती है तो उन्हें इसे अपने मंत्रियों को बताना चाहिए, लेकिन किसी को बोलने न दें यह अच्छी बात नहीं है । आप बहुमत में है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी को बोलने नहीं देंगे यह अच्छी बात नहीं है । अपने में थोड़ा धैर्य पैदा कीजिए । इतनी जोश-खरोश में न आइये । यहां कोई चौराहे का मल्ल युद्ध नहीं हो रहा है, स्वस्थ परम्परायें बनाइये ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, यही स्थिति रही तो किसी माननीय सदस्य को सदन त्याग करने के लिए मुझे कहने को विवश होना पड़ेगा । नियमावली में बहुत स्पष्ट है और मुझे आशा है कि सब लोगों ने उसे पढ़ा होगा इसलिए सब उसका पालन करेंगे । मैं स्वयं देखता हूं कि कोई सदस्य बोल रहे हैं तो छींटाकसी शुरू हो जाती है । स्वस्थ छींटाकसी है तो ठीक है, लेकिन इस तरह से हर वक्त छींटाकशी करना ठीक नहीं है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

यह सरकार भ्रम पैदा करना चाहती है । पूछा गया था कि यह दवायें कब-कब खरीदी गयी थीं, पी० एल० ए० में कब रुपया डाला गया और कितने रुपये का परचेज किया गया और कितने रुपये के पेडिंग बिलों का भुगतान किया गया ? लेकिन उन्होंने सही जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं इसके विरोध में अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग करता हूं ।

(कुंवर रेवती रमण सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये । कुछ सदस्य नारे लगाते हुये गये ।) [x x x]

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

वह सदन छोड़ कर जायें इस पर हमें कुछ नहीं कहना है यह उनका अपना अधिकार है । लेकिन उधर बहिष्कार करते हुये जो आरोप लगाये गये कि सरकार का इसमें हाथ है वह बिल्कुल गलत बात है । उसका मतलब है कि यहां पर वाक्य स्वातंत्र्य का सही रूप में उपयोग नहीं किया गया है ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मेरे दल की एक सदस्या इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहती हैं, आप उन्हें सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने किसी भी ऐसे माननीय सदस्य को इस पर बोलने का अवसर नहीं दिया है जिनके इस सूचना पर हस्ताक्षर नहीं हैं । इसलिए बहन जी मुझे क्षमा कर देंगी ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, स्पष्टीकरण में श्रीमती ज्ञानवती सिंह की बात सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

उनके हस्ताक्षर नहीं हैं, इसलिए क्षमा करेंगे ।

नाटः–[x x x] यह अंश मा० अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इस समय इतनी डिटेल्ड जानकारी ले आना कि पूरे वर्ष में किस-किस फर्म से कितना-कितना माल खरीदा गया, यह भी संभव नहीं था। मंत्री जी ने पूरी जानकारी दिया और कितने की दवाईयां खरीदी गयीं उसकी जानकारी दिया। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं लेकिन एक निवेदन भी है कि कठिनाई होती है कि आपकी अनुमति बिना कोई सदस्य बोलने लगता है जिससे यहां उत्तेजना पैदा होती है, इसलिए जब तक किसी का नाम न लिया जाए उसको संयम बरतना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात से मैं सहमत हूं।

श्रीमती ज्ञानवती सिंह–

मान्यवर, अध्यक्ष जी, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहती हूं लेकिन मुझे सही सूचना मिली है क्योंकि मैं अपने क्षेत्र में बराबर घूमती रहती हूं। इन 6 महीनों में जबसे यह सरकार आयी है, मैंने अपने क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निरीक्षण किया है। लेकिन खेद है कि किसी भी डिस्पेंसरी में मुझे दवा नहीं मिली। इग्लास क्षेत्र के प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र में तीन महीनों से दवा नहीं आयी थी। स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन तीन महीनों से टी० बी० रोगियों को नहीं दिया गया जबकि वहां 104 टी० बी० के रोगी दर्ज हैं और प्रत्येक को 90 इंजेक्शन की जरूरत होती है वहां केवल 100 स्ट्रेप्टोमाइसीन के इंजेक्शन तीन महीने के लिए दिये गये थे। इसी प्रकार फेमिली प्लानिंग में औरतों के लिए 6 महीने से, पी०एच०सी० को लूप की और अन्य फेमिली प्लानिंग के साधनों की सप्लाई नहीं हुई है, इसके अलावा वहां किसी प्रकार की दवा नहीं है। वहां के डाक्टर दवायें न होने से निष्क्रिय होकर बैठ गये हैं। मैंने कई प्रश्न भी इस संबंध में डाले हैं। मुख्य मंत्री से व्यक्तिगत रूप से मिली हूं और उनको इस संबंध में अवगत करा चुकी हूं अपने यहां के संबंध में दूसरों के बारे में मैं नहीं कह सकती हूं। मान्यवर, मैं मानती हूं कि दवायें खरीदी गयी होंगी लेकिन वह कहां गयीं ? मैंने सी० एम० ओ० से पूछा तो उन्होंने कहा कि सरकार से दवा नहीं मिली है सरकार को लिखा तो बताया गया कि दवायें खरीदी गयीं हैं। तो क्या सी० एम० ओ०, अधिकारी और डाक्टर और जनता सभी झूठे हैं और मंत्री जी केवल सच्चे हैं ? मान्यवर, इसका निर्णय आप ही करें।

श्री अध्यक्ष–

नेता विरोधी दल और अन्य माननीय सदस्यों ने अस्पताल में दवाओं के न खरीदने के संबंध में नियम 311 में सूचना दिया है जिसे नियम 56 में परिवर्तित करके सुना गया और सुनने के बाद राजस्व मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री को भी सुना और सुनने के पश्चात् .....।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए इस पर चर्चा जरूर करायें।

श्री अध्यक्ष–

आप मेरा निर्णय सुनें।

मेरा निर्णय है कि यह सूचना नियम 56 और 311 में ग्राह्य नहीं है। वैसे इस सूचना में जिस वर्ष का उल्लेख किया गया है, 1991 और 1992 में दवाओं के न खरीदने की बात कही गयी है। यह वर्ष बीत गया है और 21 दिन आज हो रहे हैं। इस सूचना में यह आरोप नहीं लगाया गया कि नये वर्ष में,

1992-93 में, दवाओं के क्रय करने में कोई धन आवंटन किया गया है तो इसलिए मुझे तो लगता है कि यह विषय भी अविलम्बनीय नहीं है । गत वित्तीय वर्ष से संबंधित है । इसलिये इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूं । माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये हैं मैं समझता हूं इसी हफ्ते चिकित्सा अनुदान की मांगों पर चर्चा होगी तो उस समय आपको अपने विचार व्यक्त करने का सही अवसर मिल सकेगा । माननीय सदस्यों से आज जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं माननीय मंत्री जी उस विषय में जानकारी कर लेंगे और उसका निराकरण करा लेंगे ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, इस पर अलग से चर्चा करा लें ।

श्री अध्यक्ष–

परसों चिकित्सा विभाग का बजट है । उस दिन चर्चा हो जायेगी । माननीय सदस्य उस समय अपने विचार विशेष तौर से व्यक्त कर सकते हैं ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, आप स्वयं देख रहे हैं कि सदन में एक-एक दिन में जिन बजटों के लिये खास तौर से पी० डब्ल्यू० डी०, कृषि, सिंचाई इनके लिये 3-3 दिन चर्चा होती थी । एक-एक दिन में पांच-पांच, छः-छः बजट रखे जा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

राणा जी, मैंने कह दिया कि जिस दिन चिकित्सा विभाग का बजट होगा उस दिन चर्चा करा लेंगे ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, यह अविलम्बनीय विषय है । आपसे अनुरोध है कि इस पर चर्चा जरूर करायें । आधे घंटे-एक घण्टे की चर्चा अलग से करवा लें । यह पिछले वित्तीय वर्ष का मामला कहा जा रहा है । मान्यवर, बीस दिन बीत गये हैं । बीस दिन पहले जो मरीज भर्ती हुए होंगे, वह आज भी दाखिल होंगे । अभी तो वही व्यवस्था होगी दवाओं के वितरण में जो बीस दिन पहले थी । इसको वहां से पता किया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष–

कुछ ऐसा कर लें कि सम्भवतः परसों की चिकित्सा विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी । उस समय पर्याप्त समय नहीं रहेगा तो आप एक लिखित सूचना दे दें । इस पर अलग से चर्चा करवा लेंगे । अगली सूचना श्री अकबर की है ।

श्री अकबर हुसैन––

मान्यवर, गत सप्ताह मुरादाबाद जनपद में लगभग 50 स्थानों पर बिजली के टूटे लटकते हुए तारों से आग लग जाने की दर्जनों दुर्घटनाएं हुई हैं जिसमें मेरे क्षेत्र कुन्दरकी में बिजली के टूटे तारों से आग लग जाने की अनेकों घटना हुई है । उसमें किसानों की गेहूं की खड़ी फसल और कई स्थानों में गन्ने के खेतों में और कई जगहों पर खलिहानों में रखे गेहूं की फसल में आग लगी है जिससे किसानों की मेहनत की कमाई का जो गेहूं इस समय काटकर खलिहानों में रखा था, जलकर नष्ट हो गया है । मान्यवर, यह दुर्घटना एक जनपद से संबंधित है, इतने बड़े महत्व का मामला नहीं था जो आपके माध्यम से इस सदन

में उठाया जाता लेकिन जब जनपद के अधिकारियों ने इस तरफ गम्भीरता से ध्यान नहीं दिया । बार-बार शिकायतें की गईं कि लाइनों के तार ढीले हैं, आपस में टकराकर टूट रहे हैं । 7-8 दुर्घटनाएं मेरे क्षेत्र में हो चुकी हैं ।

इसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई तो मजबूर होकर आपके माध्यम से इस मसले को सरकार के सामने रखते हुए यह मांग करता हूं कि मेरे क्षेत्र मुरादाबाद में ही नहीं पूरे प्रदेश में आज ऐसी ही हालत विद्युत विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से हो गयी है । प्रदेश के अन्य जनपदों में भी ऐसी दुर्घटनाएं हो सकती हैं । इस मसले की महत्ता को देखते हुए इस पर चर्चा करायें । यह समस्या यूं ही समाप्त होने वाली नहीं है, जिन कारणों से आग लगी । वह कारण आज भी मौजूद हैं । ढीले तार जमीन पर लटके हुए हैं । मैं चाहूंगा कि सदन की आगे की कार्यवाही रोकर इस मसले पर चर्चा करा दें अन्य जनपदों में इस तरह की दुर्घटनाएं न हों मेरा आपसे अनुरोध है कि आप शासन को इस ओर ध्यान देने के लिये आदेशित करें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं यह सूचना अग्राह्य करता हूं लेकिन शासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर रहा हूं ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, नियम 56 में मैंने सूचना दी है श्रीमन् जनपद पीलीभीत में एक गुनहान गांव था । तहसील पूरनपुर में 230 परिवार श्रीमन् पूर्वांचल के 570 परिवार, जिसमें बंगाली समुदाय के लोग भी निवास करते थे पिछले वर्ष भाजपा की सरकार में पूरे गांव शारदा नदी में विलीन हो गये । उनके खेत नष्ट हो गए । तमाम जनता सड़क पर हो गई । कुछ लोग पीलीभीत के जिलाधिकारी जिला प्रशासन के पास भी गये । मान्यवर, 500 परिवार मुरादाबाद, मेरठ तथा अन्य जनपदों में जाकर अपने माध्यम से पैसा लगाकर मकान बनवाकर निवास करने लगे, लेकिन 100 परिवार जिसमें 57 परिवार पूर्वांचल के हैं पूरी तरह से सड़क पर हैं और सड़कों पर पूरे प्रदेश का भ्रमण किए हैं । उनको कहीं जगह नहीं मिली है । इनकी सरकार ने उनको जगह नहीं दी है । अन्त में वह हरदोई पहुंच गए । मान्यवर, अमीरता, तहसील, शाहाबाद में ग्राम प्रधान से उन लोगों ने सम्पर्क किया और गांव के प्रधान उन्हें अपने गांव में ले आए । उनसे 30 हजार रुपया नगद ले लिया और ग्राम प्रधान ने वायदा किया कि हम तुमको पट्टा दे देंगे ।

ग्राम प्रधान ने उनको बसा तो दिया लेकिन उनको पट्टा नहीं दिया । श्रीमन् अमीरता ग्राम का प्रधान जो है वह गुंडा प्रवृत्ति का है उसने तीस हजार रुपया उन लोगों से ले लिया उनकी औरतों, महिलाओं ने आभूषणों को बेचकर 30 हजार रुपया उन 100 परिवारों ने इकट्ठा किया और गांव के प्रधान को दिया । गांव के प्रधान ने उन्हें बसा दिया नौ महीने से वह बसे हैं इस समय वर्तमान समय में एक-दो सप्ताह से ग्राम-प्रधान द्वारा उन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है । पट्टा नहीं दिया जा रहा है । गांव छोड़ने के लिए धमकी दी जा रही है । (इस समय 4 बजकर 12 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।) बन्दूक और भाले लेकर उन लोगों को, ग्राम प्रधान के इशारों पर धमकी दी जा रही है । उन लोगों पर हमला किया गया । यह सरकार रोटी के नाम पर आई है । रोटी यह दें न दें, लेकिन उत्तर प्रदेश के 100 परिवारों को बसाने के लिए कार्य करें । इस सम्बन्ध में कई बार गांव के लोगों ने प्रयास किया । जिलाधिकारी पीलीभीत ने जिलाधिकारी हरदोई को 19 नवम्बर, 1991 को पत्र लिखा । जिलाधिकारी पीलीभीत ने हरदोई के जिलाधिकारी से अनुरोध किया कि 100 परिवार हैं इनको बसाने की कृपा करें ।

13 मार्च को महामहिम राज्यपाल ने जिलाधिकारी हरदोई को पत्र लिखा 29 दिसम्बर को पुनः जिलाधिकारी पीलीभीत ने जिलाधिकारी हरदोई को पत्र लिखा । 17 दिसम्बर, को श्रीमन् राजस्व सचिव से मिलकर मैंने स्वयं अनुरोध किया कि 100 परिवार सड़क पर धूम रहे हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है । पूरे बाल बच्चों को लेकर कहां-कहां घूम रहे हैं । इसमें राजस्व सचिव ने स्पष्ट आश्वासन दिया, वहां बसवा देंगे सारी कापी नोटिस में संलग्न हैं शासन को पत्र दिया गया है और जो शासन से उत्तर दिए गये हैं सब इसमें संलग्न हैं लेकिन परिवार नहीं बस पाए आप रोटी न दे पाएं तो उनको तो बसा दीजिए ।

यह लोग अपने बल पर रोजी रोटी कमा लेंगे आप केवल एक काम कर दीजिये कि इनको बसवा दीजिये । मेरे पास उस गांव, की सम्बन्धित जमीन का इंतखाब है । 136 हेक्टेयर का नम्बर गांव सभा के नाम दर्ज है । यह अविलम्बनीय और लोक महत्व का प्रश्न है । मैं चाहता हूं कि इस मामले पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने अपनी सूचना में कहा कि शारदा नदी की कटान से 800 परिवार विस्थापित हो गये जिनमें से 700 परिवार सेटिल हो गये हैं । नियमों में यह व्यवस्था है कि जिलाधिकारी के माध्यम से स्थान का चयन होता है । पीलीभीत में जगह नहीं है । इसके बाद प्रक्रिया यह है कि हम मंडल से जानकारी प्राप्त करते हैं । यह गरीब लोग हरदोई के एक गांव में बस गये हैं । आवश्यकता इस बात की है कि उनके पास यह परिपत्र होना चाहिये कि नदी की कटान से यह विस्थापित हुये हैं । यह लोग पहले पुरवा में बसाये गये थे, बंगाल के शरणार्थी के रूप में यह लोग आये थे । इनको बसाने का दायित्व शासन का है ।

इस सम्बन्ध में पूरी कार्यवाही की जायगी । एक बात यह कही गयी कि जहां यह बसे हैं वहां के प्रधान द्वारा यह प्रताड़ित किये जा रहे हैं और इनको भगाने की चेष्ठा की जा रही है । इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी से जानकारी प्राप्त की जा रही है और कार्यवाही की जायगी । तत्काल इस बात के निर्देश किये जा रहे हैं कि उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाय । लेकिन इनके बसाने में जो विधिक प्रक्रिया है उसका पालन करना आवश्यक है । शासन की मान्यता इनको यथा स्थान बसाने की है, इस पर हमारे कदम आगे बढ़ रहे हैं । इनकी सुरक्षा हो और इनको प्रताड़ित न किया जा सके इसकी व्यवस्था की जा रही है । मैं समझता हूं कि इस पर कोई आवश्यकता नहीं है कि सदन का कार्य रोक कर चर्चा करायी जाये ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने विधिक प्रक्रिया की बात कही है । पीलीभीत के जिलाधिकारी ने पूरे संलग्नक दिया है जिसमें लेखपाल से लेकर, तहसीलदार, कानूनगो, कलेक्टर सबकी स्पष्ट सूचना है कि यह गांव शारदा नदी में गिर चुका है । इसको दिखवा लें, पूरी कार्यवाही हो चुकी है । आप इनको बसाने की कृपा करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैंने कह दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

इन सूचनाओं की ग्राह्यता के बारे में सुना गया और उन्हें अग्राह्य किया गया है । अगली सूचना माननीय राम औतार शाक्य की जनपद मैनपुरी में बिजली के तारों के टूटने से हुई दुर्घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । दूसरी सूचना श्री इकबाल महमूद, श्री लालजी वर्मा, श्री मुन्ना चौहान, श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री जाहिद हुसेन की प्रदेश में नगर पालिकाओं में चुनाव की प्रक्रिया शुरू करके उसे सरकार द्वारा रद्द किये जाने के संबंध में है । तीसरी सूचना श्री खालिद गौरी की जिला कारागार हरदोई में एक बंदी की मार मार कर हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । चौथी सूचना श्री दिनेश चन्द्र सोनकर, श्री दुलारे लाल, श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री विक्रमाजीत मौर्य की लखनऊ स्थित विधायका निवास एक व दो में रह रहे विधायकों को, दो-दो आवासों को मिलाकर एक आवास में परिवर्तित कर आवंटित किये जाने के संबंध में है ।

[समय– 4 बजकर 20 मिनट]

पांचवीं सूचना श्री पवन कुमार पाण्डेय की प्रदेश के विभिन्न जनपदों तथा जनपद फैजाबाद के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इन सूचनाओं की ओर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है । निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं नियम 56 के अन्तर्गत चयनित नहीं की गयी अतः अस्वीकार की गयी हैं । श्री मोहम्मद रिजवानुल हक, श्री अकबर, श्री सन्त बख्श रावत, श्री हरिवंश सहाय, श्री मोहम्मद हसन, श्री भारत सिंह रावत, श्री मुन्ना चौहान, श्री बेनी प्रसाद वर्मा, श्री हृदय नारायण दीक्षित, श्री महराज सिंह यादव, श्री मोहम्मद आजम खां, श्री जाहिद हुसैन, श्री दिनेश चन्द्र सोनकर तथा श्री हरिवंश सहाय ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, कल श्री सुन्दर लाल जी ने एक सूचना दी थी जिस पर संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था ..... (व्यवधान)

श्री सुन्दर लाल–

मान्यवर, कल मेंने एक सूचना दी थी कि उन्नाव के एक गांव में एस०डी०एम० ने बाबा साहब अम्बेदकर की मूर्ति को तोड़ दिया, जबकि गांव में कोई विवाद नहीं था, शांति थी, लेकिन एस०डी०एम० ने पुलिस बल पर बलपूर्वक उस मूर्ति को तोड़ दिया । कल संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि सूचना नहीं है और आज के लिए जवाब देने के लिए कहा था । मैं कहना चाहता हूं कि मेरे पास स्पष्ट प्रमाण हैं कि वहां मूर्ति तोड़ी गयी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरे पास सूचना है, अनुमति दें तो बता दूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

कल जिस समय माननीय सुन्दर लाल जी की सूचना ली गयी थी उस समय आपने कुछ असमर्थता जाहिर की थी जवाब देने में और आपने सदन को अवगत कराया था कि जानकारी करके आज बता देंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरे पास जानकारी है । मान्यवर, जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, मैं आपके माध्यम से इस आदरणीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । ग्राम पोरई में ग्राम समाज की जमीन खतौनी खाता संख्या 311 के गाटा संख्या 301 जिसका क्षेत्रफल 3 बीघा 8 बिस्वा 16 बिस्वांसी है, पर बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अवैध निर्माण का प्रयास किया जा रहा था । ऐसी सूचना थानाध्यक्ष बिहार व तहसीलदार को थाना बिहार पर ही दिनांक 14-4-92 को प्राप्त हुई । इस सूचना के प्राप्त होने पर ग्राम प्रधान पोरई श्री विद्या सिंह जो बिहार बाजार में ही मौजूद था, को बुलाकर इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गयी तो उसने इस सूचना का समर्थन किया उसी ग्राम के लेखपाल से जानकारी प्राप्त करने पर और ग्राम प्रधान की स्वीकारोक्ति से यह स्पष्ट हो गया कि ग्राम समाज की जमीन पर जहां पर पहले घूर फेंका जाता था एक चबूतरा बनाकर और चबूतरे पर सीमेंट के ब्लाक को तराश कर डाक्टर भीमराव अम्बेदकर की प्रतिमा स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा था । इस जानकारी के सत्यापित होने के बाद तहसीलदार द्वारा ग्राम प्रधान को यह समझाया गया कि ग्राम समाज की जमीन पर बिना किसी अनुमति के अवैध निर्माण गलत है ।

आप स्वयं और ग्रामवासियों के सहयोग से इस अतिक्रमण को हटा लें । इसके उपरान्त ग्राम प्रधान और उस ग्राम के लोग जिसमें मुख्य रूप से अनुसूचित जाति के लोग सम्मिलित थे, अतिक्रमण को हटा लिया । मान्यवर, इस घटना से वहां कोई तनाव नहीं है । न शांति व्यवस्था के लिए खतरा है । जो जानकारी प्राप्त हुई, मैंने सामने रख दी ।

* श्री सुन्दर लाल–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी को प्राप्त सूचना गलत है । वहां एस०डी०एम० गये थे । वहां मूर्ति पहले से लगी थी और बाद में तोड़ा है, यह फैक्ट है । यह गम्भीर मामला है । बाबा साहब अम्बेदकर की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है और एक अधिकारी ने मूर्ति को तोड़ दिया । यह सत्य है । मैं चाहता हूं कि मेरे कार्य-स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करके चर्चा की जाय, नहीं तो विश्वास के साथ कहता हूं कि किसी भी मंत्री को भेज कर आख्या मंगा लें और जांच करा लें कि एस०डी०एम० ने तोड़ी है कि नहीं । नहीं तो विधायकों और कुछ अन्य लोगों की कमेटी बना दें जो जांच करें कि मूर्ति तोड़ी है या नहीं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने जानकारी को गौर से देखने की चेष्टा की । मूर्ति अगर तोड़ी गयी तो उसकी बाबा साहब अम्बेदकर की आकृति होनी चाहिये थी । मूर्ति पूरी बनी नहीं है । केवल पैर बने थे । तो मान्यवर,जांच के दो बिन्दु हैं, किसने तोड़ा और दूसरे बाबा साहब की मूर्ति थी या नहीं थी । यदि वहां पर मूर्ति थी, तो वह टूटने के बाद किसी भी दशा में तो वह विद्यमान ही होगी । मान्यवर, यहां ा किसी को भेजकर उसकी जांच करा ली जायगी ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने एक तथ्य दिया कि वह जमीन ग्राम समाज की थी, मान्यवर, यदि किसी व्यक्ति ने ग्राम समाज की जमीन पर निर्माण कराया है, तो क्यों उसे गिराया जा सकता है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

यह तो माननीय दीक्षित जी स्वयं जानते हैं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, अवैध निर्माण अगर था, तो उसकी नोटिस दी जानी चाहिए थी ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सुन्दर लाल–

मैं यह नहीं कहता हूं कि वह जमीन ग्राम समाज की है। वह जमीन हरिजन आबादी के बीच में स्थित है, वहां पर लोगों का घर बना हुआ है, उनका चबूतरा है, उस स्थान पर मूर्ति लगी थी, उसको एस०डी०एम० ने तोड़ा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं बताना नहीं चाहता हूं, आपस में वहां पर झगड़ा है। ये जिसको कहेंगे, उससे मैं जांच करवा लूंगा।

श्री सुन्दर लाल–

मान्यवर, उस मूर्ति को एस०डी०एम० ने तोड़ा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैंने तो कह दिया कि उसकी जांच करवा लूंगा।

वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या 47–प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, अनुदान संख्या 72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा), अनुदान संख्या 75–शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)

माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योग मंत्री (श्री राज नाथ सिंह)

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 47–प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 68,11,12,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 70–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,85,70,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,04,06,47,000रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 75–शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,44,92,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, 1992-93 वित्तीय वर्ष के लिये तकनीकी शिक्षा का बजट पेश करते हुये मुझे अतीव प्रसन्नता हो रहीं है और में अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूं। मान्यवर, प्रसन्नता होने और

गौरवान्वित होने का कारण यह है कि 1992-93 के वित्तीय वर्ष के लिये तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में लम्बी छलांग लगाने की योजना तैयार की है । मान्यवर, किसी भी देश और प्रदेश के विकास के लिए और उसकी आर्थिक समृद्धि के लिए विज्ञान और तकनीक का विकास भी अनिवार्य है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में बहु आयामी प्रयास किये गये हैं, जिनके कारण क्रान्तिकारी परिवर्तन हुये हैं और उसके अनुरूप तकनीकी शिक्षा के प्रशिक्षण को नई दिशा देने पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है ।

जहां तक तकनीकी विकास का प्रश्न है, प्राचीन भारत में विज्ञान तकनीक और गणित का अध्ययन उच्च कोटि का था और इन विषयों की उस समय लोगों को अच्छी जानकारी थी । इनमें उस समय जिस ऊंचाई को भारत ने प्राप्त कर लिया था, आज विश्व के देश उस ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं और उस समय इसी कारण हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, इसके पीछे कारण यह था कि विज्ञान, तकनीक और गणित में हमारे देश ने एक ऐसी ऊंचाई को प्राप्त कर लिया था कि जितनी पैदावार करना चाहता था, उतनी पैदावार कर सकता था और लोगों को जितना काम देना चाहता था, उतना काम देने की स्थिति में था इसलिए भारत सोने की चिड़िया कहलाता था । मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के माध्यम से जन-शक्ति को प्रशिक्षित करने की बात करते हैं, तो हमारा ध्यान इस ओर रहता है कि जो तकनीक हमें विकसित करना चाहते हैं, वह इस प्रकार की होनी चाहिए, जिससे हम मानव मात्र की सेवा कर सकें ।

मान्यवर, जब हम तकनीक की बात करते हैं, तो हमारा ध्यान विकसित देशों की ओर चला जाता है । मान्यवर, जहां हमारा ध्यान उन देशों की ओर चला जाता है वहीं हमारा ध्यान तकनीकी दृष्टि से विकसित देशों के आर्थिक ढांचे, इकोनामिक स्ट्रक्चर की ओर भी चला जाता है । जब हम उसको देखते हैं कि वह आज टूटने की स्थिति में पहुंच गया है । तकनीकी विकास करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम मानव की सेवा में किस सीमा तक सफल हो सकेंगे, उसका प्रयोग मानव की सेवा में किस हद तक कर सकेंगे । वहां पर तकनीकी विकास हुआ, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप श्रम और पूंजी में द्वन्द हुआ और अराजक स्थिति पैदा हुई और कहा गया कि धनी वर्ग धनी होता जा रहा है और गरीब वर्ग गरीब होता जा रहा है ।

विगत कुछ वर्षों में इस तरह की स्थिति पैदा हुई है कि तकनीक का प्रयोग जिस रूप में किया जा रहा है, उसके कारण धनी कुछ ज्यादा धनी और गरीब कुछ ज्यादा गरीब होता चला जा रहा है । एक कहावत है कि अमीर धन पैदा करता है और गरीब बच्चे पैदा करता है, तो यह स्थिति आज है । मान्यवर, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुये हम किसी संतुलित विकास की ओर बढ़ेंगे, यह प्रयत्न हमारा चल रहा है और इसके लिये कुछ तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, जिससे वह उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, तो मान्यवर, यह हमारा प्रयास है । जहां मान्यवर, हम पुरुषों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, वहीं पर हम महिलाओं को भी इसका भागीदार बनाने पर बल दे रहे हैं और जो प्रशिक्षण संस्थायें हैं उनमें आधुनिक उपकरण की उपलब्धता को हम सुनिश्चित करेंगे और उसके लिये प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं । इस प्रकार यह जो मांग मैंने प्रस्तुत की है उसमें 47.61 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है ओर विगत वित्तीय वर्ष 1991-92 में प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में जितनी कुशलतापूर्वक हम आगे बढ़े हैं हमारी प्रगति को देखकर वास्तव में सातवीं पंचवर्षीय योजना में मात्र 86.5 करोड़ रुपये का परिव्यय आवंटित किया गया था लेकिन वर्तमान शासन के प्रयत्नों के कारण जो विशिष्ट उपलब्धियां हासिल की गयीं उसको देखते हुए सातवीं पंचवर्षीय योजना में 86.50 करोड़

रुपये को बढ़ाकर 465.13 करोड़ रुपये निश्चित कर दिया गया है। यह केवल हमारी जो उपलब्धियां हैं उनके कारण आठवीं पंचवर्षीय योजना के परिव्यय में इतनी भारी वृद्धि हुई है।

इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में 12 डिग्री स्तरीय हमारे जो इंजीनियरिंग कालेजज हैं जिसमें रुड़की विश्वविद्यालय सम्मिलित है। जो स्नातक स्तर पर शिक्षा इसमें दी जा रही है, 1935 छात्र इस समय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं स्नातकोत्तर स्तर पर 562 छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। 91-92 के वित्तीय वर्ष में हमारी उपलब्धि यह रही है कि डिग्री स्तर पर वर्ष 91-92 में पर्वतीय क्षेत्र के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित गोविन्द बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कालेज, पौड़ी तथा कुमाऊं क्षेत्र में स्थित द्वारहाट इंजीनियरिंग कालेज, द्वारहाट में हमने चालू किया है और वहां पर चालू शैक्षिक सत्र से विधिवत प्रशिक्षण प्रारम्भ कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त हमारे 88 पालीटेक्निक पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय चल रहे हैं और उनमें जितने छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उनकी संख्या लगभग सात हजार छः सौ पन्द्रह है और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है कि उत्तरांचल में भी पर्याप्त इस प्रकार की पालीटेक्निक चलायी जानी चाहिए ताकि उत्तरांचल के रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनको समुचित रूप से तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा सके। उत्तरांचल की 16 पालीटेक्निक में इस समय 1455 छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। मान्यवर, विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत सुविधायें राज्य सरकारों को उपलब्ध होती हैं उनको धनराशि भी उपलब्ध कराई जाती हैं और विश्व बैंक जिसमें इस देश के सारे प्रदेशों को तकनीकी दृष्टि से देखा और विश्व बैंक परियोजना मूल्यांकन दल ने उत्तर प्रदेश में इस योजना का क्रियान्यवन सर्वाधिक सराहनीय पाया और उससे संतुष्ट होकर इस प्रदेश का चयन किया है। उसके परिणामस्वरूप हमारा जो आउटले हैं उसको बढ़ाकर 319 कारोड़ रुपये कर दिया है। 92-93 के इस वित्तीय वर्ष में एक नवसृजित जनपद सोनभद्र है। इस सोनभद्र में राजकीय पालीटेक्निक की स्थापना हेतु धनराशि उपलब्ध काराई जा रही है। मान्यवर, जैसा मैंने निवेदन किया जहां पर तकनीकी दृष्टि से पुरुषों को प्रशिक्षित करना चाहते हैं वहीं पर महिलाओं को भी अधिक से अधिक तकनीकी दृष्टि से प्रशिक्षित किया जा सके इस ओर ध्यान दिया गया है।

छठीं पंचवर्षीय योजना में इस ओर महिलाओं के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान जो लखनऊ में स्थित था वहीं अब इनकी संख्या बढ़ाकर 13 कर दी गयी है और अब कानपुर, गोरखपुर, मथुरा, अमेठी (सुल्तानपुर), बरेली, वाराणसी, देहरादून, अल्मोड़ा,शामली, मुजफ्फरनगर, झांसी, मुरादाबाद, इलाहाबाद में एक एक महिला पालीटेक्निक संस्था स्वीकृत हो गयी है। वर्ष 1992-93 में झांसी, इलाहाबाद और वाराणसी में जो सरकारी संस्था है उनमें विधिवत प्रशिक्षण प्रारम्भ हो जाय। इसके अतिरिक्त महिलाओं को प्राविधिक शिक्षा देने के लिए राजकीय पालीटेक्निक कानपुर और आई० ई० आर०टी० इलाहाबाद में महिलाओं के लिए प्रातःकालीन पाली में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है। इसके साथ ही साथ जो इस प्रकार की टेक्निकल संस्थायें हैं उनमें जो पाठ्यक्रम है उसका ओरियन्टेशन किस प्रकार से किया जाय ताकि छात्र प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जब संस्था से बाहर निकले तो वह स्वयं कोई न कोई रोजगार लगाने की, उद्यम करने की स्थिति में अपने को पा सकें।

(इस समय 4 बजकर 40 मिनट पर अधिष्ठाता श्रीमती उर्मिला राजपूत पीठासीन हुई।)

इस दृष्टि से भी पाठ्यक्रमों का पुनरीक्षण किया जा रहा है। तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत शोध, विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान भी काम कर रहा है। यह विशेषकर तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में कैसे गुणात्मक सुधार किये जा सकते हैं इस सम्बन्ध में शोध कार्य कर रहा है। अभी तक 23 प्रशिक्षण

कार्यक्रम किये जा चुके हैं, 361 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है । कम्प्यूटर शिक्षा के दृष्टि से भी अच्छी संख्या में अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है । जो प्राविधिक शिक्षा की परीक्षायें होती हैं, उनका संचालन प्राविधिक शिक्षा परिषद करती है । यह परीक्षा समुचित रूप से चल सके और जिस प्रकार से माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में नकल की प्रवृत्ति बढ़ी थी, वही प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में भी होता था । इसलिए यह निर्णय लिया है कि प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में भी नकल को संज्ञेय अपराध बनाया जाय ।

परीक्षा की प्रमाणिकता बनी रहे इसलिये ऐसा किया गया है । प्राविधिक शिक्षा के कार्यक्रम का विकास में कैसे प्रभावी हो सके इस दृष्टि से भी विचार किया है । ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि अधिक से अधिक ट्रेनीज गांव में जाकर निश्चित अवधि तक रह सकें और अपना योगदान ग्रामवासियों को प्रशिक्षित करने में दे सकें । कम्युनिटी पालीटेक्निक कार्यक्रम 25 संस्थानों में चलाया जा रहा है । मुस्लिम बहुल 13 जनपद प्रदेश में हैं, उनमें यह व्यवस्था की गयी है कि कम्युनिटी-पालीटेक्निक प्रशिक्षण में 50 प्रतिशत अल्पसंख्यक ट्रेनीज को प्रवेश दिया जाय । इसके अन्तर्गत 91-92 में 5844 से भी अधिक स्थानीय ग्रामीण युवक और युवतियों को प्रशिक्षित किया जायगा । धुंआ रहित चूल्हा और कृषि उपकरणों का कार्य प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण के अन्तर्गत किया है । सेमीनार, पौध लगाने का कार्यक्रम भी यथासम्भव संस्थाओं के ग्रामीण विकास में योगदान उपलब्ध कराकर किया है । तकनीकी शिक्षा की दृष्टि से वैदिक गणित की उपयोगिता को विद्वानों ने स्वीकार किया है । अगले सत्र से ही प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इसका यथोचित समावेश किया जायगा । इस प्रकार से तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार 92-93 के वित्तीय वर्ष में लम्बी छलांग लगाने जा रही है ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि इस विभाग के तीन भाग हैं । पहली उत्तर प्रदेश राजकीय वेधशाला, मनेरी पीक, नैनीताल, इसने 510 शोध पत्र प्रकाशित किये हैं, 26 लोग पी०एच०डी० की डिग्री प्राप्त करके बाहर निकल चुके हैं । बदली हुई टेक्नोलाजी को देखते हुए मान्यवर दूरबीन लगी हुई वेधशाला में आज सिलसिले से नये डिवाइसेस लगाये जा रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री राजनाथ सिंह–

1992-93 में वेधशाला के सुदृढ़ीकरण और सोलर तथा स्टेलर के क्षेत्र में उपकरणों का निरन्तर उच्चीकरण किया जायगा तथा हाउसिंग एवं वर्किंग इनवायरमेन्ट में परमावश्यक सुधार किये जायेंगे । इन कार्यों के लिये वर्ष 1992-93 में 60 लाख का बजट में प्राविधान सुनिश्चित किया गया है । इसके दूसरे भाग में है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् जो कि लखनऊ में स्थित है । इस परिषद् के माध्यम से शोध एवं तकनीकी विकास कार्यों को कार्यान्वित किया जाता है । यह परिषद् प्राकृतिक संशाधनों के बेहतर उपयोग एवं दोहन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । इस परिषद् द्वारा व्यवहारिक शोध प्रायोजनाओं पर शोध कार्य करवाया जाता है, साथ ही सिद्ध प्रोद्योगिकी के प्रचार प्रसार एवं हस्तान्तरण का कार्य किया जाता है । वर्ष 1992-93 में मानव चालित बहुउद्देश्यीय मशीन, एक्सपेलर एवं तेलधानी, नवविकसित पनचक्की, राईस ब्रान से खाद्य उपयोगी तेल का उत्पादन, प्रदेश में स्थित राईस हलर का आधुनिकीकरण, ग्रामीण चर्म विकास परियोजना तथा लघु स्तर पर ऐग्रोवेस्ट से कागज उद्योग में तकनीक हेतु प्रोटांटाइप्स का विकास आदि परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जाना प्रस्तावित है ।

मान्यवर, इंदिरागांधी नक्षत्रशाला जो सूरजकुंड पार्क लखनऊ में स्थित है, 92-93 में इस नक्षत्रशाला के निर्माण को पूरा करने की योजना निश्चित की गयी है । साथ ही उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत हाईटेक इन्जीनियरिंग पार्क्स की स्थापना एच०बी०बी०आई० कानपुर तथा रुड़की विश्वविद्यालय रुड़की में की जा रही है जिसमें उच्च टेक्नोलोजी का इस्तेमाल करके उद्यमी कच्चे माल से उच्च गुणवत्ता का माल तैयार कर सकेंगे । 1992-93 में परिषद् के द्वारा जो कार्य किये जा रहे हैं विभिन्न परियोजनाओं पर जो खर्च करने की व्यवस्था दी गयी है बजट प्राविधान किया गया है मान्यवर, इसका प्राविधान 100 लाख रु० का है । इस विभाग का तीसरा भाग है सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र जो लखनऊ में ही स्थित है मान्यवर, सुदूर संवेदन केन्द्र बहुत ही प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकता है लेकिन इसके पहले इसका उपयोग नहीं किया गया । प्राकृतिक संसाधनों की खोज हेतु वर्ष 1982 में सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र (रिमोट सेन्सिंग अप्लीकेशन सेंटर) की स्थापना की गयी । विगत वर्षों में सुदूर संवेदन तकनीक द्वारा परती भूमि जैसे ऊसर, बीहड़, पथरीली भूमि ह्रास इत्यादि का रेखांकन, बुन्देलखण्ड जैसे दुर्गम क्षेत्रों का भूमिगत जल का पता लगाना, नदी प्रणाली में आये मुख्य परिवर्तनों का कालिक अनुश्रवण बाढ़ग्रसित क्षेत्रों का रेखांकन, जल प्लावित क्षेत्रों का रेखांकन, वन-सम्पदा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का सही-सही मूल्यांकन करते हुए वनों के अवकर्षण का आकलन आदि कार्यक्रम लिये गये थे । इसके अतिरिक्त भी कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम 92-93 वित्तीय वर्ष के लिये लिये गये हैं । मान्यवर, इस समय हमारे चार जनपद प्रदेश के 7 नगरों में नगरीय सर्वेक्षण कार्य एवं भूमि उपयोग मानचित्र बनाना ऊसर भूमि के रेखांकन कार्य के तृतीय चरण में 4 जनपदों सोनभद्र मिर्जापुर बलिया एवं बांदा का सर्वेक्षण कार्य लिया जाना प्रस्तावित है ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, यह भाषण पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शांति बनाये रखें ।

श्री राज नाथ सिंह–

मान्यवर, वायुवीय चित्रों द्वारा जनपद रायबरेली के सलोन तहसील में क्षारीय भूमि का बड़े पैमाने पर मानचित्रीकरण एवं नन्दादेवी राष्ट्रीय उद्यान में जैविक जीवन परिस्थिति संचय का अध्ययन किया जाना है जिसके लिये 40 लाख रुपये का प्राविधान इस वित्तीय वर्ष के लिये किया गया है । मान्यवर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य वैकल्पिक ऊर्जा विभाग प्रदेश का प्रमुख विभाग है । इसका प्रचलित नाम नेडा है । यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि तकनीकी का विकास होता जा रहा है और तकनीकी जो होती है वह ऊर्जा केन्द्रित होती है विशिष्ट तकनीकी के माध्यम से यदि हम अधिकतम उत्पादन करना चाहते हैं तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है । जिन देशों ने विकास की दृष्टि से ऊंचाइयां हासिल की हैं उन्होंने अधिक से अधिक ऊर्जा का शोषण किया है अथवा उसका दोहन किया है तब जाकर उत्पादन की दृष्टि से ऊंचाई को प्राप्त किया है । आज हमारे देश में ही नहीं बल्कि विश्व में ऊर्जा का संकट बढ़ता जा रहा है उसको लेकर चिन्ता व्यक्त की जा रही है । पारम्परिक ऊर्जा है इस ऊर्जा के अतिरिक्त वैकल्पिक ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कैसे किया जाये इस दृष्टि से बराबर अध्ययन एवं शोध कार्य चल रहे हैं । पारम्परिक ऊर्जा के सीमित संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे देश तथा प्रदेश के लिये वैकल्पिक ऊर्जा का विकास अत्यन्त आवश्यक है।

इस दिशा में अनेक कार्यक्रम किये गये हैं और इन कार्यक्रमों की सफलताओं को दृष्टिगत रखते हुए वैकल्पिक ऊर्जा को अब और वृहद स्तर पर विकसित करने का हमारा संकल्प है ।

1992-93 में आयोजनागत व्यय 370 लाख तथा आयोजनेत्तर व्यय में 212.75 लाख रुपये की मांग की गयी है । उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन का कार्यक्रम सबसे प्रमुख उपलब्धि रहा है । अब तक कुल 8500 सौर बत्तियां 1387 ग्रामों में उपलब्ध कराई गई हैं जो बिना बिजली की हैं और इससे वहां की जनता को सिंचाई आदि के क्षेत्र में बहुत अधिक लाभ पहुंचा है । वर्ष 1992-93 में कुल 4600 घरेलू बत्तियों के वितरण का लक्ष्य है । इसके अतिरिक्त अब तक 2 से 12 किलोवाट क्षमता के 22 पावर प्लान्ट स्थापित किये गये हैं जिससे कुल 22 ग्रामों को विद्युत उपलब्ध कराई गई है । इस कार्यक्रम को और वृहद रूप से बढ़ाया जा रहा है । सौर ऊर्जा से पानी गरम करके बहुत अधिक पारम्परिक ऊर्जा की बचत की जा रही है और अब तक कुल 902260 लीटर/प्रतिदिन क्षमता के संयंत्र की स्थापना की जा चुकी है । वर्ष 1992-93 में कुल 255000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के संयंत्रों की स्थापना का हमारा लक्ष्य है । सोलर कुकर का कार्यक्रम बहुत अधिक प्रचारित हुआ है और इसमें और अधिक विकास करने का प्रयास किया जा रहा है । वर्ष 1992-93 में सात हजार सोलर कुकर वितरण का लक्ष्य है और वर्ष 1992-93 में सौर ऊर्जा कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार की ओर से कुल 169 लाख रुपये व्यय किये जाने का प्रस्ताव है । इसके अतिरिक्त पवन ऊर्जा कार्यक्रम में प्रमुख रूप से एयरोजेनरेटर संयंत्रों तथा डीपवेल पम्प की स्थापना का कार्य वर्ष के दौरान किया गया । कुल 32.5 किलोवाट क्षमता के 22 लघु एयरोजेनरेटर संयंत्रों में से 04 संयंत्र पूर्ण रूप से स्थापित कर चालू किये गये। शेष 18 संयंत्रों का कार्य भी काफी सीमा तक पूर्ण हो चुका है । अधिक क्षमता वाले 9 एयरोजेनरेटर संयंत्रों, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 140 कि०वा० होगी, का कार्य तीव्रता से प्रगति पर है और इसमें से चार संयंत्रों पर काफी सीमा तक कार्य पूर्ण हो चुका है ।

बायोगैस के संबंध में बताना चाहता हूं कि नेडा द्वारा 6 घनमीटर से अधिक क्षमता के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना की गयी है । इस कार्यक्रम के तहत मानव मल पर आधारित बायोगैस संयंत्रों की स्थापना सबसे अधिक प्रदेश में हुई है । अब तक कुल 81 बायोगैस संयंत्र स्थापित किये गये हैं तथा कुल 37 मानव मल पर आधारित बायोगैस संयंत्रों की स्थापना हुई है और यह प्रस्ताव है कि 92-93 में इसको एक वृहद कार्यक्रम के रूप में चलाया जायेगा । मानव मल पर आधारित बायोगैस संयंत्र की स्थापना में आम जनता को शौचालय की सुविधा हो जाती है और साथ ही साथ संयंत्रों से जो गैस निकलती है उसका सदुपयोग भी हो जाता है इससे सीवर की समस्या का भी निदान हो जाता है । वर्ष 1992-93 में 7 गोबर गैस तथा 40 मानव मल संयंत्रों की स्थापना प्रस्तावित है । ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम के तहत अब तक कुल 1393415 चूल्हे लगाये गये हैं प्रत्येक चूल्हे से एक वर्ष में औसतन 300 किलोग्राम लकड़ी के समकक्ष ईधन की बचत होती है । 1992-93 में 24000 निर्धूम तथा 26000 पोर्टेबुल चूल्हे लगाये जाने का लक्ष्य है । साथ ही साथ डीजल पम्पिंग सेट्स में सुधार का कार्यक्रम बहुत व्यापक स्तर पर लिया गया है । 1992-93 में 700 डीजल पम्प्स् में सुधार किया जाना प्रस्तावित है । इन योजनाओं के अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्र के लिये कुछ अन्य विशेष कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं । वैकल्पिक ऊर्जा विभाग द्वारा अब तक कुल 372 किलोवाट क्षमता की 7 लघु जल विद्युत परियोजनायें लगायी जा चुकी हैं और इससे कुल 42 ग्राम और कुल 11000 ग्रामवासियों को विद्युत मिल रही है । वर्ष 1992-93 के लिए 540 कि० वाट क्षमता की कुल 10 परियोजनायें स्थापित करने का लक्ष्य है । इसके अतिरिक्त एक परियोजना केदारनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों एवम् वहां के निवासियों की सुविधा के लिए ली जा रही है जिसकी क्षमता 200 किलोवाट तक की होगी । इसके साथ ही 220 उन्नत घराटों की

स्थापना कराई जा चुकी है । पवन ऊर्जा कार्यक्रम के तहत यहां पर 155.50 किलोवाट क्षमता के संयंत्र 31 स्थानों में स्थापित किये जा रहे हैं, जिनसे कुल 56 ग्रामों में 2475 परिवारों को विद्युत की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी । वर्ष 1992-93 में इस कार्यक्रम को व्यापक रूप से किये जाने का प्रस्ताव है । जिसमें लघु एरोजनरेटर्स कुल क्षमता 664 कि० वाट तथा वृहद् ऐरोजनरेटर्स 20 मेगावाट क्षमता का स्थापित किया जाना प्रस्तावित है । वैकल्पिक ऊर्जा से जुड़े हुए लोगों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाय । वर्ष 1992-93 में कुल 134.39 लाख रुपये व्यय किये जाने का अनुमान है । 1992-93 में कुल 30 प्रशिक्षण आयोजित किये जाने प्रस्तावित हैं । एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है । योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा 42 जनपदों के 48 विकास खण्डों में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम चलाया जा रहा है । इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करना है । 1992-93 में पांच अन्य जनपदों में भी इसे चलाये जाने का कार्यक्रम है ।

श्रीमन्, चौथा विभाग माध्यमिक शिक्षा का है । इस पर भी मैं अपने विचार रखना चाहूंगा । माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर जब कभी कोई छात्र पहुंचता है तो इसके बाद वह निर्णय लेता है कि इसके बाद वह उच्चतर शिक्षा प्राप्त करेगा या फिर जीविकोपार्जन की दिशा में अपना कदम बढ़ायेगा या फिर व्यवसायिक शिक्षा क्षेत्र के जायेगा । हमारे प्रदेश में 6142 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चल रहे हैं, जिनमें 48 लाख छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । आजादी के समय हमारे प्रदेश में 506 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय थे, जिनमें 71 हजार छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, परन्तु आज उनकी संख्या बढ़कर 6142 हो गयी हैऔर छात्रों की संख्या बढ़कर 48 लाख हो गयी है । इस प्रकार देखा जाय तो विद्यालयों की संख्या में बारह गुना वृद्धि हुई है और छात्रों की संख्या में 68 गुना वृद्धि हुई है । जब शिक्षण सत्र प्रारम्भ होता है तो उस समय छात्रों को एडमीश्न नहीं मिल पाता है प्रदेश के बुद्धिजीवी, अभिभावक व सम्मानित जनप्रतिनिधि इस बात पर चिन्ता व्यक्त करते हैं और विशेष रूप से जो संकट पैदा होता है वह बालिकाओं के शिक्षण की होती है । छात्र तो दूरदराज की शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश ले लेते हैं और शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं लेकिन छात्रायें विशेषकर गरीब परिवार की इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं कर पाती । इसलिये 1992-93 के वित्तीय वर्ष में हमने यह व्यवस्था की है कि 1992-93 में प्रारम्भ होने वाले शिक्षा सत्र में 90 ऐसे ब्लौक्स में कन्या राजकीय हाईस्कूल खोले जायं जहां अभी तक किसी प्रकार के शासकीय अथवा अशासकीय कन्या हाईस्कूल नहीं हैं । तो हमने छात्राओं की कठिनाइयों को देखते हुए 90 विद्यालय खोलने का फैसला लिया है शर्त यह है कि भूमि और भवन की व्यवस्था किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा करायी जाय तभी यह 90 विद्यालय खोले जा सकेंगे । ऐसा निर्णय मजबूरी में इसलिये लेना पड़ा क्योंकि प्रदेश के सामने गम्भीर वित्तीय संकट है ।

प्रस्तुत आय-व्ययक में 90 राजकीय कन्या विद्यालय खोलने के लिये 274.50 लाख रुपये का प्राविधान प्रस्तावित है । माननीय सदस्यों के सहयोग से ही इस वर्ष 90 विकास खण्डों में राजकीय कन्या हाईस्कूल खोलने में हम सफलता प्राप्त करेंगे ।

वित्तीय वर्ष 1991-92 में 199अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय थे जिनको हमने अनुदान सूची में शामिल किया है हम चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे अशासकीय इस प्रकार के माध्यमिक विद्यालय हैं जो अनुदान सूची में नहीं लिये गये हैं । वित्तीय संकट होने के कारण थोड़ा संसाधनों की कमी है, हम चाहते थे इसे बढ़ा लें लेकिन ऐसा करना सम्भव नहीं हो पाया इसलिये फैसला लिया है कि कम से कम 25 ऐसे विद्यालय हों वित्तीय वर्ष 92-93 में अनुदान सूची में शामिल कर लिये जायं । वैसे हमारी योजना आठवीं पंचवर्षीय योजना तक लगभग जो 256 विद्यालय अशासकीय हैं उनको अनुदान सूची में सम्मिलित कर

लिया जाय । चूंकि इस समय 25 विद्यालयों को हम अनुदान सूची में सम्मिलित कर रहे हैं उनके लिये आय-व्ययक में 66.67 लाख रुपये की व्यवस्था की है ।

मान्यवर, हमारा दुर्भाग्य रहा इस प्रदेश में हाईस्कूल स्तर पर गणित और विज्ञान और अनिवार्य कर दिया लेकिन उसे पढ़ाने के लिये अध्यापकों के पदों का सृजन नहीं किया । आज भी भारी संख्या में विज्ञान और गणित के अध्यापकों के पद सृजित न होने के कारण विज्ञान और गणित की समुचित शिक्षा हाईस्कूल छात्रों को नहीं प्राप्त हो रही है इसलिये 1992-93 में ऐसे साढ़े पांच सौ पद सृजित करने का फैसला लिया और बजट में 109 लाख रुपये का प्राविधान किया गया ।

इसके साथ ही मान्यवर, हमारी सरकार की योजना सामान्य शिक्षा के साथ साथ व्यवसायिक शिक्षा पर बल देने की है ताकि यदि माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद कोई भी छात्र जीविकोपार्जन के क्षेत्र में प्रविष्ट करना चाहता है तो उसे उपयोगी शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए उसे जीविका चलाने के लिये इतनी कुशलता और दक्षता होनी चाहिए ताकि वह अपना काम स्वयं कर सके और अपनी जीविका अपने आधार पर चला सके । वर्तमान में इसके लिये प्रदेश में 1156 कक्षायें चल रही हैं जिसमें 19726 छात्र छात्रायें व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । वित्तीय वर्ष जो समाप्त हुआ है इसमें 260 विद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा प्रारम्भ की गयी है और अब तक पूरे उत्तर प्रदेश में 460 विद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा का कार्य विधिवत् चल रहा है । वर्ष 1992-93 में इसे और प्रोत्साहन देने के लिये 250 अतिरिक्त विद्यालयों में इसको चलाने का निर्णय लिया गया है । 34 ट्रेडों में व्यवसायिक शिक्षा इन विद्यालयों में दी जाती है और इसके लिये अध्यापकों को भी प्रशिक्षित करने का कार्य किया जाता है । पिछले वर्ष जून माह में 300 अध्यापकों को इसके लिये प्रशिक्षित करने का काम किया गया है । कक्षा 9 से 12तक कुल 42 राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकें होती हैं, उनकी समीक्षा भी की जा रही है । समीक्षा इस दृष्टि से कर रहे हैं ताकि हम विद्यार्थियों को अपने भारतीय इतिहास और भारतीय पंथ निरपेक्षता का सही सही ज्ञान करा सकें और राष्ट्रीय मूल्यों को सही रूप में उनके सामने प्रस्तुत कर सकें ताकि हमारे द्वारा प्रदत्त शिक्षा से छात्रों का सर्वांगीण विकास हो और छात्र राष्ट्र के विकास में अपना पूरा योगदान दे सकें । इसी समीक्षा के अन्तर्गत यह भी फैसला लिया गया है कि 1992-93 से नवीं कक्षा में से वैदिक शिक्षा का प्रवेश करा दिया जाय ।

अब 92 से गणित के प्रश्न-पत्र में वैदिक गणित के भी प्रश्न होंगे । उन्हें वह वैदिक ढंग से भी चाहें तो हल कर सकते हैं । छात्र-छात्राओं को भारतीय परम्पराओं से अवगत कराने का इसमें हमारा ध्येय है। मान्यवर, जब हमने वैदिक गणित का उल्लेख किया है तो सोचा कि जिनको इसकी पूरी जानकारी नहीं है, उनके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि यह गणित ऐसे ही एक कठिन, यांत्रिक और उबाऊ विषय है, उसमें अब वैदिक गणित पर जोर देना, उसे और भी यांत्रिक, उबाऊ और दुरूह बना देना होगा । लेकिन मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि यांत्रिक और उबाऊ गणित को यह और ज्यादा सरस और सरल बनाने में सहायक सिद्ध होगी । हमारे प्रदेश में 8 ऐसे जनपद हैं, जहां पर दक्षिण प्रदेश की भाषाएं पढ़ाई जाती हैं । इसके लिये अब तक 6.2 लाख रुपये का प्राविधान बजट में था किन्तु 1992-93 में उत्तर और दक्षिण का भेदभाव समाप्त करने के लिये यह धन 6.56 लाख रुपया कर दिया गया है । मान्यवर, संस्कृत भाषा एक महत्वपूर्ण भाषा और देव भाषा है, किन्तु अब तक संस्कृत भाषा की उपेक्षा होती रही है । हमारी सरकार का पूरा प्रयास है कि संस्कृत शिक्षा को पूरा प्रोत्साहन दिया जाये और उनकी मान्यता पर लगी रोक हटा ली गयी है । इससे हमारी संस्कृत की पाठशालाओं में संस्कृत की सही शिक्षा दी जा सकेगी ।

अब तक हमारे उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त 1169 संस्कृत की पाठशालायें चल रही हैं, जिनमें से 928 अनुदान सूची में हैं और 1992-93 में जो इसके लिये बजट में प्राविधान किया गया है वह 13 करोड़ 57 लाख रुपये का है। कुल 1 लाख 30 हजार 400 से अधिक छात्र इनमें शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी मान्यता प्राप्त हमारे अरबी-फारसी के अनेक मदरसे चल रहे हैं और हमारी अनुदान सूची में 249 ऐसे मदरसे लिये गये हैं। इनमें छात्रों की संख्या 89735 है। संस्कृत भाषा के उन्नयन और उसके समुचित ज्ञान की भी परम आवश्यकता है और उसके लिये संस्कृत भाषा का ज्ञान भी अनिवार्य है। इसलिये माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने यह भी निर्णय लिया है कि हाईस्कूल और इण्टर में हिन्दी का जो तृतीय प्रश्न-पत्र होता है, अब से वह पूरी तरह से संस्कृत भाषा के ज्ञान पर केन्द्रित होगा। मान्यवर, यह स्काउट और गाईडिंग के कार्यक्रम माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं में चलाये जा रहे हैं और विकास खण्ड से लेकर राज्य स्तर तक वार्षिक आयोजन किये जा रहे हैं विगत वर्ष में प्रभावी तरीके से इस तरह की रैलियों का आयोजन किया गया है। शिक्षण संस्थाओं में अध्यापकों को उपर्युक्त प्रशिक्षण देने के लिये एक योजना तैयार कर ली गयी है और 92-93 के आय-व्ययक में आयोजनागत मद में 3.22 लाख रुपये और आयोजनेत्तर मद में 2.63 लाख रु० की व्यवस्था की गयी है। एन० सी० सी० में 14 ग्रुपों में मुख्यालयों पर काम हो रहा है, इसमें 123 यूनिटें काम कर रही हैं जिन के माध्यम से 124446 कैडेटों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, यह प्रशिक्षण 234 डिग्री कालेजों, 877 इण्टर कालेजों और 76 हाई स्कूल कोलेजों में हो रहा है। वर्ष 1991-92 में 87,935 एन० सी० सी० कैडेटों ने सामाजिक कार्यक्रम में भाग लिया, यह कार्यक्रम ब्लड डोनेशन, दहेज उन्मूलन और कुष्ठ निवारण आदि सेवा के कार्यक्रमों में एन० सी० सी० कैडेटों ने हिस्सा लिया। अखिल भारतीय स्तर पर कैडेटों की प्रतियोगिता होती है उसमें उत्तर प्रदेश के कैडेटों ने प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक में 10,02,17,000 रुपये का प्राविधान किया गया है।

मान्यवर, प्रदेश सरकार ने अध्यापकों को सुविधायें उपलब्ध कराने की दिशा में विशेष कदम उठाये हैं। वर्ष 1991-92 के शिक्षण सत्र में प्रधानाचार्यों के चयन और उनके वेतनमान एवं शिक्षण कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन और पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत किये गये हैं और उन्हें पुनः विकल्प देने के संबंध में शासनादेश जारी किये गये हैं राज्य निधि से शिक्षण कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति के लाभ लेने हेतु विकल्प देने के लिये सरकार ने आदेश जारी कर दिये हैं। इस तरह से शासन अध्यापकों और कर्मचारियों के संबंध में पूरी तरह से संवेदनशील है और समय-समय पर उन्हें सुविधायें दिये जाने के संबंध में सरकार द्वारा कदम उठाये जा रहे हैं।

मान्यवर, एक चिन्ता का विषय यह है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 6 हजार ऐसे अध्यापकों के पद रिक्त हैं जिन पर चयन पूरा न होने के कारण उनको भरा नहीं जा सका है। इसलिये अभी हाल में विधान सभा में एक विधेयक भी प्रस्तुत किया गया था जिसको इस सदन ने पारित भी कर दिया। उसमें व्यवस्था है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग काम करेगा। यह अयोग इतनी बड़ी संख्या में अध्यापकों का चयन कर पायेगा कठिन था, इसलिये आयोग को चार भागों में बांट दिया गया है और पूरे प्रदेश में चार अयोग बनाये गये हैं। प्रयास होगा कि इन आयोगों के माध्यम से अध्यापकों के चयन का काम अगले शिक्षण सत्र प्रारम्भ होने तक पूरा कर लिया जायेगा। इस विधेयक में जो अध्यापकों की सुविधा-सुरक्षा की शर्तें पहले थीं उन्हें ज्यादा प्रभावी बनाया जायेगा। इस विधेयक में यह भी विशेष व्यवस्था है कि तदर्थ अध्यापक जो उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं उनकी सेवाओं को भी विनियमित कर दिया जाय। यह विधेयक इस सदन द्वारा पारित हो चुका है तथा विधान परिषद् में विचाराधीन है।

मान्यवर, माध्यमिक विद्यालयों में गुणवत्ता को निर्धारित करना भी हमारे लिये एक महत्वपूर्ण काम है और हमारा यह प्रयास रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक विकास किये जायं । प्रबन्ध तंत्र और अन्य तमाम कामों खेलकूद आदि को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की गयी है । 1992-93 के वित्तीय वर्ष में इस तरह के प्राविधान किये गये हैं । इसी प्रकार से चार उत्कृष्ट और उत्तम विद्यालयों का चयन किया जायेगा और उन्हें प्रत्येक विद्यालय को एक-एक लाख रुपये से ऊपर धनराशि दी जायेगी । मान्यवर, इसी तरह से पत्राचार पाठ्यक्रम के लिये प्रत्येक जनपद में पंजीकरण केन्द्र खोले गये हैं । 401 पंजीकरण केन्द्र इस समय काम कर रहे हैं । इस पत्राचार शिक्षा के माध्यम से यह प्रयास किया जा रहा है कि जो छात्र व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में बैठते हैं उनको विषय का समुचित ज्ञान हो सके । इसलिये यह पत्राचार शिक्षा उत्तर प्रदेश में चलायी गयी है । मान्यवर, अन्त में मैं इतना कहना चाहूंगा इस सदन के सभी सम्मानित सदस्यों से कि यह माध्यमिक शिक्षा का क्षेत्र बहुत व्यापक है ।

एक संस्था माध्यमिक शिक्षा परिषद् जो परीक्षाओं का संचालन करती है, इसने इस बार परीक्षाओं के संचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है । नकल करने की प्रवृत्ति जो 15–20 सालों से तेजी के साथ बढ़ी थी, उसमें अध्यादेश के माध्यम से अंकुश लगाकर एक प्रभावी भूमिका का निर्वाह किया है । माध्यमिक शिक्षा परिषद् और प्रभावी तरीके से भविष्य में काम कर सके इसके लिये भी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सदन के सभी सम्मानित सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत की गयी अनुदान की सभी मांगों को पारित करने का कष्ट करें ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री विश्वनाथ जी कटौती का प्रस्ताव करेंगे ?

* श्री विश्वनाथ–

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मद संख्या–47 प्राविधिक शिक्षा विभाग, मद संख्या–70 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मद संख्या–72 शिक्षा विभाग .....(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, अनुदान संख्या कहें, मद संख्या न कहें ।

श्री विश्वनाथ–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-47 शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-70 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-75 शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

नोट :–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

महोदय, आपकी आज्ञा से माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा पेश अनुदान की मांगों पर कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं। मुझे आज महामहिम राज्यपाल ने अपने भाषण में रामायण की चौपाई कही थी उसको उद्धरित कर रहा हूं :--

"नहीं दरिद्र कोऊ दुखी न दीना।
नहीं कोई अबुध न लक्षण हीना ॥"

आज दोनों शिक्षा मंत्री हमारे बड़े स्कूलों के अध्यापक हैं लेकिन माननीय मंत्री जी की जो दैन्य स्थिति हमने देखी, जो लाचारी देखी, जो विवशता देखी, उससे हमको चिन्ता हुई है। शेरे दिल मंत्री जी ने 14 से 20 वर्ष के छात्रों पर 14 से 20 वर्ष की बालिकाओं पर नकल की संज्ञेय अपराध की नंगी तलवार चलाने का काम तो कर दिया है। उनको विवश कर सकते हैं कि वह आत्म हत्या करें। यह भयमुक्त समाज का श्रीगणेश नहीं है। भय का निस्तारण नहीं है। शिक्षा जगत में भय को प्रतिष्ठित करना, शिक्षा जगत के चरित्र निर्माण, नैतिकता की स्थापना, स्वतंत्र चिन्तन को समाप्त करने जैसा है।

[समय 5 बजकर 20 मिनट]

मान्यवर, मैं देख रहा हूं "खोदा पहाड़ और निकली चुहिया" आपने 25 विद्यालयों को अनुदान सूची में लिया है जिसमें पांच बालिकाओं के हैं और और पांच बालकों के हैं। पता नहीं यह क्या करते हैं --

"कैसा पर्दा है चिलमन से लगे बैठे हैं
साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं।"

मान्यवर, शिक्षा के बारे में किसी कवि ने कहा है कि--

"शिक्षा की यदि कमी न होती
जगती कहीं ज्ञान की ज्योति
तो यह ग्राम स्वर्ग बन जाते।"

मान्यवर, यह जैसे लोगों को पानी मिलता है हवा मिलती उसी तरह से लोगों को शिक्षा देने की यह घोषणा करते। इनका कहना था कि हर हाथ को काम देंगे, तो वह सब कहां गया ? हर इंसान को तालीम देने की आपकी कहानी, आपकी घोषणा कहां गई ? पिछले साल 200 माध्यमिक विद्यालय लिये अनुदान पर, 300 बेसिक विद्यालय लिये गये मैं उसे कम मानता हूं बहुत कम लिये गये। आपने मीटिंगों में अध्यापकों की सभाओं में घोषणा कर दिया। घोषणा करने में तो आप माहिर हैं। आप अखबार रेडियो और टेलीविजन से बोल रहे हैं 25 माध्यमिक विद्यालय को अनुदान सूची पर लिया। 100 बेसिक विद्यालय को लिया। आप तो पिछली सरकार से भी पीछे खिसकते जा रहे हैं और कहते हैं कि कदम आगे बढ़े हैं। मान्यवर, केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा उत्तर प्रदेश पर शिक्षा पर प्रति व्यक्ति कम खर्च होता है जबकि 115 प्रति व्यक्ति वार्षिक आय खर्च कर रहे हैं। हमारा उत्तर प्रदेश शिक्षा के मामले में सुदृढ़ नहीं हो रहा है। जिस उत्तर प्रदेश ने अपार विद्वानों को जन्म दिया विचारकों को दिया, समाज सुधारकों को दिया, वैज्ञानिकों को दिया, लेकिन अब हमें लगता है कि सरिता शुष्क होगी -- "कौन-कौन गुन वरनों, झगड़ों तों"

मान्यवर, हर साल एक हजार से ज्यादा विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है और बढ़ रही है। 25 माध्यमिक विद्यालयों को आप अनुदान सूची में, अनुदान दे रहे हैं। यही नहीं आप चाहते हैं शिक्षा देना, समानता देना, समानता के बारे में कहूं तो आपकी हुकूमत के लिये सही नहीं रहेगा। समता सीखी नहीं, समाजवाद जाना नहीं। आपके यहां संस्थाओं की भरमार हो रही है उनकी किस्में बढ़ रही है मैं प्राइमरी पर नहीं बोलना चाहता हूं। प्राइमरी और उच्च शिक्षा को छोड़कर बीच की शिक्षा पर नहीं बोला जा सकता है।

मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ आदमी हूं बहुत कुछ कहना चाहता हूं अगर आप शिक्षा नहीं दे सकते हैं तो आप मुल्क को दरिद्रता से उबार नहीं सकते हैं। इसके दो आयाम हैं एक तो आर्थिक तंगी दूसरा शिक्षा का अभाव, जहां शिक्षा का अभाव रहेगा, वहां आर्थिक तंगी रहेगी और इस तरह प्रदेश में दरिद्रता रहेगी। जैसे विद्वान को अगर नहीं पकड़ा तो समझिये ज्ञान को छोड़ दिया। आज मंत्री जी शिक्षा के बजट पर बोल रहे हैं वैसे तो मंत्री जी बोलते नहीं है अपर हाउस में ही बोलते हैं। आज उनको बोलते सुना है। आज मुझे उम्मीद थी कि माननीय मंत्री जी अध्यापकों के लिये ही नहीं बल्कि इस प्रदेश की शिक्षा के विकास के बारे में घोषणा करेंगे। पिछले साल जो अनुपात था वह 2 अनुपात 3 था और आपने 1 अनुपात 4 कर दिया है। शुक्ला जी मेरे जिगर हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं। राजनाथ की घोषणा सुनकर विश्वनाथ आश्चर्य में हो गये है और अमरनाथ अनाथ हो गये हैं। इन्होंने घोषणा की है लड़कियों की शिक्षा के लिये। मेरा कहना है कि आप लड़कियों की शिक्षा सरमायेदारों, जागीरदारों के हाथ में देने जा रहे हैं। इनका कहना है कि एक-एक ब्लाक में एक बालिका विद्यालय बनायेंगे और 90 विकास खण्डों में यह काम करेंगे। रुपया आपने रखा है केवल 2 करोड़ 74 लाख और 50 हजार। हमारे यहां एक कहावत है कि 3 पाव आटा तीन पाव रसोई। यह जो धनराशि आपने रखी है इससे कितने स्कूल आप खोल देंगे ?

शिक्षा की व्यवस्था इस तरह से नहीं चलेगी। आपको सम्पूर्ण शिक्षा की व्यवस्था को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। अध्यापकों के वेतन की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। आपको भवनों की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आपको साज सज्जा, पुस्तकालय, सहायक सामग्री, खेल के मैदान और खेल के सामान की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी तब कहीं जाकर शिक्षा का विकास होगा। लेकिन जो सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागती है वह इस देश और प्रदेश का उत्थान नहीं कर सकती है। आपने कहा कि गांवों में खेलों को चालू कर रहे हैं। तो क्या आप अपनी तरह की लाठी डंडा वाला खेल चालू कर रहे हैं ? इससे पढ़ाई लिखाई तो होने वाली नहीं है। अध्यापकों को आप सुविधा नहीं देंगे, स्वतंत्र चिन्तन नहीं देंगे तो कैसे शिक्षा का भला होगा ? रात को मैं आचार्य नरेन्द्र देव जी को पढ़ रहा था। उनका कहना था, अध्यापकों के चिंतन और विचारों की स्वतंत्रता का उन्होंने समर्थन किया था। अगर यह नहीं होगा तो शिक्षा का विकास नहीं होगा। आपने सेंटर्स पर अध्यापकों को और सुपरिटेंडेंट को ए० डी० ओ० के मातहत कर दिया है। जब तक वह नहीं जायगा कापी तब तक सील नहीं होगी, जब तक वह दस्तखत नहीं करेगा। अध्यापकों को कभी मैनेजमेंट गुलाम बनाये हुए था अब आप उसको इस हादसे का शिकार बना रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नकल नहीं हो रही है। मेरा कहना है कि मंत्रियों के स्कूल में भी नकल रोकी जाय तो अच्छा हो। आप अगर मंत्री हैं तो उसमें नकल चलेगी लेकिन हम प्रधानाचार्य हैं तो हमारे स्कूल में नहीं चलेगी। हम चाहते हैं कि हर स्कूल में नकल बन्द हो। नाक के नीचे कभी नजर न जाय तो उंगली तो रख लीजिये। आप कहते हैं कि हमने विकास की छलांग लगायी है लेकिन कहीं ऐसा न हो कि इस छलांग में विकास डूब जाय। उत्तर प्रदेश को देखिये। दो ही प्रदेश का भाग्य इनसे पीछे रह गया है, राजस्थान और बिहार। औसतन यहां पर जितने लोग बैठे हैं, दीर्घाओं में भी, वे साक्षर नहीं शिक्षित हैं। भाई साहब साक्षर लोगों की संख्या 41.71 है उत्तर प्रदेश में और इस देश की प्रतिशत 52 है। दुनिया के जितने देश हैं सबसे ज्यादा आबादी वाला और क्षेत्रफल वाला हमारा देश है। जहां लोग कहते हैं कि ज्ञान की सरिता बहती है, ज्ञान गंगा बहती है और श्री कैलाश नाथ जी तो काशी को ज्ञान की नगरी मानते हैं और कैलाश नाथ और विश्वनाथ एक जगह हो जायं तो काशी हो जाती है। पता नहीं इस देश का क्या होगा ? अब तो हम चाहते हैं कि भाई राजनाथ हो जायं। वे राजपद पर हिन्दी को प्रतिष्ठित कर देते और अंग्रेजी को चेरी बना देते, निष्कासित कर देते तो बड़ा काम होता।

कहेंगे हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान कहेंगे न । आप न हिन्दी को चला सकोगे न हिन्दुस्तान को चला सकोगे । आपके राज में आज फिर हिन्दी बाधित हो रही है । भाषा के मामले में अंग्रेजी का विरोध और हिन्दी को राज पद पर प्रतिष्ठित करने के लिये इन्हीं लोगों ने जेलखाना काटा है। आपने नहीं काटा है ।

आप राजपद पर हैं । कहता हूं कि लोहिया के सपने को साकार करिये । अपनी घोषणा को साकार करिये और हिन्दी को राजपद पर प्रतिष्ठित करिये । लड़कियों की शिक्षा के सिलसिले में कोई काम आपने नहीं किया है । अध्यापकों की भर्ती की बात करते हैं, अनुदान की बात करते हैं । तो 2-3 करोड़ में क्या स्कूल खोलेंगे और क्या अनुदान देंगे और क्या मेधावी छात्रों को स्टाइपेंड देंगे ? कौन सी चीज आप देंगे ? मैं तो देख रहा हूं कि आप लाचारी और बेचारी की स्थिति में हैं । आंकड़े देना चाहता हूं कि लेकिन आपके हिसाब किताब के संबंध में पूरब की एक उक्ति है कि "लेखा जोखा थाहे, लइका डूबे काहे ।" यह लालाजी का हिसाब है कि एक लालाजी नदी पार कर रहे थे । उनकी पत्नी थी और छोटे तीन बच्चे थे । उन्होंने सबका औसत निकाला और नदी की गहराई में खड़े होकर हिसाब निकाला कि नदी की गहराई के औसत से उन सबका औसत ज्यादा है । उन्होंने बच्चों से नदी पार करने को कहा। बच्चे डूबने लगे तो पत्नी ने कहा कि यह क्या कर रहे हो ? उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से तो हमारा औसत ज्यादा है । इस तरह से तीनों लड़के डूब गये, बचे नहीं । तो हे माननीय मुख्य मंत्री जी के परम कृपा पात्र शिक्षा मंत्री जी आपको और अधिकार देंगे तो बच जायेंगे नहीं तो प्रदेश डूब जायगा । इस हिसाब से 90–95 स्कूल 2 करोड़ रुपये में कैसे चलेंगे ? अध्यापकों की पोस्टिंग में कैसे गुणात्मक सुधार होगा ? हमने कहा ऋणात्मक बिगाड़ होता तो काम चलता । साइंस दर्जा 8 तक अनिवार्य कर दी । बी०एस०सी० से कम का अध्यापक दर्जा 7-8 को नहीं पढ़ा सकता । सामाजिक ज्ञान दे दिया है, कोई टीचर नहीं दिया है । कभी-कभी नारा लगाने का काम बहुत आप करते हैं । इस मामले में बहुत चतुर हैं। एक सब्जेक्ट और खोल दिया है ज्योतिष का ज्योतिष साइन्स अब खोल दिया है और ज्योतिष पर ही यह सरकार आयी है, तो लगता है कि ज्योतिष को भी ले जायेंगे । वे गणित के अध्यापक नहीं हैं कालेजों में साइंस के अध्यापक नहीं हैं कालेजों में, और वैदिक गणित बोलेंगे नहीं, तो सनातन बोलेंगे । नया सनातन कोई नहीं बोलेंगे । कोई भी शिक्षा देशी स्तर पर नहीं चल सकती है, इसलिये कि दुनियां के विकास को देखते हुए आपको अपनी शिक्षा नीति को निर्धारित करना पड़ेगा । इस प्रदेश में शिक्षा में ज्यादा प्रयोग हुए हैं । एक बार चलाया सपुस्तक परीक्षा.....

बेसिक एवं प्रौढ़ शिक्षा राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

माननीय मंत्री जी ने जो रखा है, पुरानी नींव पर नया निर्माण रखा है ।

श्री विश्वनाथ–

मान्यवर, नींव अगर पुरानी होगी, तो नये मकान की शुरुआत कैसे कर देंगे ? पुरानी नींव नहीं , मजबूत नींव कहिये और उस पर कमजोर भवन भी कुछ दिन टिक जाता है, लेकिन पुरानी नींव हुई और नया निर्माण हुआ, तो वह धराशायी हो जाता है । तो मैं आपसे कह रहा था कि साधनों के मामलों में आप बहुत कंजूसी कर रहे हैं । मैं मितव्ययिता को कंजूसी इसलिये कह रहा हूं कि मितव्ययिता आप नहीं कर रहे हैं तीन करोड़ रुपया आपने तारा मण्डल पर दे दिया है, लेकिन राष्ट्र के तारा, सूरज, चांद ये बच्चे जो हैं, ये जो बेटियां हैं, उनके लिये आपके पास दो करोड़, ढाई करोड़ रुपया नहीं है। हम जानते हैं, आप स्वर्ग बनायेंगे, धरती नहीं सुधारेंगे ।

आपकी उदारता का परिचय यह है कि आपने दो लाख रुपया मऊ नुमाइश पर खर्च कर दिया और 3 करोड़ रुपया आपने तारा मण्डल पर खर्च कर दिया, जबकि बजट में इसका कोई प्राविधान नहीं था, लेकिन आपने दे दिया । तो आप तो कहीं पर बहुत उदार हो जाते हैं और कहीं पर आप कृपण हो जाते हैं, आखिर क्या बात है ? तो मैं कह रहा हूं आपसे कि भाई प्रौढ़ शिक्षा समाप्त हो गयी, काम इनका घट गया ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय विश्वनाथ जी, आप माध्यमिक शिक्षा पर बोल रहे हैं, न कि प्रौढ़ शिक्षा पर।

श्री विश्वनाथ–

मैं उसी पर आ रहा हूं, आप सुनें तो मेरी बात, मैं विषयांतर नहीं हूंगा । माध्यमिक शिक्षा में आपने प्रौढ़ शिक्षा को समायोजित कर दिया । (इस समय 5 बजकर 40 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए) वही बात मैं कह रहा हूं, आपने पैसा उधर छोड़ दिया है । मैं कहता हूं कि आप पैसे का समायोजन कीजिये ।

मान्यवर, शिक्षा की लाचारी और संस्थाओं की बेहाली को देखते हुए ऐसा लगता है कि न हमने विज्ञान की दिशा में प्रगति की है और न हम ज्ञान ही प्रदान कर सके हैं । मान्यवर, देश के विकास के लिये और प्रदेश के सुधार के लिये माध्यमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और व्यवसायिक शिक्षा पर बल दें और इसका फैलाव, प्रचार और प्रसार द्रुत गति से करें, और आने वाले समय में कोई अज्ञानी न रह जाये, निरक्षर न रहे और देश में ज्ञान का किरण फैले । दिनकर जी ने कहा है––

"जलाओ दिये पर रहे ध्यान इतना,
अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाये ।"

लगता है कि दिया नहीं जलेगा और अज्ञानता के सागर में हम इस देश को झोंक रहे हैं । दुनिया के देशों में गिना जाने वाला हमारा देश था, लेकिन आज बजट को देखकर सारी आशायें मारी गयी है और शिक्षा की उम्मीद गायब हो गयी है । हम लोग यहां पर बैठे हैं, रोशनी जल रही है, लेकिन मैं चाहता था कि ज्ञान की रोशनी आप फैलायें, लेकिन बाहर निकलने पर अंधेरा ही अंधेरा दिखायी देता है। आपका जो बजट है वह संख्या के आधार पर पारित हो जायेगा, लेकिन आप उत्तर प्रदेश को ज्ञान नहीं प्रदान करेंगे अंधकार देंगे, ज्ञान कतई नहीं दे सकेंगे । आप दो करोड़ रुपये और ढाई करोड़ रुपये में शिक्षा, बालिकाओं की शिक्षा देने की बात चला रहे हैं । मान्यवर, इससे कैसे यह काम होगा ?

आप एक ओर तो अधिकारियों और प्रशासनिक संस्थाओं के खर्च को बढ़ा रहे हैं और शिक्षा के प्रसार में खर्च कम कर रहे हैं । आप अध्यापक हैं, आपसे मेरा ज्यादा लगाव है । शिक्षा को आपसे ज्यादा उम्मीद है, लेकिन आपने किसी प्रकार से भी अज्ञानता को मिटाने का काम नहीं किया है । यह दोष मंत्री पर जायेगा और अगर छलकेगा तो अध्यापकों पर जायेगा । आप अध्यापक हैं और ज्ञान से जुड़े हुए हैं और इसीलिये आपसे यह सब कह रहा हूं । शिक्षा के फैलाव का काम इतने कम धन से नहीं हो सकता है । आप शिक्षा के लिये बजट को बढ़ावें, इसकी रकम को बढ़ावें और शिक्षा में गुणात्मक सुधार लावें । अगर हम साक्षरता को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिये कार्य करना होगा, ऐसे विद्यालयों की स्थापना करनी होगी जहां पर हाथ से काम हो । हाथ से काम करने की इल्म कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को दी जा सकती है । 6 से 10 तक को दी जा सकती है तो वह तकनीकी लोग जब गांवों में जायेंगे तो उनकी आमदनी भी उनके हाथ होंगे, वह आपको दरख्वास्त नहीं देंगे नौकरी के लिये और

वह अपने जीने के लिये उपार्जन भी करेंगे देश के उत्पादन में काम भी आयेंगे लेकिन जो स्थिति है, आये थे अध्यापक लोग कल मुझसे कह रहे थे कि अनुदान सूची पर कितने स्कूल आ जायेंगे आप कहिये मंत्री जी से ? मान्यवर, 25 स्कूल आ गये 5 लड़कियों के और 20 बालकों के, क्या होगा इस देश का, बड़ा भाषण किया आपने, हम तो विरोध में हैं भाषण कर रहे हैं । आप अपना भाषण ये अपने अधिकारियों को सुनाइये । अध्यापकों को और जनता को यह भाषण न सुनाइये । अगर सुनाना है तो बजट बढ़ाइये ।

मान्यवर, आप अध्यापकों की ट्रेनिंग की व्यवस्था करायें जिससे जो नया अध्यापक आता है वह विज्ञ हो जाय और आप तो साइंस के हैं । रोज नई खोजें हो रही है, ज्ञान के क्षेत्र में और अध्यापकों के प्रशिक्षण पर आपने कितना रखा है ? जरा देख लीजिये, तो आप अध्यापकों को प्रशिक्षित नहीं करेंगे, नये ज्ञान से युक्त नहीं करेंगे तो यह सही है कि आप पुरानी नींव पर नई इमारत को खड़ा करेंगे ।

मैं आपसे कह रहा हूं कि माननीय मंत्री जी कुछ आपके बजट में बढ़ाने के लिये नहीं है । आपने इस प्रदेश को दिया नहीं है । आपने प्रदेश को हताशा दी है, अंधकार दिया है इसलिये चाहता हूं कि आप इस प्रदेश को ज्ञान दें नहीं तो रफा हो जायं, दफा हो जाय और सदा सदा के लिये चले जायं । इसके साथ ही मैं अपनी बात खत्म करता हूं और आपसे इजाजत चाहता हूं ।

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । बहुत देर से श्री विश्वनाथ जी 25-25 पकड़ के बैठ गये थे । यह एक बार भी उनके मुख से नहीं निकला कि यह पिछले 200 विद्यालय जिसका नाम ले रहे हैं उसका क्रियान्वयन हमारे शिक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने ही किया है और यह एक बार भी उनके मुंह से नहीं निकला कि यह 9 साल से पिछली सरकारों ने किसी विद्यालय को अनुदान नहीं दिया था । हमारी सरकार ने इस बार 25 को दिया है और हमें आशा है कि हमारी सरकार अगर नये वित्तीय संसाधन बढ़े तो सभी विद्यालयों को जो अनुदान सूची में प्रतीक्षित हैं 5 वर्ष में सभी को पूरा कर देगी । मान्यवर, इस देश के लिये इस प्रदेश के लिये आज वैदिक गणित, आज एक ऐसा निर्णय हमारे शिक्षा मंत्री ने लिया । यह प्रदेश के लिये संस्कृति और वेद के प्रति जो दृष्टिकोण अपनाया है, आज यह देश के लिये आने वाले दिनों में अन्य (माइल्डस्टोन) मील का पत्थर बनेगा । आज अपनी संस्कृति जो खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान में जो अन्य देशों की उन्नति है वह अंतरिक्ष विज्ञान भारत के शास्त्रों पर विदेश के लोगों ने उसको आधार बनाया । आज जो चीज लुप्त हो गयी थी उसको उत्तर प्रदेश शासन ने पुनः शुरू किया है इसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं । संस्कृति शिक्षा के अन्दर जो मान्यता के अवसर समाप्त हो गये थे पुनः अवसर दिया है इसके लिए बधाई दूंगा । संस्कृति आयोग का जो प्रश्न विचाराधीन था उस पर भी माध्यमिक शिक्षा मंत्री निर्णय लेंगे ऐसी आशा है । इस बात पर इनकी प्रशंसा करनी चाहिए थी लेकिन मा० विपक्षी सदस्य को ध्यान नहीं आया कि उत्तर प्रदेश में 896 ब्लाक हैं उसमें से 400 से अधिक ब्लाकों में लड़िकयों का एक भी विद्यालय नहीं है, 90 ब्लाकों मे एक साथ विद्यालय खोलने का प्राविधान किया । अगर ऐसा ही चला तो 5 वर्षों में हर ब्लाक में एक कन्या विद्यालय होगा । जनता के सहयोग से शासन ने वित्तीय कठिनाई को दूर करने का प्रयास किया है ।

जन विद्यालय चलाने के लिए जनता को आफर किया गया है कि किसी के नाम से भी विद्यालय चलाने के लिए जमीन और अन्य संसाधन दे सकते हैं । यह जन सहयोग का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है न कि किसी सरमायेदार को देने की बात है । इसके लिए मा० मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा

कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार का प्रयास किया है । पिछले वर्षो में नकल का जो स्वरूप उत्तर प्रदेश और बिहार में उभर कर आया । नकल के कारण डिग्रियां लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार के लड़के जाते हैं लेकिन प्राइवेट फैक्टरियों से भी लौटा दिये जाते हैं । हमारे शासन ने चैलेंज दिया, फ्री स्टाइल पढ़ाई हो गयी थी । स्वकेन्द्र पर परीक्षा दो और कापियां बाहर से लिख लाओं । हमारी सरकार ने उसे रोक कर नकल को संज्ञेय अपराध घोषित किया है । जो आज विरोध कर रहे हैं अगर इन्हीं विपक्षी सदस्यों को लाबी में ले जाकर पूछे तो कहेंगे कि अच्छा हुआ है ।

कुछ और ऐसे काम जो पिछले शासनकाल में शिक्षा में नहीं हुए थे और अवरुद्ध थे उन पर भी दृष्टिपात किया । शिक्षकों की नियुक्ति में तदर्थवाद चल रहा था, उनको नियमित किया, तदर्थवाद को समाप्त किया, शिक्षा सेवा में भर्ती का क्षेत्रिय चयन आयोग बना । संस्कृति तृतीय प्रश्न पत्र थोड़ा सा पढ़ाया जाता था अब पूरा संस्कृत अनिवार्य कर दिया । शिक्षा के क्षेत्र में एक अरब रुपये की बढ़ोत्तरी हुयी है । इसके लिए मा० मंत्री जी को बधाई दूंगा । मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां के विषय में पिछड़ेपन की बात बहुत कही गयी है । लेकिन बताना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में मेरे क्षेत्र में इतना पिछड़ापन है कि उसका वर्णन करना दुखकारक है । मैं आशा करता हूं कि मा० माध्यमिक शिक्षा मंत्री मेरे क्षेत्र में, दानगंज-ब्लाक भोजापुर वाराणसी एवं खानपुर ब्लाक-सैदपुर-गाजीपुर में एक-एक कन्या विद्यालय एवं मा० उच्च शिक्षा मंत्री जी राजापुर विकास खण्ड हरदुआ वाराणसी में एक राजकीय डिग्री कालेज खोलने की स्वीकृति देंगे ।

मैं इस बजट की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुये समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

सैदपुर डिग्री कालेज में विज्ञान की पढ़ाई शुरू की जाय मेरे क्षेत्र में 2 लड़कियों के विद्यालय स्वीकृत किये जाय । अपने क्षेत्र के शैक्षणिक विकास में आशा करते हुये यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी उसमें सहयोग करेंगे । इसी के साथ उनके बजट की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए बजट का समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो अपने बड़े ही विश्लेषणात्मक भाषण में कुछ बातों का इशारा किया है मैं उन्हीं की तरफ सदन का ध्यान खीचना चाहूंगा । मान्यवर, शिक्षा का उद्देश्य है "आल राउन्ड एंड होमोजिनियस डेवलपमेंट आफ दि चाइल्ड"–यानि बालक का सर्वांगीण विकास शारीरिक, आत्मिक, मानसिक, आध्यात्मिक । हम लोगों ने अपने शिक्षण जगत में शिक्षा का स्वरूप ऐसा रखा है कि माता-पिता और गुरू यह तीनों पर शिक्षा का जगत आधारित होता है । मातृयान पितृयान आचार्ययान पुरुषौवैदः धन्य वह बालक जिसके माता पिता धार्मिक विचारों के हैं । इस दृष्टि से माननीय शिक्षा मंत्री ने जो बात कही है इसमें कुछ बातों का मैं समर्थन भी करता हूं । आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि शिक्षा एक प्रयोगशाला बन गयी है मान्यवर, चाहे हाईस्कूल या इण्टरमीडिएट की परीक्षा एक साथ करानी हो उसके बाद हाईस्कूल की प्राइवेट इण्टरमीडिएट की प्राइवेट अलग–फिर चाहे एक साथ । फिर कभी किताबों से नकल करायेंगे, कभी नकल दूर करायेंगे ।

मान्यवर, कुछ समय पहले एक समय ऐसा भी था जब 9वें क्लास के छात्रों को नकल करने की पूरी छूट दी गयी यह संक्रमण काल था । शिक्षा एक प्रयोगशाला बन गयी । कभी एक साथ परीक्षा करेंगे कभी अलग करेंगे या फिर कभी तीसरी व्यवस्था करेंगे । कभी नकल करायेंगे कभी नकल को दूर करेंगे । मैं इस ओर कहना चाहता हूं कि आपने नकल को संज्ञेय अपराध करके इस दिशा में अच्छा

काम किया है लेकिन मैं दो सुझाव देता हूं आप विचार करेंगे शिक्षा जगत से जुड़े होने के कारण मैं समझता था कि पहले से प्राविधान रहा है कि जो केन्द्र व्यवस्थापक होंगे हाईस्कूल इण्टरमीडिएट के प्रिसपल होंगे उनको मालुम होगा कि इण्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट के अन्तर्गत लिखा है कि वे अपने यहां ही समरी ट्रायल करके ऐक्शन ले लें मैं समझता हूं कि इन प्राविधानों को पहले लागू करेंगे पुलिस की व्यवस्था में छात्रों को नहीं सौंपेगे । आपका काम ठीक है नकल रुकनी चाहिये । यह बहुत बड़ा अभिशाप बन गया था हम लोग जानते हैं यह बहुत बड़ी बुराई आ गयी थी । अध्यापक क्या गार्जियेन बाहर से खुलेआम नकल कराते रहे । 14 साल के बालक के लिये यह कहा गया था कि कानून में "बिफोर दि कमीशन आफ एन ऐक्ट दि माइंड इज गिल्टी" तो अगर ऐसा कोई काम करना चाहते हैं तो मेनसेरिया का प्राविधान है कि माइंड गिल्टी हो जाता है । अगर बालक को इस तरह से आपराधिक प्रवृत्ति की ओर बढ़ाया जायेगा तो अच्छा काम नहीं होगा । आप इस पर पुनर्विचार कीजिये कोई विकल्प दीजिये नकल को रोकने के लिये यह जो आपकी व्यवस्था है इससे क्या छात्र-छात्रा अपराधिक प्रवृत्ति से उबर सकेंगे ? जो छात्राओं का सवाल है जब छात्र को पढ़ाते हैं. जबकि छात्रा को पढ़ाते हैं तो पूरे परिवार को पढ़ा लेते है अगर छात्रा कहीं नकल में पकड़ ली गयी एस०डी०एम० ने कापी सील करने का काम किया और उसके बाद कार्यवाही हुई तो उसका क्या भविष्य होगा उसका आगे उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज में उसका क्या असर पड़ेगा, इस पर विचार करना चाहिये जब आप उत्तर भाषण देंगे तो इस पर जरूर कहेंगे । मैं यह चाहता था हिन्दू धर्म संस्कृति के आधार पर आपकी सरकार बनी है आपका कहना है तो आपको क्रियात्मक ज्ञान छात्रों को देना चाहिये जैसे कहा गया है "अपिसर्वशास्त्रेषु कुशला लोकाचार विवर्जिताः सर्वेते हास्यतांम यथा ते मूर्ख पण्डिता ।"

आपने परीक्षा ज्ञान की बात कही है मैं यह कहना चाहता हूं कि क्रियात्मक ज्ञान पर बल दीजिये । एक बात बता रहा हूं कि एक पंडित जी के सामने जब खाना आया तो उसमें उन्हें सिवंई दी गयी उनको किताबी ज्ञान था सेवंई देखकर पंडित जी बोले "दीर्घ सूत्री विनश्यति" और भोजन किये बिना चले गये । इसी प्रकार बड़ा खाने को दिया गया तो किताबी ज्ञान से बोलें 'छिन्द्रषुनर्था बहुली भवन्ति' और पंडित जी बिना भोजन किये चले गये । बिना क्रियात्मक ज्ञान के शिक्षा अधूरी रह जायेगी ।

इसी किताबी ज्ञान की बात बता रहा हूं कि एक माता आटा गूंथ रही थी उसने अपने बालक से जो श्रवण कुमार की किताब पढ़ रहा था, पानी मांगा, उस बेटे ने कहा कि मैं श्रवण कुमार की किताब पढ़ रहा हूं तो मां ने कहा कि उसने तो अपने माता पिता की सेवा की थी तो बेटे ने अपने किताबी ज्ञान से कहा कि उनके मां बाप दोनों अंधे थे, इसलिये उसने सेवा की थी, तुम तो दोनो आंखों वाली मां हो । तो शिक्षा जगत में अगर क्रियात्मक ज्ञान नहीं होगा तो बात अधूरी रह जायेगी, व्यवसायिक शिक्षा की बात आपने कही है अच्छी बात कही है । पीछे के उदाहरण उठाकर देखिये बहुत पहले हमारे शिक्षा विभाग के लोगों ने यह अनुभव किया था इसलिए आप उसको देख लें । मान्यवर, आज बच्चों में यह देखा जाता है कि वह क्या बनेगा शिल्पकार बनेगा, काश्तकार बनेगा, विज्ञान के क्षेत्र में जायेगा या सेना में भर्ती होगा ? यह उसकी टेस्ट लेकर नोलेज के हिसाब से देखते हैं ।

मान्यवर, इण्टर कालेज की मान्यता देने की आपने बात कही । मैं कहना चाहता हूं कि आपने इसके लिए दो तरह के मानक निर्धारित किये हैं, कितने साइज का कमरा होना चाहिए और कितने साइज का नहीं यह तो आप प्राइवेट में देखते हैं लेकिन जब आप गवर्नमेंट कालेज को मान्यता देते हैं तो उसमें यह तब नहीं देखते हैं । तो दोनों में एकरूपता होनी चाहिए । आपने नैतिक शिक्षा की बात कही है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि जो भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय दर्शन है उसको उसमें पढ़ाया जाये

उसको पढ़ाते समय जो राष्ट्र भक्त हैं और जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है उन्हें भी उसमें शामिल किया जाये इस बात का ध्यान रखा जाये ।

मान्यवर, इन्होंने वैदिक गणित की बात कही । इसमें एक पाई का मान 22/7 होता है अगर इसको भाग दें तो यह 3.14 आता है इसमें हम इसको संस्कृत के एक श्लोक के अनुसार 92 स्थानों तक भाग दे सकते हैं तो जो हम मार्डन फिजिक्स गणित पढ़ाते हैं उसमें इस फार्मूले को लगाया जाये तो इससे बड़ी सहायता मिलेगी, सांमजस्य नये व पुराने का होना चाहिये । मान्यवर, इन्होंने संस्कृत की बात कही । इसमें इन्होंने यह कहा कि हाईस्कूल और इण्टर में तृतीय प्रश्न पत्र में संस्कृत का अंश होता है तो क्या इसे पूरा एक संस्कृत का पेपर बनायेंगे ? हिन्दी भाषा की बात आयी हिन्दी भाषा के बारे में मा० मदन मोहन मालवीय जी ने कहा कि लन्दन के टेम्स रूपी अंग्रेजी का पानी पिलाने का प्रयास नहीं होना चाहिए । पहले पुण्यतोया, पुन्यसलिला, जननी जाह्नवी के हिन्दी रूपी पानी को पिलाने का प्रयास किया जाना चाहिए । हिन्दी भाषा को यहां पर पूरा गौरव मिले इस बात का प्रयास किया जाना चाहिए । मैं यह कह रहा हूं कि इण्टरमीडिएट की पुस्तकों में नैतिक शिक्षा लगाई गयी थी और यह प्राविधान कर दिया गया कि जुलाई अगस्त के महीने में ही पूरे साल भर का लेखा लिख जायेगा कि क्या रहा, आगे क्या होगा, बिना फाईनल परीक्षा लिये ही आप रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, तो यह तो ग्रेडेशन पूरा हो गया । बाकी नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी में लड़का क्या पढ़ेगा ? इसलिये मैं कहना यह चाहता हूं कि आप लास्ट में परीक्षा लीजिये और साल भर पढ़ाई करायें । इन लोगों ने बड़ी कोशिश की थी, जो कमीशन हमारे बिठाये गये, जैसे कोठारी कमीशन आदि । मैं तो मा० राजनाथ जी को बहुत अच्छा आदमी मानता हूं, यह विद्वान पुरुष हैं लेकिन माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी विसंगतियां आयी थीं राष्ट्रीयकरण को लेकर, वह आज भी विद्यमान हैं ।

इस भवन के बाहर शिक्षकों का नारा और विधान भवन एक दूसरे से टकराते रहे हैं । माध्यमिक शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की चर्चा हुई लेकिन ऐसी शंका है कि आप इसे प्राइवेट लोगों के हाथों में देने जा रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि आप अध्यापक की सेवा, सुरक्षा की व्यवस्था कर दें, छात्रों की पढ़ाई की व्यवस्था कर दें, जिस समय यह विषय आया था, उस समय आपने भी इस पर अपना भाषण दिया था । शिक्षा सेवा आयोग क्या होता है ? राष्ट्रीयकरण क्या होता है ? आप यदि इसे तोड़कर कोई मंडल या चयन बोर्ड बनायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय यादव जी, कृपया संक्षिप्त कर दें ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, मैं ऐसा समझता हूं कि अगर आपको कोई चयन बोर्ड बनाना है, तो बोर्ड में कौन लोग होंगे ? चयन बोर्ड कब बैठेगा ? किन शर्तों पर वहां लोग चयन करेंगे ? यह सारी बातें गोपनीय होनी चाहिए, नहीं तो हम लोगों को शंका हो रही है कि आप अपने आदमी भरने के लिये ऐसा कर रहे हैं । मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं, आप विद्यालयों की सूची उठा लीजिये । ऐसे बहुत सारे कालेज हैं, जहां डी० डी० आर० के द्वारा प्रशासनिक योजनायें बदल दी गयीं । मैं आर्य समाज के डेढ़-दो सौ कालेजों से जुड़ा व्यक्ति हूं और मैं जानता हूं कि पचासों कालेजों में डी० डी० आर० ने प्रशासनिक योजनायें बदल दीं । चूंकि आर्य समाज के धार्मिक संस्था होने के कारण हमारा प्रतिनिधि इसमें होता है और आपके विभाग के लोगों ने हमारे प्रतिनिधि को भी हटा दिया । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो

प्रशासनिक योजनायें बन रही हैं, उनके संबंध में जरा कड़ाई से दिखवाइये कि कहीं इन योजनाओं में कोई गलत बात तो नहीं हो गयी है । आपने अपने भाषण में यह भी कहा कि हम हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट में अनुदान देंगे, यह बड़ी अच्छी बात है । हम तो समझते हैं कि अब आपका वित्तीय संकट कुछ हद तक दूर हो गया होगा, लेकिन आप नजूल की भूमि बेचने जा रहे हैं । गुप्ता जी, शराब की ठेकेदारी बढ़ा देंगे तो राजस्व बढ़ जायेगा, लेकिन मैं समझता हूं कि आप शिक्षा को इससे अलग रखिये, अपने उत्तर में आप इसको जरूर स्पष्ट कर दीजियेगा । आप तमाम वित्त विहीन मान्यतायें दे चुके हैं । अगर आपको स्कूलों को मान्यता देना है तो आप उन्हें वित्त विहीन न रखें, बल्कि सवित्त कर दें ।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं । हाईस्कूल में जितने सेक्शन हैं, उसका आपने डेढ़ गुना अध्यापक रख दिये, इण्टर में जितने सेक्शन हैं, उसके दो गुना आपने अध्यापक रख दिये । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आप विषयों के आधार पर अध्यापक रखें । यह डेढ़ गुना और दो गुना से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब विषयों की संख्या काफी अधिक है । दूसरी एक बात राष्ट्रीयकृत पुस्तकों के संबंध में कहना चाहता हूं । आपने बताया कि सारी पुस्तकों को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि ज्ञान विज्ञान के लिये कोई क्षेत्र क्या छोड़ रखा है, जिसमें कम्प्टीशन हो, तुलनात्मक अध्ययन हो सके ? आपने गर्ल्स हाईस्कूलों के बारे में बताया, यह अच्छी योजना है । जहां ब्लाकों में, विद्यालय नहीं हैं, वहां आप विद्यालय खोलने जा रहे हैं । लेकिन जब भूमि उसी की होगी, भवन उसी का होगा, तो फिर आपका क्या रह जायेगा ? इसलिये मैं चाहता हूं कि भूमि जरूर उसकी हो, लेकिन भवन आपका होना चाहिए वरना "जो कबिरा काशी मरयो, तो रामहिं कौन निहोरे" अगर सब उसी का होगा, तो फिर आपका क्या रह जायेगा ? केवल मान्यता लेनी है तो उसके लिये रह जायेगा श्रीमन्, मैं कह रहा हूं कि जितने भी ब्लाक हैं, उनमें से कुछ ब्लाकों को छांट लिया जाये, अच्छे ब्लाकों को छांट लिया जाये और शिक्षा का प्रचार-प्रसार किया जाये ।

श्रीमन्, वैकल्पिक ऊर्जा की बात कही गयी । कुछ बातें मेरे संज्ञान में आयी हैं । एक व्यक्ति डा० एस० एस० यादव है, जो कि डबुल पी० एच० डी० है, शायद उससे ज्यादा क्वालिफाइड आदमी आपके यहां नहीं है, परन्तु रेवेन्जफुल एटीट्यूड के कारण उससे काम छीन लिया गया है । आप इसका परीक्षण करा लीजिये और हमसे भी इस संबंध में आप बहस कर लीजिये । मुझे विश्वास है कि आप उसे काम देंगे । अगर उससे ज्यादा क्वालिफाइड व्यक्ति आपके वहां होगा तो मैं अपनी बात को वापस ले लूंगा । दूसरा, सुझाव के रूप में आपसे कहना चाहता हूं कि टीचर्स के जो आप एप्वाइन्टमेंट करने जा रहे हैं विज्ञान और गणित के । इसी तरह से बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं, जहां पर फिजिक्स को हिन्दी वाला पढ़ा रहा है ।

अब वह क्या आइन्सटीन व न्यूटन की थ्योरी को पढ़ायेगा ? संख्या के हिसाब से आप हाईस्कूल में डेढ़ गुना और इण्टरमीडिएट में दुगुना टीचर तथा 40% प्रमोशन करते हैं । आप इसे विषय-वाइज कर दीजिये, इससे छात्रों का भी कल्याण होगा । आपने नकल को जो संज्ञेय अपराध घोषित किया है, इस पर आप स्वयं पुनः विचार करें । भ्रष्टाचारी पुलिस के हाथों में आप यह अधिकार न दें । आप शिक्षकों पर कुछ तो विश्वास कीजिये । इस देश में शिक्षक अभी इतने गिरे हुए नहीं हैं । मैं भी इस बात को मानता हूं कि पढ़ाई होनी चाहिए, शिक्षकों को क्लास में जाना चाहिए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री मातवार सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मुझे शिक्षा के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसका मैं स्वागत करता हूं और साथ ही समर्थन भी करता हूं। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने एक नई दिशा दी है, शिक्षा में सुधार लाने का प्रयास किया है, नकल पर प्रतिबन्ध लगाया है, बालिकाओं को शिक्षा देने हेतु प्रोत्साहन दिया है और विद्यालयों को अनुदान देने का प्रयास किया है। ये सारे कदम सराहनीय हैं। अब मैं उत्तरांचल की समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे उत्तरांचल में कई हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट स्कूलों के भवन नहीं हैं। विगत सरकार ने उन विद्यालयों में प्रधानाचार्यों की भी नियुक्ति नहीं की। आज भी कई ऐसे विद्यालय हैं, जहां पर विज्ञान व गणित जैसे विषयों के अध्यापक नहीं हैं, ऐसी स्थिति में आप स्वयं सोच सकते हैं कि विद्यार्थियों की पढ़ाई कैसे हो रही होगी ? मेरा आपसे सुझाव है कि आप विज्ञान व गणित के विषयों के अध्यापकों को वहां पर नियुक्त करें। बेसिक पाठशालाओं में अध्यापक नहीं हैं, स्कूल बन्द रहते हैं। मेरा सुझाव है कि विगत सरकार ने सी० टी० संवर्ग को खत्म कर दिया था। उत्तरांचल में शिक्षा को रोजगार की दृष्टि से माना जाता है। हमारे नवयुवा बालक व बालिकाओं को इस सी० टी० संवर्ग से रोजगार प्राप्त होता था। मेरा सुझाव है कि इस सी० टी० संवर्ग को पुनर्जीवित किया जाय। दूसरा, बी० टी० सी० के लिये शैक्षिक योग्यता स्नातक कर दी गयी है। हमारे उत्तरांचल में महाविद्यालय नहीं होते हैं। इसलिये बी० टी० सी० के प्रशिक्षण हेतु शैक्षिक योग्यता इण्टर कर दी जाय। इसलिये मेरा अनुरोध है कि बी० टी० सी० प्रशिक्षण के लिये शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट रखी जाय जिससे हमारे उत्तरांचल के बालक बालिकाओं के लिये यह बहुत उपयोगी है। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री ऊदल–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज हमारे प्रदेश में शिक्षा की बहुत कमी है। शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम अपने देश की संस्कृति, अपने देश के इतिहास को, अपने देश की सभ्यता को समझ सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज हमारे प्रदेश में 8 करोड़ लोग निरक्षर हैं, यह सरकार के आंकड़े हैं पूरे देश में करीब 40, 50 करोड़ गरीब निरक्षर होंगे और यह संख्या दो हजार के बाद हमारे देश में दुनियां में निरक्षरता में सबसे ज्यादा होगी और हमारा देश नम्बर एक में निरक्षरता में होगा। तो यह बहुत ही विषम स्थिति हमारे देश की है। आवश्यकता इस बात की है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षा दें, उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करें।

हमारे प्रदेश में 40 फीसदी बालक शिक्षित हैं और बालिकायें केवल 20 फीसदी शिक्षित होंगी इससे ज्यादा नहीं होंगी। तो यह बहुत ही दयनीय स्थिति बालिकाओं की शिक्षा के बारे में हे। उनको नम्बर दो का इन्सान समझा जाता रहा और आगे भी समझा जायेगा।

बालिकाओं की शिक्षा के बारे में माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि 90 ब्लाकों में विद्यालय खोलेंगे। तो यह पिछली सरकार की योजना थी। मेरे ब्लाक में कोई हाईस्कूल नहीं है वहां के इंस्पेक्टर आफ स्कूल मेरे पास आये थे दो साल पहले की यह बात है जगह भी मैंने दे दी लेकिन दुर्भाग्य से खींचातानी में कहीं और चला गया पिंडरा ब्लाक वाराणसी का यह मामला है। सरकार की कृपा होगी अगर उसमें कोई भेदभाव नहीं बरतें तो अच्छा होगा।

सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा काम किया जो शिक्षा आयोग आपने खत्म किया है । मैं उसकी सराहना करता हूं । जब उस समय शिक्षा मंत्री श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी ने विधेयक पेश किया था मैंने उसका विरोध किया था । लेकिन अब आप मण्डल स्तर पर समिति को बनाने जा रहे हैं तो उसकी रूपरेखा क्या होगी क्योंकि लोग सशंकित हैं अखबारों में भी आ रहा है इसको सरकार अपने पक्ष में इस्तेमाल करेगी । शिक्षा किसी के पक्ष या विपक्ष की बात नहीं इंसान को इंसान बनाने की बात है इसलिये इसको हर प्रकार के भेदभाव से मुक्त रखें ।

दूसरी बात आपने नकल विरोधी विधेयक में नकल को अपराध घोषित किया है । यह सही है कि नकल नहीं होनी चाहिए, वह बढ़ रही थी लेकिन इसकी संचालन व्यवस्था और कोई अच्छी हो सकती है तो वह करें । क्योंकि इसको पुलिस के हाथों में देने से इसका स्वरूप ही बदल गया है । हमारे प्रदेश और देश में पुलिस को अच्छा नहीं मानते हैं इसलिये कोई और अलटरनेटिव व्यवस्था हो सकती है तो उसको करने की आवश्यकता है ।

[समय 6 बजकर 20 मिनट]

हमारे बहुत से इण्टर कालेजों में, हाई स्कूलों में जो प्राइवेट चल रहे हैं, उनमें छात्रों की संख्या बढ़ गई है, किन्तु छात्रों के हिसाब से उनके पास न इमारत है न अध्यापक है । आप इसकी समीक्षा करा लें, छात्रों के हिसाब से इमारत की और अध्यापकों की भी आवश्यकता है । अगर अध्यापक नहीं होंगे तो छात्रों की पढ़ाई ठीक से नहीं हो सकती है । सरकार को इस बात पर भी ध्यान देना आवश्यक है । जहां साइंस की कक्षायें नहीं हैं उनको भी आपको देखना और सहायता देने की जरूरत है । मेरा आज भी एक सवाल था शिक्षा मंत्री से । मैंने पूछा था कि जो नई मान्यता आप लड़कियों की शिक्षा के लिये दे रहे हैं, तो क्या उसमें आप कामर्स साइंस की मान्यता भी साहित्यिक वर्ग के साथ-साथ देंगे ? तो उस पर मंत्री जी ने इन्कार किया और कहा, नहीं-नहीं । तो आप लड़कियों की शिक्षा के बारे में यह संकुचित दायरा क्यों अपना रहे हैं । क्या हमारे प्रदेश की छात्रायें इंजिनियर्स और वैज्ञानिक नहीं बन सकती हैं ? क्या वे डाक्टर नहीं बन सकती हैं ?

मैं समझता हूं कि उनके बारे में इस तरह से जवाब देना ठीक नहीं है । मैं एक बार और कहना चाहता हूं कि पहले जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था कानून में इस बात का प्राविधान था, शिक्षा संस्थाओं को शिक्षा के लिये जमीन देने का प्राविधान था किन्तु सन् 75 में उस धारा को समाप्त कर दिया गया और आज कोई संस्था या सोसाइटी शिक्षा के लिये जमीन प्राप्त करना चाहे तो वह नहीं कर पाती हैं। आज कोई व्यक्ति या संस्था छात्राओं की पढ़ाई के लिये गांव सभा से जमीन चाहे तो वह आज जमीन नहीं प्राप्त कर सकता है । आप इसलिये राजस्व मंत्री जी से कुछ बात कर लें, अगर वह पूरी धारा न जोड़ सकें तो इतना कर दें कि छात्राओं के लिये जो कालेज खोले जायें, चाहे कोई भी खोले तो वह गांव सभाओं से जमीन दिलाने का प्राविधान कर दें उसके लिये जमींदारी और भूमि व्यवस्था कानून में एक क्लाज आप जुड़वायें कि छात्राओं के विद्यालय के लिये उसकी बहबूदी के लिये, इमारत के लिये या खेलकूद के मैदान के लिये कोई गांव सभा जमीन देती है, तो भूमि व्यवस्था अधिनियम में एक क्लाज जोड़कर राजस्व विभाग को स्वीकार कर लेना चाहिए । यह बहुत बड़ी समस्या आज शिक्षा संस्थाओं के सामने पैदा हो गयी है, इस पर आप ध्यान दीजिये । मैं चाहता हूं कि छात्रों और छात्राओं के विकास के लिये, यद्यपि यह आपके विभाग का विषय नहीं है फिर भी चूंकि खेल कूद शिक्षा जगत से ही सम्बन्धित है मैं कह रहा हूं आज कहीं भी प्रदेश के देहातों में खेल कूद के मैदान नहीं हैं जबकि हाईस्कूल और इण्टर कालेजों की संख्या बहुत बढ़ गयी है । मैं चाहता हूं कि आप खेल कूद विभाग से इसके लिये आप

इसके लिये आप बात करें और कम से कम उन पिछड़े हुए और देहाती अंचलों में खेल कूद को बढ़ाने के लिये और छात्रों की शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिये आप पूरा-पूरा ध्यान दें। मैं समझता हूं कि आपका ध्यान छात्राओं की शिक्षा की तरफ मुकम्मल तरीके से जाना चाहिए और जो भी व्यक्ति या संस्था इस क्षेत्र में आगे आना चाहती हैं उन पर सरकार को उदार दृष्टि से विचार करना चाहिए। क्योंकि बहुत सही बात है जैसा अभी मा० कैलाश नाथ सिंह यादव जी ने कहा है कि एक छात्रा को यदि हम पढ़ा देते हैं तो पूरे परिवार के लोगों को हम पढ़ा देते हैं। तो पूरे देश की जो आधी आबादी है महिलाओं की उनके साथ बहुत बढ़ा न्याय होगा और समाज को आगे बढ़ाने में आज उनकी जो भूमिका है उसमें बढ़ोत्तरी होगी। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मंत्री जी से आशा करता हूं कि वह हमारे सुझावों पर अमल करेंगे।

* श्री रमेश बहादुर सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे शिक्षा के बजट पर बोलने का समय दिया।

मान्यवर, आज समाज में एक प्रतियोगिता सी चल पड़ी है कि बिना कुछ किये सब कुछ पा लें और इसका प्रभाव समाज के विभिन्न क्षेत्रों में परिलक्षित हो रहा है। मान्यवर, इसी के चलते राजनीति में अपराधीकरण, बूथ कैप्चरिंग, व्यापार में स्मगलिंग, कर बंचना, चोरी आदि प्रथायें आयीं। इसी के चलते शिक्षा में परीक्षाओं में नकल रूपी महादानव ने प्रवेश किया और नकल रूपी विषबेला इतनी बढ़ी कि शिक्षा के सारे गुणों को नष्ट कर दिया और परीक्षा केन्द्र नकल के व्यवसायिक केन्द्र बन गये। कापियां बाहर लिखी जाने लगीं और छात्र बिना कुछ किये पास होने की लालसा में वह सब कुछ करने लगे जिससे उनका भविष्य चौपट होने लगा। मान्यवर, ऐसे समय में हमारे साहसी और विद्वान शिक्षा मंत्री, श्री राजनाथ सिंह, आये जिन्होंने नकल विरोधी अध्यादेश लाकर छात्रों के लिये जो उपकार का काम किया है वह शिक्षा जगत में स्मरणीय रहेगा और इसे छात्र एवं अभिभावक कभी भूल नहीं पायेंगे।

मान्यवर, शिक्षा मंत्री इसके पहले भी हुए हैं और होंगे परन्तु वर्तमान शिक्षा मंत्री आज शिक्षा के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन करने के लिये दृढ़ता के साथ खड़े हुए हैं और वह एक राजनेता की सीमा को लांघकर काम किया है जिसे प्रदेश की 14 करोड़ जनता देख रही है और आशा लगाये है और कह रही है कि शिक्षा मंत्री ऐसे समाज सुधारक के रूप में आये हैं जो बच्चों का जीवन सुखमय और भविष्य अच्छा बनाने के लिये तैयार खड़े हैं। परन्तु मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की यह पहली कड़ी है अभी काफी सुधार की आवश्यकता है। मैं अपना छोटा सा सुझाव भी देना चाहता हूं। आज शिक्षा के क्षेत्र में यह देखने में आता है, इससे मैं भली-भांति परिचित हूं एक-एक सेक्शन में 150, 100, 80 छात्र शिक्षारत हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था की जाय कि मानक के हिसाब से अध्यापक नियुक्त किये जायं। अध्यापक और छात्रों का तादाम्म बढ़ने से प्रदेश-देश तरक्की कर सकेगा। एक सुझाव मैं और देना चाहता हूं कि भारतीय परिवेश में भारतीयता पर आधारित शिक्षा पद्धति का विकास किया जाय।

इस पद्धति का विकास किये बिना देश का, प्रदेश का कोई काम चलने वाला नहीं है। आज इस सदन में हमें रोज सुनने में आता है कि उस विभाग में बेईमानी हो रही है, उस विभाग में भ्रष्टाचार मचा हुआ है। हम कैसे देश को एक अच्छा नवयुवक, एक अच्छा छात्र समर्पित कर सकते हैं? जब तक कि

नोट:–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा विकास न हो । हम किस नवयुवक को, किस छात्र को इन विभागों में भेज सकते हैं जो वहां पर सुधार करें ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री रमेश बहादुर सिंह–

मान्यवर, बस समाप्त ही कर रहा हूं । एक सुझाव अन्त में और देना चाहता हूं कि इस प्रदेश में तमाम विद्यालय ऐसे हैं जो वित्त विहीन हैं । यहां पर छात्र भी हैं और अध्यापक भी हैं । परन्तु इन अध्यापकों को वेतन नहीं मिल पाता है । इनकी वेतन विसंगतियां हैं । इसमें ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है । इस सदन में सभी सम्मानित सदस्य इससे परिचित होंगे । इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे वित्त विहीन विद्यालयों को भी अनुदान सूची में रखने की कृपा करें । अन्त में, मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी द्वारा रखे बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुज्ञा से माननीय विश्वनाथ जी द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, वह पुराने रटे रटाये उन्हीं लोगों द्वारा बनाया बजट है । 1990-91 को उन्होंने अपने बजट में जोड़ लिया है । आपका कदम आगे है । आप प्रदेश के विकास की सोचते हैं तो आप देख लें कि आपका अनुपात क्या है ? पिछली सरकार की कमियों को यहां सदन में बहुत ज्यादा दर्शाया जाता है । पिछली सरकार ने (2:3) दो और तीन के अनुपात में 200 माध्यमिक और 300 प्रा० विद्यालयों को अनुदान सूची में लिया था । आपने 1:4 के अनुपात में 25 से 100 को लिया है । इसको माननीय मंत्री जी स्पष्ट कर दें जैसा कि इस पुस्तक में पेज 80 पर दर्शाया गया है । इसमें लिखा है कि 92-93 में गैर सहायता प्राप्त मैदानी क्षेत्र में 130 और पर्वतीय क्षेत्र में 105 अनुदान सूची में वित्त देंगे । नये 90 विद्यालय खोलने की बात बजट में कही गयी है । लक्ष्य बहुत ऊंचा दिखा रहे हैं । रूस के एक महापुरुष ने कहा था कि "इफ यू विल गिव मी सिक्सटी गुड मदर्स आई विल गिव यू ए गुड नेशन" अगर मुझे साठ योग्य मातायें दें तो मैं एक अच्छे राष्ट की कल्पना कर सकता हूं । मान्यवर, इसी तरह से मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब जूनियर हाईस्कूल माध्यमिक विद्यालय में उच्चीकृत किया जाता है तो उनके अध्यापकों को तो समायोजित कर लिया जाता है लेकिन हेड मास्टर को समायोजित नहीं किया जाता है । तो अगर हैड मास्टर आवश्यक योग्यता रखता हो तो प्राचार्य बनाया जाये । वह विद्यालय को जीर्ण-शीर्ण अवस्था से उठाकर अच्छी स्थिति में लाता है और आवश्यक योग्यता रखते हुए भी हैड मास्टर नहीं बन पाता है इसलिये वह हाईस्कूल बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है । शिक्षा की नीति जो आपने भी कही है, भाषण भी दिया है तो शिक्षा को अनिवार्य कर दें शिक्षा को निःशुल्क कर दें, समान कर दें इस कदम को उठायेंगे तो प्रदेश की प्रगति होगी । आप देख रहे हैं कि मांटेसरी विद्यालय, छोटे विद्यालय तमाम अंग्रेजी स्कूल चलाये गये हैं, यदि आप हिन्दी को मातृभाषा के रूप में संवारने की बात करते हैं यदि आप भारत भारतीयता की बात करते हैं तो आप हिन्दी को राज्यभाषा घोषित करें । आप प्रदेश में हिन्दी को सख्ती के साथ लागू करें । तभी श्रीमन्, प्रदेश का विकास हो सकता है । तभी प्रदेश के कल्याण की कल्पना की जा सकती है । वरना यह आपके लम्बे-चौड़े भाषण रखे के रखे रह जायेंगे ।

श्रीमन्, व्यावसायिक शिक्षा की बात कही गयी आपने इसको शुरू किया यह बहुत अच्छा काम है। जिन विद्यालयों को व्यवसायिक शिक्षा के अन्तर्गत लिया है निश्चित ही कहीं न कहीं गड़बड़ी है जो शर्त आपकी पूरी करता है सिफारिश के नाम पर व्यवसायिक शिक्षा में मान्यता दे दी जाये तो इस तरह आपकी मंशा पूरी नहीं होगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं आपको जानकारी होगी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर आ गया है। जो अध्यापकों का जी० पी० एफ० फंड है उसका ग्यारह लाख रुपया लूट लिया गया। आप जानते हैं सदन भी जानता है, लेकिन जिन लोगों ने जी० पी० एफ० में घोटाला किया कोई सजा नहीं मिली। अगर इस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा तो समाज का विकास नहीं हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री स्वामी नाथ यादव–

अन्त में मैं विश्वनाथ जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

* श्री रवीन्द्र शुक्ला–

माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो बजट रखा है मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूं। हमारे मित्रों ने कुछ बातें कही हैं। अभी हमारे विद्वान साथी हमारे वरिष्ठ श्री कैलाशनाथ सिंह जी ने बड़ा उपदेशक भाषण दिया। थोड़ा अपने पीछे बैठे लोगों को उपदेश दे देते, तो प्रदेश का कल्याण होता दुर्भाग्य की बात यह है कि इतने दिनों से सत्ता में रहने की बात हमारे उधर बैठे सारे मित्रों ने कही और शिक्षा में व्याप्त तमाम अनियमितताओं के बारे में प्रहार किया गया, लेकिन यह नहीं सोचा कि देन यह किसकी है ? अगर यह लोग यह देख लेते तो यह बात न करते। श्री विश्वनाथ जी ने बहुत मार्मिक शब्दों में अपनी बात कही। इनके एक नेता झांसी गये थे उन्होंने वहां पर भाषण किया कि वह कौन विद्यार्थी हैं जो नकल करना चाहते हैं हाथ उठाकर बतायें। जब लोगों ने हाथ उठाये तो उन्होंने कहा कि फिर तुम लोग नकल अध्यादेश का विरोध क्यों नहीं करते हो ? तो इस तरह से जो आग लगाने का कुचक्र चल रहा है यह कितनी शर्म की बात है। मैं माननीय कैलाशनाथ सिंह जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने ज्ञान का प्रकाश वह अपने पीछे की तरफ डालें तो उधर प्रकाश फैलेगा यह जो नकल हो रही थी किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसका विरोध करता। हमने एक प्रयोग किया आज पूरे प्रदेश के अन्दर एक अच्छा माहौल पैदा हुआ है। आप किसी अभिभावक से पूछिये सभी इसकी प्रशंसा कर रहे हैं उनके बच्चे जब परीक्षा देने जाते हैं तो अभिभावक कहते हैं कि चाहे काप खाली छोड़कर आना पर नकल न करना। पहले अभिभावक नकल कराने खुद जाते थे, आज अध्यापक से कहते हैं कि हमारे बच्चे को किसी तरह से नकल न करने देना। तो यह जो व्यवस्था में सुधार हुआ है उसका आपको स्वागत करना चाहिए। अगर ज्ञान का प्रकाश उधर गया होता तो इस नकल अध्यादेश का विरोध आपके द्वारा न होता। इस प्रदेश में जो शिक्षा का स्तर गिरा है उसका जिम्मेदार कौन है ?

माननीय विश्वनाथ जी ने कहा कि आपने कुछ नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं कि पिछली बार आपने इतनी घोषणायें की जिनको हमारी सरकार ने पूरा किया इसके लिये आपको हमें बधाई देनी

नोट :–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहिए । 23 वर्ष हो गये हैं, झांसी के अन्दर आपने एक भी महाविद्यालय या माध्यमिक विद्यालय नहीं खोला । मैं चाहता हूं कि इस बार वहां एक महाविद्यालय खोल दिया जाय ताकि पढ़ाई हो सके । वहां 3 हजार छात्रों के पढ़ने की व्यवस्था एक महाविद्यालय में है लेकिन इस बार वहां पर 21 हजार छात्रों का प्रवेश हुआ है । हमारे यहां पिछले 23 सालों से कोई विद्यालय नहीं खुला । जो आपने पाप किये हैं उनकी हम फसल काट रहे हैं । मेरा मंत्री जी से कहना है कि इस फसल को काटिये और काटकर जला दीजिये, समाप्त कर दीजिये ताकि इस प्रदेश में शिक्षा के ज्ञान का प्रकाश फैले । इन लोगों ने हमारे साथ उपेक्षा का व्यवहार किया है, बुन्देलखण्ड पिछले 23 वर्षों से शिक्षा के मामले में उपेक्षित रहा है इसलिये मेरी मांग है कि कृपा करके झांसी के लिये एक महाविद्यालय की व्यवस्था कर दें । इस निवेदन के साथ मैं आपके द्वारा रखे गये बजट प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

* श्री भारत सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे शिक्षा बजट पर प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिये अवसर दिया । मान्यवर, मानव जीवन के सर्वांगीण विकास में और व्यक्तित्व के निर्माण में शिक्षा की अहम भूमिका है । सब जानते हैं कि शिक्षा जगत में एक प्रकार से विकास रुक गया था माननीय मंत्री जी ने नकल रोकने संबंधी विधेयक लाकर जो शिक्षा में कैंसर हो गया था उस कैंसर का उपचार करने की व्यवस्था की है जिसके लिये मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं । मैं मानता हूं कि शिक्षा जगत में ऐसा कानून लाना दुर्भाग्यपूर्ण था लेकिन इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था इसलिये नकल रोकने संबंधी विधेयक लाया गया । (मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, जो व्यवसायीकरण किया गया, जो बोलियां बोली जा रही थीं, उससे प्रतिभा कुंठित हो गयी थी और सारा शिक्षा का उद्देश्य चरमरा गया था। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो संज्ञेय अपराध घोषित किया गया इसका दोषी केवल छात्र ही नहीं है। नकल का दोष यह है कि अध्यापक नहीं, अध्यापक जो है वह पढ़ाता नहीं, ट्यूशन करता है । उसके लिये मजबूर करता है कि छात्र ट्यूशन पढ़े । मैं समझता हूं कि इस प्रकार का एक विधेयक लायेंगे, इसीलिये इसका समर्थन कर रहा हूं । मान्यवर, तकनीकी शिक्षा के बारे में कहना चाहूंगा कि गढ़वाल जनपद में थलनदी पालीटेक्निक है । उसमें 5 साल हो गये, छात्र पढ़ नहीं रहे हैं । उनको दूसरी जगह पढ़ाया जा रहा है । मेरा अनुरोध है कि थलनदी के ग्रामीण अंचल में जो मुश्किल से एक पालीटेक्निक खुला है, वहां पर पढ़ाई की व्यवस्था करें । जहां तक वैकल्पिक ऊर्जा की बात है, मैं कहना चाहूंगा कि सारे देश और दुनिया को ऊर्जा की आवश्यकता है । तेल, कोयला जैसी महत्वपूर्ण चीजें लुप्त हो रही हैं । जो नयी तकनीक आयी है, हमारे जो प्राकृतिक स्रोत हैं, सौर ऊर्जा और वायु और पानी, इसका उपयोग वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में हो रहा है ।

मैं समझता हूं कि वैकल्पिक ऊर्जा आने वाले जमाने में देश के लिये, दुनिया के लिये एक वरदान सिद्ध होगी । मैं कहना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में जहां विद्युत नहीं पहुंच सकती है, वहां पर सौर ऊर्जा के द्वारा गांवों का विद्युतीकरण किया जाय । विद्युतीकरण हो रहा है । सरकार को बधाई देना चाहता हूं । एक अच्छा कदम है । दूसरे एरो जेनरेटर गढ़वाल जनपद में 2-3 जगह उससे विद्युतीकरण हो रहा है । एरो जेनरेटर स्वीडेन और हालैण्ड के सहयोग से लगा रहे हैं । यह पर्वतीय क्षेत्र के लिये वरदान साबित होगा । पहाड़ में जो छोटी नदी है, वहां पर माइक्रो हाइडिल स्कीम उपयोगी है । इसके लिये सफल प्रयास हो रहा है । मैं निवेदन करूंगा कि भारत सरकार के द्वारा इसमें अनुदान होता है । वहां पर

नोट :–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

माइक्रो हाइडिल, एरो जेनरेटर और सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण हो रहा है । जहां वन अधिनियम के कारण तार नहीं पहुंच रहे हैं वहां पर सौर ऊर्जा के द्वारा, जहां चारों ओर जंगल हैं, वहां पर एरो जेनरेटर के द्वारा विद्युतीकरण किया जाय । वहां पर नदियों का सर्वेक्षण करके एक माइक्रो हाइडिल ग्रिड बनाया जाय । मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इसके लिये केन्द्र सरकार से अनुरोध करें और वहां पर वैकल्पिक ऊर्जा के साधन उपलब्ध करावें । इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री विजेन्द्र कुमार (गाजियाबाद)–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और स्वागत करता हूं । वास्तव में आजादी के बाद शिक्षा काफी उपेक्षित रही है । अभी कुछ मा० सदस्यों ने प्रयोग की बात कही है । 45 सालों में दो पीढ़ियों का समय होता है और छात्रों पर प्रयोग होता रहा । शासन तंत्र छात्रों पर प्रयोग करता रहा और छात्र अध्यापकों पर हथियारों का प्रयोग करते रहे । इसके कारण माहौल इतना खराब हो गया कि भाजपा की सरकार ने आने के बाद सुधार के लिये जो कदम उठाये उसमें नकल विरोधी अध्यादेश को कड़वी गोली की तरह से रहा, जनता के बीच में उसके समर्थन में स्वागत ही हुआ है, लोगों ने उसकी सराहना की है । इस तरह से शिक्षा का माहौल भी सुधरा है । उसका अन्य उदाहरण इस 10 महीने में भा० ज० पा० सरकार ने शिक्षा संस्थाओं में तदर्थवाद को समाप्त किया है । माध्यमिक शिक्षा सेवा संशोधन विधेयक में धारा 18 को समाप्त करना यह सराहनीय कदम रहा है । इसके साथ शिक्षा में सुधार के लिये कहना चाहूंगा कि जो प्राइमरी एजूकेशन की हालत है, उसके विषय में क्रांति लाने की आवश्यकता है, ताकि शिक्षा देने के लायक और शिक्षा लेने के लायक माहौल बन सके । इन 10 महीनों में सरकार ने स्वरोजगार की भावना को जागृत करने तथा छात्रों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिये सक्षम बनाने के उद्देश्य से व्यवहारिक पाठ्यक्रम लागू किया है ।

उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण मे 200 विद्यालय तथा द्वितीय चरण में 260 विद्यालय, कुल मिला कर 460 विद्यालयों में 2 से लेकर 4 ट्रेड्स लागू किये गये हैं । इस प्रकार प्रथम चरण में 636 कक्षायें तथा द्वितीय चरण में 520 कक्षायें, कुल मिलाकर 1156 कक्षायें चल रही हैं, और इनमें इस समय इन ट्रेडों में कुल 19,726 छात्र/छात्रायें कक्षा 11 व कक्षा 12में अध्ययन कर रहे हैं, तथा वर्ष 1992 में 250 विद्यालयों को उक्त योजनान्तर्गत चयनित कर वर्करोड के निर्माणार्थ अनुदान दिया जा चुका है और इनमें प्रति विद्यालय दो ट्रेड शैक्षिक सत्र जुलाई, 1992 से 500 कक्षायें और संचालित की जायेंगी । इस सरकार द्वारा नवीन पाठ्यक्रमों का समावेश विशेष रूप से ''उद्यमिता'' एक प्रशंसनीय कदम है । पुनः बजट प्रस्तावों का प्रबल समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

* श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, मैं माननीय विश्वनाथ जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और यह कहना चाहूंगा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है शिक्षा के सुधार के संबंध में, उससे न तो शिक्षा का प्रसार हो सकता है और न ही सुधार हो सकता है । मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षा की जो आधारशिला है, उसकी ओर ध्यान नहीं दिया है और वह है माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है । मैं यह

नोट :–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कहना चाहूंगा कि माध्यमिक शिक्षा के संबंध में जो सकारात्मक सुधार की बात कही, वह कैसे सम्भव होगी ? जब एक सेक्शन में डेढ़ सौ, दो सौ लड़के होंगे, खड़े होने का स्थान नहीं होगा, अध्यापक नहीं होंगे तो पढ़ाई-लिखाई कैसे चलेगी ? मान्यवर, सबसे पहले तो माननीय मंत्री जी को अध्यापकों के पद सृजन के लिये घोषणा करनी चाहिए कि जुलाई के पहले-पहले अध्यापकों के पद सृजित किये जायेंगे । आपने जो परीक्षा प्रणाली में नकल को संज्ञेय अपराध घोषित किया है । मान्यवर, अपराध समाज के लिये और देश के लिये कलंक है । लेकिन उसी के साथ-साथ यह भी बहुत बड़ा कलंक है कि देश के होनहार बच्चों को जेल में ठूंस दें और उनके विकास को रोक दें । अगर कोई लड़का नकल करता है और पकड़ा जाता है, तो उसकी परीक्षा कैंसिल कर दी जाती, उसको जेल में डालने की आवश्यकता नहीं थी । केन्द्र व्यवस्थापक को मजिस्ट्रेट की पावर होती हैं और पहले यह था कि अगर कोई लड़का नकल करते हुए पकड़ा जाता था, तो उसकी जांच होती थी और जांच होने के पश्चात् अगर वह नकल करने का दोषी पाया जाता था तब तो उसकी परीक्षा कैंसिल की जाती थी और अगर नहीं पाया जाता था तो उसकी परीक्षा वैधानिक घोषित कर दी जाती थी । आपको अगर कुछ करना ही था तो आप इतना कर देते कि परीक्षा कैंसिल कर दी जायेगी, जेल में न डालते । यह कोई तरीका नहीं है कि लड़के और लड़कियों को जेल में डाल दें । माननीय मंत्री जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कैसे शिक्षा में सुधार करेंगे ?

पिछली सरकार ने 300 जूनियर हाई स्कूल और 200 हाईस्कूल और इण्टर कालेजों को अनुदान सूची में लाये और बहुत से अध्यापकों को रोजी रोटी देने का कार्य किया था और अब केवल 25 हाई स्कूल और इण्टर कालेज और 100 जूनियर हाई स्कूल अनुदान सूची में लिये जाने की घोषणा की है, जिससे 25 साल में जूनियर हाई स्कूलों को ग्रान्ट पर ला सकेंगे । जबकि एक भी नया जूनियर हाई स्कूल न खोला जाये । इसी तरह से मान्यवर, आपको 12 साल लग जायेंगे तब कहीं आप हाई स्कूल और इण्टर कालेज को ग्रान्ट पर ला सकेंगे, जब तक किसी विद्यालय को सवित्त न घोषित करें ।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, उनको सवित्त मान्यता प्राप्त घोषित करने की कृपा करें । आप अध्यापक हैं और अध्यापकों की कठिनाइयों को अच्छी तरह से जानते हैं । जो वित्त विहीन विद्यालयों के अध्यापक हैं, उनकी बड़ी दयनीय स्थिति है, क्योंकि उनको पूरा वेतन नहीं मिलता है । साथ ही साथ 100 विद्यालय हाई स्कूल और इण्टर के अनुदान सूची में लाने की कृपा करें और जूनियर हाई स्कूल कम से कम 200 और 250 लायें तब कहीं यह विद्यालय अनुदान की सूची में आयेंगे और अध्यापकों की कठिनाइयां दूर हो सकेंगी । जो जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल तथा इण्टर की मान्यता प्रदान करने की जटिलतायें हैं, उनमें शिथिलता लायें । मान्यवर, मान्यता देने के लिये 7 लिन्टर्ड कक्ष चाहिए, जिनमें 3 क्लास रूम, एक साइंस रूम, एक वैकल्पिक कक्ष और 2 प्रशासनिक कक्ष सम्मिलित हैं और अगर इससे कम है तो आप मान्यता नहीं देंगे । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह घोषणा करें कि पिछली सरकार ने जिन विद्यालयों को अपने विवेकाधीन कोष से सहायता प्रदान की है उनको उसका पैसा देने के लिये अविलम्ब आदेश जारी करें और वह अपने भवनों का निर्माण करा सकें और जनता में जो घोषणा हो चुकी है कि अमुक विद्यालयों को मुख्य मंत्री जी ने और शिक्षा मंत्री जी ने विवेकाधीन कोष से धन प्रदान किया है, उसकी पूर्ति हो सके । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं ।

श्री रमेश पोखरियाल–

मान्यवर, इतने सुन्दर और विकासोन्मुखी बजट के लिये मंत्री जी का धन्यवाद अर्जन करना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं। मान्यवर, भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत को विश्व गुरू के रूप में देखा जाता था किन्तु शिक्षा की उपेक्षा के कारण आज यह भारत देश विकास की स्थिति में पिछड़ गया है इसके जिम्मेदार शिक्षा से जुड़े लोग और शिक्षा के क्षेत्र को उपेक्षित रखने वाले लोग हैं। मान्यवर, हमारी तो परम्परा रही है––

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरेन, पृथिव्याः सर्व मानवः।''

ऐसी स्थिति में विरोध पक्ष के लोग सिर्फ विरोध करते हैं किन्तु मैं तो श्री भारत सिंह जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं कि कम से कम उन्होंने सही बात को स्वीकार तो किया। नकल को कैंसर मानकर इस नकल के विरोध में जो भी लड़ाई लड़ी जा सकती है उसको लड़कर इस राष्ट्र की उन्नति के लिये विकास के लिए इस नकल अधिनियम को कड़ाई से लागू किया गया और इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। यह न केवल राष्ट्र के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है बल्कि विगत 44 वर्षों में इससे सामाजिक चेतना भी जाग्रत हुई हैं। मेरे क्षेत्र में जब इस तरह का विरोध हुआ तो गांव के लोगों ने डंडे से सारे केन्द्रों की रक्षा की और जो लोग नकल की ठेकेदारी करते थे तमंचा चाकू लेकर खड़े रहते थे, उनसे निपटने के लिये जो साहस क्षेत्र की जनता ने दिखाया है यह भी एक सामाजिक चेतना की दिशा में अहम कदम है। इस नकल अधिनियम को लेकर आम जनता में और अभिभावको में खुशी की लहर है और उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाय कम ही कम है।

मान्यवर, 6 हजार अध्यापकों के पद अभी भी रिक्त पड़े हुए हैं जबकि हमारी सरकार ने 4500 रिक्त अध्यापकों के पदों को भर दिया है इससे पूर्व शिक्षा की क्या दशा रही होगी कल्पना की जा सकती है। मान्यवर, जैसा कि अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा और मैं भी यह जानता हूं कि हाई स्कूलों में 5-5, 6-6 वर्षों से विज्ञान और गणित में एक भी अध्यापक नहीं है और वहां का छात्र प्रथम आता है तो क्या इसी प्रकार बिना अध्यापकों के छात्रों को नकल कराने की परम्परा विपक्ष डलवाकर राष्ट्र को कमजोर करना चाहता है ? यह हम नहीं होने देंगे। मान्यवर, जिस तरह से शिक्षा आयोग का विकेन्द्रीकरण करके 4 बोर्ड बनाने का निर्णय लिया गया है वह भी बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है और उसके लिये भी मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान उत्तरांचल की ओर ले जाना चाहता हूं उत्तरांचल में सर्वाधिक राजकीय विद्यालय हैं और जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में उसकी उपेक्षा हुई है वह किसी से छिपी नहीं है। जितने भी इण्टर कालेज हैं वहां पर उनमें 50 प्रतिशत से अधिक छात्राएं पढ़ती हैं। मेरा सुझाव है कि इन इण्टर कालेजों में अध्यापन हेतु महिलाओं के पद भी सृजित होने चाहिए। इसके साथ ही जैसे सी० टी० सम्वर्ग को मृत घोषित किया गया है उसको मृत नहीं घोषित किया जाना चाहिए। एक सुझाव और है कि बी० टी० सी० के लिये स्नातक योग्यता रखी गयी है उसको घटाकर तत्काल इण्टर कर दिया जाय। अपर निदेशक शिक्षा (उत्तरांचल) को शासनादेश के तहत तत्काल गैरसैंण बिठाया जाय, हिल कैडर कड़ाई से लागू किया जाय। इसके साथ ही मैं शिक्षा मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट प्रस्ताव का समर्थन करते हुए उन्हें बधाई देता हूं।

श्री दीनानाथ सिंह यादव–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी हमारे बचपन के दोस्त रहे हैं, हमारे साथ कई साल पढ़े हैं, हमारे उनके बहुत ही मधुर संबंध हैं । मान्यवर, मैं यह समझता था कि मंत्री जी कुछ ऐसा बजट पेश करेंगे जो सही मायने में ऐतिहासिक तो नहीं मगर महत्वपूर्ण जरूर होगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ ;। मैं सिर्फ तीन बातें इस संदर्भ में कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा । यह बजट देखकर मुझे तो निराशा हुई मुझे लगा जैसी पिछली सरकारों ने काम किया इससे तो वही ठीक था । जिस शिक्षा को साहित्य कहा जाता है कि यह समाज का दर्पण होता है उसके लिये जो मूल बजट में शिक्षा बजट के लिये प्राविधान है । उच्च शिक्षा का माध्यमिक शिक्षा का और शुक्ल जी का कुल मिलाकर डेढ़-दो प्रतिशत है और माध्यमिक शिक्षा मंत्री के जिम्मे जितने विभाग हैं उस पर एक प्रतिशत से भी कम है । जिस शिक्षा की इतनी महत्ता है उस पर एक प्रतिशत डेढ़ प्रतिशत का खर्च है । मेरे ख्याल से उससे कुछ होने वाला नहीं है, कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है । इसलिये मैं मा० मंत्री जी से गुजारिश करूंगा और मैं समझता हूं कि इतना तो वह कर सकेंगे कि शिक्षा पर बजट बढ़ा देंगे । जितना इसमें रखा है उसका दुगुना करा दीजिये शिक्षा जगत में सबसे बड़ा कोढ़ दोहरी शिक्षा प्रणाली है जिसके खिलाफ इधर के और उधर के मा० सदस्य मांग कर रहे हैं कि दोहरी शिक्षा प्रणाली को समाप्त किया जाना चाहिए लेकिन बजट में इस संबंध में कुछ नहीं कहा गया है । एक काम जरूर कर दिया कि एक कोढ़ और पैदा कर दिया है । नकल रोकने के बारे में बहुत कुछ कहा गया ।

नकल रोकी जानी चाहिए लेकिन आपको पता है कि नकल क्यों हो रही है ? अगर इसका कारण जाने बिना नकल रोकने की कोशिश करेंगे तो इसको रोकना कठिन होगा । चिराग तले अंधेरा । जो लोग नकल रोकने वाले हैं उन्हीं लोगों के यहां क्या-क्या हो रहा है पता लगा लीजिये ? अगर नकल रोकनी है तो अच्छी चीजों की नकल कीजिये । पश्चिम बंगाल का उदाहरण है हमने नकल को संज्ञेय अपराध नहीं बनाया जब हमारी सरकार आयी थी तो वहां उत्तर प्रदेश से ज्यादा नकल हो रही थी लेकिन बिना संज्ञेय अपराध बनाये नकल एकदम रोक दी । नकल जरूर रोकिये लेकिन बच्चों को अपराधी बनाने का काम मत कीजिये । इसी के साथ ही कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्रीमती उर्मिला राजपूत–

मुझे आपने माध्यमिक शिक्षा के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिये विशेष रूप से आभारी हूं । माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी ने कई विषयों पर अपना बजट रखा है । मैं माध्यमिक शिक्षा में बालिकाओं की शिक्षा के बारे में कुछ बातें करना चाहूंगी । शिक्षा समाज के विकास का सशक्त माध्यम है और समाज की सही तस्वीर दिखाने वाला आइना है । डा० अम्बेडकर के शब्दों में "विकास का मूल मंत्र शिक्षा है ।" राष्ट्र के निर्माण, पारिवारिक और आर्थिक स्तर के उन्नयन के लिये बालिकाओं की शिक्षा की उपेक्षा नहीं की जा सकती । 1991 की जनगणना के अनुसार शिक्षा के स्तर में उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों की अपेक्षा काफी पिछड़ा है । यहां पर 41.7% साक्षरता है और उसमें भी बालिकाओं की साक्षरता का प्रतिशत 26% है । मेरे विचार में बालिकाओं की शिक्षा की दृष्टि से जो विशेष कठिनाइयां हैं गांव स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में अलग से विद्यालयों का न होना । जो विद्यालय हैं भी वहां पर पेयजल की सुविधा का न होना । कामन रूम की व्यवस्था न होना और शौचालयों की व्यवस्था न होना यह भी एक विशेष कारण रहा है । इसके साथ जो दूरस्थ स्थानों पर विद्यालय हैं उनमें आवागमन की सुविधा न होने की वजह से बालिकाओं की शिक्षा का स्तर घटता जाता है । इस दिशा में माननीय शिक्षा मंत्री ने जो प्रयास किये हैं बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं मैं उनका स्वागत करती हूं इसके लिये उन्हें बधाई देती

हूं। विकास खण्ड स्तर पर निजी समुदाय की सहायता से कन्या हाईस्कूलों का खोला जाना यह बालिकाओं की शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है यही नहीं हाईस्कूल की शिक्षा और जो आगे की शिक्षा बालिकायें नहीं प्राप्त कर पाती थीं इस दृष्टि से हाईस्कूल स्तर के विद्यालयों के उच्चीकरण करने का प्रयास किया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में जों विद्यालय चल रहे हैं उनमें बालिकाओं के भी पड़ते हैं उनके लिये कामन रूम, बिजली, शौचालय, पेयजल की व्यवस्था के लिये विशेष रूप से अनुदान की व्यवस्था की गयी है । लेकिन मान्यवर, इस दिशा में जो प्रयास किये गये हैं मेरी दृष्टि में वह पर्याप्त नहीं हैं और प्रयासों की आवश्यकता है इसके लिये बालिकाओं को गणित व विज्ञान विषय की सुविधा प्राप्त कराना बालिका विद्यालयों को प्रोत्साहन की दृष्टि से मानकों को शिथिल करते हुए उन्हें मान्यता प्रदान करना अध्यापिकाओं के पदों का सृजन करना यह प्रयास करने की आवश्यकता है ।

मान्यवर, नकल विरोधी अध्यादेश के बारे में बात अभी हमारे विपक्ष के कई सदस्यों ने उठायी । इनमें वही लोग चीखते हैं जो शिक्षा को व्यवसाय के रूप में या एक धंधे के रूप में चलाते चले आये हैं । ठेकेदारी के रूप में चलाते रहे हैं शिक्षा के जो हमारे विद्यालय थे उनको एक व्यवसाय बना लिया था । लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिक्षा को शिक्षा की दृष्टि से देखते हुए ज्ञान की दृष्टि से देखते हुए इस दिशा में नकल विरोधी अध्यादेश पारित किया उसका मैं समझती हूं कि समाज के हर वर्ग ने स्वागत किया है । मैं अन्त में अपने विधान सभा क्षेत्र की दो बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगी मेरा विधान सभा क्षेत्र कमालगंज बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है मेरे क्षेत्र में कोई भी राजकीय इण्टर कालेज या हाईस्कूल या कोई डिग्री कालेज नहीं है । किसी भी प्रकार का कोई राजकीय विद्यालय मेरे क्षेत्र में नहीं है जो कुछ इण्टर कालेज अर्धसरकारी रूप से चलते हैं । हमारे यहां गुरुसहायगंज में मदन मोहन मालवीय इण्टर कालेज में मैंने प्रयास किया है कि विज्ञान की मान्यता दे दी जाय अभी हमारे शिक्षा मंत्री जी से वह मान्यता मुझे प्राप्त नहीं हो पायी है । इसी प्रकार से मेरे क्षेत्र में एक महर्षि निशंक इण्टर कालेज नवादा में है । माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वहां पर सहशिक्षा है । बालिकायें भी पढ़ती हैं उनके लिये कामन रूम की व्यवस्था करायें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं ।

श्री विजय पाल सिंह तोमर–

मान्यवर, आपने मुझे माननीय विश्वनाथ जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये आभारी हूं । मान्यवर, अभी मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में जो कहा कि हमारी सरकार समान शिक्षा देने के लिये कटिबद्ध है लेकिन मान्यवर, इसका कोई ठोस प्रस्ताव बजट में नहीं किया गया है । दोहरी शिक्षा आज समाज में कोढ़ बन गयी है उसको समाप्त करने के लिये कोई प्रयास नहीं किया गया है । एक बहुत बड़ी कठिनाई शिक्षा क्षेत्र में देखने को मिल रही है न तो प्रबन्धतंत्र का कोई अंकुश रह गया है न शिक्षा विभाग का प्रबन्धतंत्र पर किसी का एडहाक 'एपाइंटमेंट करके भेजता था तो शिक्षा विभाग जो एप्रूवल करता था अगर पैसा मिल जाय तो कर दिया अन्यथा नहीं । आयोग ने जो काम नहीं किया उसे खत्म कर दिया है । मान्यवर, इसी वजह से जहां छात्रों की संख्या बढ़ी है । आज एक-एक सेक्शन में सौ से अधिक छात्र बैठते हैं, वहीं भवनों की संख्या नहीं बढ़ रही है । शिक्षकों की संख्या में भी कमी आ रही है जिससे बड़ी भारी परेशानी का सामना करना पढ़ रहा है । दूसरा निवेदन मैं यह करूंगा कि आपने जो नकल को संज्ञेय अपराध घोषित किया है, उसके बारे में बहुत ही बढ़ चढ़ कर बातें बतायी गयीं । माननीय मंत्री जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है उनकी बढ़िया सोच है । वास्तव में नकल रुकनी चाहिए लेकिन इन्होंने जो तरीका इस्तेमाल किया है यह बड़ा ही घटिया तरीका है इसे किसी और उपाय के द्वारा भी रोका जा सकता था । मेरठ विश्वविद्यालय में सन् 80 तक नकल चलती थी उस समय श्री बनारसी दास बाबू जी, जो उस समय के मुख्य मंत्री थे, ने एक आदेश पारित किया और नकल रुक गयी । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इसे देखें ।

आज जो 12, 14 साल के बच्चों के हाथों में हथकड़ी पहनाकर उन्हें अपराधियों के साथ जेलों में बन्द किया जाता है तो यह उचित नहीं है । यह उसके लिए बहुत बड़ा दण्ड है । एक बात और कहना चाहता हूं वह यह है कि हमारे मेरठ जनपद में कोई जिला विद्यालय निरीक्षक नहीं है । तो इसके न होने से वहां के कामों में बड़ी गड़बडी चल रही है हम लोग सम्पर्क भी नहीं कर पाते हैं । इस बारे में भी कृपया माननीय मंत्री जी ध्यान दें । मान्यवर, 12 ऐसे राजकीय प्राविधिक विद्यालय थे जिन्हें सरकार ने बन्द कर दिया है । मेरे क्षेत्र में एक विद्यालय चौ० मुख्तियार सिंह राजकीय प्राविधिक महाविद्यालय उसको भी बन्द करने की घोषणा की है । मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि अगर इनको बन्द करना ही है तो महिला पालिटेनिक खुलवा दें क्योंकि इनके पास भवन एवं साज-सज्जा करोड़ों की सम्पत्ति है । इसके अलावा एक बात और कहना चाहूंगा कि माध्यमिक शिक्षा में जो प्रौढ़ शिक्षा के लोगों को समायोजित किया गया है तो उनके वेतनमानों में विसंगति पैदा हो गयी है इस पर भी माननीय मंत्री जी अवश्य ध्यान दें । अन्त में मैं माननीय विश्वनाथ जी द्वारा कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री उदय प्रताप–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे शिक्षा विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मैं इसका समर्थन करता हूं । मान्यवर, जो नकल को संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है तो उससे शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों का सम्मान बढ़ा है । जहां छात्र शिक्षक को संदेह की दृष्टि से देखता था और शिक्षक छात्र को संदेह की दृष्टि से देखता था तो नकल विरोधी अभियान करके इन दोनों का सम्मान बढ़ा है । इसके साथ ही साथ जो लोग विरोध पक्ष में बैठे इसका विरोध कर रहे हैं वह भी इसको संशोधित कर रहे हैं । मान्यवर, इसमें वैदिक गणित की बात कही गयी । तो उस वैदिक गणित के माध्यम से आज विज्ञान जगत में कम्प्यूटर की व्यवस्था हो पायी [समय 7 बजकर 20 मिनट] साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में, माध्यमिक अध्यापकों के लिये सेवा सुरक्षा की बात माननीय कैलाश नाथ जी ने कही है, मैं भी उसके पक्ष में हूं । उनकी सेवाओं की सुरक्षा के लिये सेवाओं का सरकारीकरण मेरे विचार से बहुत आवश्यक है । मान्यवर, जैसे जमींदारी उन्मूलन हुआ, वैसे ही मैनेजमेन्ट प्रबन्ध की जो व्यवस्था है, जो छेड़छाड़ माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में हो रही है, वह समाप्त होनी चाहिये । इसके साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षकों के पालियों के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी है । मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि जो अध्यापक इन-सर्विस मर जाते हैं, उनके आश्रितों/पालियों के लिये योग्यता के आधार पर निश्चित रूप से प्राविधान किया जाय । ताकि उनके परिवार का पालन पोषण हो सके । एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि एस०सी०एस० के कालेज आज टूट रहे हैं । मेरे जनपद गाजीपुर में एक महिला पालीटेक्निक की व्यवस्था अवश्य की जाय । आपकी जो मंडल स्तर पर विद्यालय खोलने की योजना है, वह अच्छी योजना है । हमारे यहां बिल्डिंग है, उपकरण उपलब्ध हैं, इसलिये वहां अवश्य महिला पालीटेक्निक खोलने की व्यवस्था की जाय । अंत में मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय श्री विश्वनाथ सिंह द्वारा शिक्षा विभाग के बजट पर रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं । श्रीमन् यह सबको पता है, आपको भी पता है कि किसी राष्ट्र का या किसी समाज का विकास शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है । किसी भी बालक के सर्वांगीण विकास का मुख्य पहिया शिक्षा है । श्रीमन् शिक्षा के ऊपर इनका कितना ध्यान है, यह इसी से पता लग जाता है कि जब माननीय शिक्षा मंत्री जी बजट भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने इस बात को

स्वीकार किया कि पूरे प्रदेश में आजादी के बाद से 12 गुना विद्यालयों का निर्माण हुआ है और उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि 68 गुना छात्रों की संख्या बढ़ी है । इस प्रकार जितनी छात्रों की संख्या बढ़ी है, उसके अनुपात में विद्यालयों की संख्या नहीं बढ़ी है । श्रीमन् किसी भी राष्ट्र का विकास या प्रदेश का विकास शिक्षा से होना है तो इससे भी इनके दृष्टिकोण का पता लग जाता है कि इस बार अनुदान सूची पर केवल 25 विद्यालयों को इन्होंने लिया है, क्या 25 विद्यालयों से हम पूरे प्रदेश में शिक्षा का विकास कर पायेंगे ? मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कम से कम 100 विद्यालयों को अनुदान सूची पर अवश्य लेने की कृपा करें । दूसरी एक बात कहना चाहता हूं कि आप पूरे विश्व को देखें, आज पूरा विश्व टेक्नालोजी युग का हो गया है और सरकार ने जो बजट रखा है, उससे हमको लगता है कि जो वैदिक युग के विद्यालय थे, जिसमें धोती, कुर्ता, टीका लगाने की परम्परा थी, उसी परम्परा की तरफ आज यह सारी शिक्षा को लिये जा रहे हैं इससे समाज का विकास, राष्ट्र का विकास कैसे होगा ? आज के इस वैज्ञानिक युग में विज्ञान उत्कृष्ट सीमा पर पहुंच गया है । चांद और अंतरिक्ष में शिक्षा के माध्यम से लोग पहुंच रहे हैं और हमारी यह भाजपा की सरकार धोती कुर्ता पर जा रही हैं और यह आदि शिक्षा व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं यह प्रदेश को विकास की तरफ ले जाने के बजाय पीछे ले जाना चाहते हैं ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

किसके कटौती प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं धोती कुर्ता के या किसके ?

श्री उपाध्यक्ष–

पैजामा कुर्ता से लेकर धोती कुर्ता में और फिर ब्लाऊज में आप कहां इसे ले जा रहे हैं ?

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मैंने तो उसी दिन ब्लाऊज दे दिया था इनको । तो मैं कहना चाहता हूं नकल विरोधी अभियान के बारे में मैंने नियम 56 में भी प्रश्न उठाया था । नकल करने के हम विरोधी हैं लेकिन आपने उसमें जो कानून बनाया है मान लीजिये बच्चियां नकल कर रही हों तो उनका क्या होगा ? मैं घर से आ रहा था हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य मिले उन्होंने कहा किसी बच्ची ने किसी ऐसी जगह चिट रखी है जहां हमारे कक्ष निरीक्षक चेक नहीं कर सकते हैं या लड़के ने भी ऐसी जगह पर रखा है जहां हम चेक नहीं कर सकते हैं । लेकिन मैजिस्ट्रेट आये उड़न पार्टी ने किसी लड़के या लड़की को पकड़ लिया तो उसमें कक्ष निरीक्षक की क्या गलती है, उसका क्या दोष है तो वह भी पकड़ा गया उसको भी जेल जाना पड़ा और नौकरी से भी गया ।

जब कटौती प्रस्ताव मैंने कारागार के बजट में रखा था उसमें कहा था छोटे छोटे बच्चों को अपराधी आप बना रहे हैं क्योंकि जेल में 20-20 और 40-40 साल के सजायाफ्ता लोग उन्हें मिलते हैं तो वहां पर 14, 15 साल के बच्चे को आप रख रहे हैं तो उसका क्या सुधार होगा, इससे निश्चितरूप से अपराधियों की संख्या बढ़ेगी उनकी एक फौज खड़ी करने जा रहे हैं इससे समाज का विकास नहीं होगा । मैं चाहूंगा आप नकल को रोकें लेकिन इस प्रथा में सुधार की आवश्यकता है जैसा माननीय कैलाश नाथ सिंह जी ने कहा इसको सुधारने की कृपा करें ।

हमारे प्रदेश में जैसा कई लोगों ने कहा अशिक्षा है यहां 52% अशिक्षा है तो जब इतने अशिक्षित हैं तो 25 विद्यालय खोलने से क्या होगा ? आप निश्चितरूप से शिक्षा को अनिवार्य घोषित करें शिक्षा से ही प्रदेश का विकास हो सकता है । ब्लाक स्तर पर आपने 90 कन्या विद्यालय खेलने की बात कही मैं

धन्यवाद दूंगा । जब कोई लड़का शिक्षा प्राप्त करता है तो उसका लाभ उस व्यक्ति को ही मिलता है लेकिन जब एक कन्या शिक्षा प्राप्त करती है तो उसका लाभ पूरे परिवार को मिलता है, उसका लाभ राष्ट्र को शिक्षा के द्वारा मिलता है । तो कन्या विद्यालयों को निश्चितरूप से आप प्राथमिकता दें क्योंकि उससे समाज का, परिवार का और राष्ट्र का विकास होगा ।

मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उस क्षेत्र में एक भी कन्या विद्यालय नहीं है । मैं अनुरोध करूंगा मेरे नत्थूपुर जिला मऊ में कोई कन्या हाईस्कूल नहीं है वहां पर एक कन्या हाईस्कूल खोलने की कृपा करें । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । आप पूर्वांचल के रहने वाले हैं वहां की स्थिति जानते हैं इसलिये वहां का ध्यान रखेंगे । मैं इन शब्दों के साथ कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं ।''

*श्री लाखी राम जोशी–

मान्यवर, आपने मुझे शिक्षा मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट पर बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद व्यक्त करता हूं । मान्यवर, जबसे हमारी सरकार ने कार्यभार संभाला तब से शिक्षा के क्षेत्र में माननीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में बड़े क्रन्तिकारी परिवर्तन हुये हैं इसके लिये मैं उनका आभार प्रकट करूंगा और उन्हें इसके लिये बधाई दूंगा । मैं अपने विद्यालयों के सम्बन्ध में यह बता देना चाहता हूं कि पिछली सरकारों ने शिक्षा व्यवस्था को जितना पंगु बनाया, जितना भ्रष्ट बनाया और जितना उस व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया उसके लिये प्रदेश की जनता उन विपक्षी दलों को, उनकी सरकारों को कभी भी माफ नहीं करेगी मान्यवर, हमारे यहां पूर्वांचल का मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । जब पहले हमारे यहां के विद्यार्थी स्कूलों में जाते थे तो वहां पर मात्र उनकी उपस्थिति लगाई जाती थी और दिन भर अध्यापकों के न होने के कारण छात्र दिन भर घूमते थे और शाम को बस्ता लटकाये घर वापस आ जाते थे ।

उस दुर्व्यवस्था में सुधार के लिये शिक्षा मंत्री जी ने जो कदम उठाए हैं वह बड़े ही सराहनीय हैं । इसके कारण आज पूर्वांचल में शिक्षा व्यवस्था सुचारु रूप से चल पा रही है और उसमें जो खामियां रह गयी हैं, उनको भी 92-93 के बजट में शिक्षा मंत्री जी ने दूर करने का प्रयास किया है । उत्तरांचल में इस बार भूकम्प आने के कारण विशेष कर उत्तरकाशी और चमोली में बहुत से विद्यालय भवनों को भारी नुकसान हुआ है, अतः उन विद्यालयों के नवनिर्माण के लिये वह दिल खोल कर आगे आये, यह मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं । मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में कुछ अंशकालिक शिक्षक नियुक्ति किये गये थे पिछली सरकारों द्वारा लेकिन बड़े खेद के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि शासन स्तर से स्पष्ट आदेश होते हुए भी कि अंशकालिक शिक्षकों की सेवा को देखते हुए नियुक्ति में उनको वरीयता दी जायेगी, उस आदेश को रद्दी की टोकरी में फेंककर शिक्षा निदेशालय ने अलग से एक विभागीय आदेश निकाल कर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के अनुभवी लोगों को इसमें रखने की बात कह दी है । यानि उन लोगों को इन पदों से वंचित कर दिया गया है । मैं शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जिन लोगों ने या जिन अधिकारियों ने यह भ्रष्टाचार किया है और उनके साथ अन्याय किया है ऐसे लोगों को चाहे जितने ऊंचे पदों पर हो दंडित करने की वह कार्यवाही करें ।

मान्यवर, अपर शिक्षा निदेशालय के कार्यालय का उद्घटन श्री पूरन चन्द्र शर्मा राज्य मंत्री जी ने हमारे उत्तरांचल में किया था लेकिन उसे अभी तक संचालित नहीं किया गया है । इसलिये निवेदन है कि उस कार्यालय को जल्द से जल्द संचालित किया जाय ताकि पर्वतीय क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में जो अव्यवस्था फैली हुई है उसको दूर किया जा सके । इन शब्दों के साथ मैं शिक्षा मंत्री को बधाई देते हुए प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्विक्षाण नहीं किया ।

श्री किशोरी लाल यादव–

मान्यवर, श्री विश्वनाथ सिंह द्वारा कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में मुझे बोलने का आपने जो समय दिया है उसके लिए मैं, आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए, समय कम है, केवल दो तीन बातें शिक्षा मंत्री से कहना चाहता हूं। पहली बात यह है कि स्वतंत्रता प्राप्त हो गई और जमींदारी प्रथा भी समाप्त हो गई, लेकिन आज भी प्रदेश में शिक्षा जगत में एक ऐसी प्रथा है, प्रबन्ध समिति, जो जमीनदारी प्रथा से खतरनाक है। आज भी यदि एक मैनेजर एक भी विद्यालय का प्रबन्धक हो जाता है, तो कहना ठीक नहीं होगा मात्र एडहाक नियुक्ति में केवल वर्ष के जुलाई माह में ही वह लखपति बन जाता है।

दूसरी बात बहुत से शिक्षा मंत्री, राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों ने कहा कि शिक्षा नीति में परिवर्तन होना चाहिए लेकिन दुख है कि आज भी लार्ड मैकाले की शिक्षा नीति जो उस समय क्लर्क पैदा करने और ब्रिटिश गवर्नमेन्ट को चलाने तथा उनकी प्रशंसा करना ही शिक्षा नीति का उद्देश्य था वही शिक्षा नीति आज भी चल रही है। शिक्षा मंत्री जी ने तदर्थवाद को समाप्त करने का जो दावा किया है उसमें मुझे शंका है। क्योंकि जो चयनित कमेटी बनाई है इसमें प्रबन्ध समिति द्वारा रिजालूसन मांगने की बात आयेगी। एक बार तो अध्यापक की नियुक्ति में 20 से 30 हजार रुपया देना पड़ा था अब पुनः देना पड़ेगा जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। इसलिये निवेदन है कि तदर्थवाद को समाप्त करने के लिये कमेटी को रिजर्वेशन का हक न दें और कमेटी की तरफ से एडहाक में जो अध्यापक नियुक्त हुए हैं रिजालूसन देने का हक उन्हें विनियमित करें। उनके सारे कागजात जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों में जमा है उसी आधार पर।

मान्यवर, तीसरी बात जहां शिक्षा मंत्री जी ने 500 अध्यापकों की विद्यालयों में विज्ञान अध्यापकों की नियुक्ति की बात कही है तो यह वैसी ही बात है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। मान्यवर, विज्ञान को, अनिवार्य किया गया और कक्षा 9-10 में जो जीव विज्ञान वर्ग और दूसरा गणित एवं विज्ञान वर्ग है मंत्री जी को चाहिए था कि प्रत्येक विद्यालय को विज्ञान वर्ग में बी०एस०सी० बायोलोजी ट्रेड और गणित ट्रेड एक ही अध्यापक देते तो उत्तर प्रदेश में जितनी संख्या आती वह देना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि 500 तो केवल एक जिले के अध्यापकों की संख्या है।

मान्यवर, दूसरी बात असरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के संबंध में है जो वित्त विहीन मान्यतायें दी गई हैं उसमें चैलेन्ज के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जहां हाईस्कूल विषय की मान्यता है, इण्टरमीडिएट में वित्त विहीन मान्यता है वहां प्रत्येक कालेज के प्रधानाचार्य प्रत्येक छात्र से 50 से 60 रुपये शुल्क चार्ज कर रहे हैं। मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसे विद्यालय जो वित्त विहीन मान्यता प्राप्त है लेकिन अधिक शुल्क ले रहे हैं, क्योंकि इण्टर तक फीस माफ है किन्तु उसके बावजूद भी 30-40 रुपये ले रहे हैं, मेरी मांग है ऐसे विद्यालयों पर नियंत्रण किया जाय उनकी जांच कराई जाय और यदि सही पाया जाय तो उनकी मान्यता को छीन लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री किशोरी लाल यादव–

मान्यवर, बस एक मिनट। दूसरी बात यह है कि जहां तक नकल अध्यादेश है। नकल रोकना तो ठीक है। आज जरूरी नहीं है कि सभी अध्यापक अनैतिक हो गये हैं। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि आज भी 80 प्रतिशत अध्यापक ऐसे हैं, जो नैतिक हैं। लेकिन कष्ट होता है जिन केन्द्रों पर परीक्षा हो रही है वहां एस० डी० एम०, कानूनगो जांच करने जाते हैं कि वहां पर नकल तो नहीं हो रही है। जब एस० डी० एम० जाता है तो उसके साथ कानूनगो, लेखपाल भी जाते हैं। अध्यापकों की नैतिकता की यह कैसी जांच हो रही है ? यह जांच कहां तक सही है ? दूसरी बात यह है कि मुकदमें में एफ० आई० आर० कराई जा रही है अध्यापक बनाम विद्यार्थी।

आपकी परीक्षायें समाप्त हो जायेंगी लेकिन कल वही छात्र होंगे। उनकी अध्यापकों के प्रति क्या भावनायें होंगी ? नकल करते पकड़ रहे हैं कोई और लोग और मुकदमें दायर किये जा रहे हैं छात्र बनाम अध्यापक। इसमें सुधार किया जाना चाहिए। जो विद्यार्थी हाई स्कूल इण्टर में विज्ञान पढ़ते हैं उनको पढ़ाने के लिये विद्यालयों को मेटेरियल एड की सहायता मिलनी चाहिए। मंत्री जी को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मैं तो समझता था कि वह वित्त मंत्री से लड़-लड़ कर अधिक से अधिक बजट लायेंगे। लेकिन दुख हो रहा है कि यह पिछले बजट से भी कम परसेन्टेज का है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय विश्वनाथ जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। इसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसको मैं गम्भीरता से सुन रहा था। मैं कहना चाहता हूं कि देश सबसे पहले है, देश की एकता और अखण्डता सबसे पहले है। मान्यवर, शिक्षा का उद्देश्य क्या हो। शिक्षा का उद्देश्य मेरी समझ में व्यक्ति के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास करना है। दूसरी तरफ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नये-नये ज्ञान से दिमाग को धनिक बनाना नहीं है। शिक्षा प्रणाली को अच्छा बनाना होगा ताकि अच्छे-अच्छे नवयुवक अच्छे-अच्छे छात्र इस देश की सेवा में आ सकें।

मान्यवर, अभी नकल अध्यादेश की काफी चर्चा हो रही थी। चाहे इधर के माननीय सदस्य हों, उधर के माननीय सदस्य हों, सब को चिन्ता यह है कि आज शिक्षा का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। अंग्रजों द्वारा दी गई शिक्षा प्रणाली के आधार पर केवल क्लर्क बनाये जा रहे हैं। उनकी शिक्षा पद्धति गुलाम बनाने की थी। इतने दिनों के बाद भी आज तक हम अपनी शिक्षा प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं कर पाये हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की कोई बात नहीं कही है। आज धर्म के नाम पर राष्ट्र को कहां ले जाना चाहते हैं ? एक धर्म विशेष की बात करते हैं जिससे राष्ट्रीय एकता को खतरा पैदा हो गया है। हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध, कोई भी धर्म क्यों न हो। सभी धर्मों का समावेश होना चाहिए। विभिन्नता में भी एकता की बात होनी चाहिए। अगर हम अपने देश के इतिहास में जायं तो हम देखेंगे तीन बातों के आधार पर देश की एकता को खतरा हुआ है। भाषा की समस्या पर, सम्प्रदाय की समस्या पर, जातिवाद की समस्या पर। शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन किये जायं। एक बात की तरफ और ध्यान दिलाना चाहता हूं। जो प्राध्यापक थे, जो असहायक शिक्षक थे, उन्होंने जो धरना दिया था। जनवरी, 1992 में इन्होंने वायदा किया.....

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री राम औतार शाक्य–

कि जितने विद्यालय हैं उनको अनुदान सूची में ले आयेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, एक बात कहना चाहूंगा मैं शिक्षा मंत्री को याद दिलाना चाहता हूं इन्होंने वायदा किया था कि दो वर्ष के अन्दर अनुदान सूची में विद्यालयों को ले लेंगे । इन्होंने 25 विद्यालयों को अनुदान सूची में लिया है तो यह 25 वर्षों तक लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

समाप्त करें ।

श्री राम औतार शाक्य–

जो अध्यापक हैं वह रिटायर हो जायेंगे । तो इस तरह से खोखले वायदों से काम चलने वाला नहीं है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

आचार्य जगदीश मुनी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । माध्यमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था में प्रदेश में 42 राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकें है तथा पाठ्य पुस्तकों में विशेष रूप से इतिहास और समाजिक विषय एवं गणित की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों तथा तथ्यों को सही परिपेक्ष्य में प्रस्तुत करने के लिये इस सरकार द्वारा सराहनीय कदम उठाया जा रहा है । राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान के लिये इतिहास शिक्षण में नई दृष्टि का लिया जाना और कक्षा 9 व 10 के पाठ्यक्रम में वैदिक गणित का समावेश किया जाना जैसे निर्णय विद्यार्थियों के न केवल ज्ञानवर्धन के लिये आवश्यक है अपितु सही परिपेक्ष्य में उन्हें ज्ञान प्रदान करना सरकार की एक आवश्यकता है जिसकी पूर्ति के लिये इस सरकार के महत्वपूर्ण प्रयास प्रशंसनीय है । मान्यवर, हमारे देश के अन्दर राष्ट्रीय भाषा हिन्दी है । हिन्दी की जननी संस्कृत भाषा है । हमारे प्रान्त के अन्दर हिन्दी निष्ठ संस्कृत को ही हिन्दी भाषा मानना चाहिए । हिन्दी बोलने के लिये संस्कृतनिष्ठ हिन्दी बोलने के लिये संस्कृत की बहुत आवश्यकता है । इस भाषा में विपुल साहित्य वेद, उपवेद, आयुर्वेद, उपनिषद्, स्मृति, पुराण, इतिहास, काव्य, महाकाव्य नाटक संगीत, छन्दशास्त्र, विपुल शब्द कोष सब कुछ है । कुछ बहुत ही प्राचीन भाषा है और सभी भाषाओं की जननी है । इसको प्रारम्भ करना हमारे देश के लिये गौरव की बात है ।

संस्कृत भाषा के माध्यम से आधुनिक विषयों का अध्ययन और अध्यापन होना चाहिए । इस भाषा को विकसित किया जाना चाहिए । संस्कृत भाषा में न्यायविधिक अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था होनी चाहिए । सरकारी नौकरियों में काम करने हेतु भी संस्कृत भाषा में प्रशिक्षण के लिये पाठ्यक्रमों को तैयार करवाना चाहिए । यदि संस्कृत भाषा अनिवार्य होगी तो संस्कृतनिष्ठ हिन्दी भाषा का प्रचलन होगा । उर्दू भाषा का प्रयोग भी किया जाता है तो उर्दू भाषा हमारी मूल भाषा नहीं है उर्दू आगंतुक भाषा है ।

अंग्रेजी आगंतुक भाषा थी इसलिये हमने उसे राजभाषा का पद नहीं दिया । इसी तरह से उर्दू आगंतुक भाषा है इसको दूसरी राजभाषा का पद नहीं देना चाहिए । इसको दूसरी राजभाषा के पद से हटाकर इसकी जगह संस्कृत को दूसरी राजभाषा बनाया जाना चाहिए । अन्त में मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका समर्थन करता हूं ।

ठाकुर वीरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि जो आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, सदन में और सदन के बाहर नकल विरोधी अध्यादेश की चर्चायें हो रही हैं । सत्ता पक्ष के लोग नकल विरोधी अध्यादेश का जिक्र ऐसे करते हैं जैसे इससे बड़ा बहादुरी का काम कोई और नहीं है । जहां तक नकल का सवाल है इसमें दो राय नहीं कि नकल एक बुराई है । कोई नहीं चाहता है कि नकल शिक्षण संस्थाओं में रहे लेकिन नकल को रोकने के लिये जो रास्ता अख्तियार किया गया है, शिक्षा मंत्री जी ने ऐसा तरीका अख्तियार करके अपनी नाकाबिलियत का परिचय दिया है । इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प निकाला जाना चाहिए था ।

नकल की बुराई क्यों है हमको इस पर गौर करना चाहिए था । हमने यह नहीं सोचा कि हमारे विद्यार्थियों की परेशानियां क्या हैं ? क्या आपने जबरी ट्यूशन रोकने के लिये कोई इंतजाम किया है ? मैं सब अध्यापकों की बात नहीं कहता लेकिन हालत यह हो रही है कि अध्यापकों की जवाबदेही शिक्षण संस्थाओं में नहीं रह गयी है । जब तक अध्यापकों के पढ़ाई के घंटे अनिवार्य नहीं किये जायेंगे तब तक पढ़ाई नहीं हो सकेगी । स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है तो नकल को बढ़ावा मिलता है । पुलिस को आपने नकल रोकने में शामिल किया है । इससे आप समझते हैं कि नकल खत्म हो जायगी, ऐसी बात नहीं है । पुलिस, दरोगा, थानेदार द्वारा सेन्टर्स के ठेके छूटा करेंगे नकल कराने के लिये । पुलिस इस समस्या का हल नहीं हो सकती है । पुलिस के कारनामें आप रोज देखते हैं । अगर कोई किसी से रंजिश रखता होगा तो झूठा उसको फंसाया जायेगा और जेल भेजा जायगा । मेरे क्षेत्र का मामला है । वहां मोरा एक सेंटर है वहां पर एक लड़की परीक्षा दे रही थी उसके पास एक पर्ची पड़ी थी । उसको पकड़कर जेल भेजा गया । 10 दिन के बाद उसकी शादी थी जो टूट गयी । हम लोग बच्चों को अच्छे नागरिक बनने के लिये स्कूल भेजते हैं लेकिन सरकार उनको जेल भेज रही है तो हम अच्छे नागरिक नहीं बल्कि अपराधी पैदा करने का काम कर रहे हैं । मान्यवर, कालेजों में हम और आप रोज देखते हैं कि एडमीशन के मामले में विद्यार्थियों की संख्या बहुत बढ़ गई है । आप देखें कि बच्चों के दाखिले की कितनी बड़ी समस्या पूरे प्रदेश और देश में हो गयी है, इनकी ओर ध्यान दें । एक शिक्षा नीति बननी चाहिए ताकि इण्टरमीडिएट और हाईस्कूल के बाद दिशा निर्धारित हो सके कि बच्चा किधर जायगा । कोई नीति बननी चाहिए । यह नहीं कि कामर्स नहीं मिली तो कला में प्रवेश ले लिया, कला नहीं मिली तो साइन्स ले ली । कोई दिशा होनी चाहिए । कोई नीति होनी चाहिए । मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बहुत देर के बाद समय दिया । मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री मिही लाल–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे शिक्षा विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया, आपका आभारी हूं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी को चरखारी विधान सभा क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराना चाहता हूं । मान्यवर, चरखारी में राजकीय इण्टर कालेज का भवन 140 वर्ष पुराना है। बरसात में उसके कमरों में पानी भर जाता है और उसके बाद 4 माह तक कोई पढ़ाई नहीं होती है । मेरी

मेरी मांग है कि भवन बनवाने के लिये माननीय मंत्री जी धन देने की कृपा करें । दूसरे बालिका इण्टर की इमारत 150 वर्ष पुरानी है । छतें टूटी हुई हैं और लड़कियां किसी भी समय दब कर मर सकती हैं ।

मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि लड़कियों के इण्टर कालेज, चरखारी के लिये धन देने की कृपा करें । तीसरे मान्यवर, पनवारी में बालिका इण्टर कालेज 3 वर्ष से स्वीकृत है, आज तक नहीं खुला है, उसको खुलवाने की कृपा करें । चौथे शासन की नीति के अनुसार तहसील मुख्यालय कुलपहाड़ में लड़कियों का हाईस्कूल नहीं खोला गया है, जबकि मंत्री जी ने ब्लाक स्तर पर कहा है । मैं मांग करता हूं कि तहसील स्तर पर बालिका इण्टर कालेज खोलने की कृपा करें । मान्यवर, महाविद्यालय चरखारी में इस वर्ष एम० ए०, बी० एस-सी० की कक्षाएं खोली जायं । इसी प्रकार से छात्रावास, स्टेडियम तथा आवासीय भवनों के लिये धन दिया जाय । इसके साथ ही मैं कटौती पर बल देता हूं । धन्यवाद, जय हिन्द ।

श्री शिवाकान्त ओझा–

मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो माध्यमिक शिक्षा का बजट पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं । मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बजट में बहुत सी ऐसी बातें उजागर की हैं जो शिक्षा के जगत में एक ऐतिहासिक बात होगी । मान्यवर, अभी विपक्ष के माननीय विश्वनाथ जी ने कहा कि शिक्षा को सरमायेदारों के हाथों में सौंपा जा रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि सरमायेदार की परिभाषा क्या है। धारा 18 को समाप्त करके माननीय शिक्षा मंत्री जी ने वह ऐतिहासिक काम किया है जो प्राइवेट लोग मनमानी वसूली करते हैं तदर्थ नियुक्ति के माध्यम से उसको समाप्त करने का ऐतिहासिक काम पहली बार भाजपा सरकार के शिक्षा मंत्री ने किया है । इसके अतिरिक्त समाजवाद की बात की जा रही है । मैं पूछना चाहता हूं कि किस समाजवाद की बात करना चाह रहे हैं, लोहिया के, आचार्य नरेन्द्र देव के, माओत्से तुंग के, मार्क्स के, लेनिन के समाजवाद की बात करना चाहते हैं कि जो शिक्षा मंत्री जी ने लागू करने का प्रयत्न किया है ?

मित्रों, माननीय सदस्यों, मैं इसमें कहना चाहता हूं कि आयोग को समाप्त करके माननीय शिक्षा मंत्री जी ने ऐतिहासिक काम किया है । चूंकि आयोग सफेद हाथी हो गया था जिससे शिक्षा का उद्धार नहीं हो रहा था । मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जो मण्डलीय व्यवस्था की जा रही है उसमें माननीय शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि जो अध्यापकों की नियुक्ति हो उसमें लिखित परीक्षा का प्राविधान कर सकें तो ठीक होगा । इससे अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति में सुविधा होगी । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि तदर्थ अध्यापकों की नियुक्ति का जो कार्यक्रम चालू किया है, वह ऐतिहासिक काम है और बहुत दिनों से पूर्व सरकारों ने नहीं किया है । आपने किया है, बधाई के पात्र हैं । इसके अतिरिक्त नकल रोक कर जो ऐतिहासिक काम किया है, मैं चाहूंगा कि आजादी के पहले जो मैकाले ने शिक्षा व्यवस्था दी हिन्दुस्तान में थर्ड और फोर्थ ग्रुप के कर्मचारियों को पैदा करने की, आजादी के बाद आज तक विपक्ष में बैठे लोगों ने ऐसी व्यवस्था दी कि हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश में थर्ड और फोर्थ श्रेणी के नागरिकों को पैदा करने का काम किया है जो चपरासी के लिये भी नहीं नियुक्त हो सकते, यह आपकी देन है । हमारी सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री जी ने नकल को संज्ञेय अपराध घोषित करके यह बात साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश के नवजवानों को एक ऐसे स्थान पर ले जाना चाहती है जो आजादी के बाद 20 वर्ष तक राष्ट्रीय स्तर पर रहे हैं । इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं । यह बहुत महत्वपूर्ण काम है । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जिस प्रकार से नकल पर रोक लगाई है, उसी दृढ़ता से कोचिंग और ट्यूशन पर भी जुलाई से रोक लगावें, आवश्यक हो, तो

संज्ञेय अपराध घोषित करें । मान्यवर, 10 ब्लाकों में बालिकाओं का विद्यालय खोल कर एक सराहनीय काम इस सरकार ने किया है ।

मेरा अनुरोध है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के दो ब्लाकों में आसपुर देवसरा एवं मंगरौरा में भी बालिका विद्यालय खोलवायें । इसके अतिरिक्त मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं, शिक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत राष्ट्रीय विचारधारा का समावेश किया है, वह स्तुत्य है । मुख्य रूप से वैदिक गणित, संस्कृत एवं पंथ निरपेक्षता का समावेश शिक्षकों एवं उनके कर्मचारियों को भी मेडिकल एवं ट्रेवलिंग एलाउन्सेज की व्यवस्था करें । बड़े-बड़े शहरों में भी प्रातःकालीन एवं संध्याकालीन शिक्षण की व्यवस्था करें, इससे प्रदेश की समस्या का समाधान हो सकेगा ।

*श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, माननीय विश्वनाथ जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । आप सहमत होंगे कि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण विभाग है । अगर हम शिक्षित होंगे, समाज शिक्षित होगा, तो हर क्षेत्र में उन्नति होगी । आज इस सरकार में ग्रामीण क्षेत्रों की विशेष उपेक्षा हो रही है । मैं पूर्णतया ग्रामीण क्षेत्र से हूं । माननीय मंत्री जी ने कुछ घोषणायें की हैं, परन्तु सम्भवतः यह भूल गये कि आज प्रदेश के अन्दर बच्चों को कक्षा 6 व 9 में भी प्रवेश नहीं मिल पाता है और गांव के बच्चे बिना शिक्षा के रह जाते हैं । एक तरफ पब्लिक स्कूलों के बच्चे हैं, और दूसरी तरफ गांव के बच्चे हैं, कहां एक दूसरे से इनका मुकाबिला हो पायेगा ? आपने पब्लिक स्कूल जाति और धर्म के नाम पर प्रवेश देते हैं, जो दुःखद बात है । ग्रामीण क्षेत्र का सर्वेक्षण करा लें, कितने स्कूल हैं ? आप नये स्कूल नहीं खोल रहे हैं । स्कूलों में जहां मांग की गयी है, वहां पर सेक्शन नहीं दे रहे हैं, अध्यापकों की नियुक्ति नहीं कर रहे हैं, कैसे पढ़ेंगे बच्चे और क्या होगा इस समाज का ? आप शिक्षा के परिवर्तन की बात करते हैं। आपने बजट भाषण में दोहरी शिक्षा नीति पर कोई आक्रमण नहीं किया । संस्कृत के संबंध में कोई बात नहीं की और उर्दू के बारे में, मैं यह कहना चाहूंगा कि चूंकि आप साम्प्रदायिक हैं, आपको यह आशा भी नहीं थी, परन्तु आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आप पूरे प्रदेश की सरकार के शिक्षा मंत्री हैं, किसी एक के नहीं । मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप संस्कृत और उर्दू भाषा की ओर विशेष ध्यान दें। जहां के लोग भूमि-भवन में सहायता कर सकते हों, वहां स्कूल खोल दिये जायं, ताकि सुविधा रह सके । परन्तु संस्कृत के सम्बन्ध में कोई घोषणा नहीं की है । मान्यवर, आप मण्डलीय स्तर पर शिक्षा आयोग गठित करने जा रहे हैं, कहीं आप उसमें आर० एस० एस० के लोगों को ही न भर दें । इससे आप का स्तर गिरेगा ।

मान्यवर, टेक्निकल एजूकेशन की बात कही गयी है । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके जितने भी टेक्निकल एजूकेशन के स्कूल हैं, उनसे पढ़े हुए कितने छात्रों को नौकरी मिली है ? मेरी जानकारी में तो बहुत कम छात्रों को ही नौकरियां मिल पायी हैं । ऐसी व्यवस्था आपकी है । मैं कहना चाहता हूं कि आपके प्रदेश में जितनी भी प्राइवेट फैक्टरियां हैं उनमें इन स्कूलों से पढ़े हुए लड़कों को नौकरी देने की व्यवस्था करें ।

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय किशोरी श्याम जी आप क्लास लगाना शुरू कर दें।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो प्राइवेट आई० टी० आई० हैं, उनका परीक्षाफल रोक दिया गया है, इनको रोकने का कोई अधिकार नहीं था।

मान्यवर, जहां तक नकल रोकने की बात है, नकल विरोधी कानून पास करके आपने लड़कियों को हथकड़ियां लगाकर जेल भेजने का कार्य किया है ? अगर आपकी लड़की के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाये, तो क्या आप इसे बुरा मानेंगे ? एस० डी० एम० कैराना ने 50-50 हजार रुपया लेकर नकल कराने का ठेका लिया है और जो सामान्य अध्यापक हैं उनको बेइज्जत किया जाता है और जो पुलिस के अधिकारी हैं वह पैसा लेकर नकल करा रहे हैं। मान्यवर, नूनीखेड़ा में एक अध्यापक जो अपने कमरे में इनविजिलेशन का कार्य कर रहा था, उसके कमरे के पीछे किताब पड़ी पायी गयी, इसी आधार पर सी० ओ० खतौली श्री आर० पी० सिंह ने उसको बन्द कर दिया। सम्भवतः उस अध्यापक का नाम श्री धर्मपाल सिंह है, उसकी मैनेजमेंट से रंजिश चल रही थी इसी आधार पर उसको बन्द कर दिया गया, तो इस प्रकार की घटनायें घट रही हैं।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में प्राविधिक शिक्षा का कोई संस्थान नहीं है। मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि मेरे क्षेत्र में आई० टी० आई० खोलने के आदेश देने की कृपा करें। हमारा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है और यहां पर बहुत सी प्रतिभायें भी हैं और हम लोग उसको सहायता भी देने के लिये तैयार हैं। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं।

श्री बाबू राम यादव–

माननीय उपाध्यक्ष जी, कृपा हुई आपने मुझे मौका दिया। मान्यवर, मा० राजनाथ सिंह जी ने जो शिक्षा का बजट रखा है उसका हमारे सामने के बैठे माननीय सदस्यगण बड़ी तारीफ कर रहे थे, कृपया सोचिये तो, शुक्ल जी आप भी सोचिये कि इससे क्या होगा ? हमारे शिक्षा मंत्री जी तो विद्वान हैं अध्यापक हैं, चरित्रवान हैं, सारी चीजें इनके अन्दर हैं लेकिन इन्होंने बजट लिखवाया किसी अधिकारी से और वही पढ़ दिया। मैं तो बैठा था इनको सुनने के लिये कि आज श्री राजनाथ सिंह जी कुछ अपने विचार रखेंगे जिससे यह प्रदेश लाभान्वित होगा लेकिन इन्होंने अधिकारियों द्वारा लिखा हुआ बजट पढ़ दिया मुझे तो बहुत शर्म आयी कि इतने विद्वान लोग हैं और ये अधिकारियों की उंगलियों पर नाचेंगे तो इस प्रकार से इस शिक्षा क्षेत्र का कैसे कल्याण होगा ?

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारी सरकार वित्तीय संकट में है, अगर वित्तीय संकट में है तो राष्ट्रपति जी से प्रार्थना करिये कि सरकार भंग करे और जब वित्तीय संसाधन जुट जायं तब सरकार चलाइये। मैं मानता हूं कि कठिनाई है तो आप उस कठिनाई का सामना करिये।

"वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जब पथ में बिखरे शूल न हों।
नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हों॥"

तो इस तरह से आपको बजट बढ़ाने के लिये प्रयास करना चाहिए। मैं तो समझता था कि कुछ अच्छे विचार कुछ अच्छी चीजें आपकी तरफ से इस बजट भाषण में आयेंगी और उससे प्रदेश के लाखों

छात्रों और अध्यापकों का कुछ भला होगा लेकिन मुझे बड़ी शर्म आयी जब अधिकारियों द्वारा लिखा गया बजट भाषण माननीय मंत्री जी ने पढ़ दिया । मुझे इसलिये शर्म आयी कि इतना बड़ा विद्वान आदमी आज अधिकारियों की उंगलियों पर नाच गया । मान्यवर, इस आजाद भारत के इतिहास में इतना कम बजट इससे पहले कभी नहीं पेश किया गया यह एक विडम्बना है कि इतना कम बजट पेश हुआ है । मान्यवर, आपने वित्तीय संसाधनों की कमी बतायी है, ठीक है वित्तीय संसाधन कम हो सकते हैं लेकिन आपकी विद्वता का लाभ तो नहीं मिला । आप कुछ ऐसी चीज कहते जिससे छात्र अध्यापक और शिक्षा जगत से जुड़े लोगों को कुछ लाभ मिलता, सारे लोग आपकी ओर टकटकी लगाये बैठे थे कि कुछ ऐसा परिवर्तित बजट आयेगा जिससे छात्रों को आगे पढ़ने में सहायता मिलेगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ ।

मान्यवर, एक-एक सेक्शन में 60-60 लड़के बैठते हैं और जहां नकल का ठेका होता है वहां एक-एक सेक्शन में डेड़-डेढ़ हजार लड़के बैठते हैं उसकी कोई व्यवस्था नहीं की गयी है । हमारे उधर के माननीय सदस्य बड़ी तारीफ कर रहे थे कि नकल के लिये अध्यादेश बहुत जरूरी था नकल के तो हम भी सिद्धान्तः विरोधी हैं लेकिन आपने कहीं यह सुना है, सारी दुनिया में कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है जिसमें इस तरह का काला कानून बनाया गया हो । मुझे कहने में संकोच होता है कि कहीं ककड़ी के चोर को फांसी होती है । इसी तरह से नकल विरोधी अध्यादेश में लड़कों को इतनी सजा का प्राविधान नहीं होना चाहिए था । मैनपुरी जनपद में करहल जो हमारा क्षेत्र है वहां परम्परा है कि नकल नहीं होती है, भेज दीजिये सारे अधिकारियों को, आप स्वयं जांच कर लीजिये, 4-5 कालेज हैं हमारे क्षेत्र में वहां नकल कोई नहीं कर सकता है । वहां नकल इसलिये नहीं होती है क्योंकि वहां पर पहले जनसंघ नहीं था अब भाजपा नहीं है वहां स्कूल में कोई घुटनेबाज या नेकरबाज नहीं है ।

आपने इस आयोग को विघटित कर दिया और 4 आयोग बना दिये केवल इसलिये कि आपके नेकरवाले लोग उसमें घुस जायं, अध्यापन का कार्य करें, उनको रोजी रोटी मिले और आपका भी कार्य चलता रहे । मैं तो यह सोचकर चला था कि इस विद्वान शिक्षा मंत्री से प्रदेश का भला होगा, प्रदेश का शिक्षा जगत लाभान्वित होगा । मुझे अखबार में पढ़ने को मिला कि पैथागोरस की साध्य किसी महात्मा के नाम पर लिखी जायेगी । यह तो ऐसी चीजें हैं कि जिसने खोज की है उसके स्थान पर दूसरे का नाम लिखा जाना तो अच्छा नहीं होगा । जहां तक बजट का प्रश्न है, आप स्वयं संतुष्ट नहीं होंगे इस बजट से । आपने जैसा बजट प्रस्तुत किया है शिक्षा जगत की उन्नति ठप्प हो जायेगी । इसी के साथ ही कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री रमापति –

मैं आपका आभारी हूं कि आपने शिक्षा के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया । मैं बजट का समर्थन करता हूं । जहां तक सदन में नकल को संज्ञेय अपराध बनाने की बात को लेकर चर्चा हो रही है और सभी लोग यह मान रहे हैं कि अच्छा काम हुआ है । मात्र प्रतिपक्ष के नाते विरोध कर रहे हैं । सदन में जितने लोग बैठे हैं उस समय के पास है जब नकल नहीं होता था । एक बात की चर्चा बार-बार आ रही है कि नकल संज्ञेय अपराध बनाया गया है । यह ठीक है लेकिन छात्रों को जेल नहीं भेजना चाहिए । आप लोग कह रहे हैं कि प्रधानाचार्य के द्वारा कार्य होना चाहिए । आपने देखा होगा कि केन्द्र व्यवस्थापक केन्द्र लेने के लिये कैसे दौड़ लगाते थे ? इसके बाद बच्चों से सौदा होता था कि बताओ किस डिवीजन में पास होना है ? बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनसे पूछा जाय कि कौन सा विषय लेकर पास हुए हो तो वह बताने में असमर्थ होगा । बहुत से छात्र कहीं न कहीं से टी० सी० लेकर फार्म भर

दिया करते थे। ऐसी स्थिति में यह जो काम किया गया है उसका स्वागत करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री छत्रपाल वर्मा–

मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पहला यह कि बढ़ती हुई छात्र संख्या को देखते हुए प्रदेश में नये विद्यालय खोलने की मान्यता से संबंधित नियमों को कुछ सरल किया जाय जिससे बढ़ती हुई छात्र संख्या के अनुसार दाखिला हो सके। दूसरी बात प्रबन्ध तंत्र के द्वारा अध्यापकों का जो शोषण हो रहा है, उसे रोका जाय।

[समय 8 बजकर 20 मिनट]

अध्यापकों द्वारा छात्रों को ट्यूशन पढ़ाने के माध्यम से उसे रोका जाय जो छात्र ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं उनका भविष्य बिगाड़ा जा रहा है कहीं-कहीं। दोहरी शिक्षा के बजाय समान शिक्षा की जाय। नकल रोकना बहुत अच्छी बात है उसके लिये मैं माननीय विद्वान शिक्षा मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं पर जो उसके रोकने के तरीके हैं वह निहायत गलत हैं उस कानून को हम काला कानून की संज्ञा देते हैं। यह अध्यादेश 438 आई० पी० सी० की धारा के विपरीत है। जो आप इस तरह से 14–16 साल के बच्चे को जेल भेजने की बात कह रहे हैं यह गलत है और जब उनको जेलों में ठूंसा जायेगा तो उनका भविष्य बरबाद होगा। बेल की बात नहीं है। आपने इन सब बातों पर गौर नहीं किया कोई अन्य उपाय भी निकाले जा सकते थे।

* श्री यदुनाथ सिंह–

माननीय विश्वनाथ द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए यह कहना चाहता हूं कि हमारे शिक्षा मंत्री जी जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे हैं, पुलिस मंत्री बन गये हैं। इनको पुलिस मंत्री होना चाहिए। आपने जिस तरीके से यह 3/6 कानून पास किया यह काला कानून है। कांग्रेस ने नसबंदी कार्यक्रम किया था, इमरजेंसी में हम कितने लोग बन्द थे, कांग्रेस डूब गयी आप भी इसके द्वारा डूबेंगे आपको पता नहीं लग रहा है। मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जगह-जगह घूम रहा हूं गाजीपुर से सहारनपुर घूम रहा हूं। जनता से मिल रहा हूं उनकी भावना इसके विपरीत है मैं 56 बार जेल गया हूं। इसको आपको बेलेबिल बनाना चाहिए था थाने में जमानत होनी चाहिए थी।

12 वर्ष के बच्चे को जिसको छींकने का ज्ञान नहीं है जो सी० आर० पी० सी० आई० पी० सी० धारा 144 नहीं जानता है जिसको विधान सभा की दर्शक दीर्घा में नहीं एलाउ किया जाता है उसको आप अपराधी घोषित कर रहे हैं, उन्हें अपराधी बना रहे हैं उनको जेलों में डाल रहे हैं? इसकी खिलाफत काफी तेजी से हो रही है। दूसरी बात तकनीकी एजूकेशन में कहा गया, कहा जाता है कि इंजीनियर नरक में भी जायेगा तो स्वर्ग का निर्माण करेगा। आज इंजीनियर भ्रष्ट है, तहसीलदार भ्रष्ट है, रेवेन्यू के लोग भ्रष्ट हैं, मैं जब इंजीनियरिंग पढ़ रहा था आप जानते हैं डा० गर्ग बी० एच० यू० से प्रेसीडेंट बने थे। 2 लाख विद्यार्थी आपकी परीक्षा से बहिष्कार कर गये। श्री जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था कि आपको कुछ नहीं करने आता है, तो शिक्षा में सुधार नहीं करना चाहिए। हायर एजूकेशन 2 साल के लिये आप ब्लाक कर दें। यह क्या जरूरी है कि विधान सभा में बैठे हुए लोग इस पर विचार

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर सकें। मैं तो समझता हूं कि अभी उच्च शिक्षा मंत्री का बजट आयेगा। पालिटेक्निक 70 से ज्यादा आपके पालिटेक्निक हैं महिला पालीटेक्निक भी हैं। इस तरीके से कुछ काम इन्होंने सराहनीय किये हैं। महिला पालिटेक्निक खोलने जा रहे हैं कुछ और टेक्निकल कालेज खोलने जा रहे हैं लेकिन आज जो टेक्निकल लोग बेरोजगार पड़े हैं, 10 लाख इंजीनियर बेरोजगार पड़े हैं तो उनका क्या होगा। आज यह लोग विद्या बल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं बल्कि पुलिस बल का प्रयोग कर रहे हैं। आज दिल्ली से लेकर राजस्थान तक सब जगह एक सी शिक्षा होनी चाहिए लेकिन यह नहीं हो रहा है। मेरे चार लड़का और एक लड़की है लेकिन मैं उन्हें जो शिक्षा दे रहा हूं वह गलत कर रहा हूं। आज सबसे ज्यादा मां-बाप के लिये एक्सप्लोइटेशन आज की शिक्षा व्यवस्था है और मैं इसके लिये माननीय शिक्षा मंत्री जी को जिम्मेदार ठहराता हूं। यह जो तमाम विधायक बैठे हैं यह अपने बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं तो यह गलत कर रहे हैं। आज शिक्षा का एक्सप्लोइटेशन हो रहा है.....

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप कृपया समाप्त करें।

श्री यदुनाथ सिंह–

तो इस तरह से जो आप कार्य कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। आज मुझे दुख इस बात का है कि हमारे मिर्जापुर के तीन मंत्री यहां पर बैठे हुए हैं। माननीय डंग साहब, माननीय सिंचाई मंत्री जी बैठे हुए हैं लेकिन इतने लोगों के होते हुए भी आज यह हो रहा है तो इससे ज्यादा शर्म की और क्या बात हो सकती है ?

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप कृपया समाप्त करें।

श्री यदुनाथ सिंह–

अन्त में मैं माननीय विश्वनाथ जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

* श्री किशोरी श्याम–

मान्यवर, मैं केवल पांच मिनट लूंगा। मैं पहले यह जायजा लेना चाहता हूं कि श्रीमन्, अभी बाबू लाल जी ने कहा कि यह अधिकारियों का बना हुआ भाषण पढ़ रहे हैं। मा० राजनाथ जी तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह अधिकारी देश और प्रदेश के नहीं हैं। आप लोग आपस में लड़ते-लड़ते 36 दल हो गये, आज हमको भी लड़ाना चाहते हैं, अधिकारियों से। इनको भी उतनी ही चिन्ता है, यह भी किसी मां-बाप के पढ़ाये हैं, कोई अंग्रेज नहीं हैं, कोई इंग्लैण्ड से नहीं आये हैं। मान्यवर, हम तो इसमें सामंजस्य मिला रहे हैं और यह लड़ाना चाहते हैं। एक बात मा० यदुनाथ सिंह ने कही। मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब वह जनता के बीच में जाते हैं तो विरोध कैसे करें ? रावण भी जब सीता के सामने आता था, तो उसे सीता मां समान दिखाई देती थीं। इसी प्रकार से जब यह जनता के सामने जाते हैं तो कहते हैं, सब अच्छा हो रहा है, लेकिन जब यहां आते हैं, तो जबरदस्ती विरोध करते हैं, बड़ा अन्याय हो रहा है। इसी प्रकार से हरेन्द्र सिंह ने संस्कृत के बारे में कहा था कि संस्कृत जो भाषा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है, वह बड़ी दुखदायी है । उर्दू बहुत बढ़िया है । इन्हें यह नहीं पता कि उर्दू को मानने वाले सारे अल्पसंख्यक अब हमारे साथ हो गये ।

मान्यवर, हिन्दी हमारी भाषा है, उर्दू हमारी भाषा है और संस्कृत तो देव भाषा है । आज यह देव भाषा को हटाना चाहते हैं । मान्यवर, मैं हर विषय में इसलिये बोलता हूं क्योंकि मैं हर बीमारी में शामिल हूं । मैं 22 सालों तक मैनेजमेंट में रहा हूं लेकिन एक प्रभारी नियंत्रक है जो झगड़ा शुरू करा देता है और डी० डी० आर० कुछ कर नहीं पाते, बाद में हाई कार्ट से स्टे आ जाता है । मेरी मांग है कि डी० डी० आर० व इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स को ऐसे अधिकार होने चाहिए, जिससे वह हाईकोर्ट में जाकर स्टे न ला सकें । मेरे यहां एक गाजीपुर स्कूल है, यह संस्कृत विद्यालय है, इस विद्यालय ने कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जैसे विद्वान दिये हैं, आज इस विद्यालय की दशा बड़ी कमजोर है, इसलिये इसको सुचारु रूप से चलाया जाय और इसी के साथ में प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री जाहिद हुसैन–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने मुझे मा० विश्वनाथ सिंह द्वारा रखे कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया । मान्यवर, बजट में उर्दू के साथ अन्याय किया गया है, यह भी इसी प्रदेश की भाषा है, यह कोई विदेशी भाषा नहीं है, जिस तरह से अंग्रेजी यहां आयी है । हम न तो संस्कृत का विरोध करते हैं और न हिन्दी का । हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं, सभी हिन्दुस्तानी भाषायें हैं और सबके साथ एक सा व्यवहार होना चाहिए ।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि जो काला नकल अध्यादेश लाया गया है, 13 अप्रैल को, वह वापस लिया जाना चाहिए । हमारे यहां अंसार कालेज में रसायन विज्ञान की परीक्षा हो रही थी। सचल दल ने बाहर से पर्चियां इकट्ठी करके कमरा नं०–30 व कमरा नं० 16 के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है । मैं कहना चाहता हूं कि यदि उन पर्चियों का विषय उस सब्जेक्ट से मिल जाता, तो भी हम मान लेते कि नकल हो रही होगी पुस्तकों को बाहर से इकट्ठा करके उसमें रिपोर्ट लिख दी गयी है । आज इस अध्यादेश के आने से तमाम लड़के और लड़कियों में आक्रोश है । मेरा सुझाव है कि आप इस अध्यादेश पर विचार कर इसे समाप्त करें । एक श्रीमती वजाहत निसां नकवी प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज उत्तरकाशी से जून, 87 में सेवानिवृत्त हो गई, परन्तु उनका 117 दिन के अवकाश का नकदीकरण व पेंशन का 2500/- रुपये का निपटारा अभी तक नहीं हुआ है । वह एक अल्पसंख्यक महिला है । माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान देने की कृपा करेंगे । मुरादाबाद के पश्चिम में 10 कि०मी० दूर पोकवाड़ा में कोई भी हाईस्कूल व इण्टर कालेज नहीं है । इसलिए यहां पर कालेज खोला जाय । मुरादाबाद में एक आसिम बिहारी जूनियर हाईस्कूल है, इसे हाईस्कूल बनाने की कृपा करें । इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कुछ बातें संक्षेप में रखना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी ने नकल के संबंध में अध्यादेश को लाकर के मुझे उस समय की याद दिला दी है, जब स्व० लोकनायक जय प्रकाश नारायण जी ने सम्पूर्ण क्रांति के आन्दोलन को चलाया था और उस आन्दोलन के कारण आपातकाल भी घोषित किया गया था । उस समय मैं शायद मंत्री जी के साथ नैनी कारागार,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इलाहाबाद में रहा । उस सम्पूर्ण क्रांति का प्रमुख लक्ष्य ही दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त करने का था । परन्तु आपने उसे समाप्त करने के लिए इस बजट में कोई प्राविधान नहीं किया है । इसी सदन में वर्तमान मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह ने 21 जून, 1990 को शिक्षा बजट पर कहा था "निर्धन हो या हो धनवान, देश में शिक्षा एक समान" । परन्तु इस वायदे को पूरा करने का काम इसमें नहीं किया गया है । यह प्रदेश की जनता के साथ एक मजाक है । मैं इलाहाबाद के चायल विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूं । वहां पर लड़कियों के लिए कोई इण्टर कालेज नहीं है । दूवाबा क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । वहां पर शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आपने कोई काम नहीं किया है । इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि दोहरी शिक्षा को आप समाप्त करें और इलाहाबाद के द्वाबा व चायल क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए इस क्षेत्र के लिए आप कुछ विशेष योजनायें लागू करने का काम करें । तीसरा, यह है कि आप जो यह नकल विरोधी अध्यादेश लाये हैं, यह बहुत गलत है । अपराधों का वर्गीकरण होता है । किस वर्ग का अपराध है, उसी हिसाब से दण्ड निर्धारित किया जाता है । परन्तु आपने इसमें ऐसा नहीं किया । इस अध्यादेश को लाने से पहले आप इसके संबंध में जनता के बीच बहस करवाते । हो सकता है इससे भी अच्छा उपाय आपको मिल जाता । आज जो लड़के व लड़कियों को जेल भेजने का काम हो रहा है, वह नहीं हो पाता । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री किशन गोपाल–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो बजट रखा है वह बेजोड़ और बेतोड़ है । इसकी मैं प्रशंसा करता हूं, और करता ही रहूंगा । इस बजट पर कुछ कहना सूर्य को प्रकाश दिखाने के समान है । नकल विरोधी अध्यादेश जो जारी किया गया है, वह बहुत ही सराहनीय है । मान्यवर, अपराध तो अपराध ही है । नकल से पास होने वाले छात्र क्या देश और प्रदेश की प्रगति कर सकते हैं ? कदापि नहीं कर सकते हैं ।

कुछ विपक्षी सदस्यों के समझ में तो बात आ गई है, परन्तु अभी कुछ के समझ में नहीं आई है । कुछ विपक्ष के लोग कहते हैं कि यह काला कानून है । अभी इनको शुरू में कुछ दिक्कत अवश्य होगी परन्तु जब यह पीढ़ी ईमानदारी से काम शुरू करेगी तो कल इनके ही बच्चे आई० ए० एस०, आई० पी० एस०, डाक्टरी व इन्जीनियरिंग आदि जैसे बड़े इम्तिहानों में निकलेंगे । तब इनको याद आयेगा कि 1992 का यह बजट ऐतिहासिक बजट था । कुछ भारतीय भाषाओं के विकास के लिए अबकी बार 6.54 लाख रुपये रखा गया है, जो पिछली बार से अधिक है । इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं । मैं तो चाहता हूं कि सरकार इस तरह के अध्यादेश जारी करते रहे । इस प्रदेश में राम राज्य की लहर छा जायेगी । इसी के साथ ही मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

* श्री लीलराम शर्मा–

मान्यवर, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मंत्री जी से हम इस प्रकार के बजट की आशा नहीं करते थे । हम समझते थे कि वह शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन लायेंगे । विद्यार्थियों पर पहले ही बोझ था, अब दो किताबों को और डालकर उनके बोझ को बढ़ा दिया है । नकल के संबंध में, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पब्लिक स्कूलों में आखिर यह समस्या क्यों नहीं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है । जबकि वहां के अध्यापक की आमदनी यहां के अध्यापकों से कम है । पर्वतीय क्षेत्र में उद्योग का साधन इलेक्ट्रोनिक हो सकता है । इसलिए मेरा सुझाव है कि वहां पर डिग्री कालेजों में व पोस्ट ग्रेजुएट कालेज में इलेक्ट्रोनिक का एक सब्जेक्ट रख दिया जाय । जिससे पहाड़ों का उत्थान भी होगा । इसके साथ ही मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उत्तरांचल की ओर दिलाना चाहता हूं । वहां 400 स्कूल ऐसे हैं जिनके भवन नहीं है । आपने अगर बच्चों को शिक्षा देनी है तो स्कूलों के भवन बनाने का प्राविधान करें । भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में घोषणा की थी कि जिनको नेशनल एवार्ड मिलेगा उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी । मैं आग्रह करुंगा अच्छे स्कूल खोलें, स्कूलों के भवन बनाये अच्छे अध्यापक रखें जिससे अच्छे लड़के निकल सकें । मैं इतना ही कह कर कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

(श्री विश्वनाथ का नाम पुकारने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय विश्वनाथ जी आप संक्षेप में अपना उत्तर भाषण करें ।

*श्री विश्वनाथ–

मान्यवर, कटौती प्रस्ताव पर बल देने का आपने अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं । यह बात सही है कि इसमें काफी बातें आ गयी हैं हर छोर से बातें आई हैं तो मंत्री जी उन पर पुनः विचार करें । शिक्षा की पद्धति बदलें । दण्ड का प्राविधान जो प्रारम्भ में हो रहा है उसमें बदलाव हुआ है, दण्ड सुधारात्मक हुआ है स्पोइल्ड चाइल्ड वाला सिद्धान्त चला गया । विज्ञान और मनोविज्ञान ने तरक्की की है शिक्षा मनोवैज्ञानिक हुई है । मैं प्रधानाचार्य हूं मैं समझता हूं बोर्ड के नियम कम नहीं हैं नकल रोकने के लिये उसमें अमल की बात है । आप भी अध्यापक हैं आप जानते हैं वहीं अध्यापक है वही नियम हैं पहले हमारे समय में नकल नाम की कोई चीज नहीं पनपी तो जो चीज आई है उसको बुद्धि और विवेक से हल करें ।

दूसरी बात मैं कहने जा रहा हूं वैज्ञानिक शिक्षा के बारे में विज्ञान के शिक्षक आज रेगुलर नहीं है । फोर्थ क्लास का सेवक रेगुलर है लेकिन वैज्ञानिक रेगुलर नहीं है आप टेक्निकल शिक्षा देना चाहते हैं और विज्ञान के द्वारा समाज और प्रदेश का उत्थान चाहते हैं तो जब वैज्ञानिकों की उपेक्षा होगी तो क्या होगा ? शिक्षा का दायित्व सरकार का है उससे सरकार भाग नहीं सकती है उसमें यह रोना रोकर कभी बचा नहीं जा सकता कि हमारे पास धन नहीं है अगर धन नहीं है तो दिल और दर्द तो है । जिस शासक के दिल में दर्द होता है, वह रास्ता निकाल लेता है, साधन पैदा हो जाते हैं । निश्चित रूप से शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कीजिये दुनियां प्रगति के दौर में है और भारत अंधकार में भटक रहा है । शिक्षित और साक्षर में बड़ा फर्क है आंकड़े साक्षर के दिये जाते हैं और बहस शिक्षित पर होती है । आप शिक्षित हैं लेकिन दस्तखत करने वाले साक्षर हैं । आज तक निरक्षरता का साम्राज्य स्थापित हुआ है । हमें देश और प्रदेश को बदलना होगा देश का दुनियां में नाम करना है तो शिक्षा जरूरी है । शिक्षा के स्तर को आप ठीक करना चाहते हैं तो उसके पाठ्यक्रम को एक कर दीजिये पूरे प्रदेश स्तर पर एक शिक्षा लागू कीजिये । देश के स्तर पर आप नहीं कर सकते तो चाहे वैदिक गणित हो आप उसे पाठ्यक्रम में नियोजित कर दीजिये । जो विद्यालयों में खाली जगह हैं उनमें अध्यापक दे दीजिए, साज-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सज्जा दे दीजिए उसको भवन दे दीजिए-सारी सुविधाएं दे दीजिए तो हमारे यही अध्यापक और छात्र विश्व ओलम्पिक में या विद्वता की अन्य किसी दौड़ में पीछे नहीं रहेंगे । अभी दून स्कूलों और कान्वेंट स्कूलों की बात चल रही थी.....

श्री उपाध्यक्ष--

कृपया आप संक्षिप्त कर दें ।

श्री विश्वनाथ–

आप जिन स्कूलों को पैदा कर रहे हैं बड़े लोगों के लिए और दूसरी तरफ छोटे लोगों के लिए जो शिक्षा चला रहे हैं उनमें बहुत भारी अन्तर हैं । एक तरफ चमकते हुए स्कूल और ऊंची कुर्सी और बेंच है । देहात से जब हम लोग आते हैं और वातानुकूलित बसों में बैठते हैं, जिन जगहों से धूप झांकती नहीं है । अगर उस तरह बैठना हो तो इन दून स्कूलों को आप द्वारा चलाये हुए स्कूलों को वही दे दीजिये । एकरूपता प्रदान कीजिए । वह दौड़ में उनके साथ आ पायेंगे । जो बच्चे स्कूल में बोरा और टाट लेकर साथ आते हैं वह उस बोरे को जब बम्बई और मद्रास में रोजी कमाने के लिए जाते हैं तो छोड़ते नहीं हैं बड़े स्कूलों में, खर्चीले स्कूलों में और पैसे वालों के स्कूलों में पढ़ने वाले लोग कुर्सी और मेजों पर बैठते हैं । उनकी तकदीर में कुर्सी मेज और वातानुकूलित कक्ष लिख दिये गये हैं । आप उनकी तकदीरों के अन्तर को मिटा दीजिए । दोनों की तकदीरों के समान दरवाजे खोल दीजिये । दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं .....

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय विश्वनाथ जी अभी दो माननीय मंत्रियों की तकदीर का फैसला होना है इसलिए आप कृपया समय का भी ध्यान रखें ।

श्री विश्वनाथ–

मान्यवर, एस० डी० आई० प्रिंसिपल हो सकता है प्रमोट होकर, डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर हो सकता है लेकिन जूनियर हाई स्कूल का प्रिंसिपल जो अपनी पूरी उम्र लगा देता है, लेकिन उसका प्रमोशन नहीं हो पाता है आप शिक्षक हैं शिक्षा को भलीभांति समझते हैं, क्या वह जूनियर हाईस्कूल का अध्यापक पदोन्नति नहीं पा सकता है ? इस पर आप गम्भीरता से विचार कीजिए । असहायिक विद्यालयों को सहायता न मिलने से बहुत लोगों की सारी जिन्दगी कट गयी लेकिन वह सम्मान के लिए तरसते रह गए । मैं तो कहूंगा कि शिक्षा का प्रसार कीजिए लेकिन इन बातों का भी आप पूरा ध्यान रखिये । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

श्री राजनाथ सिंह जी । लेकिन माननीय मंत्री जी संक्षेप में ।

श्री राजनाथ सिंह–

मान्यवर, माननीय विश्वनाथ जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उस पर बहुत सारे माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये । मान्यवर, इस सम्मानित सदन के सदस्यों के मूल्यवान सुझावों को मैं बहुत गम्भीरता पूर्वक सुन रहा था । तो जिन मा० सदस्यों ने ऐसे प्रश्न उठाये हैं मेरी इच्छा थी कि वह सदन में उपस्थित रहते तो मैं उत्तर दे पाता और उनको संतुष्ट कर पाता लेकिन वह नहीं हैं ।

मान्यवर, श्री विश्वनाथ सिंह ने नकल विरोधी अध्यादेश के संबंध मे गम्भीर चिंता व्यक्त की और विपक्ष के कई अन्य मा० सदस्यों ने भी चिंता व्यक्त की और आरोप लगाया कि सरकार छात्र-छात्राओं को जेल में ले जाकर अपराधी बनाने का काम कर रही है । मान्यवर, यदि आरोपों को सही मान लिया जाये तो हम तो उनको नकल करते हुए चोरी करते पकड़ने पर जेल ले जाकर अपराधी बना रहे हैं लेकिन जब धुवांधार नकल हो रही थी जिससे शिक्षा की प्रमाणिकता ही समाप्त हो गयी थी तो क्या नकल कराकर छात्र-छात्राओं को महापुरुष बना रहे थे ?

मान्यवर, यह कहा जा रहा है कि परीक्षा पद्धति का विकल्प भी हो सकता है । तो जब दो दशकों से इतनी तेजी से नकल करने और कराने की प्रवृत्ति बढ़ रही थी, तो ऐसे सम्मानित सदस्य यहां हैं जिनकी सरकारें रही हैं, उन्होंने वर्तमान शिक्षा पद्धति का विकल्प क्यों नहीं प्रस्तुत किया और जब आज उ० प्र० सरकार ने कोई प्रभावी कदम यह उठाया है तो उसमें उनको समर्थन देना चाहिए, सहयोग देना चाहिए न कि विरोध करना चाहिए । मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त दूसरी पार्टी की सरकार रही होती तो इतना साहसिक और जोखिम भरा कदम कभी नहीं उठाती चूंकि उसे चिंता रहती है कि भविष्य में हमारी सरकार कैसे बनी रहेगी और उसी आधार पर वह कोई कदम उठाती है ? किन नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिये और छात्रों में निष्ठा पैदा करने के लिये हमने यह निर्णय लिया कि चुनाव के समय हमने वादा किया था कि सत्ता के साथ-साथ हम समाज को भी बदलेंगे । सत्ता तो बदल गयी और अब समाज बदलने की दिशा में हमने कदम आगे बढ़ाया है ।

मान्यवर, छात्र-छात्राओं को कहा गया कि जेलों में डाल दिया जाएगा । तो मैं जानकारी देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के किसी भी कारागार में एक भी छात्र-छात्रा बन्द नहीं है । मान्यवर,यह भी कहा गया कि तीन छात्राओं ने आत्महत्या कर लिया है, तो मैं कहना चाहता हूं कि यह गलत सूचना दी गयी है और यदि आज कोई भी इस सदन का सदस्य अथवा समाज का कोई भी व्यक्ति इस बात का प्रमाण दे दे नकल विरोधी अध्यादेश के कारण एक भी छात्र ने आत्महत्या की है तो मैं इसे वापस लेने के लिये तैयार हूं, लेकिन कोई प्रमाण नहीं है ।

मान्यवर, यह भी कहा गया कि जब तक शिक्षक का माहौल नहीं बनायेंगे तब तक नकल को आप कैसे रोकेंगे ? तो यह विश्वास छात्रों और अभिभावकों के मन से निकालना पड़ेगा कि भविष्य में उनको नकल करने की सुविधा मिल पायेगी और जब तक उनके इस विश्वास को नहीं तोड़ेगें तब तक भले ही अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का विद्वान नियुक्त कर दें वह छात्र पढ़ने में रुचि नहीं लेगा बल्कि वह कोशिश करेगा कि नकल की व्यवस्था हो जाये ।

मान्यवर, श्री दीना नाथ जी हमारे पुराने मित्र हैं, उन्होंने कहा कि बंगाल में नकल नहीं होती है, तो मैं बताना चाहता हूं कि वहां तो अक्ल को ताक पर रख कर नकल होती है और इसका मैं प्रमाण दे सकता हूं । बड़े जोरों से बंगाल में नकल होती है । यह उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है, जिसमें इस प्रकार का अध्यादेश लाकर इसे प्रभावी ढंग से लागू कर दिया है । अभी श्री बाबू राम यादव जी यह कह रहे थे कि देश के अन्य राज्यों में इस प्रकार का कोई विधेयक नहीं है । मैं समझता हूं कि जानकारी के अभाव में वह ऐसी बात कह रहे थे । महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 82-84 में इस प्रकार का अध्यादेश जारी हुआ था । मैं समझता हूं उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी थी । लेकिन जितने प्रभावी तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको लागू किया है, इतने प्रभावी तरीके से किसी दूसरी सरकार ने नहीं लागू किया है । हम सभी सहमत होंगे कि शिक्षा संस्कारित करने की एक प्रक्रिया

प्रक्रिया है । शिक्षा संस्थाओं के परिसर के अन्दर अध्यापकों के माध्यम से छात्र-छात्राएं संस्कार ग्रहण करते हैं । परिसर के बाहर भी उनमें संस्कार इस समाज द्वारा दिये जाते हैं ।

विगत 20 वर्षों से तमाम नवयुवक नवयुवतियों को बनाने में उनकी भागेदारी थी जिन्हें नकल करने की छूट दी गयी है क्या हम उनसे कल्पना कर सकते हैं कि वह समाज में अपनी भागेदारी को समझ सकते हैं और योग्यता पूर्वक अपने दायित्व का निर्वहन कर सकते हैं ? अभी एक माननीय सदस्य ने आरोप लगाया कि एस० डी० एम० और सी० ओ० पचास-पचास हजार रुपये लेकर ठेके पर नकल कराने का काम कर रहे हैं । मान्यवर, जिस तरह से यहां सम्मानित सदन में यह बात कही गयी कि नकल में पकड़े जाने की वजह से तीन छात्राओं ने आत्महत्या कर ली । मैं समझता हूं कि उसी तरह से यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि एस० डी० एम० और सी० ओ० रुपये लेकर ठेके पर नकल करा रहे हैं । मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि अगर इसकी सही जानकारी, प्रमाण सहित देंगे तो उत्तर प्रदेश की सरकार उस एस० डी० एम० और सी० ओ० को नहीं उनके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही की जायेगी । परन्तु सही जानकारी तो मिलनी चाहिए । श्री विश्वनाथ जी ने यह कहा है कि जो बजट प्रस्तुत हुआ है अनुदान की मांगों का, उसमें बड़ी कंजूसी की गयी है । मैं उनको बताना चाहूंगा कि कन्जूसी नहीं की गयी है दरियादिली दिखाई गई है । पिछली सरकार ने जितने रुपये की अनुदान मांगों को प्रस्तुत किया था उससे 14 फीसदी ज्यादा हमने अनुदान की मांग प्रस्तुत की है । उन्होंने केवल 25 विद्यालयों को अनुदान सूची में लिये जाने की बात कही है । यह सही है कि पिछली सरकार ने 200 विद्यालयों को अनुदान सूची में लेने का फैसला लिया था । लेकिन यह फैसला उस समय लिया था, जब सरकार दम तोड़ रही थी और जब कोई सरकार हो, कोई जीव हो, कोई व्यक्ति हो, दम तोड़ता है तो वह क्या फैसला ले सकता है ? उसमें फैसला लेने की चेतना नहीं रहती है । 1984 से एक भी माध्यमिक विद्यालय को अनुदान सूची में शामिल करने का काम नहीं किया गया है । हमने फैसला लिया है ।

हम शिक्षण संस्थाओं के प्रतें संवेदनशील हैं, अध्यापकों के प्रति संवेदनशील हैं । शिक्षा पद्धति का माहौल बनाने की उत्कण्ठा है । 25 विद्यालयों को अनुदान सूची में लिया है । 8वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक 256 विद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल कर लिया जायेगा । विश्वनाथ जी ने कहा है कि बजट में छात्रवृत्ति के संबंध में कोई बात नहीं कही गयी है । शायद उन्होंने बजट की प्रतिलिपि को गम्भीरतापूर्वक नहीं पढ़ा है । इसकी इसमें समुचित व्यवस्था की गई है । 2 करोड़, दस लाख रुपये से ज्यादा का प्राविधान है । खेल कूद के बारे में 2 करोड़ 98 लाख रुपये कला संस्कृति के लिये 1 करोड़ 44 लाख रुपये का प्राविधान है । शैक्षिक संस्थाओं के माहौल को सही बनाने की बात कही गयी है । राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् बहुत ही प्रभावी भूमिका उत्तर प्रदेश में निर्वाह कर रहा है । विगत एक वर्ष से और ज्यादा प्रभावी हो गया है । परिषद् के द्वारा कई कार्यशालायें उत्तर प्रदेश में आयोजित की हैं शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किये गये हैं । देश के सभी राज्यों के निदेशक थे राज्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के, उनके साथ सम्मेलन में शिक्षा की गुणवत्ता पर विचार विमर्श हुआ । आवश्यक सुझाव भी प्राप्त हुए । मान्यवर, गुणात्मक सुधार की बात कही गयीं, तो 1992 से प्रारम्भ होने वाले शिक्षा सत्र से 220 दिन की पढ़ाई पर पूरी कड़ाई की जायेगी । इसमें छूट नहीं दी जायेगी । गुणवत्ता के सुधार के लिये प्रशिक्षण आवश्यक होता है इसमें राज्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं । जिला प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में तीन चरणों में था पहले में 20 दूसरे में 20 और तीसरे में 22जिले लेकर केन्द्र स्थापित कर चुका है प्रशिक्षण

संस्थान के भवन हैं । इन केन्द्रों के माध्यम से अध्यापकों को प्रशिक्षण की पूरी व्यवस्था की जायेगी । अभी मा० अमरेश चन्द्र पाण्डेय जी बोल रहे थे, बैठे हुए हैं वह बड़े अभिन्नतम मित्रों में से हैं ।

मान्यवर, उन्होंने कहा प्राचीन टेक्नालाजी की बात करते हैं उसका प्रयोग करके भारत को धोती और कुर्ते के युग में ले जाना चाहते हैं । मैं निवेदन करूंगा कि आप भारत के प्राचीनतम इतिहास का अध्ययन करने की कोशिश करें मैंने अपने भाषण के प्रारम्भ में कहा था कि अति प्राचीन काल में विज्ञान ने जितनी प्रगति हमारे देश में की, विश्व का कोई देश उस ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर सका है । टैक्सटाइल टैक्नोलाजी की बात कही जा रही है तो ढाके की टैक्सटाइल टैक्नोलाजी पहले इतनी विकसित थी कि 2400 काउन्ट और एक ग्रेन रुई से 57 गज धागे बुन जाते थे जबकि मार्डन टैक्सटाइल टैक्नोलाजी से 200 काउन्ट धागा बुना जाता है तो कहा जाता है कि बहुत विकसित टैक्नालाजी है । आयरन और स्टील की हमारे यहां पोर्टेबुल भट्टियां थीं जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता था । उसी समय के लोहा और स्टील के मिश्रण से जो कुतुबमीनार के बगल में लौह स्तम्भ है वह बना है लेकिन उसमें एक भी खरोच व जंग नहीं है । इसी तरह से कोणार्क मंदिर को आप देखें वहां जो लोहे की सहतीरें हैं वहां जरा भी जंग नहीं लगी है तो मैं सभी सम्मानित सदस्यों से कहना चाहूंगा कि धोती कुर्ता का जो युग था वह युग भारत में फिर से आयेगा और फिर भारत विश्व गुरु बन जायेगा और फिर से सोने की चिड़िया कहलायेगा ।

मान्यवर, मैकाले की शिक्षा नीति को दूर करने की तरफ हमने कदम बढ़ाये हैं । मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में मैकाले की शिक्षा नीति यहां नहीं चलेगी । भारत की शिक्षा नीति चलेगी । भारतीय मूल्यों के संदर्भ में शिक्षा नीति चलेगी मैकाले की शिक्षा नहीं चलेगी । मान्यवर, हमारे माननीय कैलाशनाथ सिंह जी ने कहा, वह इस समय सदन में नहीं हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कहा है कि धार्मिक मान्यताओं के आधार पर शिक्षा होनी चाहिए । धार्मिक विचारों की बात उन्होंने कही है मा० कैलाशनाथ जी ने सुझाव दिया है उसका हम स्वागत करते हैं । हमारी मान्यता है कि शिक्षा अब धर्म निरपेक्ष न होकर धर्मसापेक्ष और पंथ निरपेक्ष हो । हम धर्म को उपासना पद्धति के साथ नहीं जोड़ते हैं । कोई मंदिर जाकर पूजा करता है, कर सकता है । कोई मस्जिद जाकर इबादत करता है, कर सकता है । कोई गिरजा घर जाकर प्रार्थना करता है, कर सकता है । धर्म को उपासना पद्धति के साथ नहीं जोड़ना चाहिए । धर्म तो दायित्व है और कर्तव्य है । दायित्व की चेतना और कर्तव्य की चेतना का व्यक्ति में समावेश होना चाहिए । धर्म सापेक्षता और पंथ निरपेक्षता की व्यवस्था करने की बात है । इसके माध्यम से हम छात्रों में समर्पण का भाव पैदा करना चाहते हैं । छात्रों को हम समता-ममता का संदेश देना चाहते हैं । जो पिण्ड में है वही ब्रह्माण्ड में है । जो जड़ में है वही चेतन में है । जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है । जो राजनाथ सिंह में है वही माननीय दीक्षित में है ।

यही संदेश हम छात्रों को देना चाहते हैं । ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिसमें धन और धर्म दोनों का समावेश हों । केवल धन की सीख हम नहीं देना चाहते हैं । मान्यवर, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं अमेरिका के सबसे बड़े कैप्टिलिस्ट फोर्ड का ग्रैंडसन बाम्बे में सड़कों पर विक्षिप्त सा घूम रहा था । लोगों ने देखा और पूछा तुम इतने बड़े पूंजीपति के पुत्र होकर विक्षिप्त से घूम रहे हो, तुमको भगवान ने सब कुछ दे रखा है तो उसने कहा "वेल्थ इज वेल्थ, इट इज आफ लार्ड क्रिश्ना" । तो इस संदेश के माध्यम से छात्रों के अन्दर अध्यात्मिक तथा मानवीय जीवन मूल्यों के प्रति हम, निष्ठा पैदा करना चाहते हैं ।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

आपको मैं बीच में कष्ट दे रहा हूं। मैं जानना चाहूंगा कि यह जो प्राइवेट ट्यूशन की समस्या है, अगर दिन में आप जायं तो देखेंगे कि पढ़ाई नहीं होती है लेकिन शाम को प्राइवेट ट्यूशन में इतनी भीड़ होती है, तो इस पर रोक लगाने का आप कोई प्राविधान कर रहे हैं, कृपया इस पर प्रकाश डाल दें।

श्री राजनाथ सिंह–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने यहां उपस्थित होकर मेरा हौसला बढ़ाया इसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं। मैं उनकी इज्जत करता हूं और उनको अपना बड़ा भाई मानता हूं। अपने हृदय की वेदना की अभिव्यक्ति उन्होंने की है। मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से नकल को रोकने के लिये व्यवस्था की है वैसे ही ट्यूशन और कोचिंग को भी रोका जायगा।

मान्यवर, कुछ माननीय सदस्यों ने दोहरी शिक्षा प्रणाली पर अपने विचार व्यक्त किये। मैं समझ नहीं सका, इसको परिभाषित करने का कष्ट करें। क्या अंग्रेजी और हिन्दी मीडियम की शिक्षा को दोहरी शिक्षा व्यवस्था कहेंगे या कान्वेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूलों को दोहरी शिक्षा व्यवस्था कहेंगे ? इसको परिभाषित करने की आवश्यकता है। आज उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, दिल्ली में बन जाने दीजिये आपकी मंशा के अनुरूप दोहरी शिक्षा व्यवस्था खत्म होगी। उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली जाने का मार्ग प्रशस्त होता है, हम दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं।

माननीय ऊदल जी ने कहा कि राजकीय विद्यालय जहां पर भवन पर्याप्त नहीं हैं, उनमें जो विद्यालय चलते हैं उनको माध्यमिक शिक्षा परिषद् मान्यता दे देती है लेकिन जो अशासकीय विद्यालय हैं उनको मान्यता देने में काफी कड़े मानकों का प्रयोग करते हैं। मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बहुत सारे जो मानक हैं, उनकी शर्तों में बहुत शिथिलीकरण कर दिया है। भारी संख्या में 1991-92 के शैक्षिक सत्र में मान्यता देने का काम किया है। लड़कियों के विद्यालय, अशासकीय विद्यालय में कुछ शर्तें पूरी नहीं हो पाती होंगी, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मानक की शर्तों को शिथिल करके कन्या विद्यालयों को मान्यता दी जायगी ताकि प्रवेश का जो संकट है, वह न रह जाय। मान्यवर, एक माननीय सदस्य ने कहा कि भूमि भवन को मिल जायगा तो रुपये की क्या जरूरत है ? तो कन्या विद्यालय को पांच लाख रुपये से ज्यादा का जो खर्च आयेगा वह उत्तर प्रदेश सरकार वहन करेगी। उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए शासन को मजबूरी में यह निर्णय लेना पड़ा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि श्री स्वामी नाथ यादव जी ने व्यवसायिक शिक्षा के बारे में कहा, ऐसे विद्यालयों का चयन सिफारिश के आधार पर नहीं, मेरिट के आधार पर होगा।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि 4 क्षेत्रीय चयन बोर्ड में जो सम्मानित सदस्य होंगे, उनके नाम ऐसे नहीं होंगे जिनके सार्वजनिक जीवन में दाग लगा हो या सरकारी नौकरी में रहे हों तो चरित्र पंजिका संतोषजनक देखकर नामित करेंगे। ऐसे योग्य और विद्वान लोगों को क्षेत्रीय चयन बोर्ड में शामिल किया जायगा। भ्रष्टाचार की बात कही गयी, जो जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के संबंध में आश्वस्त रहिये, जल्दी ही दूर होगा। लखनऊ में जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री पहले थी, वह सूख गयी है, इसलिये भ्रष्टाचार की गंगा वहां तक कैसे पहुंचेगी, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती ? मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि .....

श्री स्वामी नाथ यादव–

जी पी० एफ० के बारे में बता दें ?

श्री राजनाथ सिंह–

ये सारी व्यवस्थायें सुनिश्चित होंगी । मान्यवर, एक सम्मानित विधायक ने मेरठ के गोरोला प्राथमिक विद्यालय के बन्द करने के बाद उसके भवन के उपयोग की बात कही । मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश के समस्त प्राथमिक विद्यालय की भूमि भवन और उपकरण का उपयोग स्थानीय पालीटेक्निक या कम्युनिटी पालीटेक्निक, जहां उचित होगा, उपयोग किया जायेगा । जो डा० एस० एस० यादव के संबंध में बात कही गयी, माननीय सदस्य को संदेश पहुंच जायेगा, श्री एस० एस० यादव के सम्बन्ध में कुछ वित्तीय अनियमितताओं की जांच चल रही है । इससे समस्त कार्य हटा लिया गया है । नक्षत्रशाला की बात श्री विश्वनाथ सिंह जी ने कही, इसमें 3 करोड़ की व्यवस्था सरकार ने नहीं की है, 6 वर्षों से बराबर बजट में प्राविधान होता चला आ रहा है लेकिन 6 वर्ष गुजर जाने के बाद भी वह तैयार नहीं हो पायी है । अब व्यवस्था की गयी है कि इसमें अनुमानित व्यय 6 करोड़ से ज्यादा होगा । इस अगले वित्तीय वर्ष में निश्चित रूप से वह नक्षत्रशाला पूरी हो जायगी । विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् के द्वारा भी मऊ में एक विज्ञान मेले का आयोजन किया गया है ।

[समय 9 बजकर 20 मिनट]

इसके साथ ही जिसमें कि 1 लाख 80 हजार रुपये व्यय हुए हैं और साथ ही साथ विभागीय प्रयोगशालाओं द्वारा काफी धनराशि व्यय की गयी है और ग्राम प्रधानों का सम्मेलन भी हुआ है । एक निवेदन और कर देना चाहता हूं, मान्यवर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के आधार पर ये सरकारें बनती हैं, लेकिन उनकी उपेक्षा होती रही है । उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार फैसला लिया है जोकि उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज तक नहीं हुआ है । हम जो अध्यापकों की नियुक्ति करने जा रहे हैं, विगत कई वर्षों से जब यह आरक्षण का कोटा विद्यालयों में पूरा नहीं हुआ है, इसके लिये हम पहली नियुक्ति हरिजन की करेंगे, पिछड़े वर्ग की करेंगे, तब सामान्य वर्ग की करेंगे । इसी प्रकार तब हरिजन की, पिछड़े वर्ग की और तब सामान्य वर्ग की होगी । यह सिलसिला तब तक चलता रहेगा, जब तक कि आरक्षण का कोटा पूरा नहीं हो जाता । मान्यवर, माननीय कैलाशनाथ सिंह यादव जी इस समय सदन में नहीं हैं, उन्होंने एलेक्ट्रान, प्रोट्रान आदि के बारे में भी बात कही है ।

जो विज्ञान और तकनीकी की शिक्षा है, वह भी किसी प्रकार से छात्रों को दी जानी चाहिए । यदि हम वैदिक गुणों का बोध कराना चाहते हैं, भारत के गौरवशाली अतीत का बोध कराना चाहते हैं, तो उस पर हम विचार करेंगे । मान्यवर, बहुत सारे लोगों ने अपनी बातें रखी हैं कि उनके विधान सभा क्षेत्रों में विद्यालय नहीं हैं, तो उस संबंध में वह एक आवेदन और साथ ही साथ भूमि भवन की बात का उल्लेख करते हुए एक प्रार्थना-पत्र दे देंगे, तो निश्चित रूप से विचार किया जायेगा । मान्यवर, विश्वनाथ जी, आप अनाथ मत होइये, राजनाथ हैं, इसलिये अनाथ न होइये, आश्वस्त रहिये । इस शिक्षा जगत में सुधार लाने के लिये, गत्यात्मकता लाने के लिये । प्रभावोत्पादकता लाने के लिये हम प्रयास करेंगे । जो दर्द आपके दिल में है, वही दर्द हमारे दिल में भी है । आइये दोनों दिलों के दर्द को मिला कर प्रयास करें और आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय विश्वनाथ जी, आप सिर्फ इतना बता दें कि आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री विश्वनाथ–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कोई ऐसी बात नहीं कही है, सिवाय निर्गुण भाषण के, कोई सगुण भाषण नहीं किया, इसलिये मेरे कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता और ये राजनाथ हैं, तो मैं विश्वनाथ हूं। मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं और आप उनको अपनी तरफ खींच रहे हैं।

श्री राजनाथ सिंह–

मान्यवर, विश्वनाथ जी ने कोई घोषणा नहीं किया मैं घोषणा कर रहा हूं, परीक्षा की जो प्राथमिक दरें हैं, वह शीघ्रताशीघ्र इसी सत्र में बढ़ा दी जायेंगी।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 47–प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण धनराशि की मांग घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 47–प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 68,11,12,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 70–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 70–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,85,70,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,04,06,47,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 75–शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत सम्पूर्ण धनराशि की मांग को घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 75–शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,44,92,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर चर्चा एवं मतदान – अनुदान संख्या 73–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

उच्च शिक्षा, श्रम तथा सेवायोजन मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 73–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,58,88,51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृति की जाये ।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मान्यवर, मेरा सुझाव है कि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी और प्राथमिक शिक्षा मंत्री जी, दोनों अपने-अपने बजट एक साथ रख दें और जो कटौती के प्रस्ताव रखे जाने हैं वह भी एक ही साथ रख दिये जायें, क्योंकि इस समय साढ़े नौ बज रहा है और बहुत से माननीय सदस्य माध्यमिक शिक्षा के बजट पर बोल चुके हैं और इसके साथ ही साथ सभी बजटों के बारे में एक ही विचार होंगे । माननीय सदस्य सुबह से बैठे हैं और सरकार की ओर से रात्रि के भोजन का भी कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है । आप मेरे सुझाव पर विचार कर लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

कुछ कठिनाई है, इस कारण बजट अलग ही प्रस्तुत किये जायेंगे ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, हमारा देश 15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्र हुआ । हमारे देश और प्रदेश में कई राजनीतिक दलों की सरकारें आयी उन्होंने शिक्षा और उसमें भी विशेष रूप से उच्च शिक्षा की घोर उपेक्षा की है । मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश के अन्दर भाजपा की सरकार बनी है, हमारी सरकार की और हमारी स्पष्ट मान्यता है कि यह प्रदेश और देश में उन्नयन का मापदण्ड माना जाय तो शिक्षा के उन्नयन से माना जाना चाहिए और इसीलिये हमारी सरकार कृत संकल्प है । चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा

हो, चाहे उच्च शिक्षा हो उसमें गुणात्मक सुधार करने के लिये कृत संकल्प है । मान्यवर, पिछली सरकारों में इस उच्च शिक्षा के क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिये कोई प्रयास नहीं किया गया । मान्यवर, 1947 में प्रदेश में मात्र 5 विश्वविद्यालय थे तथा 16 महाविद्यालय थे, वर्तमान समय में 26 विश्वविद्यालय हैं जिसमें से सामान्य शिक्षा प्रदान करने वाले 14 विश्वविद्यालय हैं । इस समय प्रदेश में कुल 431 महाविद्यालय हैं जिसमें से 375 अशासकीय तथा 56 राजकीय हैं । महिला महाविद्यालयों की संख्या 93 है ।

मान्यवर, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि शिक्षा कांक्रेट लिस्ट में हैं लेकिन इस पर केन्द्र सरकार मात्र 2.74 प्रतिशत व्यय करती है और उत्तर प्रदेश सरकार 4.2 प्रतिशत व्यय करती है । उच्च शिक्षा का बजट सम्पूर्ण शिक्षा का 7.7 प्रतिशत है । वर्ष 1992-93 में उच्च शिक्षा पर आयोजनागत योजनाओं हेतु कुल रु० 12 करोड़ 87 लाख 30 हजार का प्राविधान किया गया है आयोजनेत्तर मद में रु० एक अरब सतहत्तर करोड़ अठहत्तर लाख इक्यानवे हजार का बजट का प्राविधान है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश के अन्दर आज हमारे विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में सत्र अनियमित है और इसका बहुत बड़ा कारण है कि उच्च शिक्षा की घोर उपेक्षा हुई है इसलिये हमारी सरकार जब से बनी है जिसमें हमारी उच्च शिक्षा की प्रथम वरीयता है कि सत्र नियमित हो । हमारे विश्वविद्यालय महाविद्यालयों का सत्र अनियमित है इसके लिये सभी विश्वविद्यालयों के माननीय कुलपतियों को प्रारम्भ में ही मैंने अनुरोध किया था कि हर विश्वविद्यालय एक एकेडेमिक कैलेंडर बनाये क्योंकि विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में अधिकांश समय प्रवेश, परीक्षायें होती रहती हैं और पढ़ाई के लिये समय नहीं मिलता है इसलिये अधिकांश विश्वविद्यालय से ऐकेडेमिक कैलेंडर मांगे गये थे और कुछ के आये भी हैं ।

मान्यवर, अगस्त, 1991 में मैं दिल्ली गया था और वहां पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष और वहां के अधिकारियों से वार्ता की थी वहां पर जब मेरी वार्ता हुई तो उनके अध्यक्ष ने जो कहा वह मैं कहना चाहता हूं और हम सब जानते हैं कि हमारे देश का यह सबसे बड़ा प्रदेश है और आज से शायद 25–30 वर्ष शिक्षा में उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेशों की तुलना में सबसे आगे था । आज चाहे आई० ए० एस० में हो या अन्य पदों पर बैठने वाले लोग हों अधिकांश यह सब यू० पी० के ही हैं । मेरी यू० जी० सी० के अधिकारियों से वार्ता हो रही थी तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा में हम पूरा सहयोग करना चाहते हैं लेकिन उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में चाहे जिस राजनीतिक दल की सरकार रही हो उसमें शिक्षा मंत्री को आमंत्रित करते थे लेकिन कोई आता नहीं था । मैंने स्पष्ट कहा कि मैं आपके आमंत्रण पर नहीं आया हूं मैं तो स्वयं आया हूं तो उस बैठक में उच्च शिक्षा का गुणात्मक सहयोग प्राप्त होने का आश्वासन मिला है । मान्यवर, उच्च शिक्षा के बारे में बातें तो सभी करते हैं लेकिन उसके गुणात्मक दृष्टि से अभी तक किसी पूर्व सरकार ने कांस्ट्रक्टिव कदम नहीं उठाया था । इसीलिये हमने उच्च शिक्षा के सारे पहलुओं पर विचार करने के लिये उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा परामर्शदात्री समिति का गठन दिसम्बर, 91 में किया है । इसकी बैठक जनवरी, 1992 में हुई थी । इस समिति ने इस वर्ष कुछ संस्तुतियां की हैं कि अगला सत्र नियमित होना चाहिए, 31 जुलाई तक प्रवेश हो जाने चाहिए । ताकि एक अगस्त से पठन-पाठन प्रारम्भ हो जाय । यू० जी० सी० की तरफ से नार्म्स हैं कि 180 शिक्षण दिवस होने चाहिए लेकिन 100 दिवस तक ही हो पाते हैं । 180 दिन का पाठ्यक्रम 100 दिन में पढ़ाया जायेगा तो कैसे कोर्स पूरा होगा ? आज विश्वविद्यालय में, महाविद्यालयों में छात्र की अगर कल परीक्षा है तो आज तक प्रवेश प्राप्त कर सकता है । कहीं भी उपस्थिति नहीं देखी जाती है समिति ने कहा है कि न्यूनतम 60% उपस्थिति होनी चाहिए ।

प्रवेश परीक्षा का प्राविधान किया गया है । लखनऊ विश्वविद्यालय है, उसके साथ सम्बद्ध 18-19 महाविद्यालय हैं । अगर एक छात्र को प्रवेश लेना है तो जहां वह प्रवेश लेना चाहता है हर जगह प्रवेश परीक्षा लेते हैं । उसे हर जगह प्रवेश फार्म लेना होगा और प्रवेश शुल्क देना होगा । इसके लिये समिति ने कहा है कि ऐसे महानगरों में प्रवेश के लिये एक परीक्षा लें और मेरिट के हिसाब से प्रवेश दिया जायेगा । सत्र नियमित करने की बात जो सरकार सोच रही है तो प्रवेश परीक्षाएं जो जुलाई अगस्त तक होती रहती थीं अब 10 जून तक विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों में हो जानी चाहिए । माडेल एकेडेमिक कलैण्डर बनाया जाय और उसे प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को भेजा जाय । समिति की बैठक में तीन उप समितियां बनायी गयीं । पहली प्रवेश की समस्या के संबंध में, दूसरी परीक्षा पद्धति के संबंध में और तीसरी विश्वविद्यालय अधिनियम और परिनियमों में परिवर्तन के संदर्भ में। हमारे प्रदेश के अन्दर पहले दो साल का डिग्री कोर्स था लेकिन बाद में तीन वर्षीय पाठ्यक्रम लागू किया । पूर्व की सरकारों ने बिना चिन्तन, मनन के तीन वर्ष का पाठ्यक्रम लागू कर दिया । इसके लिये शिक्षकों के पदों का सृजन नहीं किया गया है और न अन्य आवश्यक आवश्यकतायें जैसे प्रयोगशालाओं आदि की व्यवस्था ही की गयी । पूर्व की सरकारों ने इसकी चिन्ता नहीं की । जब से हमारी सरकार बनी है कई महाविद्यालयों के प्राचार्य प्रबन्धक हमारे पास आये तथा शिक्षकों की कमी के बारे में बताया । अभी तक महाविद्यालयों में उन विषयों में जहां अधिक शिक्षक होते थे, प्राचार्यों तथा प्रबन्धकों की संस्तुति से पदों के सृजन में रिकमेनडेशन शासन स्तर पर आ जाती थी । प्रथम वरीयता में ऐसे विद्यालयों में जहां सिंगल टीचर डिपार्टमेंट है और जहां अधिक अध्यापक हैं उसको दूसरी वरीयता में रखेंगे । उच्चस्तरीय समिति ने 95 पद प्रवक्ता के सृजित करने की संस्तुति की है । 11 पद शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सृजित करने के लिये संस्तुति की है । यू० जी० सी० के चेयरमैन से मेरी कई बार वार्ता हुई है, यू० जी० सी० के कहने के बाद प्रदेश में थ्री ईयर डिग्री कोर्स लागू किया गया लेकिन यू० जी० सी० से कोई सहयोग नहीं मिला । प्रदेश के महाविद्यालयों में 350 शिक्षकों के पदों की आवश्यकता है, में सम्मानित सदस्यों को बताना चाहता हूं कि बड़े हर्ष की बात है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 8वीं योजना में 350 शिक्षकों के पदों के लिये स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया है जो शिक्षकों की कमी है वह दूर हो जायेगी । 1992-93 में त्रिवर्षीय डिग्री में प्रयोगशालाओं एवं शिक्षण कक्षों की व्यवस्था हेतु 60 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

जैसा कि मैंने बताया अभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो उच्च शिक्षा में देश के सभी प्रदेशों में उन्नयन की दृष्टि से संलग्न है, आपस में सामंजस्य स्थापित करता है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अगस्त में वार्ता हुई थी । उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार यू० जी० सी० के 9 सदस्यों की उच्चस्तरीय टीम आयी प्रदेश में वह भी 3 दिसम्बर से 12 दिसम्बर तक लखनऊ में रही । प्रदेश के सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों को बुलाया गया उनसे विस्तृत विचार विमर्श हुआ एकेडेमिक इम्प्रूवमेंट के लिये क्या आवश्यकता है ? यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि यू० जी० सी० टीम ने पहली बार 304 महाविद्यालयों के लिये 40 करोड़ रुपये देने का स्पष्ट आश्वासन दिया है ताकि महाविद्यालयों में एकेडेमिक इम्प्रूवमेंट हो सके । हमारे जो राजकीय महाविद्यालय हैं 35 राजकीय विद्यालय के प्राचार्यों से वार्ता हुई थी उसके लिये 4 करोड़ रुपये यू० जी० सी० ने देने का आश्वासन दिया है । राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को जो अपनी एकेडेमिक क्वालिफिकेशन इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं । एम० फिल० अध्यक्ष पी० एच० डी० करने हेतु यू० जी० सी० से 40 लाख रुपये मिलने का आश्वासन प्राप्त हुआ है । प्रदेश में पूर्व में विश्वविद्यालयों में कहीं न कहीं अंतरिम कुलपति नियुक्त होते रहे हैं । जब यह सरकार आयी थी 6 कुलपतियों के स्थान रिक्त होने वाले थे कुछ पर तदर्थ कुलपति काम कर रहे थे मान्यवर, माननीय

कुलाधिपति जी ने प्रदेश के अभी तक 8 विश्वविद्यालयों में नियमित कुलपतियों की नियुक्ति की है। जो 8 कुलपति नियुक्त हुए हैं वह उच्चकोटि के शिक्षाविद् हैं प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कुल सचिव, सहायक कुल सचिव , उप कुल सचिव के कई स्थान रिक्त चल रहे थे या तदर्थ लोग काम कर रहे थे । जितने भी रिक्त स्थान थे उनको भर दिया है । पूर्व सरकारों के समय में 4 विश्वविद्यालय प्रदेश के अन्दर बनाये गये । रुहेलखण्ड, बुन्देलखण्ड, अवध विश्वविद्यालय और पूर्वांचल विश्वविद्यालय को धारा 12 बी० के अन्तर्गत विकास अनुदानार्थ अर्ह नहीं है । पूर्व में यू० जी० सी० से प्रयास नहीं किया गया हमारा प्रयास चल रहा है 4 विश्वविद्यालयों अनुदान हेतु अर्ह हो जायें । रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय के लिये शासन स्तर से कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है शेष 3 विश्वविद्यालयों के लिये शासन स्तर से प्रयास किया जा रहा है । प्रदेश में 56 राजकीय महाविद्यालय हैं 17 महाविद्यालयों के पास स्थायी भवन 24 के भवन निर्माणाधीन हैं 15 महाविद्यालय भवन हीन हैं । मान्यवर, वर्ष 1990-91 में भवन निर्माण हेतु योजनान्तर्गत रु० 706.07 लाख रुपये व्यय किये गये, वर्ष 1991-92 में रु० 503.33 लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी तथा वर्ष 1992-93 में भवनों के निर्माण के लिये रुपये 500 लाख का प्राविधान है । मान्यवर, नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना हेतु 1990-91 में 8 राजकीय महाविद्यालय खोले जाने हेतु रु० 419.07 लाख की स्वीकृति दी गयी थी जिसमें से राजकीय महिला महाविद्यालय फतेहपुर संचालित किया जा चुका है तथा राजकीय महाविद्यालय शिवराजपुर, कानपुर देहात व राजकीय महाविद्यालय हरख, बाराबंकी के भवनों का निर्माण प्रगति पर है । वर्ष 1991-92 में 3 नये राजकीय महाविद्यालय के खोले जाने हेतु स्वीकृति दी गयी है । वर्ष 1992-93 में नये राजकीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु 33.07 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

मान्यवर, यह तो आप जानते ही हैं कि शिक्षा को सुदृढ़ करना है तो शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करना होगा । शिक्षक ही शिक्षा का मेरूदण्ड है । मैं बताना चाहता हूं कि जब मैं शिक्षक संघ एवं शिक्षक महासंघ का पदाधिकारी था तो मैं स्वयं पूर्व के शिक्षा मंत्रियों से मिला था और जब भी उनसे मिलता था तो वह तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण करने की बात कहते थे । हर बार वह यह कहते थे कि हम विनियमितीकरण करने जा रहे हैं लेकिन उनकी कथनी और करनी में अन्तर होता था । लेकिन आज जो यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है तो हमने 30 जून, 1991 तक तदर्थ रूप से नियुक्त एवं वर्तमान में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण के लिये 22 नवम्बर, 1991 को अध्यादेश निकाला है । साथ ही धारा 16 के अन्तर्गत तदर्थ नियुक्तियां करने के अधिकार को भी समाप्त किया है । हमने अधिसूचित रिक्तियों से 25 प्रतिशत अधिक का चयन करके प्रतीक्षा सूची बनाने की व्यवस्था की है । मान्यवर, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के शिक्षकों, कर्मचारियों हेतु सामूहिक बीमा योजना कतिपय वि०वि० परिसरों में डिस्पेन्सरी की स्थापना करने पर हम विचार कर रहे हैं । प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक शिक्षकों का वेतन रु० 350 प्रतिमाह से बढ़ाकर रु० 1100/- प्रतिमाह अगस्त, 1991 से कर दिया है । 20 वर्ष सेवा अवधि के बाद स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करना विचाराधीन है । मान्यवर, वरिष्ठ अध्यापक का वेतन कनिष्ठ अध्यापक के वेतन से, वेतन वृद्धि की तिथि के कारण कम हो जाने की विसंगति को दूर करने का प्रकरण अभी शासन के विचाराधीन है । नवीन वेतन योजना में सीनियर स्केल, सेलेक्शन ग्रेड आदि में सतत् तदर्थ सेवा जोड़े जाने का प्रश्न भी शासन के विचाराधीन है तथा विश्वविद्यालय अध्यापक की सेवा अवधि में असामयिक मृत्यु होने पर उनके आश्रित को नियमानुसार सेवा प्रदान करने पर विचार किया गया है । मान्यवर, प्रदेश के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था की जा रही है और यही योग्यता के आधार पर होगी । यह छात्रवृत्ति उन छात्रों को नहीं प्रदान की जायेगी जो अन्य किसी योजना के

अन्तर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं । इस योजना हेतु वर्ष 1992-93 में 70 हजार रुपये की व्यवस्था की जा रही है ।

अशासकीय महाविद्यालयों की छात्राओं के लिये सामान्य कक्ष तथा शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है । इस योजना के अन्तर्गत अधिकतम 30 हजार रुपये का अनावर्तक अनुदान दिया जायेगा । आठवीं योजना अवधि में यह योजना चलाई जायेंगी, जिस पर वर्ष 1992-93 में 10 लाख रुपये के अनावर्तक व्यय की व्यवस्था की जा रही है । मान्यवर, विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में रोबर्स/रेंजर्स शिविर की योजना लागू की जा रही है । इस योजना से छात्रों एवं छात्राओं में बन्धुत्व, अनुशासन एवं राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत होगी । इस हेतु रु० 2.66 लाख की व्यवस्था प्रस्तावित की जा रही है । शैक्षिक तथा गैर शैक्षिक कार्यों में गुणात्मक सुधार के लिये प्रदेश के अग्रणी महाविद्यालयों को प्रोत्साहन दिये जाने का प्रस्ताव है । यह प्रोत्साहन ऐसे महाविद्यालय को दिया जायेगा जो सतत् उत्तम परीक्षाफल प्रस्तुत करते हैं । खेलकूद में विशिष्ट स्थान रखते हैं और छात्रों के बहुमुखी विकास हेतु कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं । इस कार्यक्रम हेतु रु० 2.50 लाख की व्यवस्था की जा रही है । इसके अतिरिक्त देश के महान सपूत भारत रत्न डा० भीमराव अम्बेदकर की स्मृति में देश के सर्वोत्कृष्टतम आवासीय विश्वविद्यालय का स्वरूप डा० भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय को प्रदान किया जायेगा । इस विश्वविद्यालय के लिये लखनऊ-रायबरेली मार्ग पर 244.28 एकड़ भूमि क्रय की गयी है । 1991-92 तक इस विश्वविद्यालय के लिये कुल 21.61 करोड़ रुपये स्वीकृत किये जा चुके हैं । इस विश्वविद्यालय में विज्ञान के आधुनिकतम विषयों में स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों के साथ-साथ उच्चस्तरीय शोध की व्यवस्था की जायेगी । दिनांक 28 मार्च, 1992 की एक बैठक में, जो माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में हुई थी, उसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं । इसमें मुख्य हैं, विश्वविद्यालय परिसर से लगी हुई 250 एकड़ जमीन खरीदी जाय, विश्वविद्यालय निर्माण शीघ्रता से हो और विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किये जाने हेतु केन्द्रीय सरकार को लिखा जा रहा है । अगर केन्द्र सरकार इसको केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं बनाती तो इसके लिये भी केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जायेगा कि 50 प्रतिशत अनुदान केन्द्र की सरकार दे और बाकी 50 प्रतिशत प्रदेश सरकार वहन करे । इसके लिये आठवीं पंचवर्षीय योजना में 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है ।

मान्यवर, हम सबको ज्ञात है कि देश के 4 प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में तथा प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है । इसका एक गौरवमय इतिहास रहा है । आज देश में, प्रदेश में जितने भी शिक्षाविद् हैं, आई० ए० एस० हैं, उसमें से तमाम आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मिलेंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से कई वर्षों से मांग रही है कि इसको केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाय । इसके लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को संस्तुति की थी, लेकिन केन्द्र सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है । इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा शासन से अनुरोध किया गया है कि इसे विशिष्ट विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाये । मान्यवर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को यह दर्जा प्रदान करने के बारे में शासन परीक्षण करा रहा है ।

अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि आज से 20-25 वर्ष पहले हमारे प्रदेश के छात्र अन्य प्रदेशों की तुलना में देश में आई० ए० एस०, आई० पी० एस०, आई० एफ० एस० आदि परीक्षाओं में अधिक सफलता प्राप्त करते थे । लेकिन इधर स्थिति यह हो गयी है कि समाचार-पत्रों में ढूंढना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश का कहीं कोई छात्र आया है या नहीं । इसका प्रमुख कारण पिछले वर्षों में शिक्षा की घोर उपेक्षा होना रहा है । शिक्षा में परीक्षा पद्धति और सबसे बड़ी बीमारी नकल की है । उसके लिये हमारी सरकार ने

गम्भीरता से सोचा और परीक्षा में नकल करने और कराने को काग्नीजेबिल आफेन्स बनाने का निर्णय लिया । चाहे उच्च शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, 95 प्रतिशत छात्र जो साल भर पढ़ते हैं और 5 प्रतिशत छात्र जो नकल करके अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने की कोशिश में रहते थे, इससे उन विद्यार्थियों के साथ अन्याय होता था । भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन्साफ का नारा दिया था और इसी अन्याय को दूर करने के लिये इसे पहली बार संज्ञेय अपराध बनाया गया ।

मान्यवर, हमारी राजनीति में कुछ विरोधी दल के लोग भी हैं और शिक्षा ऐसा विषय है, इसमें हमें किसी भी दल में बैठे हों , इस आधार पर विचार नहीं करना चाहिए । शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिये, छात्रों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिये कम से कम राजनैतिक चश्मा उतारकर देखना चाहिए। कम से कम जो व्यक्ति शिक्षा का भला चाहता है, चाहे माध्यमिक शिक्षा की परीक्षायें हों, चाहे उच्च शिक्षा की परीक्षायें हों, उसमें सभी को पूर्ण समर्थन देना चाहिए । मैं तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहा हूं, इसलिये मेरी स्पष्ट मान्यता है कि शिक्षा के बारे में जितने भी लोगों से विचार-विमर्श किया जाय, उससे शिक्षा का भला ही होता है । जो भी अच्छे सुझाव आयेंगे, हम उन पर अवश्य विचार करेंगे ।

श्री महक सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 73--शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

अभी हमारे मित्र माननीय शिक्षा मंत्री जी ने उच्च शिक्षा के कार्यक्रमों को यहां पर प्रस्तुत किया । शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा अस्त्र है । अगर शिक्षा में सुधार नहीं होगा तो हमारी संतति है उसका भी विकास नहीं होगा और हमें भविष्य में सुयोग्य आफीसर्स नहीं मिल पायेंगे । उत्तर प्रदेश का गौरवमयी स्थान रहा है । परन्तु पिछले वर्षों से शिक्षा जगत में बहुत बड़ा ह्रास हो रहा है । यह बात सही है कि बेसिक और माध्यमिक शिक्षा से ही विद्यार्थी उच्च शिक्षा में जाते हैं । अगर निचले स्तर पर शिक्षा ठीक नहीं होगी तो विश्वविद्यालय स्तर पर भी अच्छे छात्र नहीं निकल पायेंगे और न ही हम उनको अच्छा नागरिक बना सकेंगे । यदि आप उत्तर प्रदेश में साक्षरता पर दृष्टिपात करें कि वर्तमान में यहां पर केवल 41.74 प्रतिशत साक्षरता है । इसके विपरीत केरल और तामिलनाडु में सबसे ज्यादा साक्षरता है । भारत वर्ष में उत्तर प्रदेश का 18वां स्थान है ।

प्रदेश में शिक्षा पर इस समय जो व्यय किया जा रहा है यदि उसको आप देखें तो आप पायेंगे कि प्राथमिक शिक्षा पर 52.4 प्रतिशत, माध्यमिक शिक्षा पर 33.11 प्रतिशत और उच्च शिक्षा पर 9 प्रतिशत व्यय का प्राविधान है । जबकि उच्च शिक्षा पर 1985--90 में 16.23 प्रतिशत और 90-91 में 14.7 प्रतिशत व्यय का प्राविधान था । परन्तु इस समय जो उच्च शिक्षा का बजट पेश किया गया है, उसमें घटोत्तरी हुई है । यदि उच्च शिक्षा के बारे में इसी प्रकार उदासीन रहे तो उच्च शिक्षा में सुधार होना असम्भव है । माननीय मंत्री जी को बहादुरी से काम लेना चाहिए था और इस पर बजट परिव्यय को बढ़ाना चाहिए था । इस समय प्रदेश में 11.07 प्रतिशत पूरी शिक्षा पर व्यय हो रहा है, जो बहुत ही कम है । बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा दोनों की गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए । आज गांवों की शिक्षा की हालत बहुत खराब है । जो बेसिक शिक्षा के विद्यालय हैं, जो माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय हैं उनमें बच्चों को पढ़ने की सुविधा नहीं है । जो शहरों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके स्तर में और जो गांव में शिक्षा पा रहे हैं उनके स्तर में [illegible] प्रत्येक विषय में

कराये जाते हैं । गांव में पढ़ने वाले लड़के के अभिभावक पहनने को कपड़ा और रोटी भी प्रदान नहीं कर पाते हैं । इस प्रकार दोहरी शिक्षा नीति के चलते शिक्षा में विकास नहीं हो सकता है । इस दोहरी शिक्षा में विदेशी लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं । उन्होंने इंगलिश मीडियम स्कूल खोल रखे हैं जिसमें बड़े-बड़े सेठ साहूकारों के बच्चे पढ़ते हैं और दूसरी ओर गांव में जो विद्यार्थी पढ़ता है उसके पास पढ़ने का कोई साधन नहीं है तो उन दोनों की उच्च शिक्षा स्तर पर समानता कैसे हो सकती है ? कैसे गरीब का बालक पूंजीपति के बालक का मुकाबला कर सकेगा ? इस दोहरी शिक्षा पद्धति को समाप्त करें । यह असमान शिक्षा नीति है । पब्लिक स्कूलों को विदेशी लोग चला रहे हैं इंगलिश मीडियम से शिक्षा देकर वह दूसरी तरफ अपने धर्म का प्रचार भी कर रहे हैं । मैं मांग करूंगा कि सभी को एक तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए चाहे वह गरीब किसान का बेटा हो या पूंजीपति या मंत्री का बेटा हो जब सब को समान शिक्षा मिलेगी तभी देश का कल्याण होगा ।

श्रीमती उर्मिला राजपूत–

मान्यवर, उच्च शिक्षा का बजट है यह प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा कहां से आ गयी ?

श्री महक सिंह–

आप समझते हैं कि गांव में जो शिक्षा का स्तर है वह शहर के शिक्षा के स्तर के समान है तो वही लड़का उच्च शिक्षा में आता है । मान्यवर, यह जो बजट में प्राविधान किया गया है इसमें उच्च शिक्षा में 1991-92 के मुकाबले कम है । (व्यवधान)

उच्च शिक्षा में सबसे बड़ी बात अनियमित सत्र की है किसी भी विश्वविद्यालय का कलैंडर नियमित नहीं है । माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हम सत्र को नियंत्रित करेंगे यह अच्छी बात है हम भी चाहते हैं कि शिक्षा में सुधार हो । चाहे इस पक्ष के माननीय सदस्य हों चाहे उस पक्ष के सभी शिक्षा में गुणात्मक सुधार चाहते हैं तो आप इसे प्रभावशाली ढंग से लागू करें तब जाकर नियमित सत्र हो सकता है । आज पूरे प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में किसी में परीक्षा कभी हो रही है तो किसी में कभी परीक्षा हो रही है तो जितने विश्वविद्यालय हैं सब में एक निश्चित समय में परीक्षा होनी चाहिए ।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, कोरम क्या पूरा है ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

जब कोई बोल रहा हो तो व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जाता है ।

श्री उपाध्यक्ष–

कोरम की घंटी बजाई जाय ।

(कोरम की घंटी बजाई गयी ।)

(गणपूर्ति होने पर)

जब एक माननीय सदस्य बोल रहे हों तो बीच में इस तरह का सवाल उठाना उचित नहीं है । अब कोरम पूरा है, श्री महक सिंह जी अपना भाषण जारी रखें ।

श्री महक सिंह–

मान्यवर, विश्वविद्यालयों में सत्र नियमित किया जाय । उसके लिये एक नीति निश्चित हो कि इस तिथि तक प्रवेश हो जायेगा, इस तिथि तक परीक्षाएं हो जायेंगी और इस तिथि तक परीक्षाफल आ जायेगा । बहुत सारे विश्वविद्यालयों में बहुत लम्बे समय तक जैसे मेरठ विश्वविद्यालय में इस बार फरवरी-मार्च तक प्रवेश दिये गये और उसके बाद शीघ्र परीक्षाएं आ गयी हैं । इसलिये सारे नियमों का सख्ती से पालन कराया जाये ।

माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि हम त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के अनुसार अध्यापक प्रदान करेंगे एक अच्छी बात है । परन्तु यह सही है कि इसके अनुसार पूरे शिक्षक नहीं दिये गये हैं । प्रत्येक विषय में डिग्री स्तर पर दो अध्यापकों की व्यवस्था रखनी चाहिए । आपने बताया कि 95 नये पद सृजित किये जायेंगे, यह संख्या बहुत कम है । तीन वर्ष का डिग्री कार्यक्रम आपने कर दिया और इतने कम अध्यापक आप दे रहे हैं । तो शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ेगा ?

श्री उपाध्यक्ष–

कितना समय अभी आप और लेंगे ?

श्री महक सिंह–

मान्यवर, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा । माननीय मंत्री जी आपने नये राजकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय खोलने की बात कही है लेकिन जितने छात्रों का प्रवेश हो रहा है, जितने छात्र शिक्षा प्राप्त करने जा रहे हैं यह उसके अनुपात में यह नहीं है । जो राशि दी गयी है वह बहुत कम है । प्राइवेट विद्यालयों को अधिक अनुदान मिलना चाहिए । वर्तमान में अनुदान बहुत कम है मान्यता की शर्तें उदार करनी चाहिए ताकि अधिक विद्यालय खोले जा सकें । अध्यापकों का नियमितीकरण आपने किया है, आगे इस संबंध में तदर्थ अध्यापक नियुक्त न किये जायं, इसके लिये आपको प्राविधान करना चाहिए था। आपने विश्वविद्यालयों में अनुदान की बात कही है, इसका जो तरीका है वह बहुत ही पक्षपातपूर्ण है। अगर आप अनुदान के संबंध में दृष्टि डालें तो मेरठ विश्वविद्यालय में 61 कालेज हैं, वहां पर 51,95,000 का अनुदान दिया गया है और यहां पर छात्रों की संख्या 77,703 है । गढ़वाल विश्वविद्यालय में 17 कालेज हैं और यहां पर एक करोड़ 69 लाख 23 हजार का अनुदान दिया गया है और यहां पर छात्रों की संख्या 21,684 है । लखनऊ विश्वविद्यालय में 8 करोड़ 89 लाख 60 हजार रुपये का अनुदान दिया गया है और वहां पर 19 कालेज व 44,936 छात्र ही हैं । मान्यवर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जिक्र आपने अभी किया था वहां 6,28,04,000 रुपये का अनुदान आपने दिया है और छात्रों की संख्या वहां 26,637 तथा 10 कालेज हैं । गोरखपुर में 35 कालेज हैं जिनके लिये 4,07,34,000 रु० का अनुदान दिया है जबकि वहां छात्रों की संख्या 52,572 है । मेरठ में 51,90,000 रु० का अनुदान, छात्र 77,703 और कालेज 61 हैं । तो यह आप क्या न्यायसंगत अनुदान दे रहे हैं ? इस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिये अनुदान क्या कम नहीं है ? यदि आप समान शिक्षा नीति की बात करते हैं तो आपको सभी विश्वविद्यालयों में अनुदान बराबर छात्रों तथा कालेजों की संख्या ध्यान में रखकर देना चाहिए ।

मान्यवर, विश्वविद्यालयों में पेंशन के संबंध में कहना चाहता हूं कि इसका सरलीकरण करते हुए सेवानिवृत्ति के तत्काल बाद नियमित जमा राशि का 80% भुगतान करने की राजाज्ञा, जैसाकि आपने पहले भी कहा था उसके अनुसार, तुरन्त निर्गत की जाये ।

मान्यवर, शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है, वह चाहे वेतन बिल पास करने की बात हो या जी० पी० एफ० पास कराने की बात हो, कालेज के अध्यापक और कर्मचारियों से रिश्वत ली जाती है । जो एकाउन्ट आफिसर होते हैं वह प्रायः नहीं मिलते हैं । हर काम में भ्रष्टाचार है जिसको समाप्त करने के लिये आपने कुछ नहीं किया है, इस पर भी आप ध्यान दें ।

मान्यवर, प्रबन्धतंत्र और अध्यापकों में मुकदमेंबाजी का बोलबाला है और कुछ जगह माइनोरिटी के नाम पर प्रबन्ध समितियां जो काम कर रही हैं उन्होंने शिक्षा को व्यवसाय बना दिया है जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है । वहां शिक्षक परेशान हैं चूंकि उनको पूरा वेतन नहीं दिया जाता है ।

मान्यवर, डिग्री कालेजों में भी नकल का अध्यादेश लागू करने की बात कही गयी है, मान्यवर, नकल बन्द होना चाहिए उससे हम सभी सहमत हैं । लेकिन इसकी प्रवृत्ति क्यों पैदा हुई, इसके लिये कौन जिम्मेदार है इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए । प्रारम्भ में कुछ पूंजीपति थे उन्होंने कुछ दादा लोगों पर हाथ रखा उनको पैसा और शराब दिया जिससे नकल की प्रवृत्ति बढ़ी । कुछ अध्यापकों ने ट्यूशन पढ़ाने का काम किया लेकिन गरीब छात्र ट्यूशन नहीं पढ़ सके और उनमें नकल की प्रवृत्ति ने जन्म लिया । बहुत से ऐसे अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को नकल कराते हैं । तो नकल की प्रवृत्ति एक तरफ नहीं है । इसलिये इसको रोकने के लिये हर स्तर पर आपको ध्यान देना चाहिए । यह कोई अच्छी बात नहीं है कि पुलिस के लोग शिक्षण संस्थाओं में और परीक्षा कक्षों में घुस जायें, एस० डी० एम० लेखपाल को लेकर वहां जायें और जो वरिष्ठ अध्यापक विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में है उन पर इस अध्यादेश के तहत कार्यवाही करें तो यह ठीक नहीं है । इसलिये इस नकल के प्रस्ताव पर मेरा अनुरोध है कि कम से कम डिग्री कालेजों में जो यह काला कानून है उसे वापस लिया जाय । शिक्षकों के आत्म सम्मान को भी इससे ठेस पहुंचती है । मैं भी 4-5 वर्ष तक परीक्षाओं का सीनियर सुपरिन्टेंडेंट रहा हूं । हमारे कालेज में एक भी छात्र नकल करते हुए नहीं पकड़ा गया है । अगर नकल करते पकड़ा जाता तो उसके लिये हम सक्षम थे उसको दण्ड देने के लिये । नकल रोकने के लिये यह जो काला कानून लाया गया है यह सरासर अन्याय है ।

मान्यवर, आपने शिक्षकों को सुविधायें देने की बात भी कही है । कालेजों में प्रोफेसर वेतन समयबद्ध रूप से हटा दिया जाना चाहिए । पेंशन आंकलन और अन्य सुविधायें जैसे ग्रेच्युटी कम्पयुटेशन आदि 60 वर्ष की सेवा पर दी जानी चाहिए तथा स्वैच्छिक पेंशन की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए । पारस्परिक स्थानान्तरण का प्राक्कलन 1984 से लम्बित है, उसकी राजाज्ञा निर्गत की जानी चाहिए । शारीरिक शिक्षकों के वरिष्ठ वेतनमान और चयनित वेतनमान में पूर्व सेवायें जोड़ी जाय । पुस्तकाध्यक्ष को यू० जी० सी० वेतनमान दिया जाना चाहिए । शिक्षकों को एल० टी० सी० और चिकित्सा भत्ते की सुविधायें प्रदान की जायं । रीडर पदनाम सभी चयनित वेतनमान धारकों को प्रदान किया जाये । जी० पी० एफ० से ऋण की सुविधा 20 वर्षों के स्थान पर 15 वर्ष कर दी जाय । सी० पी० एफ० धारकों के लिये दरें 8 प्रतिशत से 10 प्रतिशत कर दी जायें । अभी मैं एक बात कह कर समाप्त करना चाहता हूं कि विश्वविद्यालयों के छात्रसंघ का चुनाव कई स्थानों पर हो गया है और कई स्थानों पर अभी नहीं हुआ है ।

पूरे उत्तर प्रदेश में छात्र संघों के चुनाव होते हैं । कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा था, लेकिन इस बी० जे० पी० सरकार ने इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया । बड़े संघर्ष के बाद अब जब परीक्षायें होने वाली हैं तब जाकर यह चुनाव कहीं कहीं हो सके हैं । इसे भी येन-केन प्रकारेण रोक दिया गया और विरोधी दलों से संबंधित छात्रों को रासुका में ले लिया है । इस तरह से उत्पीड़न की कार्यवाही बन्द होनी चाहिए । इस प्रकार का उत्पीड़न चलता रहेगा तो यह सहन नहीं किया जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री महक सिंह–

मान्यवर, बस समाप्त कर रहा हूं। इस तरह से छात्र आन्दोलन भड़केगा और बहुत सी प्रशासनिक परेशानियां पैदा हो जायेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

(श्री रवीन्द्र शुक्ला का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रवीन्द्र शुक्ला–

मान्यवर, बोला हुआ समझ लिया जाय।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। आपने अवसर दिया, आपका आभारी हूं। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि डिग्री कालेजों की संख्या बहुत कम है। प्रदेश बहुत बड़ा है। जिन क्षेत्रों में डिग्री कालेज नहीं हैं, तहसील स्तर के अन्दर नहीं हैं वहां डिग्री कालेज खोले जायं। माननीय उपाध्यक्ष जी का जो क्षेत्र है, मल्लावां, जिला हरदोई में डिग्री कालेज नहीं है, मेरे देवरिया जिला के हाटा तहसील में डिग्री कालेज नहीं है। इन स्थानों पर डिग्री कालेज की मान्यता दी जाय। महाविद्यालयों को खोलने में नियमों को शिथिल कर मान्यता प्रदान करने की व्यवस्था की जाये।

[समय–10 बजकर 20 मिनट]

जहां डिग्री कालेज न हों वहां इनकी व्यवस्था करायें–(व्यवधान)

छात्राओं के महाविद्यालयों की व्यवस्था करें। मैं मंत्री जी को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 13 अगस्त को माननीय मंत्री जी ने इस सदन में कहा था कि मैं सत्रों को नियमित करूंगा। उन्होंने कहा जब मैं मंत्री हुआ तो मैंने कहा कि नियमित रूप से सत्र चलाया जाए और समय से परीक्षायें समाप्त हो। मैं चाहूंगा 13 अगस्त को बात कही थी कि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय को पत्र लिखा गया कि सत्र को नियमित करें, तो क्या आपने सत्र नियमित करा लिया है अगर कोई सफलता मिली है तो बता दें ?

श्री उपाध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री स्वामी नाथ यादव–

राजकीय महाविद्यालयों के निर्माण में 5 करोड़ की व्यवस्था की गई है पूरे प्रदेश के लिये, इस तरह से कंजूसी करके महाविद्यालय चलायेंगे, तो शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं हो सकता है। सत्रों को नियमित करने में सुधार होना चाहिए। वरना नकल का अध्यादेश को संज्ञेय अपराध मान रहे हैं वह ठीक मान रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

मेरी तरफ भी देख लें।

श्री स्वामी नाथ यादव–

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, मैं सूत्रों में अपनी बात कहूंगा त्रिवर्षीय शिक्षा लागू कर दी गई है प्रदेश में, माननीय मंत्री जी ने कहा केन्द्र सरकार का मानक था परन्तु इसके पूरे क्रियान्यवयन का दायित्व राज्य सरकार का था। त्रिवार्षिक शिक्षा लागू करने के बाद में कक्षाओं की संख्या डेढ़ गुनी हो गई। छात्रों की संख्या डेढ़ गुनी हो गई। तो इसके लिये आपने कितनी शिक्षा संस्थाओं में अतिरिक्त कक्ष व स्टाफ की व्यवस्था की है। मान्यवर, जहां तक पदों के सृजन की बात है यह कहते हैं सृजन करायेंगे। पिछले वर्ष आयोग से नियुक्तियां हुई हैं मात्र 38 अध्यापकों की नियुक्तियां पूरे वर्ष में यह कर पाए हैं। इससे पूर्व माध्यमिक शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि 6 हजार अध्यापक माध्यमिक में भर्ती करायेंगे। उच्च शिक्षा में देख लें।

माननीय मंत्री जी ने स्वयं बताया है कि 350 के लगभग पदों की तुरन्त आवश्यकता है और उसके विपरीत पद सृजित हुए हैं 96, और 38 पदों पर भर्ती की गई है। तीन सेमेस्टर हैं गत वर्षों में पोस्टग्रेजुएट कक्षायें शुरू नहीं हुई थी इसलिये उनके स्टाफ से काम चल रहा था जो कक्षा भवन है स्नातकोत्तर और पोस्ट ग्रेजुएट के वह काम आ रहे थे अब तीन साल पूरे हो गये वह भी क्लासेज चलेंगे तो नये सत्र में कितनी कठिनाई आएगी इस पर ध्यान देना जरूरी है। जैसा मैंने बताया आयोग का उदाहरण दिया 38 नियुक्तियां कर पाए हैं इसमें तदर्थ नियुक्तियां कर दी जाती, लेकिन इन्होंने अधिनियम में संशोधन करके उच्च शिक्षा आयोग में संशोधन करके धारा 16 निकाल दी। इससे तदर्थ नियुक्तियां भी हो नहीं सकती हैं। अंशकालिक से पढ़वायेंगे जो अनुभवहीन हैं और न योग्यता, अर्हता रखते हैं। साढ़े तीन सौ की जगह 11 सौ रुपये देकर पढ़वायेंगे। रिसर्च स्कालर से पढ़वायेंगे। शिक्षण के साथ-साथ जो हमारे परीक्षा कार्य है उसे शिक्षकों की सेवा में अनिवार्य रूप से अंतर्निहित कर दिया जाय। मान्यवर, शैक्षिक सत्र नियमित नहीं है इसलिये छात्रों को असुविधा होती है। मैं आगरा विश्वविद्यालय की बात कहना चाहता हूं, वहां त्रिवर्षीय कोर्स के अन्तर्गत परीक्षायें जून जुलाई तक पिछले वर्ष हुई और उनका परिणाम 10-11 अप्रैल को अभी निकला है। छात्रों ने पोस्टग्रेजुएट कक्षाओं में एडमीशन ले लिया है। आपने घोषित किया है कि शैक्षिक सत्र 15 मई तक रहेगा उसके बाद ग्रीष्म कालीन अवकाश हो जायेगा तो 15 दिन रह गये हैं उनमें छात्र क्या अध्ययन कर लेंगे ? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि पाठ्य पुस्तकों का अभाव है। अधिकतर छात्र पुराने द्विवार्षिक कोर्स की किताबों से काम चला रहे हैं। पाठ्य पुस्तकों के अभाव में मेड ईजी, माडल पेपर्स, गैस पेपर्स का प्रयोग किया जाता है जिससे कि शैक्षिक स्तर में गिरावट आ रही है। इसलिये किताबों की व्यवस्था होनी चाहिए। किताबों की हालत यह है कि एक बार खोलो तो उसकी बाइंडिंग अलग हो जाती है।

मान्यवर, महाविद्यालयों में 1975 से वेतन संदाय लागू किया गया है। इसमें जो क्रीड़ा विभाग में और प्रयोगशाला में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको शा॥ नहीं किया गया है जिसके कारण जो गेम्स शुल्क आता है वह कर्मचारियों की तनख्वाह में खर्च हो जाता है। खेलों के लिये पर्याप्त प्रोत्साहन राशि नहीं मिलती है जिससे खेल प्रतिभाओं का विकास नहीं होता और उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतिभाओं के मिलने की सम्भावना कम हो जाती है। वेतन संदाय में एक और कमी है। वेतन संदाय में 80 प्रतिशत पैसा वेतन संदाय खाते में जमा हो जाता है। 20 प्रतिशत प्रबन्ध तंत्र के पास रह जाता है जिसमें से 10% फर्नीचर, स्टेशनरी, कार्यालय और अन्य व्यय के लिये खर्च हो जाता है, 5 प्रतिशत साइंस तथा 5 प्रतिशत भवन पर व्यय होता है। यह पैसा कम है इसमें वृद्धि की जानी चाहिए। माननीय मंत्री जी ने कहा कि छात्रों की संख्या बढ़ रही है उस हिसाब से डिग्री कालेजों की व्यवस्था नहीं हो पाती है। जब इस संबंध में बात आती है तो शासन की ओर से कहा जाता है कि

उच्च शिक्षा के विस्तार की अपेक्षा उसके सुदृढ़ीकरण पर बल दिया जाय परन्तु आप सुदृढ़ीकरण की दिशा में भी कुछ नहीं कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप बैठें ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मेरा सुझाव है कि चूंकि समय कम है अतः माननीय सदस्य अपने-अपने सुझाव लिखकर दे दें उनको कार्यवाही में शामिल कर लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा । अगर सुझाव दे देंगे तो शिक्षा मंत्री जी उस पर गम्भीरता से विचार कर लेंगे ।

* श्री लाखीराम जोशी–

मान्यवर, आपने उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा रखे गये बजट पर बोलने के लिये समय दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, टिहरी जनपद में एक राजकीय डिग्री कालेज है वह 1979 में चंबा शासन ने खोला था और उसमें सिर्फ अभी तक स्नातक स्तर के विषय पढ़ाये जाते हैं । उस विद्यालय का न तो भवन बना है, न उसमें अन्य विषय पढ़ाये जाते हैं । सिर्फ उसमें साहित्यिक वर्ग की पढ़ाई होती है । मान्यवर, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में टिहरी जनपद अत्यन्त पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसकी बहुत वर्षों से मांग चली आ रही है कि टिहरी बांध बनने के कारण वहां का जो कैम्प्स कालेज है, वह डूब जायगा और पूरा क्षेत्र बहुत दूर हो जायेगा । इसलिये माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि अंजनीसेन और लम्बागांव में डिग्री कालेज खोले जायं । मान्यवर, इसी प्रकार बालगंगा महाविद्यालय को गढ़वाल विश्वविद्यालय से शीघ्र से शीघ्र सम्बद्ध करने की कृपा करें । इसके साथ ही उत्तरांचल क्षेत्र में पिछली सरकार ने दो महाविद्यालयों की घोषणा की थी बड़कोट और डाक पत्थर में । मैं निवेदन करूंगा कि उनको शीघ्रातिशीघ्र बनाया जाय । इन शब्दों के साथ मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं ।

* श्री धनी राम वर्मा–

मान्यवर, जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और साथ ही दो-तीन बिन्दुओं पर अपने सुझाव पेश करना चाहता हूं । मान्यवर, पहला बिन्दु यह है कि अभी कानपुर यूनीवर्सिटी में बहुत छात्रों के केसेज लम्बित पड़े हैं, जिसके कारण कई छात्रों ने इन्ट्रेन्स की और सेकेन्ड ईयर दोनों के फार्म भरे हैं । परीक्षा किसकी है, तैयारी किसकी करनी है, मैं चाहूंगा कि उन केसेज को जल्दी निपटा दिया जाय ताकि वे निश्चिंत हो जायं कि कौन सी परीक्षा दें । दूसरी बात मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अब भी देहाती क्षेत्र में उच्च शिक्षा के प्रसार की बहुत बड़ी आवश्यकता है । हमारी तहसील विधूना में कोई डिग्री कालेज नहीं है । मैंने स्वयं बिबियापुर गांव

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में डिग्री कालेज की स्थापना का प्रयास किया । मैंने तहसील पुरवा सुजान में राम मनोहर लोहिया स्मारक विद्यालय की स्थापना का प्रयास किया । पूर्व मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी ने उसका शिलान्यास किया । मैंने स्वयं कहा कि 5 लाख रुपया मुझसे ले लिया जाय और विद्यालय किसी से भी खुलवा लिया जाय । मुझे मतलब नहीं है । मैं जमीन भी देने के लिये तैयार हूं । ताकि लोगों को उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके । पूर्व मुख्य मंत्री वहां पर गये थे, जमीन देखी और शिलान्यास भी किया और 5 लाख की घोषणा भी की बिल्डिंग के लिये । मैं चाहूंगा कि आप उसको दिलवा दीजिये । क्लीयरेंस दिलवा दीजिये । औचारिकता पूरी कर दें । जो पैसा लगेगा, मैं लगाऊंगा । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

माननीय उपाध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं विपक्ष की ओर से रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । श्रीमन्, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में महाविद्यालय नहीं है, यह बड़े खेद की बात है । सबसे पहले मैं अपने शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जिस आसन पर श्रीमन् बैठे हैं, जिस क्षेत्र में महाविद्यालय न हो, वहां पर प्राथमिकता के आधार पर आप उस निर्वाचन क्षेत्र में विद्यालय खोलने के लिये संस्तुति करें। यह मैं मांग करता हूं । श्रीमन्, यह बात सच है, श्रीमन्, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 15 इण्टर कालेज हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं यह अपेक्षा करता हूं कि माननीय मंत्री जी से कि माननीय अमरेश चन्द्र पाण्डेय जी की बात पर गम्भीरता से विचार करें ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, आपकी पीठ से निर्देश भी हो गया । मान्यवर, हमारे निर्वाचन क्षेत्र में 15 इण्टर कालेज हैं और 22 हाई स्कूल हैं, लेकिन वहां पर महाविद्यालय के नाम से कोई कालेज नहीं है । लड़के तो अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिये 10, 20, 50 किलोमीटर तक रास्ता तय कर लेते हैं, लेकिन ग्रामीण अंचल से किसी भी छात्रा को शहर में पहुंच कर शिक्षा प्राप्त करना गरीब लोगों के लिये कठिन होता है । माननीय शिक्षा मंत्री जी इसका सर्वेक्षण करा लें ।

जहां महाविद्यालय बनाने की औपचारिकतायें पूरी कर ली गयी हैं, उन्हें मान्यता देने की कार्यवाही सुनिश्चित करें । श्रीमन्, सबसे बड़ी बात यह है कि महाविद्यालय डिग्री कालेज में 3 वर्ष का पाठ्यक्रम पिछली सरकार द्वारा कर दिया गया है, इनका इसमें दोष नहीं है । इसमें सत्र के नियमित न रहने के कारण छात्रों को डिग्री लेने में 4-5 वर्ष का समय लग जाता है । जैसा माननीय स्वामी नाथ जी ने कहा, निश्चित रूप से सत्र को नियमित करने के लिये प्रतिबन्ध लगा दें कि इतने दिनों में प्रवेश ले लेंगे, इतने दिनों में परीक्षा ले लेंगे और इतने दिनों में रिजल्ट निकाल देंगे । मैंने भी माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन किया था, मेरे निर्वाचन क्षेत्र का लड़का जो बलिया में बेल्थरा रोड डिग्री कालेज है, वहां पर वहां के प्राचार्य द्वारा इतना तंग किया गया था, वहां पर एक लड़का जोकि नकल में पकड़ा भी नहीं गया था, लेकिन उसकी गलत सूचना देकर उसका परीक्षाफल रोक दिया गया, जबकि वह लड़का पास है। माननीय मंत्री जी इस संबंध में अपना स्पष्ट निर्देश दें कि पाठ्यक्रम के साथ-साथ विद्यालय का सत्र भी नियमित हो जाय । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

मान्यवर, अनुदान के अन्तर्गत जो उच्च शिक्षा मंत्री जी ने बजट पेश किया है, मैं उसका समर्थन करती हूं, क्योंकि महाविद्यालय में गुणात्मक सुधार लाने के लिये अनेक प्रयत्न किये गये हैं, जैसे महाविद्यालय में शौचालय खोलने के लिये या गुणात्मक सुधार के लिये पुरस्कार योजना, विश्वविद्यालय में अस्पताल और प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार महाविद्यालय के क्षेत्र में प्रशंसनीय प्रयत्न है । लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उच्च शिक्षा क्षेत्र में कुछ ऐसी कमियां चली आ रही हैं, जिसको दूर किया जाना चाहिए । मान्यवर, डिग्री कालेज दो प्रकार के हैं, कुछ वेतन अनुदान पर हैं और कुछ ग्रान्ट इन एड पर हैं । वाराणसी के 4 महाविद्यालय जो काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं, वे ग्रान्ट इन एड पर हैं, अर्थात उनको यू० जी० सी० और राज्य सरकार दोनों अनुदान देती है । लेकिन 5 प्रतिशत इनको अपने साधन से खर्चे में देना पड़ता है, जिसको प्राप्त करने के लिये इन्हें अनेक सही और गलत कदम उठाने पड़ते हैं। इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है, इनको 5% व्ययभार से मुक्ति दिलाया जाय ।

मैं अपने मंत्री जी से यह अपील करती हूं कि वह अपने अनुदान में 5 प्रतिशत खर्च भी शामिल कर लें, जिससे कि इन कालेजों के वातावरण शुद्ध हो जायं । मेरा विश्वास है कि यह खर्च सरकार पर बोझ नहीं होगा, कारण ऐसे कालेज मुश्किल से 4-5 हैं । डिग्री कालेजों में जब नई पोस्ट क्रियेट होती है, तो नियमानुसार नियुक्ति हो जाने के बाद तक पोस्ट की स्वीकृति (एप्रूब्ड) सरकार से मिलने में अनेक साल बीत जाते हैं, 4-5 साल आसानी से बीत जाते हैं । इन पदों पर जो प्रवक्तागण काम करते हैं, वे एक मानसिक त्रास में रहते हैं और सरकार के द्वारा इसको स्वीकृत कराने के लिये अकारण दौड़-धूप करनी पड़ती है । उचित यह होगा कि सरकार इनको निश्चित समय बीतने पर अपने आप स्वीकृति दे, जिससे ये नौकरशाही के दबाव से त्राण पायें । माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने यह घोषणा की है कि महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में 10 जून तक एडमिशन टेस्ट हो जायेगा, यह बात मेरी समझ में नहीं आयी यह व्यवहारिक भी नहीं है क्योंकि जब तक इण्टरमीडिएट का रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो जायेगा, तब तक डिग्री की प्रवेश परीक्षा कैसे सम्भव हो पायेगी ? यह जुलाई में ही सम्भव हो सकता है । आप ऐसा कोई कदम न उठायें कि अध्यापकों की छुट्टी खतम हो जाये । अध्यापक सबसे ज्यादा मार खाता है । ऐसा सम्भव नहीं है कि अध्यापक अपनी गर्मियों की छुट्टी छोड़ दें और दूसरे समय छुट्टियां ले लें, इसलियें इस ओर ध्यान देना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवस्तव–

मैं मान्यवर, अपने इस प्वाइन्ट को तो पूरा कर लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बुला लिया है । आप बैठें ।

श्री विजय पाल सिह तोमर–

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं । मान्यवर, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो ट्यूशन या कोचिंग का समाज में रोग लग गया है, उसका बड़ा बुरा असर पड़ रहा है । इसलिये इसको समाप्त किया

जाय अगर कोई लड़का ट्यूशन या कोचिंग उसी कालेज के अध्यापक से नहीं पढ़ता है, तो उसको प्रैक्टिकल में फेल कर दिया जाता है इसलिये इसको समाप्त किया जाये, यह बड़ा प्रभावी कदम होगा ।

मान्यवर, मेरे सरधना विधान सभा क्षेत्र में लड़कों का एक भी डिग्री कालेज नहीं है, जबकि सरधना नगरपालिका है, दौराला टाउन एरिया है और लावड टाउन एरिया है । इसलिए मैं मांग करता हूं कि सलावा गांव में और मेरठ जनपद के मऊ खास गांव में एक-एक डिग्री कालेज खोलने के आदेश दिये जायें । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

* श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, डा० अम्बेदकर का नाम लिया जाता है, लेकिन उनके सिद्धान्तों को नहीं माना जाता है । मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी ने स्कूलों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और पिछड़े वर्ग के लोगों का कोटा पूरा करने के लिये आश्वासन दिया है, उसी प्रकार से मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री से भी निवेदन करना चाहता हूं कि इन जातियों का कोटा पूरा किया जाये और उसकी घोषणा सदन में करें । मान्यवर, मैं उच्चतर शिक्षा आयोग की बात करना चाहता हूं ।

मान्यवर, इसके अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनका वेतनमान अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है और यह प्रकरण लम्बित है । मेरा यह कहना है कि आयोग के अध्यक्ष को विश्वविद्यालय के उप कुलपति और सदस्यों को पोस्ट ग्रेजुएट कालेज के प्राचार्यों की सेवा निवृति के समय जो वेतन होता है, उसके बराबर दिया जाये । यह प्रकरण काफी दिनों से लम्बित है, इस पर अन्तिम निर्णय लिया जाये । मान्यवर, आगरा विश्वविद्यालय के अधीन आगरा कालेज, सेंट जोंस कालेज और आर०बी०एस० कालेज में प्रवेश पिछड़े वर्ग के लड़कों को कार्मिक विभाग द्वारा जारी जी०ओ० के आधार पर नहीं दिया जाता है । इस कारण कुछ छात्र न्यायालय भी गये, और तब उनको प्रवेश दिया गया । माननीय शिक्षा मंत्री जी इस पर विचार करें और इस समस्या को दूर करें । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि आगरा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बड़ा घपला हुआ है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

शाक्य जी, अब आप बैठ जायं ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस घपले को समाप्त किया जाय ।

श्री कृष्ण वीर सिंह सिरोही––

मान्यवर, मैं बजट प्रस्ताव का समर्थन करता हूं मेरे निर्वाचन क्षेत्र तहसील गढ़मुक्तेश्वर मुख्यालय में कोई डिग्री कालेज नहीं है इसलिये मैं उच्च शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वहां डिग्री कालेज दें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण किया ।

* श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने के लिये मौका दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, डा० महक सिंह जी ने तथ्यों के साथ कटौती पेश की है मंत्री जी की तरह शब्दों का मायाजाल नहीं बिछाया है । मान्यवर, मैं 4-5 सुझाव देते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा । एक तो मेरा अनुरोध है कि इस देश के करोड़ों गरीबों, मजदूरों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर मेरठ विश्वविद्यालय का नाम चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय रख दिया जाय मुजफ्फरनगर में एक चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय । इसके साथ ही मान्यवर, त्रिवार्षिक पाठ्यक्रम को देखते हुए अध्यापकों की संख्या बढ़ाई जाय और मेरे क्षेत्र लालूखेड़ी मथा बघरा में नये डिग्री कालेज खोल दिये जायं और साथ ही शाहपुर में भी एक डिग्री कालेज खोलने की कृपा करें । जनपद मुजफ्फरनगर में बालिकाओं के छात्रावास की समस्या है इसलिये मेरा अनुरोध है कि मुजफ्फरनगर शहर में एक लड़कियों के लिये तथा एक लड़कों के लिये छात्रावास की व्यवस्था की जाय ।

मान्यवर, छात्र संघ के चुनाव समय से कराया जाना सुनिश्चित करें । छात्रसंघ से अच्छी प्रतिभाएं निकलकर आती हैं । मैं खुद छात्र नेता रहा हूं हमारे तमाम साथी छात्र नेता रहे हैं और यहां आये हैं ।

मान्यवर, एडमीशन टेस्ट के बारे में मेरा अनुरोध है कि इण्टरमीडिएट का रिजल्ट आने से 15 दिनों के बाद एडमीशन टेस्ट कराया जाय और उस टेस्ट की तिथि भिन्न कालेजों में भिन्न रखी जाय ताकि छात्र एक जगह असफल होने के बाद दूसरी जगह परीक्षा दे सके । माननीय मंत्री जी से मैं एक अन्तिम अनुरोध करना चाहता हूं कि दुर्भाग्य से आप हमारे मित्र माननीय श्री अनुग्रह नारायण सिंह के स्थान पर चुनकर आये हैं, श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी बहुत अच्छे थे आप उनकी कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं आप उस क्षेत्र में उनके जैसी महानता दिखाते हुए मेरे सुझावों को स्वीकार करें । अन्त में मेरा अनुरोध है कि अपने देश के करोड़ों-करोड़ों गरीबों, किसानों, मजदूरों के मसीहा चौधरी चरण सिंह के नाम पर मेरठ विश्वविद्यालय का नाम करने तथा पश्चिम में एक कृषि विश्वविद्यालय खोलने की कृपा करें ।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राध्यापक हैं वहां की एक समस्या रखना चाहता हूं अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फिजिक्स डिपार्टमेंट में एक अशोक कुमार नाम के विभागाध्यक्ष के लिये उनका चयन हुआ था और चयन बोर्ड ने भी अप्रूवल दे दिया और वहां के उपकुलपति ने भी उसको अनुमोदित कर दिया है लेकिन सुनने में आ रहा है कि वहां अशोक कुमार के नाम पर अशोक कुमार गुप्ता की नियुक्ति करने जा रहे हैं उनका कहना है कि वह वहीं हैं जबकि उनका सीरियल नम्बर दूसरा है, तो इस पर ध्यान दें । मान्यवर, इसी विधान सभा के सामने 2 माह से राष्ट्रीय आयुर्वेद महाविद्यालय धामपुर, बिजनौर के छात्र दिन रात धरना दे रहे हैं उनकी समस्याओं को मुख्य मंत्री और संबंधित मंत्रियों ने भी सुना है । उनकी समस्या है कि जिस महाविद्यालय के वह छात्र हैं वहां का प्रधानाचार्य जो यहां विधान सभा का सदस्य है और वह उन पर दमन चक्र चला रहा है उनकी समस्याओं को दूर करने, उस महाविद्यालय के छात्रों की समस्याओं के निदान करने का प्रयास मंत्री जी करें । इसके साथ ही कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

नोट :—* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

डा० सोम नाथ शुक्ला–

मान्यवर, मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा सम्बन्ध उच्च शिक्षा से लगभग 5 दशक से है। चूंकि समय कम है इसलिये मैं सोचता हूं कि केवल आभार प्रकट करके समाप्त कर दूं। उच्च शिक्षा की दृष्टि से 20वीं सदी के उत्तरार्द्ध का इतिहास नितान्त घटनापूर्ण है। कुछ देशों ने समस्याओं का समाधान न पाकर उच्च शिक्षा को समाप्त कर दिया था। हमारे देश में लोकतांत्रिक परम्पराओं के रहते राधा कृष्ण कमीशन से लेकर आचार्य राममूर्ति कमीशन तक इस सम्बन्ध में सुझाव दिये गये हैं।

30 दिसम्बर, 1974 को जय प्रकाश बाबू ने उत्तर प्रदेश के शिक्षाविदों को बुलाकर कहा था कि जो स्थिति महाविद्यालयों की है उसके अनुसार विश्वविद्यालयों के बाहर बोर्ड लगा हो कि यहां पर शिक्षा दी जाती है उपाधियां नहीं दी जाती हैं। आज माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इसे समझा है। श्रीमन्, उन्होंने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनिश्चितता की स्थिति को समाप्त किया है, तदर्थवाद को समाप्त कर अनुशासनहीनता को नकल विरोधी अध्यादेश के द्वारा समाप्त किया है। अराजकता के समापन के लिये सत्र के नियमितीकरण की दिशा में सही कदम बढ़ाये हैं। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी को इस सक्षम बजट के लिये बधाई देते हुए आपको धन्यवाद देता हूं।

ठाकुर वीरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं आग्रह करता हूं कि जनपद सहारनपुर के जे० बी० जैन कालेज को एल-एल० एम० और साइकालाजी के विषय दिलवा दें। भायला नानौतांया रणखण्डी इण्टर कालेज है उसे डिग्री कालेज में परिवर्तित करा दें। जे० बी० जैन कालेज सहारनपुर में पूरे साल एक दिन भी कालेज नहीं चला, एक भी क्लास नहीं चल पाया। माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मई में परीक्षाओं का कार्यक्रम आ गया है, साइन्स और मैथ्स सबजेक्ट्स वहां पर हैं, विद्यार्थी कैसे परीक्षा देंगे ? इसके अतिरिक्त बताना चाहूंगा कि महाराज सिंह कालेज और जे० बी० जैन कालेज दोनों में कैण्टीन यू० जी० सी० के पैसे से बनी हुई है, वह कई सालों से नहीं चल रही है, प्रवेश का संकट पूरे प्रदेश में भयंकर है, इस सम्बन्ध में कोई योजना इस बजट में नहीं है। इसी के साथ ही कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री किशन गोपाल–

माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा जो बजट रखा गया है, वह सराहनीय और प्रशंसनीय है। अम्बेदकर विश्वविद्यालय लखनऊ में 8वीं पंचवर्षीय योजना में 100 करोड़ रु० की लागत से बनाये जाने वाले विश्वविद्यालय के लिये व्यवस्था की जा रही है। विश्वविद्यालयों में उप-कुलपति और कुलपति तथा अन्य रिक्तियां हैं, उनको पूरा किया जा चुका है। छात्र घर बैठ कर या घर पर अध्ययन कर डिग्रियां ले लेते थे। लेकिन अब 180 दिन विद्यालय में अवश्य ही विद्या अध्ययन करके व परीक्षा बिना नकल करके डिग्री लेनी होगी। मान्यवर, 91-92 में राजकीय महाविद्यालय की स्वीकृति प्रदान करने की बात थी। इसमें अतरौली अलीगढ़ खैर अलीगढ़ और सीतापुर के लिये स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। मान्यवर, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में महिला विश्वविद्यालय खोलने का भी प्रस्ताव है लेकिन धन के अभाव में यह प्रस्ताव थोड़ी देरी से पूरा किया जायेगा मुझे पूरी आशा है कि जो प्रस्ताव रखा है उसको अवश्य पूरा करेंगे। समय का अभाव है इसलिये बजट का समर्थन करता हूं।

(इस समय रात्रि के 10 बजकर 59 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री महक सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्यों के विचार सुने उच्च शिक्षा के ऊपर, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए कुछ शब्द कहना चाहता हूं। जो बजट पेश किया गया है उच्च शिक्षा का इसमें कोई आमूल चूल परिवर्तन होने नहीं जा रहा है इससे विशेष कोई लाभ प्रदेश के छात्रों का नहीं होने जा रहा है जिस अनुपात से छात्र संख्या बढ़ी है उस हिसाब से विश्वविद्यालय नहीं खोले जा रहे हैं उस हिसाब से प्रयोगशालाओं में साज सज्जा उपलब्ध नहीं की जा रही है। उस हिसाब से अनुदान नहीं दिया जा रहा है यह जो सारी समस्यायें हैं उसका निदान होना अतिआवश्यक है। पाठ्यक्रम सभी विश्वविद्यालयों में एक जैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए सभी जगह सत्र का नियमन होना चाहिए।

स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं खेलकूद पर माननीय मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा मैं चाहूंगा कि इस संबंध में वे कुछ कहें। स्व० वीर बहादुर सिंह बड़ौत गये थे वहां 15 हजार छात्र हैं उन्होंने वहां एक स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की थी मैं चाहूंगा कि जो उनका आश्वासन था उसको पूरा किया जाय। मेरे क्षेत्र में महिलाओं की शिक्षा की बहुत कमी है। हमारी ग्रामीण अंचल की छात्राएं उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहती हैं। छपरौली (मेरठ) जहां भूमि उपलब्ध है वहां महिला डिग्री कालेज हो। बावली में महिला डिग्री कालेज की स्थापना करें। चुनार तहसील में 33 इण्टर कालेज हैं वहां भी एक राजकीय महिला विद्यालय की स्थापना होने का प्राविधान करें। कुछ शिक्षक कोचिंग करते हैं कक्षा में नहीं पढ़ाते। कोचिंग को समाप्त किया जाय। इसी के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, सम्मानित सदस्यों ने अपने कुछ सुझाव दिये हैं उनके बारे में मैं बहुत संक्षेप में कहना चाहूंगा प्रारम्भ में ही मैंने कहा था कि प्रदेश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के लिये हमारी सरकार प्रयत्नशील है। पिछली सरकारों के कार्यों से उच्च शिक्षा पटरी से उतर गयी थी उसको पटरी पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास है कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाय। हमारी सरकार का यह प्रथम प्रयास है कि सत्र नियमित हो, जो पुराना सत्र था वह काफी अनियमित हो गया था उसे नियमित करने में समय लगेगा अगर यह नियमित हो गया तो भविष्य में अच्छा हो जायेगा। मान्यवर, तदर्थ नियुक्तियों के सम्बन्ध में बात आयी। तो उस सम्बन्ध में हमने यह व्यवस्था करी है कि हमने उसे समाप्त कर दिया है और हम नियमित नियुक्ति काफी ठोक बजाकर करेंगे। क्योंकि होता यह था कि इसमें बैक डोर से एन्ट्री हो जाती थी। मान्यवर, महिला शिक्षा की बात आयी तो हमने इसके लिए भी प्रयास किया है। इस समय प्रदेश में 93 महिला विद्यालय महिलाओं के लिए हैं। हम और बनाने जा रहे हैं। अभी कुछ माननीय सदस्यों ने उच्च शिक्षा की बात कही। उच्च शिक्षा के विकास तथा छात्रों के प्रवेश को ध्यान में रखकर 1991-92 में 3 राजकीय महाविद्यालय तथा 7 अशासकीय महाविद्यालय खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। 60 से अधिक महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर नये विषय खोलने का क्लियरेंस प्रदान किया गया है।

लोक सेवा आयोग ने 406 रिक्त पदों को फरवरी, 1992 में विज्ञापन जारी कर दिया है। आयोग द्वारा वरीयता के आधार पर कार्यवाही की जा रही है। मान्यवर, मैं यह बताना चाहूंगा कि प्रदेश में अशासकीय एवं शासकीय महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत निर्धन एवं मेधावी छात्र-छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने के उद्देश्य से शासन स्तर पर शिक्षा विभाग के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश छात्र कल्याण निधि स्थापित की गयी है। निधि द्वारा वर्ष 88-89 के शिक्षा सत्र से छात्रवृत्तियों की स्वीकृति जारी की जा रही है। वर्ष 1990-91 में तीन हजार तीन सौ नवासी अर्ह छात्र-

छात्राओं को रु० 32,55,120 रुपये की धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में स्वीकृत की गयी है । वर्ष 1990-91 का कार्य पूरा किया जा चुका है । वर्ष 1991-92 के लिये लगभग 5,000 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिनका सारणीकरण का कार्य प्रगति पर है और इन आवेदन पत्रों को जमा करने की अन्तिम तिथि 30 अप्रैल, 1992 तक बढ़ा दी जिससे अधिक से अधिक छात्र-छात्राएं इसका लाभ उठा सकें । एक बात और है मान्यवर, पिछले वर्षों में दीक्षान्त समारोह समाप्त से हो गये थे परन्तु इस वर्ष कई विश्वविद्यालयों में दीक्षान्त समारोह हुए हैं । महाविद्यालयों में दीक्षान्त समारोह हुए हैं जिनमें मैं गया हूं । अन्त में मैं इतना कहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था कि–''भाजपा सरकार–जनता के द्वार'' उस पर पूरी तरह से खरी उतरी है । मैं अभी तक 14 विश्वविद्यालयों तथा लगभग 50 महाविद्यालयों में जा चुका हूं शिक्षकों, कर्मचारियों तथा छात्रों से मिला हूं । उनसे सम्पर्क किया हूं । जब तक हम शिक्षा के मामले में लोगों को कान्टेक्ट नहीं करेंगे, तब तक समस्याओं का पता नहीं चलेगा और तब तक शिक्षा के क्षेत्र में जो गुणात्मक सुधार हम करना चाहते हैं, वह नहीं हो सकेगा । अन्त में मैं श्री महक सिंह से अनुरोध करूंगा कि उन्होंने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसको वापस लें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय महक सिंह, आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री महक सिंह–

मान्यवर, मेरे द्वारा जो बातें उठाई गयी हैं, उनका समुचित और संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया है। जो सुझाव भी मेरे द्वारा दिये गये हैं, उनके बारे में कोई प्रकाश नहीं डाला गया है, इसलिये मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर पुनः बल दे रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 73–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 73–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,58,88,51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(मद संख्या–10(6) पुकारे जाने पर)

श्री इकबाल महमूद–

मान्यवर, कल भी हाउस साढ़े 10 बजे तक चला और आज भी 11 बज चुके हैं । दोपहर का खाना तो यहां हो जाता है, लेकिन रात के खाने का कुछ इन्तजाम तो करवा दें ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, अभी तो हाउस चलेगा, लेकिन हम लोगों के साथ-साथ जो यहां के कर्मचारी हैं, उनको भी कष्ट होता है । एक-एक दिन में दो-दो बजट रखे गये हैं । मैं चाहूंगा कि ऐसी व्यवस्था करें, जिससे एक दिन में एक ही बजट रखा जाय, जिससे खुलकर बहस हो ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात कार्य-मंत्रणा समिति में विचार के लिये प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

* बेसिक एवं प्रौढ़ शिक्षा राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

मान्यवर, यदि आपकी अनुमति हो तो प्राथमिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा दोनों का एक साथ प्रस्ताव कर दूं ।

श्री अध्यक्ष–

आप पहले मद संख्या 10(6) पढ़ें ।

वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या 71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) तथा अनुदान संख्या 74–शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा)

बेसिक एवं प्रौढ़ शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,03,36,92,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 74–शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,64,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी, 11 बजकर 8 मिनट हो रहे हैं, आप 11 बजकर 10 मिनट तक दो मिनट में अपनी बात कहें ।

---

*

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

आज मुझे इस सम्मानित सदन के समक्ष शिक्षा विभाग का यह प्रमुख बजट रखने का अवसर मिला है यह तो अभी शुरूआत है । मैं समझता हूं कि जिस तरह से घड़ी की सुई आगे बढ़ती जा रही है, वैसे-वैसे मुझे लग रहा है कि अगले दिन की बेला भी आती जा रही है । मैं जिस विभाग का बजट पेश कर रहा हूं वह प्राथमिक शिक्षा का है । अरुणोदय के सूर्य को लेकर उत्तर प्रदेश में आया हूं निश्चित ही उसी आभा में अवलोकित भी करूंगा । इसलिये आप उसमें नहाने के लिए तैयार रहें । माननीय अध्यक्ष जी के अनुसार कुछ मुख्य-मुख्य बातें आपके समक्ष रखूंगा । पूरी शिक्षा के बजट में प्राथमिक शिक्षा में 53.5 प्रतिशत का परिव्यय रखा गया है । आपको तो हर्ष होना चाहिये । गत वर्ष की तुलना में यह 101 करोड़ रुपए ज्यादा है । उत्तर प्रदेश में इस समय 77 हजार प्राथमिक विद्यालय और 15 हजार उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं । प्राथमिक विद्यालय में 157 लाख व उच्च प्राथमिक विद्यालय में 49 लाख छात्रों की संख्या हैं ।

1992-93 में हमने एक लक्ष्य तय किया है कि 6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की पूरी की पूरी प्राथमिक स्तर पर संख्या 156.44 लाख की जाय । इसकी आवश्यकता इस नाते भी पड़ी कि अभी भी हमारे देश में और प्रदेश में असेवित बस्तियां हैं । शिक्षा समाज का एक ऐसा अंग है कि अगर शिक्षा नहीं रहेगी तो कोई विकास नहीं हो पायेगा । इसलिए उस विकास को दृष्टि में रख कर के हम लोगों ने यह प्रयास किया है । हम इस प्रयास में सफल भी रहेंगे । आठवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक उत्तर प्रदेश में एक भी ऐसी असेवित बस्ती नहीं रह जायेगी, जहां पर यह सरकार विद्यालय न दे दे । हम तो इससे भी आगे जाना चाहते हैं । उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली को रास्ता जाता है, इसलिए अब हम दिल्ली के रास्ते पर बढ़ रहे हैं । इस क्रम में हमने यह तय किया है कि 195 उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 577 प्राथमिक विद्यालय इस वर्ष खोलने का हमने विचार किया है । ऐसी असेवित बस्तियों में जहां विद्यालय नहीं हैं, 1992-93 में वहां पर प्राइमरी तथा 200 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने पर हम विचार कर रहे हैं । हमारे कदम बढ़ते जा रहे हैं और निश्चित ही उससे आप लोगों को लाभान्वित होना पड़ेगा क्योंकि हम जो अपना विचार लेकर चले हैं सामान्य रूप से यह पृष्ठों का भाषण नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों का एक अंक है जो प्रदेश की जनता के सामने हम रख रहे हैं और वादा करते हैं कि हर पृष्ठ पर अपना निसान छोड़ूंगा, मैं अपना रिस्ता केवल सच से जोड़ूंगा, अंधेरी रात चमकती रहेगी सदियों तक उस रोशनी की आनबान छोड़ूंगा । मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 1992-93 में 228 भवन उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण के लिये 411 लाख रु० का प्राविधान इस बजट में हमने किया है । 100 नवीन विद्यालयों तथा 200 प्राथमिक विद्यालयों के लिये 10 लाख रुपये तथा 66 लाख रुपये का प्राविधान किया है ।

1991-92 में 300 विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिया गया वर्ष 1992-93 में 100 विद्यालयों को अनुदान सूची पर लेने का प्रस्ताव है उस संदर्भ में 8.73 करोड़ रुपये का प्राविधान बजट में कर दिया है।

मान्यवर, विज्ञान शिक्षा का बहुत महत्व है विज्ञान शिक्षा को पूरी तरह सुसज्जित रखने के लिये हम आगे बढ़ रहे हैं और उस कार्यक्रम में भी 1992-93 में 856 जूनियर हाई स्कूलों को विज्ञान साज-सज्जा उपलब्ध कराने के लिये 1.028 लाख रु० तथा 337 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिये 16.85 लाख रुपये का प्रस्ताव बजट में किया है ।

जो औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं उन्हें अनौपचारिक शिक्षा का लाभ मिले उसके लिये 59577 केन्द्रों को 596 विकास खण्डों में अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से लगभग 15 लाख छात्रों को लाभ प्राप्त हो रहा है उसको और आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं । इसके साथ ही साथ एक त्रिकोण जो अध्यापक, छात्र और समाज का है उसको भी हम समाज से जोड़ सकें इसके लिये स्थानीय स्तर पर शिक्षा समितियों का निर्माण प्रभावी ढंग से करने का विचार किया गया है । अध्यापक गुरू का स्थान रखता है जो बच्चों को शिक्षा देता है । उसके संदर्भ में भी विचार करना आवश्यक है । अध्यापकों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से 1120 अध्यापकों को पुरस्कृत करने के लिये 6 लाख रुपये का प्राविधान किया है उनके भ्रमण के लिये बजट में प्राविधान किया है । इसके साथ ही साथ प्रौढ़ शिक्षा को उत्तर प्रदेश में एक नया आयाम के साथ आगे बढ़ा रहे हैं ।

[समय 11 बजकर 20 मिनट]

हमें इनाम लेने की जरूरत नहीं है । इसके बारे में तो आप दिल्ली की अपनी सरकार से पूछिये । उत्तर प्रदेश में जिस तरह से प्रौढ़ शिक्षा चल रही थी उसमें भारी परिवर्तन किया गया है । आपको जान कर खुशी होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो प्रौढ़ शिक्षा चल रही थी उसको हमने समाप्त किया है और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इसमें जिन लोगों को सेवा से निवृत्त किया गया था उनको दूसरे विभागों में ले जाकर लगा दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष–

यह सब यहां कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है । अनुदान वार ब्यौरा की जो पुस्तक है उसके पृष्ठ 115 और 125 पर पूरा ब्यौरा दिया हुआ है । जिसे आप सब लोग पढ़ लेंगे ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

हमारा यह प्रयास होगा, हमारी सरकार का यह प्रयास होगा कि केन्द्र सरकार हमारे साथ किसी प्रकार की किसी मामले में बेईमानी न कर सके । इसलिये प्रतिपक्ष में कांग्रेस आई के साथियों से भी निवेदन करूंगा कि वह उत्तर प्रदेश की जनता के साथ सरकार के साथ कहीं भी बेईमानी न होने दें । (व्यवधान) अभी आप अकेले हैं और भविष्य में भी अकेले रहने वाले हैं । हम तो दिल्ली पहुंचने वाले हैं । यह अकेले रहने की प्रक्रिया तो आप के साथ सदा चालू रहेगी । इसके साथ-साथ प्रदेश में उर्दू की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये व्याकुल हैं, तो 384 अरबी फारसी के मदरसों को अनुदान सूची में लिया गया है । उर्दू टीचर्स भी हम कहीं कम नहीं कर रहे हैं । 264 जो जूनियर हाई स्कूल हैं उनमें उर्दू छात्रों के अध्यापन के लिये पूरी तरह से अनुदान का प्राविधान किया गया है । इसलिये आप निश्चिन्त रहिये ..... (व्यवधान) ..... हम बोलने को तैयार हैं, लेकिन हमारे बड़े भाई दीक्षित जी ..... (व्यवधान) आप झेलने की बात न कीजिये आप झेल तो उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं पाये । इतना अच्छा भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा-पत्र रखा है, क्योंकि जनता से किये गये वायदे को हम पूरा कर रहे हैं और स्वयं उत्तर प्रदेश में एक नई शुरूआत शिक्षा के क्षेत्र में सूर्य को आच्छादित कर रहे हैं औ

अन्धकार को विलीन करते हुए नये सूर्य का उदय मैं समझता हूं कि अब आप सबके द्वारा यह बजट निश्चित रूप से पास किया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

श्री हृदय नायरायण दीक्षित जी, लेकिन समय का ध्यान रखिये । जैसा अभी श्री हरेन्द्र सिंह जी ने कहा है आप कर्मचारियों का भी ध्यान रखें । माननीय सदस्यों की इस विलम्ब के कारण और कर्मचारियों की असुविधा को भी ध्यान में रखते हुए आप अति संक्षेप में कहें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 74–शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, समय कम है, इसलिये संक्षेप में कहूंगा ।

मान्यवर, आय-व्ययक 1992-93 के संबंध में कार्यपूर्ति दिग्दर्शक पुस्तिका जो दी गयी है उसके प्रारम्भ में "सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया" लिखा हुआ है जो कि गलत है । यह सरकारी छापेखाने की जो भूल है, प्राथमिक शिक्षा के बजट साहित्य में तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की क्या दुर्दशा होगी ? मान्यवर, शिक्षा मंत्री बड़े उत्साही हैं, इसलिये मैं समझता हूं कि जो उन्होंने कहा है वह करेंगे । उन्होंने अभी घोषणा की है कि नये स्कूल खोले जायेंगे । तो मैं उन्हें जानकारी देना चाहता हूं कि जो विद्यालय 31 मार्च, 1992 तक खोले जाने थे, जैसा कि इस पुस्तक में लिखा हुआ है कि खुल गये, तो मान्यवर, इसमें से कोई भी स्कूल अभी तक नहीं खुला है । उन्नाव में 43 प्राथमिक स्कूलों और 3 जूनियर हाई स्कूलों में से एक भी नहीं खुला है । इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों जैसे मैनपुरी, बुलन्दशहर, बाराबंकी व मुजफ्फरनगर आदि में भी जैसा वहां के मा० सदस्य बता रहे हैं, नहीं खुले हैं । मैं समझता हूं कि मंत्री जी को अधिकारियों ने गलत सूचना देकर गुमराह किया है । प्राथमिक शिक्षा बड़ा ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण मामला है क्योंकि इसमें हमारे छोटे बच्चे, जिनमें उनके अन्दर विकास की जो उच्चतर सम्भावनायें होती हैं उनको बाहर लाने का हम उपाय करते हैं और वह अच्छी प्राथमिक शिक्षा होने पर ही उनके अन्दर की प्रतिभा बाहर ला सकते हैं । बच्चा जो बीज रूप में है बहुत प्यारा-प्यारा । इसकी सम्भावना है कि वह पेड़ बन सकता है, पेड़ फिर और उच्चतर सम्भावना की यात्रा पर जाता है और फूल खिलते हैं । ऐसा ही बच्चों के साथ है । फूल और उच्च और चरम सम्भावना की ओर उन्मुख हो तो महक फूटती हैं, यही महक सुरभि आगे फिर अनेकानेक बीज बनती है, बनाती है अपने जैसे बच्चों में भी अनन्त सम्भावनायें जो प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से बाहर लायी जा सकती हैं । लेकिन शिक्षा का तंत्र खड़ा करने में पहले की सरकारों ने भी इसके विकास के लिये जो वरीयता देनी चाहिए थी वह नहीं दी । इसका नतीजा है विद्यालयों से निकलने वाला छात्र कक्षा 6 या जब कक्षा 9 में पहुंचता है तो उनमें वह क्षमता नहीं होती है कि बड़ी-बड़ी पुस्तकों का बोझ वहन कर सके । इसी का परिणाम है कि इस देश की प्रतिभायें जो दुनिया में नाम कमाती रही हैं उसमें कमी आयी है और शिक्षा का जो उद्देश्य बताया गया है वह पूरा नहीं हो रहा है क्योंकि शिक्षा की पहली शर्त है मुक्ति सा विधाः या विमुक्तए शिक्षा मुक्त नहीं करती है । शिक्षा की दूसरी शर्त है विनय,

दूसरी शर्त है विनय, शिष्ट बनाये शिक्षा "विद्या ददाति विनयं" । लेकिन ज्यों-ज्यों पढ़ते हैं त्यों-त्यों हम अशिष्ट होते जाते हैं । तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि चाहे संयोगवश ही यह सरकार आयी हो । माननीय शिक्षा मंत्री जी को यह कोशिश करनी चाहिए कि शिक्षा का जो उद्देश्य रहा है संस्कार क्षम्म समाज बनाने का उसकी क्षमता है उसमें मैं मांग करता हूं कि मंत्री जी व इस सरकार में बैठे हुए अन्य जिम्मेदार लोग देखें कि आज प्राथमिक शिक्षा की स्थिति बहुत खराब हो गयी है । चूंकि समय कम है मैं इस विषय को विस्तार से नहीं लूंगा लेकिन मसला गम्भीर है इसलिये एक छोटी सी कहानी, जो मैंने एक किताब में पढ़ी है, कह कर अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं ।

एक प्राइमरी विद्यालय में एक एस० डी० आई० पहुंचे और उन्होंने वहां जांच-पड़ताल शुरू कर दी । उन्होंने एक पाठ की कविता जो वहां पढ़ाई जा रही थी "नाथ शम्भु धनु भंजनिहारा, होइहे कोऊ एक दास तुम्हारा " के अनुसार बच्चों से पूछा बच्चों का नाम लिया राम या श्याम या किशोरी श्याम जी का ही नाम लेकर पुकारा कि यह भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा ? बच्चे को लगा कि हमने नहीं तोड़ा । दूसरे बच्चे से पूछा उसने भी कहा हमने नहीं देखा । इस तरह से एस० डी० आई० को लगा कि ठीक नहीं है, यहां की स्थिति तो उन्होंने प्राध्यापक से पूछा कि प्राध्यापक ने कहा मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है । अगर आप कहते हैं तो ठीक है, धनुष किसने तोड़ा हम जांच पड़ताल करा देंगे और पता लगायेंगे । एस० डी० आई० को बड़ा आश्चर्य हुआ उन्होंने सोचा सरकार बदल गई । मैं प्रार्थना करूंगा कि जैसा मंत्री जी कहते हैं उन्नयन चाहते हैं । वैसा ही इस कथा का संदर्भ लें । बहरहाल एस० डी० आई० सत्ता पार्टी के नेता के पास पहुंचे और कहा कि क्या व्यवस्था है न तो कोई बच्चा बता रहा है और न ही प्राध्यापक ही बता पाये । जरा इसको देख लीजियेगा । उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जांच पड़ताल करवा लेंगे परन्तु आप यह तो बताइये कि आप धनुष लेकर वहां क्यों आये थे ? आज यह दशा है प्राथमिक विद्यालयों की ।

शिक्षक विद्यालयों में जाते ही नहीं हैं । मान्यवर, जब हम पढ़ते थे एक कविता थी–"मेंढक ने ली मीठी तान और गदहे ने गाया गान" । मान्यवर, यह देश तो तानसेन का देश रहा है । यहां पर तानसेन जैसे गवैये पैदा हुए हैं । हमारी यहां शिक्षा मेंढक से शुरू होकर गदहे तक चली जाती है । प्राथमिक शिक्षा मेंढक से शुरू होकर गदहे तक चली जाती है । मुझे उम्मीद है कि इस तरफ भी ध्यान दिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मैं बस खत्म कर रहा हूं । मान्यवर, आज विद्यालय के भवन नहीं हैं । मैं तारीफ करना चाहूंगा पुरानी सरकार की । जब श्री मुलायम सिंह ने घोषणा की थी कि पूरे प्रदेश के विद्यालय के भवन बनाये जायेंगे । इसके बाद जब इनकी सरकार आयी तो मैं नहीं जानता कि जानबूझकर या वित्तीय परिस्थितियों के खराब होने के कारण भवन बनाने का काम रोक दिया गया है । टाट पट्टी नहीं है । उसकी व्यवस्था करानी होगी । एक और गम्भीर बात है कि प्राइवेट स्कूलों की संख्या सरकारी स्कूलों से ज्यादा हैं । इस आदरणीय सदन में कई प्रश्न हुए हैं जिनके उत्तर में इस सरकार ने व पूर्ववर्ती सरकार ने स्वीकार किया है कि प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की तादात घटी है । आबादी बढ़ी, मगर प्राइमरी स्कूल में बच्चे घटे जबकि पहले प्राथमिक विद्यालयों में काफी बच्चे पढ़ने जाया करते थे परन्तु अब इनकी

संख्या में भी कमी हुई है । क्योंकि सरकार के समानान्तर इन प्राइवेट स्कूलों में अच्छे घरों से बच्चे आते अब ज्यादातर बच्चे उन्हीं स्कूलों में चले जाते हैं । मान्यवर, इन प्राथमिक विद्यालयों से ही हमने शिक्षा ग्रहण की है । लेकिन श्रीमन्, अब वहां पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है । मुंशी जी आते नहीं हैं । निरीक्षण होता नहीं है । कोई बेसिक शिक्षा अधिकारी जांच नहीं करते हैं । एस०डी०आई कोई जांच नहीं करते हैं । मान्यवर, बी०टी०सी० प्रशिक्षित लोग बेरोजगार हैं और इसी उत्तर प्रदेश में मारे-मारे फिर रहे हैं । सरकार का मानक है कि प्रति 40 बच्चों पर एक अध्यापक दिया जायगा, लेकिन उससे कम अध्यापक हैं । जूनियर हाई स्कूल में संबंधित विषय में अध्यापक नहीं हैं । इनके पास वित्तीय संसाधन नहीं हैं तो जूनियर हाई स्कूल में अध्यापकों की नियुक्ति के बारे में उदारता बरतें यह सुझाव मेरा है । बी०टी०सी० प्रशिक्षित अध्यापक लगाए जाएं । अगर हम बेसिक शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो अच्छे समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता है । प्रौढ़ शिक्षा की बात आई है । प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम भारत द्वारा संचालित किया जा रहा है ।

नयी सरकार ने इसको समाप्त कर दिया है । दूसरे कार्यक्रम की बात कही है प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम सब में चलता है । राज्य संदर्भ केन्द्र की बात कही गई । यहां से मान्यवर, मात्र 10-12 किलोमीटर की दूरी पर साक्षरता निकेतन नाम की संस्था है । भारत सरकार द्वारा 70 प्रतिशत और राज्य सरकार द्वारा 30 प्रतिशत क्षतिपूर्ति अनुदान इसको दिया जाता है । यहां प्रौढ़ शिक्षा का कोई साहित्य नहीं है मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि कटौती के प्रस्ताव पर हमारे दूसरे साथी को बोलना था वह नहीं आ पाए इसलिए मैं बोल रहा हूं । निकेतन में वहां साहित्य कुछ नहीं होता है न कोई प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है, मैंने कई बार कहा है । भारत सरकार द्वारा धन दिया जाता है । मैं कड़ुवा सत्य बोलने का आदमी नहीं हूं यह सब धन खा जाते हैं । उत्तर प्रदेश सरकार की धनराशि सब खा जाते हैं । कोई प्रशिक्षण की सामग्री नहीं आती है केन्द्रों पर कोई लालटेन तक नहीं आती है । सारा पैसा व्यर्थ चला जाता है । अन्त में इन्होंने जो साहित्य दिया है यह केवल आंकड़ों का जाल है जो बिन्दु मैंने उठाये हैं और माननीय सदस्य भी उठायेंगे । आप इसकी जांच करवा लें कि भारत सरकार का रुपया उत्तर प्रदेश सरकार का धन राज्य संदर्भ केन्द्र द्वारा प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है उसका दुरुपयोग हो रहा है आपने कहा 11 वर्ष से ऊपर के बच्चों को किन्हीं कारणों सामाजिक आर्थिक आदि से प्राथमिक शिक्षा नहीं मिल पाती है तो उसके लिये अलग से अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गयी है तो इसमें भी कोई पढ़ाने नहीं आता है अगर इसमें आप नियुक्ति करते हैं तो कुछ पैसा पढ़ाने वालों को भले ही मिल जाता हो । भारतीय संविधान के अनुच्छेद–45 में है कि राज्य की ज़िम्मेदारी है कि प्राथमिक शिक्षा की पूरी व्यवस्था करना वह आप करें । हमारे युवा राज्य शिक्षा मंत्री मा० शुक्ला जी जो भारतीय संविधान की धारा है जो संकल्प है उस पर विचार करेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल दे रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

मैं सोच रहा हूं कि 11.50 पर समाप्त कर दूं । मैं 11.45 पर मंत्री जी को आमंत्रित करूंगा ।

श्री मोहम्मद हसन एडवोकेट–

मान्यवर, मैं आपकी मेहरबानी से कटौती के प्रस्ताव की हिमायत करने के लिये खड़ा हुआ हूं । हमें उम्मीद थी कि राज्य शिक्षा मंत्री जी अपने भाषण में कुछ ऐसी बातें कहेंगे जिससे बुनियादी तब्दीलियां शिक्षा में नजर आयेंगी । हमें उनके भाषण को सुन कर बड़ी निराशा हुई । अभी 21वीं सदी में शिक्षा के मैदान में छलांग लगाने की बात की जा रही थी । लेकिन हमारे बहुत से गांव ऐसे हैं जो शिक्षा की

रोशनी से महरूम हैं । जहां स्कूल नहीं हैं बिल्डिंग है वहां टीचर नहीं हैं जहां टीचर हैं वहां ब्लैक बोर्ड टाट पट्टी नहीं है । टीचर्स जिस गांव के रहने वाले हैं वहीं के स्कूलों में सर्विस करते हैं और 20-20 साल हो गये हैं उनका ट्रांसफर नहीं होता है । बी० एस० ए०, एस० डी० आई० से उनके पैसे बंधे होते हैं । मेरा सुझाव है कि जिस गांव का टीचर रहने वाला हो वहां से उसको हटाया जाय क्योंकि वह बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं अपनी खेती या कारोबार करते हैं । जहां तक विधायकों का सवाल है उनको शिक्षा समितियों का मेम्बर नहीं बनाया गया है । उर्दू के बारे में अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि यह इस देश की जबान नहीं है ।

मुझे खुशी है कि राज्य शिक्षा मंत्री जी ने उर्दू के बारे में कुछ रिलीफ देने की बात कही है । मैं बताना चाहता हूं कि उर्दू टीचर्स को तनख्वाह नहीं मिल रही है और बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां पर उर्दू टीचर्स के एप्वाइंटमेंट नहीं हुए हैं । मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपकी बड़ी मेहरबानी होगी यदि आप शिक्षा में धर्म और राजनीति को न डालें । यह टैस्टबुक्स जो लिखी जा रही हैं उनसे ऐसा लगता है कि एक फिरके के लोगों को हीरो बनाया जा रहा है और दूसरे फिरके के लोगों को जीरो बनाया जा रहा है । तो यह फिरकापरस्ती का जहर शिक्षा में न मिलायें । बेसिक शिक्षा हमारी बुनियादी चीज है यहां से जो मेटीरियल निकलता है वह आने वाले दिनों में हिन्दुस्तान की जिम्मेदारी संभालेगा इसलिये इस बुनियाद को मजबूत कीजिये । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव की हिमायत करता हूं । शुक्रिया ।

श्री लक्ष्मेश्वर सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जीवन में नैतिक मूल्यों का ह्रास दिन प्रति दिन होता जा रहा है । माननीय राजनाथ सिंह और माननीय कैलाश नाथ सिंह ने इस बात का जिक्र किया है कि शिक्षा में किसी न किसी रूप में नैतिक शिक्षा को जरूर लाया जाय । दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी न किसी रूप में जन प्रतिनिधियों को, विधायकों को शिक्षा समितियों में लिया जाय और उनसे राय मशविरा किया जाय । एक चीज नकल करने के संबंध में आयी । इसके बारे में तरह-तरह की चर्चायें हैं । इसमें पुलिस का सहयोग लिया गया है ताकि नकल रुके । नकल रोकने के लिये पुलिस का सहारा लिया जायेगा तो जो पीलीभीत में आतंकवादी पुलिस और जनता को मार रहे हैं क्या उसके लिये आई० सी० बी० एम० या ए० पी० सी० का आप इस्तेमाल करेंगे ? दूसरी समस्या मेरे क्षेत्र की है, हमारे यहां कुसमह और महोडर में कोई बालिका विद्यालय नहीं है । इन दोनों जगहों पर बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था करने की कृपा करें । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं । धन्यवाद ।

श्री गंधर्व सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये अवसर दिया । माननीय मंत्री जी ने बजट प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं । मैं आपके माध्यम से मा० मंत्री को सुझाव दूंगा कि प्राइमरी पाठशालाओं में उसी गांव के अध्यापक न नियुक्त हों वह स्कूल में नहीं जाते और न छात्रों को ही पढ़ाते हैं । अतः ऐसी व्यवस्था करा दी जाये कि प्राइमरी के अध्यापक जिले के अन्तर्गत दूसरी तहसील में नियुक्त हों तथा समय पर पाठशालायें खुलें विशेषरूप से देहाती क्षेत्र की पाठशालाओं का खुलना तथा अध्यापन कार्य सुनिश्चित कराया जाय ।

श्री इकबाल महमूद–

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, समय बहुत कम है। सबसे पहली बात यह है कि जितने भी स्कूलों में 10 प्रतिशत मुस्लिम पढ़ते हों वहां पर कम से कम उर्दू के अध्यापक का इंतजाम जरूर कर दें। दूसरे मैंने अपने जनपद में देखा कि जो स्कूल आपने दिये, खत्म कर दिये गये हैं। हर विधायक को पहले दो-दो स्कूल दिये गये थे। मेरे यहां मालूम हुआ कि पैसा वापस चला गया। मेरे जनपद में अब कोई भी स्कूल नहीं खुलना है, न ही पुराने टूटे भवनों का निर्माण होना है। इस पर खास-तौर से देख लें। जो स्वीकृतियां हैं उनके मुताबिक स्कूलों का निर्माण हो जाय और नये स्कूलों के लिये स्वीकृति दोबारा भेज दी जाय और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनको मौका मिले।

श्री छत्रपाल वर्मा–

मान्यवर, प्रौढ़ शिक्षा में फतेहपुर में देखा गया गया है कि धन का घोर अपव्यय होता है। उसको बेसिक शिक्षा में, बिल्डिंग में या अन्य कामों में लगाया जाय तो ठीक रहेगा। दूसरे विद्यालयों में टीचर कम हैं और समय से जाते नहीं हैं। दिन भर लड़के बैठे रहते हैं। इसलिये एक गांव सभा के टीचर उसी गांव सभा में न रख कर दूसरी गांव सभा में रखे जायं। वे अपने खेत में काम करते हैं और स्कूल में सोते हैं। चौथे बहुत से टीचर ट्रेनिंग पाये हुए घर पर बेकार बैठे हैं और स्कूलों में टीचरों की संख्या कम है। चालीस पर एक अध्यापक होना चाहिए, लेकिन 70 पर 80 पर एक टीचर है। इस विसंगति को दूर किया जाये। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

मान्यवर, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इलाहाबाद के चायल विधान सभा क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं क्योंकि इसके बारे में मैंने व्यक्तिगत रूप से मिल कर और पत्र लिख कर भी अनुरोध किया था। शासनादेश में यह व्यवस्था है कि किसी भी विकास खण्ड से प्राथमिक विद्यालय का स्थानान्तरण उसी विकास खण्ड में होना चाहिए लेकिन मेरे क्षेत्र चायल में नेवादा ब्लाक के ग्राम सभा अवधन और बसुहार के स्कूलों को दूसरी तहसील हंडिया सैदाबाद ब्लाक में स्थानान्तरित कर दिया गया है। इस तरह से शासनादेश का उल्लंघन हो रहा है, उसको रोका जाय। उन विद्यालयों को उसी विकास खण्ड में स्थापित कराने की कृपा करें। मेरे क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों की कमी है कम से कम 20 विद्यालयों की स्वीकृति दें। इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं केवल तीन बातें कहूंगा। प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा को समाप्त कर दें और इसमें केन्द्र से जो मदद मिलती है उसे दूसरी मदों में ले लें। दूसरे हमारे साथ एक मजाक हो रहा है। हर जनपद में एक शिक्षा सलाहकार समिति है। उसमें हम जो सुझाव देते हैं, वहीं पर डी० एम०, बी० एस० ए० और डी० आई० ओ० एस० की शिक्षा समिति है जो हमारे सुझावों पर फिर से विचार करती है। तो या तो उस शिक्षा समिति को खत्म कर दिया जाय या फिर हमें उसका मेम्बर बनाया जाय। मान्यवर, हमारे मुजफ्फरनगर में स्कूलों के निर्माण में देरी का कारण यह है कि कास्ट आफ कान्स्ट्रक्शन बढ़ी है तो बजट में पूर्व के जो स्कूल रहे हैं उनको दिखवा लें और आर्थिक सहायता की व्यवस्था करा दें। इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। और उस पर कार्यवाही करा लें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय दीक्षित जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के पद मैनपुरी में सृजित नहीं किये गये, जबकि एटा, इटावा, फर्रुखाबाद समीप जनपदों में पद सृजित किये गये । हमारी समस्या यह है कि दूसरे जनपदों से शिक्षक लोग मैनपुरी में स्थानान्तरण करा लेते हैं और शासन स्वीकृति दे देता है, यह प्रक्रिया रोकी जाय । मैनपुरी में पुराने बी० टी० सी० ट्रेंड लड़के हैं जो बूढ़े होने वाले हैं, उनको नौकरी अभी तक नहीं मिली है । दूसरा यह है कि मैनपुरी जनपद में विधान सभा क्षेत्र किशनी में पहले पिछली सरकार में प्राइमरी पाठशाला स्वीकृत हुआ था, उसका माननीय मंत्री जी निर्माण रोक रहे हैं, नाजायज दखलंदाजी कर रहे हैं, जबकि शासनादेश भी हो गया है और अभी शिक्षा सलाहकार समिति में सर्वसम्मति से बैरागपुर में भवन निर्माण करने के लिये प्रस्ताव पारित किया गया है । इस तरह से मैं कहना चाहता हूं कि अविलम्ब बैरागपुर प्राइमरी पाठशाला का भवन निर्माण कराया जाय । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

माननीय अध्यक्ष जी, पिछली सरकार द्वारा यह घोषणा की गयी थी कि जहां पर भवनहीन विद्यालय हैं, वहां भवन बना दिये जायं । इसी सिलसिले में मेरे जनपद के ब्लाक दोहरी घाट, फतेहपुर मंडाव तथा घोसी में जहां पर विधायक, ब्लाक प्रमुख तथा सदस्य जिला परिषद् के द्वारा आधारशिला रखी गयी थी, उसका निर्माण कार्य करा दिया जाय । जहां पर भवनहीन विद्यालय हैं, जहां पर लड़कों को पढ़ाई की सुविधा नहीं है, मैं तो चाहूंगा कि वहां पर नये विद्यालय खोलने के बजाय पुराने विद्यालय के भवन को ही बना दिया जाय । जहां पर बी० टी० सी० प्रशिक्षित लड़के बेकार पड़े हैं उनकी उम्र इतनी बीत गयी कि आज तक उनकी नियुक्ति नहीं हो पायी, जहां पर अध्यापक कम हैं, वहां पर उनकी नियुक्ति करायी जाय । जैसा मलिक जी ने कहा कि प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा कागज पर है, उसे समाप्त कर दिया जाय । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक जो हैं, विद्यालयों में जाते नहीं हैं, मान्यवर, नकल की तरह से संज्ञेय अपराध की तरह से कोई भी कानून बना कर इन अध्यापकों को विद्यालयों में जाने के लिये आप बाध्य करें, जिससे पढ़ाई सुचारु रूप से हो सके । मान्यवर, इस रात को तो काटेंगे, मगर यह तो बताओ मेरे यारो, इस रात के बाद कोई रात तो नहीं है । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

* श्री किशोरी श्याम–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं और इतनी ही बात कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ऐसी शिक्षा न दें, यह बात मैं तीनों मंत्रियों से कह रहा हूं कि वे ऐसी शिक्षा न दें, जैसे हमारे क्षेत्र में एक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लड़का एम० ए० पास है और मोटर चलाता है, जब मोटर का हार्न बजाता है, तो कहता है कि हटो, मैं एम० ए० पास हूं। इसी तरह से एक लड़का एम० एस सी० है और वह बैलगाड़ी चलाता है, तो वह बैलों से कहता है कि सीधे चलो मैं एम० एस सी० पास हूं। तो मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे शिक्षा मंत्री जी इस बात पर ध्यान दें कि कहीं ऐसी पुनरावृत्ति भूल से न हो जाय। इतनी बात कह कर माननीय मंत्री जी ने जो बजट रखा है, उसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, प्रौढ़ शिक्षा को समाप्त किया जाये, प्रौढ़ शिक्षा का जमाना नहीं है, लेकिन सरकार उसे समाप्त नहीं कर सकती है, क्योंकि केन्द्र सरकार उसमें आती है। प्रौढ़ों को पढ़ाने में बड़ी दिक्कत आती है। आशा है कि जो बिन्दु हमने उठाये हैं, उनका उत्तर माननीय मंत्री जी अवश्य देंगे। मान्यवर, अध्यापक स्कूलों में नहीं जाते हैं, उनकी हाजिरी पर विचार जरूर करेंगे और इस बारे में सरकार का स्पष्ट रुख आ जाना चाहिए और इस पर कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए और इस पर स्पष्ट आश्वासन आना चाहिए। मान्यवर, जूनियर हाई स्कूल की मान्यताओं में शिथिलीकरण पर घोषणा करें। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, जो सुझाव माननीय सदस्यों के आये हैं, उन पर जो भी उचित होगा, निर्णय लिया जायेगा, उन पर हम विचार करेंगे, लेकिन दो तीन बातों पर हम जरूर कह देना चाहते हैं। एक तो अरबी शिक्षक की बात उठायी गयी है, तो मैं कहना चाहता हूं कि उसकी व्यवस्था है। पुनरीक्षण और सेलेक्शन ग्रेड अभी तक 12 वर्ष पर दिया जाता था, अब वह 10 वर्ष कर दिया जायेगा। 10 प्रतिशत मुस्लिम बच्चों की बात कही गयी है, तो यह व्यवस्था है। मान्यवर, जो भवनहीन विद्यालय हैं उनके लिये 411 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। इसी बजट में प्राविधान किया गया है। इन शब्दों के साथ मैं दीक्षित जी से कहूंगा कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लें।

श्री अध्यक्ष–

क्या आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

जी नहीं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अधीन सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,03,36,92,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 74–शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) के अधीन सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 74–शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,64,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

जनपद मऊ में जिला प्रशासन द्वारा किये जा रहे उत्पीड़न के विरुद्ध आयोजित सभा पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

इसे माननीय मंत्री जी के अनुरोध पर स्थगित कर दिया गया है ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 21-4-92 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 11 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें से मैंने माननीय लाखीराम जोशी की सूचना को वक्तव्य के लिये, श्री मातवर सिंह कण्डारी की सूचना को केवल वक्तव्य के लिये, श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय की सूचना को केवल वक्तव्य के लिये तथा श्री स्वामी नाथ यादव की सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं । शेष सूचनाएं अस्वीकार हुईं ।

गढ़वाल मण्डल के विद्युत अप्रेन्टिस बेरोजगारों को राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत रिक्त पदों पर नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत ऊर्जा राज्य मंत्री का वक्तव्य

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री रविकान्त गर्ग)–

विद्युत परिषद् के अधीन प्रशिक्षु अधिनियम.....

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

यह पढ़ा हुआ माना गया ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री रविकान्त गर्ग–

[विद्युत परिषद् के अधीन प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के प्राविधानों के अन्तर्गत विभिन्न व्यवसायों में अलग-अलग अवधि जो न्यूनतम 6 माह व अधिकतम 1 वर्ष है, के लिये 5,500 से अधिक आई० टी० आई० एवं 666 डिप्लोमाधारी तथा कुछ स्नातक अप्रेन्टिस प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं । प्रशिक्षोपरान्त प्रति वर्ष इतनी बड़ी संख्या में परिषद् में प्रशिक्षुओं को नियमित नियुक्ति में रखना सम्भव नहीं है । अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार इन प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षुओं को संबंधित विभागों में नियमित सेवा में रखने का कोई प्राविधान नहीं है और न ही अधिनियम की धारा 22(1) के अनुसार परिषद् इसके लिये बाध्य है । इसके अतिरिक्त परिषद् की विषम वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए परिषद् में नई नियुक्तियों पर पूर्व में कई वर्षों से प्रतिबन्ध लगा हुआ है । किसी क्षेत्र विशेष के प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षुओं को परिषदीय सेवा में लिये जाने पर पूरे प्रदेश में यही मांग उठाई जायेगी, जिसको मानना सम्भव न होगा ।

प्रशिक्षुओं से संबंधित शासनादेश संख्या–735/36-6-15 (टी)–79, दि० 12 नवम्बर, 1979 जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त अप्रेन्टिसों को नियमित नियुक्ति में अन्य अभ्यर्थियों की अपेक्षा वरीयता प्रदान कर नियुक्ति देने का प्राविधान है, विद्युत परिषद् ने उसे अंगीकार करके अपने अधीनस्थ समस्त इकाइयों को परिषदीय आदेश संख्या–370 ईए/राविप(ओ स०-18)/91-4(6) अप्रै०/78, दि० 28-1-91 द्वारा सीधी भर्ती के समय प्रशिक्षिुओं को परिषद् की नियमित सेवा में अन्य अभ्यर्थियों के समान योग्यता का ध्यान रखते हुए वरीयता के आदेश निर्गत कर दिये हैं ।

चूंकि परिषद् में चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी के पदों पर सीधी नियुक्ति पर प्रतिबन्ध लगा है, अतः ऐसी स्थिति में बेरोजगार अप्रेन्टिसों को परिषद् में नियुक्ति में वरीयता प्रदान करने का प्रश्न तभी उठता है, जब नियुक्तियों पर लगाया गया प्रतिबन्ध हट जायेगा ।]

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 14 एवं 15 स्थगित हैं ।

जनपद गाजीपुर के परगनाधिकारी, जमानिया के कार्यालय के टंकक एवं अधिवक्ता के विवाद को लेकर कलेक्ट्रेट में चल रही हड़ताल से उत्पन्न स्थिति पर नियम 51 के अन्तर्गत वित्त मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

यू० पी० स्टेट हार्टिको के छटनीशुदा कर्मचारियों को राज्याधीन सेवाओं में समायोजित न किये जाने विषयक दि० 31 मार्च, 1992 के तारांकित प्रश्न सं० 3 नत्थी (ख) के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा का स्थगन

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन रात्रि के 12 बजे अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
21 अप्रैल, 1992

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नोट :– [| यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

नत्थी 'क'

(देखिये अता० प्र० सं० 62 का उत्तर पीछे पृष्ठ 47 पर)

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् में उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् एवं पी० सी० यू० से प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों की सूची

क्रम सं०	कर्मचारी का नाम	पदनाम	परिषद् में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	पैतृक विभाग का नाम
	सर्वश्री			
1	वी० के० श्रीवास्तव	अवर अभियन्ता (विद्युत)	30-1-84	उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद्
2	पी० एस० टण्डन	अवर अभियन्ता (विद्युत)	2-2-84	–तदैव
3	इश्तियाक अली	अवर अभियन्ता (विद्युत)	31-3-84	–तदैव
4	लल्लन मिश्रा	सहकारी पर्यवेक्षक	5-9-89	प्रादेशिक कोआपरेटिव यूनियन (पी० सी० यू०)
5	बैजनाथ जैसवाल	सहकारी पर्यवेक्षक	28-3-92	तदैव
6	के० सी० श्रीवास्तव	सहकारी पर्यवेक्षक	31-3-92	तदैव
7	नारायण हरी गुप्ता	सहकारी पर्यवेक्षक	11-3-92	तदैव

उत्तर प्रदेश गजट

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 73 का उत्तर पीछे पृष्ठ 51-52 पर)

क्र० सं०	पत्रकार का नाम	पदनाम एवं समाचार पत्र का नाम	मान्यता निरस्तीकरण का कारण
1	2	3	4
		वर्ष 1991	
1	श्रीमती राधिका रमन शेषन	वि० संवाददाता, दि इण्डिपेण्डेण्ट, बम्बई ।	निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र एवं अभिलेख प्राप्त न होने के कारण ।
2	श्री अजय सिंह	संवाददाता, सा० समकालीन जनमत, पटना ।	पी० एफ० नम्बर एवं अनुभव प्रमाण उपलब्ध न कराने के कारण । (न्यायालय से स्थगन आदेश पर मान्यता स्वीकृत)
3	श्री खान गुफरान जाहिदी	स्वतंत्र पत्रकार	आय प्रमाण-पत्र एवं प्रकाशित लेख उपलब्ध न कराने के कारण ।
4	श्री सत्य प्रकाश निगम	स्वतंत्र पत्रकार	तदैव
5	श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सेंगर	संवाददाता, दिन रात, इटावा ।	पी० एफ० नम्बर न उपलब्ध कराने के कारण । (न्यायालय से स्थगन आदेश पर मान्यता स्वीकृत)
6	श्री अनिल चन्द्रा	संवाददाता, दै० नये लोग, फैजाबाद ।	पी० एफ० नम्बर उपलब्ध न कराने के कारण ।
7	श्री मंगला प्रसाद श्रीवास्तव	संवाददाता, दै० तरुण मित्र, जौनपुर ।	पी० एफ० नम्बर उपलब्ध न कराने के कारण ।
8	श्री रुद्रीदत्त घिल्डियाल	संपादक , उत्तर प्रदेश न्यूज फीचर ।	एजेन्सी का मापदण्ड एवं स्वरूप निर्धारित न होने के कारण । (न्यायालय से स्थगन आदेश पर मान्यता स्वीकृत ।)
9	श्री मिथिलेश अग्रवाल	संवाददाता, दै० स्वराज्य टाइम्स, आगरा ।	पी० एफ० नम्बर उपलब्ध न कराने के कारण ।
10	श्री इकबाल सिद्दीकी	स्वतंत्र पत्रकार	आय प्रमाण-पत्र एवं प्रकाशित लेख उपलब्ध न कराने के कारण ।
11	श्री जगदीश नारायण शुक्ल	संपादक, दैनिक प्रतिदिन	पी० एफ० नम्बर उपलब्ध न कराने के कारण ।
12	श्री ठाकुर प्रसाद सिंह	स्वतंत्र पत्रकार	20 वर्ष का पूर्णकालिक अनुभव न होने के कारण ।

1	2	3	4
13	श्री सुधीर लहरी	संवाददाता, बिजनौर टाइम्स	पी० एफ० नम्बर उपलब्ध न होने के कारण। (न्यायालय से स्थगन आदेश पर मान्यता स्वीकृत।)
14	श्री स्वदेश कुमार	संवाददाता, दै० जागरण, लखनऊ।	सम्पादक की संस्तुति पर
15	श्री राजू मिश्र	तदैव	तदैव
16	श्री ज्ञानेन्द्र शर्मा	संवाददाता, नवभारत टाइम्स, लखनऊ।	तदैव

वर्ष 1992

1	श्री प्रकाश चन्द्र	स्वतंत्र पत्रकार	आय का अनुबन्ध पत्र सुलभ न कराने के कारण।
2	श्री विद्या सागर	स्वतंत्र पत्रकार	आय प्रमाण पत्र एवं प्रकाशित लेख की कतरनें उपलब्ध न कराने के कारण।
3	श्री चन्द्रोदय दीक्षित	तदैव	तदैव
4	कु० शिप्रा दीक्षित	संवाददाता, जागरण, आगरा।	सम्पादक की संस्तुति पर निरस्त
5	श्री रण विजय सिंह	संवाददाता, आज, लखनऊ	सम्पादक की संस्तुति पर
6	श्री उपेन्द्र मिश्र	तदैव	तदैव
7	श्री मुकेश अलख	संवाददाता, नवभारत टाइम्स, दिल्ली।	नियुक्ति पत्र की प्रति सुलभ न कराने के कारण।
8	श्री दिनेश दुबे	संवाददाता, फ्री प्रेस जर्नल, बम्बई।	सम्पादक की सूचना पर कि यह पत्र में कार्यरत नहीं है।
9	श्री बद्री प्रसाद गुप्ता	सम्पादक, पा० सेवाग्राम, लखनऊ।	पी० एफ० संख्या सुलभ न कराने पर।
10	श्री भगवत प्रसाद पाण्डे	सम्पादक, चरित्र विकास, लखनऊ।	पी० एफ० नम्बर एवं प्रबन्ध सम्पादक होने के कारण।
11	श्री हिसामुल इस्लाम सिद्दीकी	संवाददाता, साप्ताहिक जदीद मरकज़, लखनऊ।	नियमावली में साप्ताहिक के लिये मान्यता का प्राविधान न होने एवं डी० ए० वी० पी० तथा आर० एन० आई० की प्रसार संख्या का प्रमाण पत्र न होने के कारण।

अध्यक्ष प्रेस परिषद

नत्थी 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं० 107 का उत्तर पीछे पृष्ठ 63 पर)

माननीय सदस्य के पत्र दिनांक 24-9-88 में उल्लिखित बिन्दुओं की सूची

1–समाचार पत्रों में विशेष रूप से रु० 10,270.00 प्रति पृष्ठ के हिसाब से पांच पृष्ठों का विज्ञापन देने के लिये सरकारी नियम क्या हैं ?

2–कि वर्ष 1986-87 व 1987-88 में सूचना विभाग के अधिकारियों ने किन-किन समाचार पत्रों को कब-कब पांच पृष्ठीय विज्ञापन दिलाये ? क्या इन विज्ञापनों को देने के लिये सचिव, सूचना विभाग व आपसे स्वीकृति ले ली गयी थी ?

3–कि क्या यह सही है कि मार्च, 1988 में सूचना विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने पांच पृष्ठीय विज्ञापन दिलाया ? यदि हां, तब किस समाचार पत्र को किस आधार पर दिलाया ?

4–कि क्या यह सही है कि इस विज्ञापन को देने की स्वीकृति सचिव, सूचना विभाग व आपसे ले ली गई थी । यदि हां, तो किस तिथि को ली गयी थी ? यदि नहीं, तो यह विज्ञापन क्यों और कैसे दिया गया ? इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

5–कि क्या यह सही है कि आपने भी पांच पृष्ठीय विज्ञापन दिये हैं ?

6–यदि हां तब आपने अपने कार्यकाल में किन-किन समाचार पत्रों को ऐसे विज्ञापन किस-किस आधार पर दिये हैं ?

7–कि क्या आपके कार्यकाल में किसी समाचार पत्र को पांच पृष्ठीय विज्ञापन दिया गया है, जिसकी स्वीकृति आपसे न ली गयी हो ?

8–कि क्या यह सही है कि वर्तमान सूचना राज्य मंत्री जी के निजी सचिव ने अपने हस्ताक्षर से उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को पांच पृष्ठीय विज्ञापन देने का निर्देश दिया है ?

9–यदि हां, यह निर्देश किसके आदेश से किस समाचार-पत्र को किस आधार पर दिया गया ?

10–कि क्या उपाध्यक्ष ने निजी सचिव के द्वारा दिये गये आदेश के अनुपालन में किस समाचार-पत्र को पांच पृष्ठीय विज्ञापन किस आधार पर दिया ?

पी० एस० यू० पी०–एल० 182 विधान सभा (287)–1993–572 (डी० टी० पी०) ।